# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 8 ] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का 58 वां दिवस [ संख्या : 11

मंगलवार,

18 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

## मांग

## माननीय सदस्यों का निलम्बन एवं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट के लिए निवेदन करना है। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :** आपका आचरण स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** शांतिलाल चपलोत तो एक ही होगा।

**श्री चन्दनमल बैद :** आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा (व्यवधान) कि आपके वक्त में ऐसा इस तरह का दुर्व्यवहार और दुराचार का काम हुआ था। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। (व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) :** माननीय शिवनाथ जी, अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं ताकि इस गतिरोध का कहीं पर समाधान हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो गतिरोध इस विधान सभा में चल रहा है, पूरा सदन उसके लिए बहुत चिन्तित है और हम इस बात को अच्छा भी नहीं मानते। ऐसे अवसर इस सदन में पहले भी आए हैं जब निष्कासन के और यहां तक कि सदस्यता समाप्ति के भी प्रस्ताव आए लेकिन उन सभी अवसरों पर आपस में बातचीत से सत्ता पक्ष के सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार से वे सभी काम सलटाये गये। मेरे ख्याल से इस राजस्थान विधान सभा के इतिहास में एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें मूल रूप में प्रस्ताव आया हो और वह अंत तक वैसे ही निभाया गया हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक गम्भीर स्थिति में हम यहां मौजूद हैं, हम सब दुःखी हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिपक्ष को विश्वास में लेने की कार्यवाही

( श्री शिवनाथ सिंह )

नहीं की गयी, उसको भी हम छोड़ते हैं। जो-जो सत्ता पक्ष ने कहा उसके लिए हम झुकते गये, सिर्फ एक बात पर आज भी हम दृढ़ और हमेशा रहेंगे कि जहां संवैधानिक कार्यवाही का विरोध हो, जहां नियमों का उल्लंघन हो, उस कार्यवाही में, हम साझीदार नहीं बनना चाहते, यही हमारा एक उद्देश्य था। हमने एक ही बात कही कि जो 22 तारीख को यहां निष्कासन का प्रस्ताव आया, वैधानिक तरीके से आता, + + + हम उसमें अपनी बात कहते। आपके पास संख्या बल है, कोई भी निर्णय आप कर सकते थे। लेकिन वह कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आज दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का श्रीगणेश है...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह बालहठ है। राजहठ है कि बालहठ है ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बोलने दीजिये। बोलें, बोलें। (व्यवधान) बिराजिये।

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : बीच में मत बोलिये। आपके बीच में नहीं बोलेंगे हम। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये, बिराजिये।

**श्री शिवनाथ सिंह** : श्री गणेश भी ऐसे समय में हुआ, तब से गतिरोध चला आ रहा है।

**श्री चन्दनमल बैद** : बिराजिये आप। स्प्रिंग लगी हुई है क्या सीट पर ?

**श्री शिवनाथ सिंह** : प्रतिपक्ष ने पहले भी भावना व्यक्त की है, आज भी हम यह कहने को तैयार हैं कि यदि हमसे कोई गलती हुई हो, हमें उसके लिए खेद प्रकट करने में कोई संकोच नहीं। माननीय चीफ व्हिप ने कहा कि सदन में नहीं, हम बाहर आपसे खेद प्रकट कराना चाहते हैं। माननीय अध्यक्षजी, मीडिया के सामने भी हमने यह कहा कि यदि हमसे कोई गलती हुई हो, हमको समझा दें कि आपकी यह गलती है तो उसके लिए खेद व्यक्त करने में हमें कोई एतराज नहीं पड़ता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी सत्ता पक्ष की हठधर्मी के कारण से यह सब गतिरोध चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृष्ण का रूप धारण करें, अश्वत्थामा का रूप धारण नहीं करें।

**श्री चन्दनमल बैद** : उनकी चलती नहीं है + + + (व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह** : अश्वत्थामा को हथियार चलाने का तो ज्ञान था, उसको वापस परिमार्जन का अधिकार नहीं था। कृष्ण को चक्र चलाने का भी अधिकार था और वापस भी वह ले सकते थे। इसलिए आज उनकी परिस्थिति से हम चिन्तित हैं। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अन्तर्कलह से

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

( श्री शिवनाथ सिंह )

वे दुःखी हैं, उनकी बात चलती नहीं। चारों तरफ से उनको घेर रखा है, लेकिन मैं फिर भी सत्ता पक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको अपना रोल अदा करने दीजिए। आज हम सदन में उनसे लड़ते हैं, सदन में हम उनका विरोध करते हैं लेकिन इस सदन के बाहर जब यह सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, राजस्थान का मुख्य मंत्री हिन्दुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी के विवादों को सुलझाने में सक्षम हैं, हमें शर्म आती है उनके खुद का मामला, उनकी खुद की पार्टी में और उनके खुद के प्रांत में नहीं सुलट पा रहा है। उनकी मंशा को हम बुरा नहीं कहते लेकिन सत्ता पक्ष की हठधर्मी से यह हो रहा है इसलिए हमारे जो विद्वान् उप मुख्य मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : वेदों के ज्ञाता हैं। (व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह** : आप ऋषिकुल में पैदा हुए, आपके पास अपार ज्ञान है और विवेक भी होना चाहिए लेकिन आपके विवेक को आपके क्रोध ने आच्छादित कर रखा है। कृपया आप दुर्वासा ऋषि के आदर्शों को छोड़कर और दूसरे ऋषि भी हैं, उस ऋषि परम्परा में प्रवेश कीजिए। इस पूरे विवाद का निराकरण आप चाहो तो हो सकता है। विपक्ष की अपनी उन बातों को दोहराते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां संविधान का हनन हो, परम्परा का हनन हो और हमारी प्रक्रिया के जो नियम हैं उनका हनन हो, उसमें तो हम कभी भी किसी भी प्रकार से साझीदार नहीं बनना चाहते, बाकी आप जो हमसे चाहो वह सहयोग करने को तैयार है। आपने हमारे बात करने के सब रास्ते बंद कर दिये। आपने हमसे बात करने के सब रास्ते बंद कर दिये। बजट के समय हमने चेष्टा की, कल भी हमने चेष्टा की इसलिए अब हमारे बात करने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, हथियार आपके हाथ में हैं, आप चाहो तो इस सदन की गरिमा को रख सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसकी गरिमा को गिराने की चेष्टा कर रहे हो, हमें इसमें भागीदार नहीं बनना है। मुझे यही कहना है।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

**एक माननीय सदस्य** : संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : मैं एक मिनट बोल दूं, उसके बाद में आप बोल दीजिए।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : आप तो चले जाओगे। (व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : जाएंगे। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, माननीय

( श्री खेतसिंह राठौड़ )

उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गतिरोध राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ और आज बजट नजदीक में ही दो दिनों में पारित हो रहा है, तब तक चल रहा है, ऐसा गतिरोध पिछले 40 साल में कभी भी नहीं हुआ होगा, अगर मुख्य मंत्री यहां होते तो वह इस बारे में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, वे नौ बार इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, आपमें इतने लम्बे समय तक सदस्य रहने वाले बहुत कम हैं। एक बार का किस्सा है, जब आप इधर बिराजते थे तब आपके एक माननीय मंत्री महोदय, जो मेरे सम्बन्धी भी हैं श्री देवीसिंह जी भाटी, एक बार एक तख्ती गले में लटकाकर आये, उस पर लिखा हुआ था, "मुख्य मंत्री की पुत्री के साथ बलात्कार"।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** मंजू के साथ बलात्कार। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** इससे बुरी बात कभी भी इस सदन में किसी ने नहीं कही। मुख्य मंत्रीजी घबरा गये। मुख्य मंत्रीजी ने मुझे कहा कि यह क्या बात है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की सारी कन्याएं मुख्य मंत्री की पुत्रियां हैं और इसलिए किसी एक कन्या के साथ बलात्कार हो गया है, वह मुख्य मंत्री की कन्या के साथ बलात्कार हुआ है। इस प्रकार के विचार वाले इस प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति...

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :** अब जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ कहो।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** वह विपक्ष के नेता की भी पुत्री थी। (व्यवधान) तत्कालीन विपक्ष के नेता...

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :** + + +

**श्री राजेन्द्र पारीक :** वह पुत्री विपक्ष के नेता की भी थी, पूरे राजस्थान की पुत्री थी। वह मुख्य मंत्रीजी की पुत्री नहीं थी, पूरे राजस्थान की पुत्री थी। तत्कालीन विपक्ष के नेता की पुत्री भी थी।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** + + + भी किसी की पुत्री थी, यह भी ख्याल नहीं रखा।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** + + +

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री चिकित्सा):** + + + भी किसी की पुत्री थी। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** + + +

**श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :** राठौड़ साहब को तो आप सुनना नहीं चाहते क्या? सुनो तो सही।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** मान्यवर, मैं इस विषय को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, ऐसी घटनाएं होने पर

---

+ + + नाम/शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

( श्री खेतसिंह राठौड़ )

उन माननीय सदस्य को निलम्बित भी किया गया और वापस हाउस में लिया भी गया। आपने जिस प्रकार से यह पांच निलम्बन किये है और आपने इस निलम्बन को सही बतलाने का प्रयत्न किया उसका एक भी कारण नहीं बताया गया। एक लाइन के अन्दर पांचों के नाम पढ़े गये और पांचों का निलम्बन किया गया। वह भी उस वक्त में जब सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हाउस एडजोर्न कर नीचे उतर गये थे, सामने से भाई चपरासी ने कहा कि कुछ और बोलना है और महावीरजी खड़े हुए। तो इसको सही रूप में देखा जाए तो यह निलम्बन सही नहीं था। हमने शुरू से यही बात कही है। हमने आपसे यह निवेदन किया है कि ऐसे मामलों में इतना लम्बा निलम्बन मत कीजिए, इससे हाउस में कटुता बढ़ेगी। राजस्थान की विधान सभा की यह परम्पराएं रही हैं कि चाहे हम पक्ष में बैठे हों, या आप विपक्ष में हों, या आप पक्ष में चले गये, हम विपक्ष में आ गये हों लेकिन अपना सौहार्द्रपूर्ण वातावरण रहा है, आपस में मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, हंसी-मजाक भी होती है। लेकिन जो अब आप नई परम्पराएं डाल रहे हैं, खास तौर से मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप सबसे जिम्मेदार मुख्य मंत्रीजी की एब्सेंस में हैं, आपका दायित्व यह बनता है कि इस हाऊस का वातावरण सौहार्द्रपूर्ण रहे और ठीक तरीके से यह चले। इन पिछले दिनों में जो भी आपका व्यवहार रहा है और जिस प्रकार से आप जल्दी में इस बजट को पास कर रहे हैं, अब बजट पास करने में सिर्फ तीन दिन बाकी रह गये हैं, इसलिए हम आपसे यह कोई कहने वाले नहीं हैं कि आप बजट पास करें और हम आपके साथ बैठकर बातचीत करेंगे, हम आपसे बातचीत कल से बंद कर चुके हैं और यह आपसे कहने आए हैं_

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : फिर क्यों आए हों ?

**श्री राजेन्द्र पारीक** : राजस्थान की जनता को बता रहे हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : फिर आपसे यह कहने आए हैं कि यह आपके + + + अच्छे नहीं हैं। अगर आप थोड़ा समय और बढ़ा देते तो प्रतिपक्ष को मौका मिलता, वह अपनी समस्याओं को, राजस्थान की ज्वलंत समस्याओं को आपके सामने रखता, उससे आपको लाभ मिलता। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : रुचि ही नहीं है आपकी। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप यह समझ कर बैठे हैं_(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : जन समस्याओं में कोई रुचि नहीं है, आपकी रुचि तो, आपके नेता कौन हैं ? माननीय खेतसिंह जी राठौड़ _(व्यवधान)

---

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आपके भ्रष्टाचार को उजागर करते...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : आपके + + + को बताते, आपको अपनी औकात बता देते।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अमरारामजी आपके नेता हैं, गोपीराम जी गुर्जर आपके नेता हैं, भंवरलाल जी शर्मा आपके नेता हैं, + + + (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : + + + (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : + + + फासिज्म के नक्शे कदम पर चल रहे हो। फासिज्म के नक्शे कदम पर चल रहे हो। + + +

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपके मंत्रियों के तो चांटे पड़ रहे हैं, चांटे ही मार रहे हो आपस में। एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के चांटे मार रहे हैं, यह है आपका अनुशासन।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आप रूठे हुए क्यों हैं ? (व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : बैठ जाओ, बैठ जाओ। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यहां कोई भी दशरथ कैकयी को मनाने वाला नहीं है, यहां कोई भी जो है... (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : आपकी हिम्मत नहीं है, आप भयभीत हो, आप स्वयं चाहते हो कि हम राजस्थान की जनता के सामने आपकी ... (व्यवधान)...आप भयभीत हो हमसे और इसीलिए आप बजट जल्दी पास करा रहे हो। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : वाद-विवाद कराओ, वाद-विवाद।

**श्रीमती कमला** (बैराठ) : गरीब जनता पर पांच सौ करोड़ का कर लगाकर राजी हो रहे हो, बजट पास करके राजी हो रहे हो। कर लगा रहे हो अनाप-शनाप, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह कैकयी का पार्ट मत अदा करो, यहां वाद-विवाद करवाओ, वाद-विवाद का स्थान है यह। आज तक मुझे...

**श्रीमती कमला** : गरीब जनता के ऊपर आपने पांच सौ करोड़ का कर लगा दिया, क्या कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : वाद-विवाद तो आपने आपकी पार्टी में भी बंद कर दिया। वाद-विवाद तो आपकी पार्टी में भी बंद कर दिया। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : यह बिना अध्यक्ष के हाउस चल रहा है ? अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर बिराजमान नहीं हैं, ऐसा लग रहा है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय का रोगी हूं...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इसलिए तबीयत का ध्यान रखें, मुझे चिंता है आपकी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : और उनको चिंता भी है। मैं कुछ ही दिनों में आपरेशन भी करवाने वाला हूं इसलिए मैं आपसे...

**श्री राजेन्द्र पारीक** : लेकिन उन + + + को चिंता नहीं है। + + +

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आप क्या प्रस्ताव लाए थे देवीसिंह जी का, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप बैठिए। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अशोभनीय एवं सदन की गरिमा गिराने वाली है अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंहजी भाटी को विधान सभा की सदस्यता से शेष अवधि के लिए निष्कासित किया जाए। यह प्रस्ताव था। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : आप अभी का प्रस्ताव पढ़िए, अभी का प्रस्ताव ...(व्यवधान)। + + +

**एक माननीय सदस्य** : + + + मुख्य सचेतक ...

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : आप दस साल पहले की बात करते हैं, आपको मालूम नहीं है...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : इतने दिन निकाले, बाकी दिन और निकाल देंगे, पूरे हाउस...

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : + + + (व्यवधान)

**श्री रामेश्वरलाल भाटी** : राजस्थान के सभी धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भर्त्सना की है। आज धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अनुचित बताया है। (व्यवधान) मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे आचार्य श्री तुलसी ने भी इस घटना को अत्यन्त दुखद बताया है।... (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : गांधीजी की हत्या किस ने की थी ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री रामेश्वरलाल भाटी** : और यहां तक कि धार्मिक जगत के संतो ने भी इस पर अब पश्चाताप करने के लिए आग्रह किया है। धार्मिक जगत के नेताओं ने...(व्यवधान) और राजनैतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी इसको बुरा माना है।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : यह कितने लाख रुपये की वाणी है...(व्यवधान)

**श्री रामेश्वरलाल भाटी** : आचार्य श्री तुलसी ने भी दुःख का विषय बताया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, यहां सदन में बैठें...(व्यवधान)

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

**श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा :** चौखी ढाणी से अभी तक पेट नहीं भरा क्या ? (व्यवधान)

**श्री रामेश्वरलाल भाटी :** आचार्य तुलसी के शिष्य माननीय चन्दनमलजी से कि आप क्या आचार्यश्री के..(व्यवधान)..क्या आचार्यश्री के सिद्धांतों का भी आपके कोई विचार और ...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** +++

**श्री रामेश्वरलाल भाटी :** कोई विचार नहीं है..(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** +++ (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार...(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** +++ (व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश शर्मा :** चोखी ढाणी तो कुछ नहीं है, आपके सदस्यों को दस-दस साल की सजा हो रही है..(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब ............

**श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल का समय है। फिर एक बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)..इनके मन में अगर प्रजातंत्र की कोई भावना है तो इसमें भाग लें, प्रश्नकाल में भाग लें और वातावरण को सौहार्द्रपूर्ण बनाएं।

**एक माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय, यह कीमती प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल लिया जाए।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** नहीं होगा, कोई प्रश्नकाल नहीं होगा।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भाग लेकर फिर वातावरण को शुद्ध बनाएं और आगे का कार्यक्रम लें। दो दिन में नहीं, समय बढ़ाया जा सकता है, आप बजट की मांगों पर भाग लीजिये...

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : यह प्रश्नकाल नहीं है, यह कोगटाजी, आपका अंतिम साल है। यह आपका अंतिम साल है, प्रश्नकाल नहीं है। (व्यवधान)

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** राजस्थान की जनता आपको बरदाश्त नहीं करेगी। यह महत्वपूर्ण समय है, लाखों रुपये खर्च होते हैं प्रश्नकाल के लिए, अपने-अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, सरकार की तरफ से भी मेहनत होती है..(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** वह तो अब आपका क्षेत्र आपको अपनी +++ बता देगा। ब्यावर जिला बनवा लिया ? ब्यावर जिला बनवा लिया ? मसूदा में धरती खिसक गयी है।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : आज राजस्थान की जनता आपको बरदाश्त करने वाली नहीं है, वह हिसाब निपटायेगी। जिस प्रकार से आपने पिछले आठ दिन से वातावरण बना रखा है, जनता बारीकी से दूरबीन से देख रही है आपकी हर एक्टिविटीज को। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : वह लक्ष्मण सिंहजी का एक्सपंज कर दें।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अगर आप थोड़ी सी शांति रखेंगे तो आपकी बात सुनने का मौका मिल जायेगा। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वरलाल भाटी** : माननीय अध्यक्षजी, आप प्रतिपक्ष सिपाही रामसिंह की पैंट उतारना जायज बताना चाहता है और अगले टाइम, इनको अगर क्षमा किया गया तो यह + + + की अनुमति मांगेंगे। क्या यह सदन के लिए जायज है ? यह इस प्रकार की भर्त्सना का विषय सम्पूर्ण समाज के लिए रहा है। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह अक्षम्य है (व्यवधान) और इस सदन का इस सदी का सबसे बड़ा अपमान है। अगर उस बात को क्षमा किया गया तो समाज की मर्यादा की रक्षा करना (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : कोई बात नहीं बोलोगे बीच में इस प्रकार की, पहले हम हैं, याद रखियेगा। क्या मतलब हुआ, बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं ? यह क्या मतलब हुआ, बोलने देते नहीं। इनको बैठाओ।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें, बिराजें आप। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वरलाल भाटी** : इसलिए अक्षम्य माना जाए, यह सबसे बड़ा पाप माना जाए। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : + + + (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अगर सत्ता पार्टी के चीफ व्हिप भी नियमों की अवहेलना करेंगे तो फिर उस पार्टी का क्या कहना है। मैं अपनी बात कह रहा था, बीच में ही पार्टी के चीफ व्हिप खड़े हो गये। सरकारी मुख्य सचेतक जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यह होती है कि हाउस के अन्दर वह डिसिप्लीन मेन्टेन करें, स्वयं ही खड़े होकर बाधा डालते हैं तो उस पार्टी की फिर क्या कहने की बात है, ज्यादा कुछ पीछे रहता ही नहीं है।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आपने जो निलम्बन किया है वह गलत किया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अच्छा, आज तक कभी ऐसा हुआ क्या ? राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसी घटना हुई क्या कि अध्यक्ष के ऊपर छलांग लगाकर वार लगाएं। आज तक ऐसा हुआ क्या ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप सिर्फ विशेषाधिकार इसलिए लाएं...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : खेतसिंह जी, पैंट फाड़ने का काम इस राजस्थान विधान सभा में हुआ क्या ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : सुनिए आप शांति से सुन लीजिए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : क्या ? (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : + + + (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : महामहिम राजस्थान महोदय की अंगुली में खून पहली बार निकाला है आप लोगों ने। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : हमें क्या दिखा रहे हो ? (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : जब आपको यह मालूम हुआ कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है तो आपने फौरन चौदह आदमियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख दिया। (व्यवधान)

**श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़) : देखो, इसका आचरण देखिए।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : इनका आचरण देखिये।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : शालिनी काण्ड की फोटो भी दिखा दो + + + (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : और अब आप हमको यह डराते हो कि ...

**श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** : आपकी फोटो तो मेरे पास है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : कि विशेषाधिकार हनन के ऊपर हमारे कई माननीय सदस्यों को आप सजा दे देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि इतना ही नहीं और ज्यादा सदस्यों के खिलाफ, आप जितने सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहें, लाइये।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल लीजिए, प्रश्नकाल।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अब यों भी इस सदन के अन्दर इस वक्त ही नहीं, आज से छः महीने बाद आने वाले सदन में भी जिस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी तो यह सदन चल नहीं सकेगा और मैं आपसे कहता हूं कि प्रजातंत्र में जिस प्रकार से एक तरफा आप चला रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है। आपको यह खुशी होगी कि हमने अपना बजट पेश कर लिया, किसी को कोई सुनने की जरूरत पड़ी नहीं लेकिन जनता में जाओगे तब लोग आपको बुरी तरह से गालियां देंगे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** मुबारक हो आपको गोपीचंद गुर्जर, मुबारक हो आपको अमराराम, मुबारक हो आपको भंवरलाल।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आप प्रजातंत्र के दुश्मन हो, आप + + + आपने प्रजातंत्र को समझा ही नहीं है और अगर किसी ने समझा है तो आपके मुख्य मंत्री ने समझा है। वे आज हाजिर नहीं हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय जो व्यवधान फिर डाल रहे हैं प्रश्नकाल में, यह नियमों में है या नहीं ? यह नियम विरुद्ध प्रश्नकाल में बोलना क्या आपको शोभा देता है ? (व्यवधान)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### प्रश्न संख्या -243

**श्री अध्यक्ष :** श्री भीमसेन जी चौधरी। अनुपस्थित।

**(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए– कृपया आगे देखें)**

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आप चलने नहीं दे रहे हैं हाउस को। आप लोग इस तरह से कर रहे हैं जिस तरह की आज तक इस हाउस में कभी भी परम्परा नहीं रही है लिहाजा (व्यवधान)

### प्रश्न संख्या–244

**श्री अध्यक्ष :** माननीय हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

**(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए- कृपया आगे देखें)**

**श्री राजेन्द्र पारीक :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं और आप प्रश्न पुकारे जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** बिलकुल अब हो गया बहुत।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** क्या बहुत हो गया ?

**श्री अध्यक्ष :** 25 मिनट दे दिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** हो गया। मैं कह रहा हूं कि सर्वनाश हो गया। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या होगा इससे ज्यादा?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय भीमराज जी भाटी।

**श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों का कार्य शुरू किया जाए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब कोई नहीं बोलेगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं को खूब समय दे दिया गया है। (व्यवधान) ये कार्यवाही में भाग लेना चाहे तो ले और यदि नहीं लेना चाहे तो बाहर जायं, लेकिन आप प्रश्नकाल शुरू कीजिए और हमारे प्रश्नों के जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)**

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : बाहर अपनी मर्जी से जाएंगे, आप कौन हैं, यह कहने वाले ?

**श्री कालूलाल गूजर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल लिया जाए। (व्यवधान)

### प्रश्न संख्या-245

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमराज भाटी।

**(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए-कृपया आगे देखें)**

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट में बात सुन लीजिए। जिस प्रकार सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक ने अभी सदन में कहा कि हमारे नेता गोपीचन्द गुर्जर, हमारा नेता अमराराम, हमारा नेता भंवरलाल है। ये हमारे नेता नहीं है, ये आपके नेता हैं। हमारा विरोध प्रजातंत्र के तहत बने हुए नियम और कानूनों के अन्तर्गत है। हमारे वे नेता नहीं है, हमारे नेता...(व्यवधान)...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : जन समस्याओं से ज्यादा आपने उनको नेता मानकर, राजस्थान की समस्याओं से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री मदन मोहन जी।

## ग्रामों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

246. **श्री मदन मोहन** (खैरथल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ग्राम की चरागाह, गोचर, सिवाय चक, लगानी व गैर लगानी भूमि को अवाप्त करते समय सम्बन्धित ग्राम को उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ग्रामीणों की उक्त भूमि को अवाप्तियों से मुक्त रखे जाने का विचार रखती है ताकि पशुधन व ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके? (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : यह गलत धारणा है आपकी। आप एक तरफ हमको बोलने नहीं देते और एक-एक घंटे सदन के अन्दर...(व्यवधान)...इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं...(व्यवधान)...

**एक माननीय सदस्य** : उनके क्षेत्र की जनता ने नेता माना है, सबने नहीं माना है। वे आपको हराकर, सरदार शहर से नेता जनता ने बनाया है। हमने बनाया है क्या ? (व्यवधान) ये आपके राठौड़ साहब वहां घेरा डालकर बैठे थे।

**राजस्व मंत्री** (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम की चरागाह, गोचर, सिवाय चक भूमि की अवाप्ति नहीं की जाती है। अतः मुआवजा देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यदि लगानी या गैर लगानी भूमि किसी की खातेदारी की है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। ग्राम को मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** ...(व्यवधान)... यह आप जो अन्याय कर रहे हैं ...(व्यवधान)...राजस्थान की जनता आपको बख्शेगी नहीं। गरीबों के लिए दवाएं नहीं छोड़ी, चाय नहीं छोड़ी (व्यवधान)...

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :** मेरा एक सवाल है राजस्व मंत्री जी से कि मेरे यहां 40 काश्तकार कोटा के पड़े हुए हैं और पता नहीं वे क्या-क्या बातें कहते हैं इनके लिए, अब मैं कहां से लाकर के दूं इनको...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय धारीवाल जी साहब विराजें। जब आपका टर्न आए तब बोलना आप। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...कल भी अखबार में था।

**श्री गंगाराम चौधरी :** (2) चरागाह, गोचर व सिवाय चक भूमि है अतः उनके अवाप्ति का प्रश्न नहीं उठता। पशुधन के लिए आवश्यक चरागाह भूमि उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 6 में प्रावधान है।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** जब सदन के नेता इधर बैठते थे तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। (व्यवधान) सदन की गरिमा को...(व्यवधान)...यह सदन का दायित्व है मुख्य सचेतक का। खेतसिंह जी जब राजस्थान के मुख्य सचेतक थे, उनसे कुछ सीख लीजिये। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वह भ्रष्टाचारी हो जाता है। यह राजस्थान में भावना बन गयी है कि भारतीय जनता पार्टी में 99 प्रतिशत भ्रष्टाचारी हैं।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक हैं जो इस सदन में सरकारी मुख्य सचेतक हैं आपका दायित्व हो जाता है कि सदन को चलाने की व्यवस्था करें। मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

**श्री मदन मोहन :** इस तरह से जिस तरह से टपूकड़ा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर जितनी भी गोचर भूमि और जितने भी चरागाह हैं उनको अवाप्त कर लिया गया है या उनको अलाटमेंट जारी किया गया है। (व्यवधान) इसी तरह से जिन लोगों ने उसमें से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से टूपकड़ा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्रों में...(व्यवधान)...

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** अध्यक्ष महोदय, हमारे उप नेता महोदय बोल रहे हैं, उनको बैठाइये।

**श्री मदन मोहन :** गोचर भूमि को ...(व्यवधान)...या तो आवंटित की जा रही है

( श्री मदन मोहन )

उसमें तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं विपक्ष के नेता की हैसियत से माननीय भैरोंसिंहजी की तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने यहां पर बैठ करके जो सीख दी थी वह आज कैसे भूल गये संख्या के आधार पर प्रजातंत्र का + + + और प्रजातंत्र के मूल्यों को आप स्वीकार कीजियेगा ? आज की आवश्यकता यही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी मुख्य सचेतक (व्यवधान)...

**श्री मदन मोहन :** मेरा आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस तरह टपूकड़ा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की गोचर भूमि अवाप्त की जा रही है। उसको तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाए। चरागाह की और गोचर भूमि का अलाटमेंट किया जा रहा है (व्यवधान)... यह मेरी राज्य सरकार से मांग है और जिस तरह से उनकी गोचर भूमि और (व्यवधान)... मामला है उसी आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितना भी प्राहिबेटेड एरिया है उस क्षेत्र में लाकर डाल दिया जाता है (व्यवधान) उस भूमि के अन्दर उस भूमि का मुआवजा गांव के लोगों को मिलेगा (व्यवधान)... भूमि को अवाप्ति किया जाना चाहिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि जो भूमि है उसमें गवर्नमेंट को वो चरागाह भूमि है (व्यवधान) अवाप्ति किया जाकर मुआवजा मिलना चाहिए (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** जब सत्तारूढ़ थी कांग्रेस पार्टी माननीय खेतसिंह जी ने उदारतापूर्वक प्रस्ताव को वापस लिया। आपमें वह उदारता नहीं है, आपमें वह सदाशयता नहीं है, आपमें वह शिष्टाचार नहीं है। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस राजस्थान की विधान सभा में जो कुछ भी विपक्ष कहना चाहता है उसको न सुनने और उसकी आवाज को दबाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह कार्यवाही कठोर है, यह कार्यवाही प्रजातंत्र विरोधी कार्यवाही है, यह कार्यवाही नियम विरुद्ध कार्यवाही है, इसका हम विरोध करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान आपको सद्‌बुद्धि दें। आप क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आपकी तीन मांगे हैं। (व्यवधान)

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत :** और सुनिये, जो ज्वलन्त समस्या राजस्थान की है उस पर हम अपने विचार व्यक्त करते। बिजली की बात नहीं कह सके, किसानों के हित की बात नहीं कह सके। पानी और बिजली की

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

( श्री गुलाब सिंह शक्तावत )

जो बात है जो भ्रष्टाचार राजस्थान में फैल रहा है (व्यवधान) हम अपना आन्दोलन जारी रखेंगे। प्रजातंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए हम सतत् प्रयत्न करते रहेंगे। (व्यवधान) आपकी हठधर्मिता के विरोध में हम सब लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी।

**श्री गंगाराम चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, चरागाह और सिवाय चक भूमि सरकारी भूमि है इसकी अवाप्ति नहीं होती है। जब जरूरत पड़ती है सरकार को किसी कार्य के लिए तो विभाग को या किसी सार्वजनिक कार्य के लिए इसका आबंटन किया जाता है। जो भारतीय कानून है, केन्द्रीय कानून, 1894 का राजस्थान में लागू है, उसके तहत केवल-(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** ये कपड़े पर टैक्स लगा दिया। (व्यवधान) यह जनतंत्र विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। यह गांव विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, यह राजस्थान के बजट ने सिद्ध कर दिया है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय रोज अपना स्टैंड बदलते हैं। कभी वे कहते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हुआ, कभी वे कहते हैं कि अध्यक्ष का (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन से एक प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल में (व्यवधान) प्रतिपक्ष नहीं है इसलिए सदन को नहीं चला रहे हैं ?

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अब ये कोई विश्वास ही नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रजातंत्र से और जनसमस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष रोज अपने स्टैंड बदलता है। कभी कहते है कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण नहीं पढ़ा, कभी कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय माफी मांगे, कभी कहते हैं कि हमारा विशेषाधिकार का प्रस्ताव वापस लो, कभी कहते हैं कि हमारा निलम्बन समाप्त करो, कभी कहते हैं कि बजट वापस करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो राज्यपाल के अभिभाषण की बात थी वह वापस ले ली, अध्यक्ष महोदय के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया वह इन्होंने वापस लिया। अब आज कहते हैं कि बजट वापस करवाओ, आज कहते हैं कि विशेषाधिकार भंग का जो प्रस्ताव है वह वापस लो, आज कहते हैं कि वह निलम्बन समाप्त किया जाए और बिना बहस के किया जाए। वैसे तो, माननीय

( श्री महावीर प्रसाद जैन )

अध्यक्ष महोदय, +++ प्रतिपक्ष के नेता से यह उम्मीद की जाती है कि वह संसदीय प्रणाली को अच्छी तरह देखकर आएं, पढ़कर आएं, समझकर आएं, लोकतंत्र में बाहुबल का कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र में जिद भी नहीं चलती, हठ भी नहीं चलती। पर मुझे समझ में नहीं आता यह बालहठ है या त्रिया हठ है या राजहठ है। कौनसा हठ है, मेरी यह समझ में नहीं आता। प्रजातंत्र में वाद-विवाद के जरिए समस्या का समाधान निकालते हैं। जब माननीय देवीसिंहजी भाटी का निष्कासन का प्रस्ताव आया, उस समय किसी ने भी निष्कासन के विरोधस्वरूप बहिर्गमन नहीं किया। जब 1966 में नौ सदस्यों को निकाला तो कोई भी प्रतिपक्ष का सदस्य बहिर्गमन करके नहीं गया। कल ही हरियाणा में विपक्ष के नेता को सदन से निकाला गया, उनको बहिर्गमन के आदेश दिये गये लेकिन नेता के साथ कोई भी नहीं गया। कोई भी प्रतिपक्ष का सदस्य नेता के साथ नहीं गया। यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार है, यह सदन का अधिकार है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। दुर्भाग्य है कि "जांको प्रभु दारूण दुःख देई, वांकी मति पहले हर लेई"। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि +++ जगह-जगह यहां ही नहीं, यह कोई राजस्थान में हो रहा है, ऐसा नहीं है, सारे हिन्दुस्तान में, लोकसभा में, आंध्रप्रदेश में, गुजरात में, जगह-जगह +++ और इसलिए अब इनको समझाना मुश्किल हो रहा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 235 (3) में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि कोई भी सदस्य जो विशेषाधिकार का प्रश्न रखता है वह वापस नहीं ले सकता। मुझे समझाएं तो सही कि हम वापस कैसे ले सकते हैं। जो प्रस्ताव हमने यहां पर निलम्बन का पास कर रखा है उस प्रस्ताव में क्या कमियां रह गयीं, उनका कौनसा आचरण अच्छा था, हमने क्या गलतियां कीं, हमारे वे प्रस्ताव मैं पढ़कर सुनाऊं, माननीय अध्यक्ष महोदय। क्योंकि प्रश्नकाल का समय है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता पर उसमें सारा स्पष्ट है कि मंत्री के जो थप्पड़ मारा गया है और अध्यक्ष पर हमला किया गया है उसके कारण से उनको निकाला गया है। वह 20 तारीख की घटना है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मुख्य सचेतक का दायित्व है, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मुख्य सचेतक का क्या दायित्व है ? मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि प्रतिपक्ष के नेता का क्या दायित्व है, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अध्यक्ष महोदय का क्या दायित्व है, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि सदन के नेता का क्या दायित्व है और उनके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

( श्री महावीर प्रसाद जैन )

बीच की कड़ी मुख्य सचेतक है। मुझे पता है, समझाने की बात तो मैं कर सकता हूं लेकिन समझाएं कैसे। मुझे-तो लगता है कि कैकयी ने जिस प्रकार का हठ कर लिया और कोप भवन में जाकर बैठ गयी तो राजा दशरथ थे जिन्होंने रामजी को वनवास कर दिया लेकिन यहां कौन से राजा दशरथ जी हैं जो वनवास भेजें। कभी कहते हैं कि मुख्य सचेतक ने यह कह दिया कि हम आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाएंगें, आप बहस कर लो, आपराधिक मुकदमे, क्या कोई भी माननीय सदस्य कानून से ऊपर है ? यह हाउस, यह हमारी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली और कोई भी नियम कानून के ऊपर किसी को भी नहीं ठहराता है। यदि उन्होंने आपराधिक कृत्य किया है तो वह भी हो सकता है। वाद-विवाद वह करना नहीं चाहते। इसलिए मैं फिर प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि अपनी भूमिका निभाएं, राजस्थान की जनता की समस्याएं यहां पर रखें। कई बातें जब विपक्ष कहता है तो ध्यान में आती हैं, हम महसूस करते हैं कि हम आहत हैं, कि प्रतिपक्ष क्यों नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष अपराधभाव से ग्रस्त है, वह यहां पर कुछ कह नहीं सकता, सिवाय हठ करनें के उनके पास कोई चारा नहीं है। वह यहां पर वाद-विवाद करे। इसलिए हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। हमको बजट भी पास करवाना पड़ेगा, हमको अपनी संसदीय परम्पराओं के अनुसार इस सदन को भी चलाना पड़ेगा।इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं कि वह यहां आए और वाद-विवाद में हिस्सा ले।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मदन मोहनजी।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल (संसदीय कार्य मंत्री) :** अध्यक्षजी, मैं दो मिनट का समय चाहता हूं। मेरी इच्छा थी कि प्रतिपक्ष यहां होता तो मैं अपने भाव उन तक पहुंचा सकता था। अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि यह जो कुछ प्रकरण चल रहा है यह बहुत दुखद है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि प्रतिपक्ष को मनाये। हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं, हमने पूरा प्रयत्न किया। मुख्य मंत्रीजी प्रतिपक्ष के उप नेता के घर पर गये, मैं स्वयं प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान् परसरामजी मदेरणा के यहां तीन बार गया। मैं खेतसिंह जी राठौड़ के यहां 10 बार गया। एक एक लोगों से मैंने जा-जाकर निवेदन किया, झुके, उप मुख्य महोदय स्वंय गये और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका भी जो कर्तव्य था आपने निभाया। दोनों पक्षों को बुलाकर जो शर्तें रखने को तैयार थे वह शर्तें मानने को तैयार हो गये किन्तु नित नयी शर्त आने लगी। हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। कल भी मैं मिलकर आया हूं। प्रतिपक्ष ने आज वार्ता बन्द करने की घोषणा कर दी किन्तु हमने अपने प्रयत्न अभी भी नहीं छोड़े हैं। माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीजी

(18)



( श्री रघुवीरसिंह कौशल )

से लेकर स्वयं मैंने भी निरन्तर, आज सुबह भी सम्बन्ध स्थापित किया और कोई न कोई मार्ग निकल जाए, इसका प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह प्रकरण है क्या ? जिस दिन विधान सभा का सत्र शुरू हुआ था, 20 तारीख को राज्यपाल को आने से रोका गया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको स्पष्ट बता दूं कि यह समाचार पहले आ गये थे कि ऐसा होने वाला है। मैं स्वयं भी गया था, मेरे साथ हमारे गृह मंत्री गये थे और हमने राज्यपाल महोदय को स्पष्ट कहा था कि हमारे पास यह सूचना है कि आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह एक योजनाबद्ध प्रयास था कि राज्यपाल का अभिभाषण न हो और एक क्राइसिस पैदा हो जाए, कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाए। फिर जो कुछ दृश्य था, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उपस्थित थे, राज्यपाल को रोका गया, उनकी अंगुली में खून बहने लगा, उनके हाथ से भाषण छीन लिया गया। यह सब कुछ हुआ लेकिन यह हमको सबक सिखाते हैं कि आपको सदाशयता बरतनी चाहिए। हमारी यह सदाशयता नहीं थी कि उस दिन जो कुछ हुआ हम उसे इग्नोर कर गये ? दूसरे दिन फिर काण्ड हुआ, फिर हम इग्नोर कर गये। यह सदाशयता नहीं थी तो क्या था? तीसरे दिन सब कुछ टी.वी. पर जा रहा था, सारे देश की जनता देख रही थी, क्या वह जनता हमसे यह प्रश्न नहीं पूछती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने क्या किया? उस मजबूरी में यह निलम्बन किया गया और आज निलम्बन को वापस लेने की बात आई, बैठकर बातचीत हुई कि आप आइये, यह निलम्बन वैसे विदड्रा नहीं किया जा सकता, हाउस में लेते हैं, सब लोग मिलकर इसको वापस कर लेते हैं। इतना तक हुआ। खेद प्रकट करने के लिए कहते हैं कि आज दिन तक किसी ने खेद ही प्रकट नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पार्लियामेंट की एक घटना है ममता बनर्जी ने केवल शॉल फैंका, अध्यक्ष महोदय ने गेट-आउट किया। उनके नेता ने खेद प्रकट कर दिया किन्तु उनको अध्यक्षजी ने माफ नहीं किया। जब तक स्वयं आकर खेद न प्रकट करें, हाउस में आ नहीं सकती और आज ममता बनर्जी हाउस में नहीं आ रही हैं। एक छोटा सा काण्ड है, उसके मुकाबले कितना बड़ा काण्ड है। यदि इन काण्डों को इग्नोर करते चले जाएंगे तो पहले दिन की घटना दूसरे दिन हुई, दूसरे दिन की तीसरे दिन हुई और निरन्तर यह क्रम चलता रहेगा। जनता को भी कुछ जवाब देना है।

प्रजातंत्र के चीर हरण की बात की गयी। मैं पूछता हूं प्रजातंत्र का चीर हरण किसने किया ? जिसने टी.वी. देखा है, बड़े-बड़े नेताओं ने टी.वी. देखा है, शर्म के मारे उनका सिर झुक जाता है। यह राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में कलंकित

( श्री रघुवीरसिंह कौशल )

दिन रहेगा जिसको हमेशा-हमेशा याद किया जाएगा कि यह कैसा कलंकित काम हुआ है। प्रजातंत्र की हत्या हमने की ? अध्यक्ष महोदय, यह तीन दिन बरबाद किसने किये? राज्यपाल का भाषण नहीं हुआ, यह इश्यु था क्या ? राज्यपाल ने यहां खड़े होकर 10 लाइनें पढ़ीं, घोषणा की कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। नियमों में पढ़ा हुआ है, तीन दिन बरबाद कर दिये। तीन दिन बाद समझ में आई कि अभिभाषण तो हुआ है। गलतियां कौन कर रहा है ? हम निरन्तर बरदाश्त कर रहे हैं और गलतियां की जा रही हैं। इस सदाशयता का दुरुपयोग किया गया। मान्यवर, मैं भी कितने लोगों से मिला हूं और मैं यह समझ रहा हूं कि इसमें भी भीष्म पितामह-द्रोणाचार्य हैं। + + + चलती नहीं है। मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार से गलती मानेंगे नहीं और हम पर निरन्तर यह आरोप लगाएंगे कि आप पहल नहीं कर रहे। इन्होंने वार्ता बन्द कर दी फिर भी हमारी पहल जारी है और हम अभी भी विश्वास करते हैं, हमें उम्मीद है कि हम इनको मनाकर लाएंगे। यह जो कुछ घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से आज, अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक अध्यापक का पत्र आया है, आपने स्वयं पढ़ा, आपको स्वयं शर्म अनुभव हुई कि बालक अध्यापक से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या इतनी बड़ी घटनाओं के पीछे खेद प्रकट किया जाना उचित नहीं है ? जिद कौन कर रहा है ? प्रजातंत्र की हत्या कौन कर रहा है ? प्रजातंत्र का चीर हरण कौन कर रहा है ? हम सब प्रकार से झुकने को तैयार हैं। मैं कल भी गया था, आज भी जाऊंगा, हमारे प्रयास निरन्तर जारी हैं, हम किसी भी प्रकार से लाने को तैयार हैं। किन्तु यदि खेद प्रकट नहीं किया तो प्रदेश की और देश की जनता हमसे पूछेगी कि क्या आपने इन चीजों को अलाउ कर दिया। जो कुछ किया जा रहा है इस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, इसका अर्थ है कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की और इसका मतलब है कि गलती हमने की जो उनका निलम्बन किया। यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें सारा देश देख रहा है राजस्थान की इस अभूतपूर्व घटना की ओर और यदि उसमें खेद भी प्रकट न हो तो इसका मतलब है कि यह बहुत गलत मैसेज जनता में जाएगा। अब तो कई लोग मजाक करने लग गये कि एम.एल.ए., एम.पी. का टिकट उसको मिलेगा जो 200 दण्ड बैठक लगाकर बताएगा। यह जो घटनाएं हो रही हैं इनसे क्या अर्थ लिया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं चाहता था कि वे यहां होते। वह क्या चाहते हैं सत्ता पक्ष से ? हम सब कुछ करने को तैयार हैं, किन्तु प्रजातंत्र की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, हम जनता के प्रति भी जवाबदेह हैं। उसको हम क्या कहेंगे, यह बात भी हमारे ध्यान में है। इसलिए, अध्यक्ष

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

( श्री रघुवीरसिंह कौशल )

महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रयास अभी भी चालू हैं। जो कुछ हो रहा है, प्रतिपक्ष नहीं है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि वह आएं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : दुर्योधन पर कई प्रयास किये पर दुर्योधन कभी माना क्या ?

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए, इस माननीय सदन की गरिमा को रखते हुए हम उनकी सारी बात मानने को तैयार हैं। इतना ही मेरा निवेदन है आपसे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मदनमोहन जी।

**श्री मदन मोहन** : 246.

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इस दौरान कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है..

**श्री अध्यक्ष** : वह कह दिया मैंने।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आप व्यवस्था दें, वह शब्द प्रेस में भी जाएंगे तो असंसदीय शब्द हों, उनको निकाल दें।

**श्री अध्यक्ष** : एक्सपंज कर दें असंसदीय शब्द को। पहले ही कह दिया मैंने।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने एक मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोप लगाया था।

**श्री अध्यक्ष** : सब एक्सपंज है रिकार्ड में। आप बिराजें।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : एक्सपंज तो आपने कर दिया। बिना नोटिस दिये ऐसे आरोप लगाना नियमों के विरुद्ध है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। एक्सपंज करने से क्या हो गया।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री मदन मोहन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न माननीय राजस्व मंत्रीजी से पूछा है उसका जवाब दिया है कि चरागाह, गोचर और सिचाय चक की भूमि को किसी तरह अवाप्त नहीं किया जा रहा है और न ही अलाट किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि ग्राम बंदापुर, इंदौर, टपूकड़ा, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र यहां पर जितने भी चरागाह थे उन चरागाहों की भूमि को पूर्ण रूप से अलाटमेंट कर दिया गया है। इस चरागाह का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, वह गांवों के नजदीक केवल इसलिए हुआ करता था कि गांवों के जो पशु हैं उनको चारा चरने के लिए जगह रहे और सुरक्षित जगह पर चारा रहे, गांवों के लोगों की फसल खराब न हो। पर, अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी गोचर भूमि और सिवाय चक की भूमि पड़ी थी उसका अलाटमेंट कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बंदापुर में 23 बीघा ज़मीन अलाटमेंट

( श्री मदन मोहन )

हुई है। बंदापुर, इंदौर और टपूकड़ा में लगभग 145 बीघा गोचर, सिवाय चक और कस्टोडियन लैंड अलाट हो चुकी लेकिन जिन लोगों को अलाटमेंट हुई है वह न उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और यदि एक-दो हैं तो उनको आज तक पता नहीं कि हमारे नाम से कोई जमीन अलाटमेंट हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी प्रभावशाली लोगों ने इस तरह की गलत घटनाएं करायी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और इसकी आवश्यक रूप से जांच करा कर उनको दण्डित किया जाना चाहिए।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि गांव पुष्करणा है, वहां पर एक किलोमीटर की दूरी की जमीन का अलाटमेंट किया गया है, वह बेनामी अलाटमेंट है। उस भूमि की लागत आज की तारीख में करीब 30-35 करोड़ रुपये हैं । अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जो बेनामी अलाटमेंट हो रहे हैं उनको भी बंद किया जाना चाहिए। जो भूमि राज्य सरकार के हित में काम में लाई जा सकती है उस भूमि को बरबाद करने का कार्य, कर्मचारियों के द्वारा हो रहा है, अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यही पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों के नाम मैं ले रहा हूं इनकी जांच करा कर क्या इन अलाटमेंट को रद्द करने का विचार रखते हैं और जिन-जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस काम में सहयोग किया है उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या उनके खिलाफ जांच कराने का विचार रखते हैं ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में ही कहा था कि चरागाह भूमि और सिचाय चक भूमि अवाप्त नहीं की जाती। यह सरकारी भूमि है, इसको अलाट किया जाता है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसका आबंटन सरकार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ करती है। स्कूल के लिए भी कर लेती है, होदी बनाने के लिए, जी.एल. आर. बनाने के लिए, पंचायत घर के लिए, पंचायत की मांग पर और किसी के लिए, यह आबंटन तो सरकार करती है लेकिन कृषि प्रयोजनार्थ चरागाह का आबंटन नहीं होता है, इसके लिए मनाही है। केवल मात्र हमने चरागाह को, सिवाय चक को टोंक जिले में विस्थापितों को रिहेबिलिटेड करने के लिए किया था। आपने दो गांवों के आबंटन की बात की है। मैं आबंटन समझ नहीं पाया, वह आबंटन किस के लिए हुआ था। जांच तो करवा लूंगा लेकिन पहले माननीय सदस्य यह बता दें कि वह आबंटित कृषि प्रयोजनार्थ हुआ है या किसी उद्योग के लिए हुआ है या किसके लिए हुआ है ? उद्योग के लिए आबंटन राज्य सरकार करती है, चरागाह भी कर लेती है। यह जांच करने का प्रश्न किस बात का पैदा हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

**श्री मदन मोहन** : अध्यक्ष महोदय, अवाप्त करने की बात के लिए मंत्री महोदय ने जो मना किया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी चरागाह हैं, जितनी भी गोचर भूमि पड़ी हुई है उसकी आप जांच करा लें कि वह रीको के द्वारा एक्वायर हुई है या नहीं हुई। यदि हुई है तो उसको रद्द करने का विचार है या नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने यह बताया कि वह किस कार्य के लिए अलाट की गयी है, अध्यक्ष महोदय, उसका कृषि कार्य के लिए अलाटमेंट दिखाया गया है जबकि मैं यह कह रहा हूं कि जिन लोगों के नाम से अलाटमेंट हुआ है वे उस क्षेत्र के रहने वाले लोग ही नहीं हैं। उन लोगों का अलाटमेंट क्यों हुआ ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस व्यक्ति का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहता तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जितनी भी गड़बड़ी हुई है उसका पर्दाफाश इसी सदन में इसी समय कर दूंगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी केवल जांच करा लें और यदि ऐसा हुआ है तो उस अलाटमेंट को रद्द करा दें। केवल इतनी सी बात है।

**श्री गंगाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, रीको को राज्य सरकार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समझते हुए भूमि आबंटन करती है। भिवाड़ी में इस समय उद्योग का जो डवलपमेंट हो रहा है उसके लिए चरागाह भूमि भी रीको को दी गयी है और रीको आगे उस भूमि को उद्योग के लिए आवंटित करता है। मैं किस संदर्भ में इसको जांच कराऊं ? राजस्व विभाग का जांच का कोई विषय ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : आप यह कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर वाले को दी हो। एग्रीकल्चर प्रयोजनार्थ।

**श्री गंगाराम चौधरी** : कृषि प्रयोजनार्थ दी है तो जांच करवा लूंगा। बता दें मुझे।

**श्री मदन मोहन** : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि जो भी कृषि कार्यों के लिए या उद्योगों के लिए अलाटमेंट हुआ है, वे व्यक्ति वहां के रहने वाले नहीं हैं। उसी गांव के लोगों का एड्रेस लिखकर के उनके नाम से वह अलाटमेंट किया गया है, उसको रद्द करवाने की बात मैं कर रहा हूं।

इसी तरह से पुष्करणा की एक किलोमीटर की मैंने आपसे चर्चा की है। वह भी 30-35 करोड़ रुपये की जमीन है। उसके ऊपर भी इस तरह से बेनामी अलाटमेंट हो रहा है। वह किस कार्य के लिए दे दी गयी, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले में तो कम से कम 2000 बीघा जमीन का

( श्री मदन मोहन )

अलाटमेंट जारी हो गया, या उन पर कब्जे हो रहे हैं। राज्य सरकार उन कब्जों को हटवाएं या अलाटमेंट को रद्द करे।

**श्री गंगाराम चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, कृषि के लिए कोई आबंटन किया है तो मैं जांच करवा लूंगा। बाकी मैंने आपसे निवेदन किया कि रीको को आबंटित करते हैं और रीको आगे उद्योगों के लिए आबंटित करती है। इसमें कोई जांच का विषय होता नहीं है। माननीय सदस्य से मैं चर्चा कर लूंगा कि ये किस बात की जांच चाहते हैं।

**श्री मदन मोहन :** अध्यक्ष महोदय, यह बंदापुर, इन्दौर, टपूकड़ा और भिवाड़ी इनमें जो भी जमीन अलॉट की गयी है।

**श्री गंगाराम चौधरी :** माननीय सदस्य से बात करके, जांच का विषय हुआ तो जांच करवा लेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** बस, बात खतम हुई।

**प्रश्न संख्या–247**

श्री रामस्वरूप मीणा।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–248**

श्री रामचन्द्रजी रावत।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–249**

श्री दयारामजी परमार।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–250**

श्री हरिसिंहजी (महुआ)

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–251**

श्री परसादीलाल मीणा।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

श्री मूलसिंहजी शेखावत।

## जिला झुंझुनूं में गोचर/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण

252. **श्री मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996 में झुंझुनूं जिले में गोचर व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए ?

(2) सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के कितने मामलों में सफलता पायी गयी व भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए क्या कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) :** (1) अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में वर्ष 1996 में गोचर व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कुल 4410 मामले ध्यान में आए।

(2) उपरोक्त 4410 मामलों में से 3823 मामलों में अतिक्रमण हटाने में प्रशासन ने सफलता पायी, अर्थात् 3823 मामलों में बेदखली के निर्णय पारित किये

(श्री गंगाराम चौधरी)

गये हैं। अतिक्रमण रोकने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(6) जोड़ी जाकर कारावास का प्रावधान किया गया है तथा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं।

**श्री मूलसिंह शेखावत :** धन्यवाद, मंत्री महोदय। बाकी लम्बित मामले भी शीघ्र निपटाये जाएं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री भीखाभाई जी।

**प्रश्न संख्या–253**

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–254**

माननीय श्री कुबेरसिंह जी।

**(अनुपस्थित) (स्थगित)**

**प्रश्न संख्या–255**

माननीय श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–256**

माननीय श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–257**

माननीय श्री हरजीराम बुरडक।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–258**

माननीय श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या–259**

माननीय श्री रामनारायणजी मीणा।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

माननीय श्री प्रतापसिंहजी सिंघवी।

## ग्राम पंचायत गोड़िया मेहर (बारां) की इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन

260. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, बारां को पंचायत समिति छबड़ा की पंचायत गोड़िया मेहर में इन्दिरा आवास योजना के द्वारा अनुचित लोगों को लाभ पहुंचाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सराकर द्वारा इस शिकायत पर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ?

**राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन** (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी हां, पंचायत समिति, छबड़ा की गोड़िया मेहर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुचित लोगों को लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बारां को चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो निम्नानुसार हैं :-

1. सुशीला बाई, पत्नी सुखलाल, किराड़, तीन वर्ष पूर्व मर चुकी है, फिर भी उसके

( श्री अनंग कुमार जैन)

नाम पर इन्दिरा आवास की पहली किस्त 2000/- रुपये उठायी जा चुकी है।

2. समुन्द्रा पत्नी हरिचरण, ढीमर, निवासी बटावदापार को हरिचरण पुत्र श्री नारायण किराड़ के चयनित क्रमांक पर दिखाया जाकर इन्दिरा आवास का लाभ दिलाया गया क्योंकि हरिचरण की मां वार्ड पंच है।

3. लीलाबाई पत्नी पर्वतसिंह किराड़ को पुराने मकान पर ही इन्दिरा आवास की किस्तें जारी कर दी गयीं।

4. सावित्री बाई पत्नी कल्याणसिंह को पूर्व में बने हुए मकान पर दो किस्तों का भुगतान किया।

(2) जी हां, इन शिकायतों की जांच उप जिला कलक्टर, छबड़ा द्वारा करायी गयी जिसमें क्रम संख्या 2 व 4 की शिकायतें गलत पायी गयीं व क्रम संख्या 1 व 3 पर सही पायी गयीं। क्रम संख्या 1 व 3 पर सही पायी गयी शिकायतों के क्रम में गम्भीर अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में सरपंच एवं ग्रुप सचिव, ग्राम पंचायत, गोड़िया मेहर तथा विकास अधिकारी, छबड़ा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां को कहा गया है। इसके अतिरिक्त लीलाबाई पत्नी पर्वतसिंह, किराड़ निवासी बटावदापार द्वारा धोखाधड़ी कर रुपये 6000/- उठाने पर इनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर, बारां को लिखा गया है।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो महिला मर चुकी है उसके नाम पर पैसा उठाया गया उसके लिए स्थानीय सरपंच, बी.डी.ओ. जिम्मेदार हैं, क्या राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? दूसरा, क्या सरकार सरपंच, गोड़िया मेहर को निलम्बित करने का विचार रखती है ? तीसरा, सरपंच गोड़िया मेहर व ग्रुप सचिव, बी.डी.ओ. के विरुद्ध अभी तक एफ. आई. आर. क्यों दर्ज नहीं करवायी गयी तथा अब कब तक करवा दी जाएगी ? तारीख बताएं। चौथा, शिकायतें किस दिनांक को प्राप्त हुईं व उसकी जांच कब प्रारम्भ करवायी गयी ? यह मंत्री महोदय बताएं।

**श्री अनंग कुमार जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुशीला बाई, पत्नी सुखलाल, किराड़, निवासी बटावदापार की मृत्यु ढाई वर्ष पूर्व हो जाने पर भी सरपंच, ग्राम गोड़िया मेहर के प्रमाणीकरण पर उनको दो हजार रुपये की किस्त दी गयी, इस प्रकार सरपंच ने गलत प्रमाणीकरण कर धोखाधड़ी की है। दूसरा, श्रीमती लीलाबाई पत्नी श्री पर्वतसिंह, किराड़ को सरपंच एवं ग्रुप सचिव के प्रमाणीकरण के आधार पर पुराने मकान को नया मकान दिखाकर 6 हजार रुपये का भुगतान कराया गया है।

( श्री अनंग कुमार जैन )

उपरोक्त प्रकरणों में सरपंच एवं ग्राम सेवक, गोड़िया मेहर को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गलत तथ्यों के आधार पर लाभ पहुंचाने एवं धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया है तथा साथ ही विकास अधिकारी, छबड़ा को लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी तथा अनुशानात्मक कार्यवाही करने एवं दी गयी राशि की वसूली तत्काल करने के लिए कलक्टर, बारां को इस विभाग के पत्र क्रमांक 2074, दिनांक 15-3-97 द्वारा आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी :** स्पेसिफिक तारीख बताएं कि उनके खिलाफ थाने में कब रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाएगी और सरपंच को सस्पैंड क्यों नहीं किया गया ? आप घोषणा करें। ऐसे नहीं चलेगा, साहब।

**श्री अनंग कुमार जैन :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों प्रकरणों में सरपंच एवं ग्राम सेवक को राज्य सरकार ने दोषी पाया है तथा 15 मार्च को ही इनके विरुद्ध एफ.आई. आर. लॉज करने के लिए कलक्टर, बारां को निर्देशित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरपंच और ग्राम सेवक दोनों के खिलाफ निश्चित रूप से एफ.आई. आर. दर्ज करवा दी जाएगी। उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा और बी.डी.ओ. के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक निलम्बित करने का प्रश्न है, वह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है इसलिए उससे सम्बन्धित सारे कागजात पंचायत विभाग को भेज दिये जाएंगे और उनको लिखा जाएगा कि नियमों के आधार पर जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है, सरपंच के खिलाफ, वह निश्चित रूप से की जाए।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में उप मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद हैं, वे बताएं कि इस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही कब तक हो जाएगी ? इसकी स्पेसिफिक तारीख बताएं कि इनके खिलाफ कब तक रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी ? सरपंच सस्पैंड क्यों नहीं हो रहा है ?

**श्री अनंग कुमार जैन :** मैं जवाब दे रहा हूं।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी :** सरपंच के खिलाफ गम्भीर अनियमितताएं पायी गयी हैं, सरपंच को सस्पैंड क्यों नहीं किया जा रहा है ? यह मानते हो कि अनियमितताएं हैं, फिर उसको सस्पैंड क्यों नहीं कर रहे हो ? भाभड़ा साहब, आप बताइए।

**श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :** अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। (व्यवधान)

**श्री अनंग कुमार जैन** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, दो कार्यवाही चाहते थे। एक तो उनके खिलाफ एफ. आई. आर. लॉज करवा दी जाएगी, उसके लिए आदेश दे दिये गये हैं।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : कब तक करवा दी जाएगी ? साहब, तारीख बताएं कि आज करवा देंगे, कल करवा देंगे।

**श्री अनंग कुमार जैन** : दूसरा, आप चाहते हैं कि उनको निलम्बित किया जाए क्योंकि विभाग के सामने मामला ही अभी आया है तो पंचायत विभाग को निश्चित रूप से लिखा जाएगा नियमों के अन्तर्गत जो भी प्रावधान हैं, उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार की इसमें ढील नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : नहीं, तो तारीख बताने में क्या एतराज है ? कब तक रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाएगी ? साहब, इसमें क्या दिक्कत है ? तारीख का आश्वासन दें, और सरपंच के सस्पैंशन की बात जो है, अनियमितताएं पायी गयी हैं, आपको तारीख बताने में क्या एतराज है ?

**श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हर काम डी.आरडी. ए. की मार्फत होते हैं। जनता जो शिकायतें करती है, उनकी एक बॉडी बनी हुई है। इसमें जिले का एक्सईएन. रहता है, एईएन. रहता है और पंचायत समिति का जेईएन. रहता है। इनकी जांच करवाने के लिए अगर कोई अन्य बॉडी बना दी जाए तब तो जांच का सार निकल सकेगा अन्यथा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि इनके लिंक ऊपर तक रहते हैं। इसलिए अगर कोई दूसरा सोल्युशन सोचा जाए तो इनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : नहीं, सरपंच के निलम्बन की घोषणा तो करवाएं, साहब। नहीं तो, उप मुख्य मंत्रीजी करें। यह कोई तरीका है क्या ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारे काम नियम और कानून से होंगे। आप कागजात भिजवाइयेगा। कलक्टर को जो चिट्ठी दी है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच कर लूंगा कि एफ.आई. आर. कब दर्ज करवा रहे हैं और जो कागजात पंचायत विभाग में भेजेंगे, उनकी भी नियमों के मुताबिक जांच करके, यदि सस्पेंशन जरूरी होता है तो हो जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट –1 देखें)**

**(12.00)**

**अनुपस्थित/बोलने के लिए खड़े नहीं हुए माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर**

## श्रम न्यायालयों/ औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा प्रेषित अवार्ड हेतु लम्बित प्रकरण

243. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य के श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित कितने अवार्ड (पंचाट) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 के तहत प्रकाशनार्थ कब से और क्यों लम्बित हैं?

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी (1) तथा धारा 29 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त कितने प्रार्थना - पत्र वर्तमान में कार्यवाही हेतु कब से और क्यों लम्बित हैं ?

(3) सरकार के पास कितने औद्योगिक विवाद वर्तमान में अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किये जाने हेतु कब से लम्बित हैं ?

**उत्तर**

(1) श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों से प्राप्त 1251 अवार्ड प्रकाशनार्थ 1996 से लम्बित है। इनमें से 873 अवार्डस के प्रकाशन का निर्णय लिया जा चुका है तथा शेष 378 अवार्डस के प्रकाशनार्थ निर्णय लेने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी (1) तथा धारा 29 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" है। नियोजन व श्रमिक पक्षों के निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने तथा पक्षकारों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट दायर कर स्टे प्राप्त कर लेने के कारण प्रकरणों का निस्तारण किया जाना संभव नहीं हो सका फिर भी विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

(3) सरकार के पास दिसम्बर, 96 तक 1444 औद्योगिक विवाद अधिनिर्णयार्थ विचाराधीन थे जो 1996 में ही प्राप्त हुये हैं। इनमें से 735 पर विवाद अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किये जाने या नहीं किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। शेष प्रकरणों में भी प्राथमिकता से कार्यवाही की जा रही है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)**

## राज्य के केन्द्रीय सहकारी/प्राथमिक भूमि विकास बैंक

244. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) **एवं श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में कितने केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा कितने प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

( श्री हरिसिंह)

(2) गत तीन वर्षों में उक्त बैंकों में कितनी हानि व लाभ रहा ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बैंकों के संचालन मंडलों के चुनाव कब हुए हैं और सरकार अब कब तक चुनाव कराने का विचार रखती है ?

## उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं 33 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। इन बैंकों की सूची परिशिष्ट-1 "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में वर्ष 95-96 तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लाभ हानि का विवरण परिशिष्ट-2 "अ" एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के वर्ष 95-96 तक लाभ हानि का विवरण परिशिष्ट-2 "ब" पर संलग्न है।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के गत निर्वाचन वर्ष 92 में तथा भूमि विकास बैंकों के निर्वाचन (चुरू एवं ब्यावर के अतिरिक्त) जनवरी, 97 में हुए हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन उनके सदस्य पैक्स/लैम्पस के निर्वाचन के पश्चात् कराने का विचार है।

**(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)**

## भारतीय औषध मण्डल का गबन प्रकरण

245. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भारतीय औषध मण्डल, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में लाखों रुपये का गबन हुआ है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ? सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त गबन का ऑडिट करवाया जा चुका है? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग को उक्त बोर्ड द्वारा बनाये गये पंजीयन पत्रों में हुई अनियमितताओं की जांच करने के आदेश देने के साथ-साथ उक्त गबनकर्ताओं पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए गये थे ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में उनके द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त गबन से सम्बन्धित समस्त रेकार्ड जब्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसे किस आदेश की अनुपालना में किस अधिकारी द्वारा कब जब्त किया गया और अब वह किसकी अभिरक्षा में है, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि बोर्ड भवन के एक कमरे को उक्त जांच सहायक तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर द्वारा अभी तक भी ताला लगाकर सीज किया

( श्री भीमराज भाटी )

हुआ है ? यदि हां, तो क्यों, कब से और किस आदेश से ?

(6) जांच रिपोर्ट एवं जांच के आदशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1974 से अप्रेल 1984 के मध्य। आडिट रिपोर्ट/ प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन 5 रजिस्ट्रार एवं 5 कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। राज्यादेश क्रमांक प. 11 (7) आयु/ 83, दिनांक 11.4.83 के द्वारा जांच करवाई गई है, जो दिनांक 31.12.85 को तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की गई है।

(3) जी हां। दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, रेकार्ड जांच हेतु राज्यादेश क्रमांक पं. 11 (7) आयु/83, दिनांक 29.3.94 की अनुपालना में तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग (जांच अधिकारी) एवं जांच अधिकारी, के सहयोगी तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी, "अ" क्षेत्र, जयपुर द्वारा वर्ष 1994 में जब्त किया गया था और अब यह बोर्ड की अभिरक्षा में है।

दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी नहीं।

(6) वांछित जांच रिपोर्ट एवं जांच आदेश परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिए गए हैं।

**(सूची एवं जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जिला सवाईमाधोपुर में दूध संकलन

247. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में गत पांच वर्षों में प्रतिदिन औसतन कितनी मात्रा में दूध का संकलन किया गया उक्त अनुपात में गत दो वर्षों में दूध के संकलन में कितनी कमी आई तथा उसके क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस जिले में किस ग्राम व कस्बे में दुग्ध संकलन केन्द्र खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गंगापुर में दुग्ध संकलनार्थ जो स्थान बनाया गया है उसमें दूध इकट्ठा करने की क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में गत पांच वर्षों में दुग्ध संकलन की प्रतिदिन मात्रा का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है। महुआ तहसील की दुग्ध समितियां दौसा जिले में चले जाने के कारण गत दो वर्षों में दुग्ध संकलन में कमी आयी है।

(2) सवाई माधोपुर जिले में ग्रामवार खोले गये दुग्ध संकलन केन्द्र एवं समितियों की सूचना परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) गंगापुर में आस पास के गांवों में, दूध संकलित कर उसे ठण्डा करने के लिए दुग्ध अवशीतन केन्द्र का निर्माण किया गया है, जिसकी क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन है।

**(विवरण एवं सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)**

## विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

248. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस विद्यालय में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? सरकार रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कन्या उच्च प्राथमिक शाला भांकरी (तहसील-कोटपूतली) में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय चिमनपुरा में गणित विषय का अध्यापक गत दो वर्षों से नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पद को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

## उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के रिक्त पद इसी सत्र में भर दिये जावेंगे तथा व्याख्याताओं के रिक्त पद लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला का एक पद रिक्त है। रिक्त पद इसी सत्र में भर दिया जावेगा।

(3) जी नहीं।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)**

## विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में संचालित शराब की दुकानें

249. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

( श्री दयाराम परमार )

(1) क्या यह सही है कि शराब की दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग से 150 मीटर दूर रखने की सरकार की नीति है ? यदि हां, तो उसकी पालना करवाने की जिम्मेदारी किसकी है ?

(2) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा में गत 10 वर्षों से चल रही शराब की दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से केवल 60 फीट की दूरी पर स्थित है।

(3) क्या यह भी सही है कि खैरवाड़ा के अलावा एक अन्य दुकान भामटावाड़ा में भी चल रही है ? यदि हां, तो उसका प्राधिकृत पत्र कब दिया गया ?

उत्तर

(1) अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या - 11 (ध) के अनुसार शराब की दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग से 150 मीटर की दूर होनी चाहिए। शर्त संख्या- 11 (ड़) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को उचित कारण होने पर मदिरा दुकान लोकेशन के प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार है तथा इसकी पालना कराने की भी विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

(2) जी हां। यह दुकान उक्तानुसार विधिवत् शिथिलता के अन्तर्गत संचालित है। स्थल परिवर्तन हेतु विभाग द्वारा आदेश देने पर माननीय सत्र न्यायाधीश, उदयपुर से अनुज्ञाधारी ने स्थगनादेश दिनांक 31.3.97 तक का प्राप्त कर लिया है।

(3) भामटवाड़ा में स्थित दुकान नियमानुसार स्वीकृत स्थल पर संचालित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। उसका प्राधिकृत पत्र वर्ष 1994-95 में दिया गया है।

## कृषि कनेक्शन हेतु निर्धारित लक्ष्य

250.**श्री हरिसिंह (महुआ)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में कितने कुओं को कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा उनमें से कितने कुओं को वास्तव में कनेक्शन दिये गये ?

(2) राज्य में सामान्य श्रेणी में गत तीन वर्षों में कितने कृषि कनेक्शन दिये गये ? एक पोल दो पोल श्रेणी एवं नर्सरी श्रेणी में कितने-कितने कनेक्शन दिये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में कुओं के ऊर्जा करण के लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है : -

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1993-94 | 25000 | 25429 |
| 1994-95 | 25000 | 25208 |
| 1995-96 | 25000 | 25001 |

(2) राज्य में गत तीन वर्षों में सामान्य श्रेणी में 57187, 1-2 पोल योजना में

( ऊर्जा मंत्री)

10129 व नर्सरी श्रेणी में 8322 कृषि कनेक्शन दिये गये। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है : -

| वर्ष | 1-2 पोल योजना | नर्सरी योजना | सामान्य श्रेणी | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | - | - | 25429 | 25429 |
| 1994-95 | 1548 | 33 | 23627 | 25208 |
| 1995-96 | 8581 | 8289 | 8131 | 25001 |
| योग - | 10129 | 8322 | 57187 | 75638 |

## जिला दौसा में फव्वारा सिंचाई यंत्रों हेतु अनुदान

251. **श्री परसादीलाल मीणा**(लालसोट) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) दौसा जिले में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के अन्तर्गत फव्वारा सिंचाई यंत्रों पर वर्ष 1996-97 में किसानों को अनुदान राशि देने का कितना लक्ष्य रखा गया है ?

(2) दौसा जिले में किसानों से उक्त सिंचाई पद्धति के अन्तर्गत फव्वारा सिंचाई यंत्रों के कितने-कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त सिंचाई यंत्रों की खरीद जो किसान बिना किसी संस्था से ऋण लिए बिना स्वयं की नकद राशि से खरीदेंगे, उनको भी अनुदान की राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो स्वयं की नकद राशि से खरीदने वालों के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दौसा जिले के किसानों को मांग के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राप्त आवेदनों पर वित्तीय वर्ष 1996-97 में अनुदान राशि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति दोनों सिंचाई की अलग-अलग पद्धतियां हैं। दौसा जिले में फव्वारा सिंचाई पद्धति में वर्ष 1996-97 के लिये 650 फव्वारा संयंत्रों पर अनुदान का लक्ष्य रखा गया हैं और 85.00 लाख रु. का प्रावधान है।

(2) सिंचाई पद्धति के अन्तर्गत फव्वारा संयंत्रों के 780 किसानों के आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

| क्र. सं. | पं.सं. का नाम | विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों की सं. |
|---|---|---|
| 1. | दौसा | 60 |
| 2. | लालसोट | 580 |
| 3. | सिकराय | 84 |
| 4. | बांदीकुई | 17 |
| 5 | महुआ | 39 |
| | योग : | 780 |

( राज्य मंत्री, कृषि)

(3) हां, स्वयं की रशि से नगद खरीदने पर अनुदान का प्रावधान है। स्वयं की नकद राशि पर फव्वारा संयंत्र खरीदने वाले 142 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(4) जी हां, वर्ष 1996-97 में दौसा जिले में जो कृषकों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, उनको इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर अनुदान राशि उपलब्ध करा दी जावेगी।

## विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन प्रकरण

253. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने के आदेशों की अवहेलना की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आदेशों की अवहेलना नहीं की गयी है।

## राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु

255. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार 55 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष की सेवा के पूर्व सेवानिवृत्ति आयु को आकर्षक बनाने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(3) क्या सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति 15 वर्ष की सेवा उपरान्त सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को उसके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने या सेवानिवृत्ति व्यक्ति को अपना स्वयं का व्यवसाय/ धन्धा करने हेतु उदार ऋण आदि वित्तीय सहायता या अन्य साधन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

## नैफ्था एवं फर्नेस आधारित विद्युत परियोजनाएं

256. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

( श्री शांतिकुमार धारीवाल )

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में राज्य विद्युत मण्डल ने नैफ्था एवं फर्नेस आयल आधारित विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में समझौते किए हैं? यदि हां, तो कुल कितनी परियोजनाओं के लिए तथा उनके माध्यम से कुल कितना विद्युत उत्पादन होना संभावित है?

(2) क्या यह सही है कि नैफ्था नहीं मिलने के कारण उक्त परियोजनाओं का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हां, तो केन्द्र सरकार से कितना-कितना नैफ्था एवं फर्नेस आयल इस प्रयोजनार्थ आबंटित किए जाने की मांग की गई एवं कितना-कितना आबंटित हुआ और आबंटित कोटे से कुल कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन होने की संभावना है और कब से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त परियोजनाओं में विदेशी मुद्रा विनियोजन के पुनर्भुगतान की गारन्टी के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं के सम्बन्ध में ? यदि नहीं, तो ये परियोजनाएं किस प्रकार से क्रियान्वित हो पायेगी ?

## उत्तर

(1) जी हां। राज्य विद्युत मण्डल व विभिन्न निजी कम्पनियों के मध्य अब तक 25 स्थानों के लिए नेफ्था एवं फर्नेस आयल (तरल ईंधन) आधारित विद्युत परियोजनाओं के संबंध में ऊर्जा क्रय समझौते हो चुके हैं तथा इन परियोजनाओं से कुल 3434.5 मेगावाट (स्थापित क्षमता) का उत्पादन संभव है।

(2) जी हां, नेफ्था आवंटन की नीति से भारत सरकार द्वारा विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हो सका। केन्द्र सरकार ने नेफ्था की उपलब्धता देखते हुये कुल 1415 मेगावाट क्षमता के लिए आवश्यक नेफ्था का आबंटन राजस्थान राज्य को किया, जिसको विभिन्न कम्पनियों में उनके द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति को देखते हुये बांटने हेतु केन्द्र ने राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगे। आबंटित कोटे से कुल 1415 मेगावाट क्षमता के ही विद्युत उत्पादन होने की संभावना है, जिसका तिथिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। आशा है इस नीति में शिथिलिकरण होगा तथा भारत सरकार द्वारा नेफ्था आयात पर छूट दी जाएगी जिससे क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

(3) इन विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित समझौतों के अनुसार राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विदेशी मुद्रा में पुनर्भुगतान का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त पावर परियोजनाओं के प्रायोजकों को अपने स्तर पर ही विदेशी मुद्रा का पुनर्भुगतान करना होगा तथा अपने स्तर पर ही वांछित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। धौलपुर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मुद्रा विनिमय में दर के परिवर्तन के कारण रुपये पर पड़ने वाले असर का पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान विद्युत मण्डल द्वारा भारतीय मुद्रा में ही देय होगा।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)**

## काश्तकारों को अनुदान

257. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना अनुदान किस प्रक्रिया से दिया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष और चालू वर्ष में कितना अनुदान दिया गया जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकार का कितना-कितना हिस्सा है ? जिलेवार तथा वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस समय किसानों की तरफ से अनुदान के लिए कितनी राशि के दावे कितने समय से विचाराधीन हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें। इनका अब कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

### उत्तर

(1) जी हां। सूचना परिशिष्ट 1,2 व 3 पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट 4,5 व 6 पर संलग्न है।

(3) सूचना परिशिष्ट 7 पर संलग्न है।

**(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)**

## उपखण्ड अधिकारी बल्लभनगर (उदयपुर) द्वारा भू-आबंटन

258. **श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : (बल्लभनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उपखण्ड अधिकारी बल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में भू-आबंटन एवं भू-नियमन हेतु सलाहकार समिति की कब-कब बैठकें आयोजित की गईं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति द्वारा कितनी-कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति को कब-कब आबंटित की गई एवं कितनी-कितनी भूमि का किस-किस व्यक्ति के नाम कब-कब नियमन किया गया ? आबंटी का नाम सहित वर्षवार, पटवार क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) उपखण्ड अधिकारी, बल्लभनगर द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में भू-आबंटन एवं भू-नियमन हेतु कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

(2) उपखण्ड अधिकारी, बल्लभनगर द्वारा इस अवधि में भूमि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं किये जाने से किसी व्यक्ति को भूमि आबंटन एवं नियमन नहीं हुआ है।

## शिक्षाकर्मी योजनान्तर्गत चयनित विद्यालय

259. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शिक्षाकर्मी प्रायोजन के लिए गांवों का निर्धारण और चयन करते समय अध्यापक की असामान्य रूप से रही अनुपस्थिति तथा दुर्गम स्थलों पर स्थित विद्यालय को आधार बनाया जाना आवश्यक होते हुए भी ऐसा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या राज्य शिक्षाकर्मी बोर्ड को भारत सरकार के श्यामपट्ट अभियान के तहत साधन, उपकरण और शिक्षाकर्मी सामग्री तथा शिक्षाकर्मी प्रायोजना के अन्तर्गत सामान क्रय करने के लिए राशि प्राप्त होती रही है ? यदि हां, तो वर्ष 1991 से अब तक प्राप्त सामान व राशि का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में प्राप्त सामान राशि का उपयोग तथा व्यय किस कार्य के लिए कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या शिक्षाकर्मी बोर्ड के कार्यकलापों एवं व्यय बाबत ऑडिट/ जांच की गई है ? यदि हां, तो प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कार्यरत शिक्षाकर्मी को कार्यमुक्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या तथा किस आधार पर ?

### उत्तर

(1) शिक्षाकर्मी परियोजना में गांवों के चयन हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

- दूरस्थ क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जहां पर विद्यालय नियमित समय पर नहीं खुलते हों।
- विद्यालय में बालक-बालिकाओं की उपस्थिति, ठहराव एवं शैक्षणिक स्तर कम हो।
- बालिकाओं का नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव नाम मात्र का हो।
- पंचायत समिति ऐसे विद्यालय को योजनान्तर्गत देने को तैयार हो।
- ग्रामवासी इस योजना को स्वीकारते हों।

परियोजनान्तर्गत क्रियान्वयन के लिए गांवों का चयन मानदण्डानुसार ही किया जाता रहा है।

(2) नहीं, भारत सरकार के श्यामपट्ट अभियान के अन्तर्गत बोर्ड को कोई राशि अथवा सामान प्राप्त नहीं हुई है।

शिक्षाकर्मी परियोजना में सामग्री एवं सामान क्रय हेतु राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :-

( शिक्षा मंत्री )

(राशि लाखों में)

| वर्ष | सामग्री | सामान | योग |
|---|---|---|---|
| 1991-92 | 11.36 | - | 11.36 |
| 1992-93 | 21.88 | - | 21.88 |
| 1993-94 | 23.20 | - | 23.20 |
| 1994-95 | 16.74 | 64.94 | 81.68 |
| 1995-96 | 19.70 | 166.78 | 186.48 |

परियोजना को राशि के अतिरिक्त कोई सामान प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) उक्त अवधि में कोई सामान प्राप्त नहीं हुआ है। सामग्री के लिए ऊपर अंकित प्रावधान की राशि का उपयोग विद्यालयों एवं प्रहर पाठशालाओं के लिए उपकरण व शिक्षण सामग्री तथा विद्यार्थियों के लिए पढ़ने लिखने की सामग्री के लिए किया गया।

उक्त प्रावधानों का उपयोग सामान्यतया सम्बन्धित वर्ष में मई से सितम्बर माह के बीच किया गया।

(4) शिक्षाकर्मी बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले कार्यकलाप एवं व्यय का आडिट हर वर्ष सनदी लेखापाल के द्वारा तथा महालेखाकार, जयपुर द्वारा किया जाता है। सनदी लेखापाल द्वारा 95-96 तक तथा महालेखाकार द्वारा 94-95 तक आडिट हो चुका है। इन दोनों आडिट रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न है।

(5) वर्तमान में कार्यरत शिक्षाकर्मी को अपरिहार्यवश कार्य मुक्त करने से पूर्व सामान्यतः निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जा रही है : -

1. शिक्षाकर्मी के द्वारा अपेक्षानुसार कार्यवाही नहीं करने पर अथवा सीधी शिकायत प्राप्त होने पर : -

1. स्पष्टीकरण मांगते हैं।

2. शिकायत को नकारने पर जांच की जाती है।

3. जांच के आधार पर व्यक्तिगत सुनवाई की जाती है।

4. अपेक्षानुसार कार्य करने हेतु अवसर दिया जाता है।

5. यदि उसके बाद भी अपेक्षानुसार कार्य न करें तो उसे हटाने की कार्यवाही की जाती है।

2. अपराधिक एवं दुराचरण संबंधी मामले में :

(अ) स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

(ब) जांच की जाती है।

(स) दोषी पाये जाने पर हटा दिया जाता है।

उक्त प्रक्रिया न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों तथा शिक्षाकर्मियों के साथ परामर्श के आधार पर अपनाई गई है।

**(ऑडिट रिपोर्टों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर का रिफण्ड प्रकरण

387. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मुख्य(वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग के बीकानेर जोन में बड़ी तादाद में ठेकेदारों को रिफण्ड की गयी राशि में ब्याज की गणनाओं तथा रिफण्ड प्रोसीजर में गड़बड़ियां होने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने और कितनी-कितनी राशि के ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई थी ? यदि हां, तो जांच उपरान्त किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

#### उत्तर

(1) ठेकेदारों को रिफण्ड की गई राशि के प्रकरणों में गणना की भूल से कुल रुपये 22,748.00 का अधिक रिफण्ड हुआ है। शासन उप सचिव वित्त (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 12 (8) वित्त/ग्रुप-4/94 दिनांक 10.1.1995 के अनुसार राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 23 (बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्यार्पण पर देय ब्याज का भुगतान से किया जाना था। वर्ष 1995-96 व 1996-97 (31.8.1996 तक) में वर्ष के सामने अंकित ब्याज राशि का प्रत्यार्पण रेवेन्यु मद 0040 से होने से प्रोसीजर संबंधी गलती हुई।

| वर्ष | ब्याज का प्रत्यार्पण |
|---|---|
| 1995-96 | 24,20,435.00 |
| 1996-97 | 11,043.00 |
| योग :- | 24,31,478.00 |

(2) हां। उक्त प्रकरण में आंतरिक जांच दल द्वारा प्राथमिक जांच की गई थी जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया श्री रामलाल डीगवाल, वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र बनाया जाकर जारी किया जाना प्रस्तावित है। अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दस्तावेजों की छानबीन कर साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं ताकि इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

### राज्य की वित्तीय आय

388. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि 1 अप्रेल, 1995 से 31 दिसम्बर, 1996 तक वित्तीय आय में निरन्तर वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो किस-किस मद में, कितनी-कितनी और किन कारणों से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने

( श्री रामपाल उपाध्याय )
समय-समय पर पूर्ण मितव्ययता तथा बचत हेतु अनेक कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो उनमें कितने प्रतिशत सफलता मिली ?

(3) क्या वार्षिक योजना की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा अपेक्षित वित्तीय राशि जुटा ली गई है ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) हां। वर्ष 1994-95 में राजस्व प्राप्तियां 6321.73 करोड़ रुपये की हुई थीं। इसकी तुलना में वर्ष 1995-96 में राजस्व प्राप्तियां 7629.69 करोड़ रुपये हुई हैं। इस प्रकार 95-96 में 1307.96 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। महालेखाकार, राजस्थान जयपुर से अभी तक माह नवम्बर, 1996 तक के मासिक लेखे प्राप्त हुए हैं। अप्रेल, 1995 से नवम्बर, 1996 की तुलना में अप्रेल, 96 से दिसम्बर, 1996 तक राजस्व प्राप्तियों में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :-

| **विवरण** | **अवधि** | | **राशि (करोड़ रुपयों में) वृद्धि** |
|---|---|---|---|
| | **अप्रेल 1995 से नवम्बर 1995 तक** | **अप्रेल 1996 से नवम्बर 1996 तक** | |
| राजस्व प्राप्तियां | 3550.07 | 3820.02 | 269.95 |
| मुख्यतः वृद्धि निम्नांकित मदों में हैं :- | | | |
| बिक्री कर | | | 128.21 |
| आबकारी | | | 35.65 |
| स्टाम्पस व रजिस्ट्रेशन | | | 18.67 |
| वाहन कर | | | 11.50 |
| विद्युत शुल्क | | | 37.26 |
| अलोह, धातु खनन व धातु कर्म उद्योग | | | 42.83 |

(2) राजकीय व्यय में मितव्ययता के लिये राज्य सरकार ने विभागों को दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके फलस्वरूप संवेतन, मजदूरी, चिकित्सा व्यय एवं ब्याज भुगतान के मदों को छोड़कर गैर आयोजना व्यय के अन्य मदों में प्रावधित राशि के 5% के समतुल्य मितव्ययता अनुमानित है।

( मुख्य (वित्त) मंत्री )

(3) वार्षिक योजना की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित राशि जुटाने का प्रयास किया जाता है। गत तीन वर्षों में वार्षिक योजना हेतु जुटाई गई राशि निम्न प्रकार है :-

राशि (करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | स्वीकृत योजना | वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि |
|---|---|---|
| 1993-94 | 1704.76 | 1699.70 |
| 1994-95 | 2450.00 | 2485.86 |
| 1995-96 | 3200.00 | 2797.95 |

## विक्रय कर की बकाया

389. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में दस लाख रुपये से अधिक विक्रय कर की कितनी राशि कितने प्रतिष्ठानों में बकाया है ?

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1995 से 31 जनवरी, 1997 तक विक्रय कर की कितनी राशि वसूल की गई व कितनी बकाया है ?

(3) सरकार विक्रय कर की वसूली हेतु क्या कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

### उत्तर

(1) राज्य में दस लाख रुपये से अधिक विक्रय कर की राशि रुपये 18,209 लाख (अट्ठारह हजार दो सौ नौ लाख) कुल 252 (दो सौ बावन) प्रतिष्ठानों में बकाया है।

(2) बकाया 31.12.1996 तक 25,308.19 लाख रुपये (पच्चीस हजार तीन सौ आठ दशमलव उन्नीस लाख) वसूली 1.1.1995 से 31.12.1996 8,982.65 लाख रुपये (आठ हजार नो सौ बियासी दशमलव पैसंठ लाख)

(3) समस्त उपायुक्तों एवं वाणिज्यिक कर अधिकारियों की बकाया एवं वसूली की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 1997-98 में विशेष वसूली अभियान चलाया जाएगा।

## जैसलमेर का वाहन दुरुपयोग प्रकरण

390. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 में जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा सरकारी वाहन दुरुपयोग के पांच मामले संबंधित विभागाध्यक्षों को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भेजे गये थे ? यदि हां, तो प्रत्येक मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

( श्री हरिसिंह)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 में जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा पांचों वाहन दुरुपयोग के मामलों का विस्तृत विवरण सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा अन्तिम रूप से क्या-क्या निर्णय लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1992 में दिनांक 25.5.92 को जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा पांच राजकीय वाहनों के दुरुपयोग के मामले दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विभागाध्यक्षों को भेजे गये :-

1. मुख्य-अभियन्ता, इ.गा.न.प. राजस्थान, बीकानेर। (2 वाहन)

2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर। (1 वाहन)

3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। (1 वाहन)

4. आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, इ.गा.न.प., बीकानेर। (1 वाहन)

संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग से मांगी जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(2) जी हां। वर्ष 1992 में उक्त पांच राजकीय वाहनों के दुरुपयोग किये जाने संबंधी मामले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा पत्र दिनांक 25.5.95 प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भी सूचनार्थ पृष्ठांकित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 23 (85) साप्र/1/90 दिनांक 31.8.90 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों का था।

**(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट - 8 देखें)**

## निगम/मण्डलों में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी

391. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार तथा सरकार के अधीन कार्यरत निगम व मण्डलों में सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है? यदि हां, तो किस पद पर किस-किस जगह? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व से कितनी पेंशन राशि मिल रही थी,

( श्री रामनारायण मीणा )

तथा वे इस समय कितनी राशि प्राप्त कर रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी को कार्यरत स्थान से सेवामुक्त करने पर इन स्थानों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो नई भर्ती में आने वाली दिक्कत का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को सरकार तथा निगमों एवं मण्डलों में नियुक्त किये जाने बाबत नियम हैं ? यदि हां, तो नियम/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिन-जिन पदों पर, जिन-जिन स्थानों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं उनकी अब तक की प्राप्त सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट -अ)। जिन विभागों / कार्यालयों की सूचनाएं शून्य हैं उनका ब्यौरा परिशिष्ट-ब पर दिया गया है।

(2) परिशिष्ट - अ के कॉलम संख्या 4 और 5 के अनुसार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) परिशिष्ट - अ के कॉलम संख्या 6 के अनुसार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु नियम विरचित नहीं किये गये हैं अपितु समय-समय पर मार्गदर्शिका/ मेमोरेण्डम/परिपत्र, आदेश तथा आज्ञा जारी की गई हैं। प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

**नोट** : - यह उत्तर अब तक प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। शेष सूचनाएं प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को पृथक से भिजवादी जाएंगी।

**(सूचनाएं विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## राज्य की आबकारी आय

392. **श्री भीमराज भाटी (पाली)** : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

**सरकार को प्रतिवर्ष देशी एवं भारत निर्मित विदेशी शराब से कितनी राजस्व आय प्राप्त हो रही है एवं राज्य की कुल राजस्व आय के मुकाबले इन मदों से प्राप्त राजस्व आय कितने प्रतिशत है ?**

उत्तर

सरकार को गत 5 वर्षों में देशी व भारत निर्मित विदेशी शराब से निम्नानुसार राजस्व आय हुई है :- (राशि करोड़ रु. में)

| क्र.सं. मद का नाम | वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 |
| 1. देशी शराब | 188.99 | 240.84 | 245.33 | 260.02 | 315.69 |
| 2. भारत निर्मित विदेशी शराब | 125.17 | 132.87 | 157.13 | 203.20 | 284.19 |
| योग : | 314.16 | 373.71 | 202.46 | 463.22 | 599.88 |
| (X) राज्य की कुल राजस्व आय (कर एवं कर भिन्न राजस्व) | 4128.76 | 4887.47 | 5596.92 | 6321.73 | 7629.69 |
| राज्य की कुल राजस्व आय (कर एवं कर भिन्न राजस्व) के मुकाबले उक्त मदों का प्रतिशत | 7.61% | 7.65% | 7.19% | 7.33% | 7.86% |
| (X) राज्य को कुल राजस्व आय (केवल कर से संबंधित) | 1548.79 | 1734.29 | 1950.22 | 2307.17 | 2730.60 |
| राज्य की कुल राजस्व आय (केवल कर से संबंधित) के मुकाबले उक्त मदों का प्रतिशत | 20.28% | 21.55% | 20.64% | 20.08% | 21.97% |

## अतारांकित प्रश्न संख्या-393

(स्थगित)

## प्राचार्य इंजीनियरिंग कालेज कोटा के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

394. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या मुख्य राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

( श्री परसादीलाल मीणा )

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो चौकी कोटा में प्राचार्य, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा के खिलाफ अनेक परिवाद लम्बे समय से लम्बित चल रहे हैं? यदि हां, तो प्रत्येक परिवाद के संबंध में वर्तमान प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्राचार्य इंजीनियरिंग कालेज, कोटा के विचाराधीन परिवादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

## सीलिंग के तहत अधिगृहीत कृषि भूमि

395. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई कितनी कृषि भूमि अभी तक सरकार द्वारा कब्जे में नहीं ली गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि को अभी तक कब्जे में नहीं लेने के क्या-क्या कारण तथा कठिनाइयां हैं ? सरकार द्वारा इनके निवारण के लिये क्या कदम उठाये गये और यह भूमि सरकार द्वारा कब तक कब्जे में ली जा सकेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई 45,813.33 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक 31.12.96 तक नहीं लिया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न हैं।

(2) उक्त भूमि में से 42,660.80 एकड़ भूमि पर विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका। स्थगन निरस्त कराने हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय को सीलिंग प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक विशेष पीठ गठित करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने हेतु राजस्व अधिकारियों को समय-समय पर निर्देशित किया गया है। निर्णय होने के पश्चात् निर्णयानुसार ही कार्यवाही संभव होगी।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)**

## पीपाड़ शहर (जोधपुर) की ए.सी.एम. कोर्ट का कार्यक्षेत्र प्रकरण

396. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले

( श्री रामनारायण डूडी )

के पीपाड़ शहर में एसीएम. कोर्ट की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो इस राजस्व न्यायालय के कार्य क्षेत्र में कौन-कौन सी राजस्व तहसीलें थाने आदि आते हैं ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पीपाड़ एसीएम. कोर्ट में सभी वाद तहसील भोपालगढ़ के ही हैं, जबकि बिलाड़ा तहसील के लिए अलग से एसीएम. कोर्ट बिलाड़ा में कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो एक ही तहसील में एक और एसीएम. कोर्ट खोलने का क्या औचित्य है ? इस कोर्ट में जब सभी राजस्व विवाद भोपालगढ़ के हैं, तो क्या इनका स्थान भोपालगढ़ उपयुक्त नहीं था ? क्या उक्त कोर्ट में राजस्व क्षेत्र भोपालगढ़ तहसील का खेड़ा पुलिस थाना एवं पंचायत समिति ओसियां के गांव आते हैं ? क्या उक्त गांवों के लिए पीपांड़ बहुत दूर पड़ता है ? क्या सरकार सस्ता न्याय दिलवाने की दृष्टि से भोपालगढ़ में एसीएम. कोर्ट की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

## उत्तर

(1) जी हां, सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर के कार्य क्षेत्र में राजस्व तहसील भोपालगढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा तहसील बिलाड़ा के भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पीपाड़ शहर के समस्त राजस्व ग्राम आते हैं। पुलिस थाना पीपाड़ शहर भोपालगढ़ एवं खेडापा थाना इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

(2) जी नहीं, सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर के न्यायालय के कार्यक्षेत्र में तहसील भोपालगढ़ के राजस्व वादों सहित तहसील बिलाड़ा के राजस्व निरीक्षक वृत्त पीपाड़ शहर क्षेत्र के भी वाद विचाराधीन है।

बिलाड़ा में अलग से सहायक कलक्टर का न्यायालय कार्यरत हैं। जिसका कार्यक्षेत्र राजस्व निरीक्षक निरीक्षक वृत्त पीपाड़ शहर क्षेत्र को छोड़कर समस्त तहसील क्षेत्र बिलाड़ा है।

सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर के कार्यक्षेत्र में तहसील भोपालगढ़ की 12 ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, जो पंचायत समिति औसियां के अन्तर्गत आती हैं। पुलिस थाना खेड़ापा से पीपाड़ शहर की दूरी लगभग 65 कि.मी. है। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांवों की पीपाड़ शहर से अधिकतम दूरी 95 कि.मी. है।

सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर का मुख्यालय भोपालगढ़ में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## चर्च मिशन ट्रस्ट, खैरवाड़ा का भूमि प्रकरण

397. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

( श्री दयाराम परमार )

(1) क्या यह सही है कि चर्च मिशन ट्रस्ट खैरवाड़ा के नाम कुछ भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि और यह भूमि ट्रस्ट को कब, क्यों और किसने दी थी ?

(2) क्या यह भी सही है उक्त ट्रस्ट की भूमि का नामान्तरकरण हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का विक्रय भी हुआ है ? यदि हां, तो विक्रय किसने और किसकी स्वीकृति से किया ?

(4) क्या यह भी सही है कि किसी भी संस्था और देवस्थान विभाग की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का विक्रय कैसे किया गया ?

उत्तर

(1) चर्च मिशन ट्रस्ट, खैरवाड़ा के नाम कुल 11-20 हैक्टर भूमि गांवों में है जिनमें से कुछ भूमि तत्कालीन रियासत द्वारा चर्च की स्कूल व आरामगृह बनाने हेतु सन् 1901, 1909 व 1935 में दी थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उक्त चर्च की भूमि में से 10 बीघा भूमि का विक्रय बोम्बे ज्योसन ट्रस्ट ऐसोसिएशन प्रा.लि. द्वारा श्री राजेन्द्र भाई पिता प्रेमचन्द भाई पटेल आदि को किया है। यह विक्रय चेरिटी कमिशनर महाराष्ट्र स्टेट बोम्बे की स्वीकृति आदेश जे/4/20-95/24291 दिनांक 2.12.95 के अन्तर्गत किया गया है। साथ ही चर्च राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत दि. 10.6.65 से पंजीकृत प्रन्यास है, परन्तु विक्रय की स्वीकृति देवस्थान विभाग से प्राप्त नहीं की गई है।

(4) ट्रस्ट द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 31 के अन्तर्गत किसी भी भूमि का विक्रय बिना स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है। प्रन्यास ने जो भूमि विक्रय की जिसके विरुद्ध सहा. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ने नियमानुसार प्रकरण 2/96 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथापि भाग-3 में वर्णित स्वीकृति के मद्देनजर कानूनी परीक्षण के बाद ही कार्यवाही संभव होगी।

## उप तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा) का तहसील में क्रमोन्नयन

398. **श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से तहसीलों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला भीलवाड़ा की तहसील काफी लम्बी-चौड़ी है, जिसका एक छोर दूसरे से 100 किलोमीटर

( श्री कालूलाल गूजर )

की लम्बाई में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तहसील का पुनर्गठन कर ग्राम करेड़ा की उप तहसील को तहसील का दर्जा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्तमान में जिला भीलवाड़ा की तहसील रायपुर व हुरडा में कितने-कितने पटवार मण्डल हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उप तहसील करेड़ा को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में जिला भीलवाड़ा की तहसील रायपुर में 20 तथा हुरडा में 22 पटवार मण्डल हैं।

## उपनिवेशन तहसील पूगल के काश्तकारों का जमाबंदी प्रकरण

399. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) एवं **श्री मुल्कराज थिंद** (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 ए.ए.ए. एवं गैर खातेदार काश्तकारों व आबंटियों के सम्बन्ध में 'रिकार्ड आफ राइट' सम्बन्धी कोई रिकार्ड नहीं रखकर केवल खसरा गिरदावरी तैयार करती है ? यदि हां, तो क्या खसरा गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट के दस्तावेजात के तौर पर कानूनन मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपनिवेशन विभाग को खसरा खतौनी या अन्य रिकार्ड संधारित करने का आदेश देगी ताकि काश्तकारों के समक्ष अनेक समस्याएं यथा दोहरा आबंटन रिकार्ड में अंकन न होना, रिकार्ड में गलत अंकन होना आदि उत्पन्न हो सके ?

(2) क्या सरकार उपनिवेशन तहसील पूंगल के काश्तकारों की जमाबन्दियां तैयार करा रही हैं ? यदि हां, तो क्या प्रोवीजनल जमाबन्दियां तैयार कराकर प्रत्येक काश्तकार को पर्चा खतौनी जारी करने एवं उनकी प्रत्येक चक में मजमें आम में तस्दीक कराने का कार्यक्रम पूर्व सार्वजनिक सूचना कराकर, मौके पर डोडी पिटवाकर सम्पन्न कराकर कराने का आदेश देगी ?

(3) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कि खाजूवाला, छत्तरगढ़ उपनिवेशन तहसीलों की जमाबन्दियां तैयार करने में उपरोक्त औपचारिकता का पालन न करने से अनेक खामियां रह गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में रिकार्ड आफ राइट तैयार करते समय उपरोक्त औपचारिकता का पालन करना प्रत्येक राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारी के लिए अनिवार्य करना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) उपनिवेशन क्षेत्र की घोषणा के साथ राजस्व विभाग से रिकार्ड आफ राइट खातेदारी अधिकार से सम्बन्धित अन्य अभिलेख प्राप्त होता है उसी आधार पर उपनिवेशन विभाग सर्वे कर प्राप्त रिकार्ड को मध्यनजर रखते हुए गिरदावरी के साथ-साथ आबंटियों के चकवार पर्चा खतौनियां भी तैयार करवायी जाती हैं। खसरा गिरदावरी को रिकार्ड आफ राइट के दस्तावेज के तौर पर तैयार कराने के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। उपनिवेशन तहसील पूंगल क्षेत्र में जमाबन्दियां तैयार कराने का कार्यक्रम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। अभी पर्चा खतौनियों को तैयार किया जा रहा है। साथ ही नये चक व नये और ग्राम आने के कारण उन्हें अंतिम रूप देने के पश्चात् जमाबंदिया तैयार की जायेगी। उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को क्षेत्र हस्तान्तरित करते समय ही जमाबंदियां तैयार की जाती हैं। पर्चा खतौनी की कार्यवाही पूर्ण होने पर सार्वजनिक सूचना जारी कर मजमा-ए-आम में सुनवायी जाकर मौके पर डोडी पिटवा कर सुनकर समझकर नियमों के अनुसार दुरूस्ती अपेक्षित होने पर मौके पर दुरूस्ती की जाकर जमाबंदी को अंतिम रूप दिया जाता है। इस कारण पृथक से आदेश दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। जमाबंदियों के समय ही सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई थी तथा दुरूस्ती के पश्चात क्षेत्र व रिकार्ड राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया गया। उसके पश्चात् कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## जिला अलवर का भूमि आबंटन प्रकरण

400. **श्री मदन मोहन (खैरथल)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अलवर जिले में तहसील किशनगढ़ बास, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुण्डावर तथा तिजारा में ऐसी कितनी भूमि आबंटन से सम्बन्धित पत्रावलियां हैं, जिनकी जांच जिला स्तर, राज्य स्तर अथवा राजस्व बैंक स्तर पर विचाराधीन है ?

(2) उक्त पत्रावलियों की जांच कब से चल रही है एवं इनका निपटारा कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में तहसील तिजारा की कस्टोडियन भूमि के आबंटन संबंधी 288 पत्रावलियों में गलत भू-आबंटन के सिलसिले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर के यहां विचाराधीन है। तहसील रामगढ़ की कस्टोडियन भूमि आबंटन से संबंधी 28 पत्रावलियों में जांच उप जिला स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रकार अलवर जिले में

50



(राजस्व मंत्री)

कुल 316 पत्रावलियों में जांच विचाराधीन है।

तहसील किशनगढ़बास, मुण्डावर, लक्ष्मणगढ़ से संबंधी भू-आबंटन का किसी भी पत्रावली में जांच विचाराधीन नहीं है।

(2) तहसील तिजारा की 288 ऊपर वर्णित पत्रावलियों में गलत आबंटन के संबंध में जांच राज्य स्तर पर वर्ष 1990 से चल रही है।

तहसील रामगढ़ की 28 पत्रावलियों में जांच दिनांक 29.11.96 से चल रही है। जिनका निपटारा एवं जांच पूर्ण करने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

## कब्जा प्राप्त सम्पदाओं का पुनः आबंटन

401. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत दो वर्षों में सम्पदा अधिकारी न्यायालय, जयपुर के धारा 5 (2) के आदेश के तहत किन-किन सम्पदाओं का किस-किस से कब्जा प्राप्त किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन सम्पदाओं का सरकार द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया, उनमें से कौन-कौन सी सम्पदाओं को पुनः उन्हीं व्यक्तियों को किराये पर दिया गया, जिनसे कब्जा प्राप्त किया गया है ? किराये पर देने हेतु सरकार को भेजे गए प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन सम्पदाओं का सरकार द्वारा कब्जा प्राप्त किया जाता है, उन्हें पुनः उन्हीं व्यक्तियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा असेसमेन्ट किये गये किराये के आधार पर पुनः किराये पर देने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा जिन सम्पदाओं का कब्जा प्राप्त किया गया है, उन सम्पदाओं को किराये पर देने के लिए खुली नीलामी/बोली की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

## उत्तर

(1) सम्पदा अधिकारी, जयपुर द्वारा जारी धारा 5 (2) के आदेश के तहत जिन सम्पदाओं का कब्जा प्राप्त किया गया उसका विवरण परिशिष्ट–1 संलग्न है।

(2) जिन सम्पदाओं का कब्जा विभाग द्वारा प्राप्त किया गया उनमें से केवल निम्न दो व्यक्तियों को किराये पर देने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की प्रतियां परिशिष्ट–II व –III संलग्न हैं : —

1) श्री रामचन्द्र जोशी, मंदिर श्री मदनमोहन जी घाटी मंदिर, उदयपुर।

2) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, उदयपुर।

( देवस्थान मंत्री )

(3) देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के किराया संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु निर्धारित नीति 2-4-93 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिस व्यक्ति से सम्पदा का कब्जा लिया गया है यदि वह व्यक्ति उक्त सम्पदा को सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर से किराया देने एवं पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज एक मुश्त जमा कराने हेतु सहमत होने की स्थिति में ही उसे सम्पदा पुनः किराये पर दी जाती है।

(4) जी हां। आवासीय रिक्त सम्पदाओं को किराये पर देने संबंधित प्रकरणों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर से सहायक आयुक्त/आयुक्त, देवस्थान से प्रस्ताव/टिप्पणी प्राप्त होने पर एवं व्यावसायिक रिक्त सम्पदाओं को सम्भागीय स्तर पर संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा नीलामी से उच्चतम बोलीदाता के नाम किराये पर दी जाती है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## कृषि उपज मण्डी समिति सार्दुलशहर (श्रीगंगानगर) का चुंगी प्रकरण

402. **श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय कृषि उपज मण्डी समिति सार्दुलशहर, जिला श्रीगंगानगर से भारी मात्रा में नरमा-कपास बिना टैक्स अदा किए पंजाब की मण्डियों में जा रहा है ?

(2) क्या सरकार मण्डी समिति के रिकार्ड को स्थानीय नगरपालिका के चुंगी नाकों पर कटवाई नरमा-कपास की चुंगी रिकार्ड से मिलान करवाकर सही स्थिति जानने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा मण्डी समिति को लाखों रुपये की चपत लगाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि कृषि उपज मण्डी समिति सार्दुलशहर के क्षेत्र से मण्डी शुल्क अपवंचन कर भारी मात्रा में कपास नरमा पंजाब की मण्डियों में ले जाया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि किसानों द्वारा कुछ नरमा कपास विक्रय हेतु पंजाब ले जाया जा रहा है जिस पर ना तो कोई पाबंदी है और ना ही मण्डी शुल्क देय हैं।

(2) विभागीय निर्देशानुसार मण्डी स्तर पर नगरपालिका के चुंगी नाकों के रिकार्ड से नरमा-कपास की आवक का मिलान कराया जाता है।

(3) जी नहीं।

## जिला कोटा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पद

403. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागली मीमाना लालूण जिला कोटा में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागली मीमाना, लालूण में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है : —

| विद्यालय का नाम | स्वीकृत पद | | रिक्त पद | | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|---|---|
| | II | III | II | III | |
| 1) राज. उच्च प्रा. बागली | 1 | 7 | 1 | 3 | सभी 7/96 |
| 2) राज. उच्च मीमाणा | 1 | 6 | - | - | |
| 3) राज. उच्च लालूण | 1 | 5 | - | - | |

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागली में रिक्त तृतीय श्रेणी के पदों में से दो पदों पर पद स्थापन्न किया जा चुका है। शेष रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सैकण्डरी स्कूलों की स्थापना

404. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 1996-97 में नये सैकण्डरी स्कूल खोले गये ? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्या सरकार चालू वर्ष में नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां ?

### उत्तर

वर्ष 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया। वर्ष 1996-97 में बजट प्रावधानानुसार 82 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जा चुका है। आगामी वर्ष में उपलब्ध बजट की सीमा में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले अन्य प्रस्तावों के साथ विधान सभा क्षेत्र बेगूं के उच्च प्राथमिक विद्यालय पर समग्र रूप से विचार कर गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति के

(शिक्षा मंत्री)

सम्बन्ध में निर्णय किया जाना सम्भव हो सकेगा।

## राजकीय विद्यालयों का गणवेश (ड्रेस) प्रकरण

405. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये एक समान ड्रेस पहनना आवश्यक कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह निर्णय लेते समय इसकी पालना में आने वाले आर्थिक पहलुओं पर भी विचार किया गया है ?

(3) क्या सरकार आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रों को इस संबंध में छूट देने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी नहीं । केवल मात्र ड्रेस का रंग एक ही रखे जाने के निर्देश दिये गए हैं ।

(2) सरकारी स्कूलों में पहले से ही प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों को किसी न किसी रंग की ड्रेस पहन कर आना होता था। नये निर्देशों के तहत केवल सभी सरकारी स्कूलों में मात्र कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को एक ही रंग की ड्रेस पहनने के लिए कहा गया है एवं प्राथमिक कक्षा के छात्रों हेतु कोई ड्रेस निर्धारित नहीं है । अतः अलग से आर्थिक भार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इसकी आवश्यकता नहीं है ।

## विधान सभा क्षेत्र घाटोल के विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

406. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

विधान सभा क्षेत्र, घाटोल के किस-किस सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कितने-कितने, किन-किन विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं ? सरकार अब कब तक इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में संचालित सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त व्याख्याताओं के पदों का विवरण निम्न प्रकार से है : —

| क्र.सं. नाम वि. | विषय | कब से रिक्त है |
|---|---|---|
| 1.रासीउमावि, घाटोल | संस्कृत | 12/96 (नव सृजित पद) |
| -"- नरवाली | अंग्रेजी | 7/96 से स्था. से |
| -"-नरवाली | इतिहास | 11/95 स्था. से |
| 2.राबासीउमावि, घाटोल | अंग्रेजी | 7/96 से |

रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति से

54



( शिक्षा मंत्री )

आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही किया जाना संभव हो सकेगा।

## शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में प्रवेश प्रकरण

407. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ट्रेनिंग सेन्टर (एस.टी.सी.) अलवर में भर्ती हेतु दिनांक 30 जुलाई, 1996 को विज्ञप्ति जारी की गई ?

(2) यदि हां, तो क्या विज्ञप्ति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के कितने प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती किया जाना था ?

(3) कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों के प्रार्थना पत्र कब-कब प्राप्त हुए ? पंजीयन संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पृथक-पृथक श्रेणी के कितने -कितने प्रशिक्षणार्थी भर्ती किए गए ? भर्ती किये गए प्रशिक्षणार्थियों का अंक प्रतिशत क्या था ? अंक प्रतिशत दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अधिक अंक प्रतिशत आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती नहीं किया गया और कम प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थी को भर्ती कर लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) डाइट अलवर में निम्न प्रकार से सीटें आबंटित हैं : –

| | | |
|---|---|---|
| सामान्य बैच | - | 50 |
| विशेष बैच अलवर हेतु | - | 35 |
| विशेष बैच दौसा | - | 19 |

इनमें 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 2 सीट विकलांग 2 सीट भूतपूर्व सैनिक, 3 सीट मृत राज्य कर्मचारी (सेवारत मृतक राज्य कर्मचारी के 3 से अधिक को शेष 30 सीटों के विरुद्ध प्रथम वरीयता के आधार पर) तथा सेवारत, विधवा/परित्यक्ता हेतु अतिरिक्त सीटों का प्रावधान है।

(3) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 20.8.96 तक प्राप्त एवं रजिस्टर में पंजीकृत कुल आवेदन पत्र 1821 हैं जिनका दिनांकवार विवरण इस प्रकार है : —

| क्र.सं. | दिनांक | प्राप्त आवेदन पत्र |
|---|---|---|
| 1. | 07.08.96 | 34 |
| 2. | 08.08.96 | 37 |
| 3. | 09.08.96 | 70 |
| 4. | 12.08.96 | 167 |
| 5. | 13.08.96 | 157 |
| 6. | 14.8.96 | 162 |
| 7. | 16.08.96 | 250 |
| 8. | 17.08.96 | 187 |
| 9. | 19.08.96 | 384 |
| 10. | 20.08.96 | 373 |
| कुल प्राप्त आवेदन पत्र | | 1821 |

(शिक्षा मंत्री)

पंजीकृत अभिलेख की प्रति पृष्ठ सं. 1 से 146 तक संलग्न है। इनके अतिरिक्त 20.08.96 के पश्चात् डाक द्वारा 28 आवेदन पत्र प्राप्त हुए (प्रति संलग्न है)।

(4) एसटी.सी. (प्रथम वर्ष) 1996-97 में वर्गवार चयनित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस प्रकार है : —

| क्र.सं. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | तलाक/परित्याग/विधवा (सेवारत) अतिरिक्त सीट | 23 |
| 2. | विकलांग | 02 |
| 3. | मृतक आश्रितों सेवारत (9+1 अनुसूचित जाति) | 10 |
| 4. | अनुसूचित जाति (पुरुष) | 04 |
| 5. | अनुसूचित जाति (महिला) | 02 |
| 6. | सामान्य (पुरुष) | 12 |
| 7. | सामान्य (महिला) | 13 |
| 8. | भूतपूर्व सैनिक आश्रित | 01 |
| 9. | अनुसूचित जनजाति (पुरुष) | 04 |
| 10. | अनुसूचित जनजाति (महिला) | 02 |
| | कुल | 50 |

| क्र. सं. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 11. | अनुसूचित जाति विशेष बैच (पुरुष) अलवर (20+1 विकलांग) | 21 |
| 12. | अनुसूचित जाति विशेष बैच (महिला) अलवर | 14 |
| | योग : | 35 |
| 13. | अनुसूचित जाति विशेष बैच (पुरुष) दौसा (10+1 विकलांग) | 11 |
| 14. | अनुसूचित जाति विशेष बैच (महिला) दौसा | 08 |
| | योग : | 19 |

अंक प्रतिशत सहित सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं। विभाग द्वारा निर्धारित तिथि 20.08.96 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही वरीयता सूची तैयार कर चयन किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों (डाक द्वारा) पर विचार नहीं किया गया चाहे उनके अंक प्रतिशत अधिक हो।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को देय अनुदान

408. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को देय अनुदान के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं (छात्र एवं छात्राओं) को प्रतिशत के हिसाब से अनुदान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो अनुदान

( श्री किशन मोटवानी )

किस आधार पर दिया जाता है ? प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने एवं उसको विनियमित करने वाली सामान्य शर्तों का उल्लेख राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के नियम 10 में वर्णित है, जिसकी प्रति (परिशिष्ट - 1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं (छात्र एवं छात्राओं) को प्रतिशत के हिसाब से अनुदान दिया जाता है।

**(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)**

## शैक्षणिक प्रयोजनार्थ विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

409. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विभाग के अन्तर्गत कुल कितनी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं संचालित हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सभी केन्द्र प्रवर्तित एवं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रति वर्ष होने वाली राशि को शिक्षा विभाग में किस बजट मद में जमा कराया जाता है ? योजनावार बजट मद की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि का आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में ही ज्यादा उपयोग किया गया ? यदि हां, तो अंतिम वर्ष में ही अधिकतम राशि के उपयोग करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षा विभाग (प्राथ. एवं माध्य. शिक्षा) के अधीन संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट - अ)

(2) उक्त सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं एवं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं पर 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है। (परिशिष्ट - ब)

(3) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अन्तर्गत

(शिक्षा मंत्री)

स्वीकृति राशियां (संपूर्ण साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता को छोड़कर) बजट मद 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान में जमा की जाती है। विदेशी सहायता प्राप्त संचालित योजनाएं यथा शिक्षाकर्मी एवं लोकजुंबिश को स्वीकृत राशि सीधे ही भारत सरकार से प्राप्त होती है।

(4) जी नहीं।

**(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट - 11 देखें)**

## तहसील डेगाना के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

410. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में कुल कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना के किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वर्ष 1997-98 में डेगाना तहसील के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

**(1)** विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में 55 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1996-97 में जन सहयोग योजनान्तर्गत निम्बड़ी चांदावता को उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

(3) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत वर्ष 1997-98 हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्ड के आधार पर तथा गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जायेगा। जनसहयोग योजना के अन्तर्गत चम्पाखेड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय को सत्र 97-98 से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 12 देखें)**

## नवीन घोषित राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

411. **श्री भगराज चौधरी (आहोर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवीन घोषित राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण करने बाबत विद्युत मण्डल द्वारा आदेश जारी किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन से आदेश

( श्री भगराज चौधरी )

कब-कब जारी किये गये ? जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नवीन घोषित राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण करने बाबत विद्युत मण्डल द्वारा जारी आदेशानुसार ग्रामीणों द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम को जोड़ने हेतु विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर लगाने का खर्च मण्डल द्वारा वहन किया जाना है ?

(4) यदि हां, तो जालौर जिले की आहोर पंचायत समिति के ग्राम रातानाड़ा में करीब 50 घरों में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पेश किये जाने पर ग्राम को जोड़ने हेतु लगाई जाने वाली विद्युत लाइन का खर्च आवेदकों को दिये गये डिमान्ड नोटिसेज में क्यों जोड़ा गया है ?

(5) क्या सरकार विद्युत लाइन एवं ट्रान्सफार्मर लगाने का खर्च विद्युत मण्डल द्वारा वहन करने का आदेश देकर उक्त वर्णित ग्राम में शीघ्र विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

## उत्तर

(1) जी हां। नवीन घोषित राजस्व ग्राम जो कि पूर्व में विद्युतीकृत राजस्व ग्राम से अलग होकर बने हैं उन्हें विद्युतीकृत घोषित मानते हुए मांग आने पर उनमें नियमानुसार विद्युत लाइन डालकर कनेक्शन दिये जाने का पूर्व में ही प्रावधान है।

(2) मण्डल द्वारा जारी किये आदेश क्र. 935 दिनांक 21.9.87 की प्रति व कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देश द्वितीय संस्करण के बिन्दु संख्या 15 से उद्धरण की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न है।

(3) नये घोषित गांवों में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 11 के.वी. लाइन एवं ट्रान्सफार्मर लगाने का खर्चा मण्डल द्वारा वहन किया जाता है किन्तु ग्राम में एल.टी. लाइन का विस्तार तीन कनेक्शनों पर एक खम्भा के हिसाब से स्वीकृत करने का प्रावधान है एवं इससे अधिक एल.टी. पोल का खर्चा आवेदकों द्वारा देय है। मण्डल के आदेश संख्या 3245 दिनांक 2.12.96 के द्वारा विद्युतीकृत गांव में उनके ढाणियों में लाइन विस्तारण हेतु तीन विद्युत सम्बन्धों पर एक खम्भा एल.टी. लाइन से स्वीकृत करने का प्रावधान है एवं इससे अधिक खम्भे लगाने का खर्चा आवेदकों द्वारा वहन किया जाना है।

(4) पंचायत समिति, आहोर के नये विद्युतीकृत घोषित ग्राम रातानाड़ा कोड संख्या 18/2/3/4 में जिनमें 34 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे एवं जिन्हें दिनांक 22.8.96 को मांग पत्र जारी किये गये थे, उसमें 11 के.वी. लाइन के विस्तारण का खर्च आवेदकों पर लगाया गया था। उक्त 34 आवेदकों को विद्युत सम्बन्ध देने हेतु 15 खम्भे एल.टी. लाइन के विस्तारण का तखमीना बनाया गया था, जिसमें 11 खम्भों के एल.टी. लाइन विस्तारण का खर्चा मण्डल द्वारा वहन किया

(ऊर्जा मंत्री)

जाना था एवं 4 खम्भे एल.टी. लाइन के विस्तारण का खर्चा आवेदकों द्वारा देय था। इन आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा नहीं कराने से आवेदन पत्र निरस्त हो गये।

(5) जी नहीं, मण्डल की आर्थिक स्थिति के मध्य नजर मण्डल सम्पूर्ण लाइन व ट्रान्सफार्मर का खर्चा लगाकर कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं है।

**(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट - 13 देखें)**

## औद्योगिक क्षेत्र बोरावड़ (मकराना) के लम्बित विद्युत कनेक्शन

412. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की सरकार की क्या नीति है? क्या कनेक्शन देने हेतु कोई समय नियत है? यदि हां, तो क्या नियत समय में कनेक्शन जारी कर दिये जाते हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र, मकराना के औद्योगिक क्षेत्र बोरावड़ में पिछले दो वर्षों से कितने कनेक्शन विचाराधीन हैं ? क्या यह सही है कि इनके कनेक्शन नियत समय में जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा अब इन्हें कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? इसके विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या मण्डल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी वह सभी औपचारिकताएं जो कि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये लागू हैं पूर्ण करनी होती हैं जैसे कि निर्धारित प्रार्थना-पत्र के साथ एस्टीमेट बनाने की राशि जमा कराना, स्टाम्प ड्यूटी हेतु स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना, एल फार्म इत्यादि। प्रत्येक उपखण्ड में लघु एवं मध्यम व वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग-अलग प्राथमिकता रखी जाती है। डिमाण्ड नोट की राशि जमा कराने की तिथि से दोबारा प्राथमिकता निर्धारित कर कनेक्शन जारी किये जाते हैं। अन्य कई सुविधाओं के अलावा लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं को क्रमशः 2000/- रुपये प्रति पोल एवं 1000/- रु. प्रतिपोल के हिसाब से मण्डल द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। वृहत औद्योगिक उपभोक्ताओं से सर्विस लाइन की राशि पहले जमा करवानी होती है जो कि कनेक्शन जारी होने से तीन वर्ष पश्चात् 24 माह में विद्युत बिलों में समायोजित कर लौटा दी जाती है।

औद्योगिक नीति 1994 के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक कनेक्शन जारी करने के लिए समयावधि निर्धारित की हुई है। यथा संभव सभी औद्योगिक कनेक्शन नियत अवधि में जारी करने के प्रयास किये जाते हैं।

(60)



(ऊर्जा मंत्री)

कभी-कभी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कुछ कनेक्शनों में विलम्ब हो जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना के औद्योगिक क्षेत्र बोरावड़ में पिछले 2 वर्षों से एच.टी. के 3, एस.आई.पी. के 9 एवं एम.आई.पी. के 14 आवेदन पत्र लम्बित हैं। उक्त सभी लम्बित आवेदन पत्र तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं होने के कारण नहीं दिये जा सके। इन लम्बित सभी कनेक्शनों को दिये जाने हेतु एक नई 11 के.वी. लाइन बोरावड़ फीडर खींची जा रही है, जिसका कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रायः यह सभी कनेक्शन शीघ्र ही दिये जाने की संभावना है। उक्त सभी लम्बित कनेक्श्नों के आवेदनकर्ताओं को लम्बित रखने की जानकारी दी गई है। जोनल मुख्य अभियन्ता, अजमेर द्वारा इन सभी लम्बित आवेदनों को मांग पत्र जारी करने के आदेश दिये गये हैं। इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के प्रस्तावित ग्रिड स्टेशन

413. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्राम मोखमपुरा, सारथल एवं मूंडला में 133 के.वी. ग्रिड स्टेशन का कार्य कब तक पूर्ण होकर चालू हो जायेंगे।

(2) क्या बारां जिले की पंचायत समिति छीपा बड़ोद में सहायक अभियन्ता का पद स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो वहां सहायक अभियन्ता की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) उक्त क्षेत्र के वर्ष 1996-97 में कितने गांव विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं ?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्राम मोखमपुरा में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य माह मार्च, 1997 के अंत तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे। गांव मूंडला व सारथल में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का कार्य वर्ष 1996-97 के वार्षिक कार्यक्रम में स्वीकृत नहीं है। लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ग्राम सारथल में 33 के.वी. सब स्टेशन बनाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में पचांयत समिति छीपाबड़ोद में सहायक अभियन्ता का पद स्वीकृत नहीं है।

(3) उक्त क्षेत्र के वर्ष 1996-97 में पंचायत समिति छबड़ा के 2 गांव व पंचायत समिति छीपाबड़ोद के 2 गांव विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं।

## राज्य में विद्युत आपूर्ति की दरें

414. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में वर्ष 1989-90 में घरेलू, कृषि व औद्योगिक विद्युत आपूर्ति किस दर से की जाती थी ?

(2) वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक किस-किस वर्ष में घरेलू, कृषि व औद्योगिक विद्युत आपूर्ति की दरों में कितनी-कितनी वृद्धि की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में घरेलू कृषि एवं औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत की दरों की तालिका परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत दरों में समय-समय पर हुई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट- 14 देखें)**

## पशु चिकित्सा नीति

415. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में वर्ष 1996-97 में कितने पशु चिकित्सालय खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की पशुधन की चिकित्सा हेतु कोई नीति है, जिसके अनुसरण में चिकित्सालय खोले जाते हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्या सरकार ऐसी नीति बनाने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 में नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी नीति विचाराधीन नहीं है।

## जन सम्पर्क निदेशालय का पदोन्नति प्रकरण

416. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान में वर्तमान में छायाकार, सहायक छायाकार एवं डार्क रूम सहायक के कितने-कितने पद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 1996 से 31 जनवरी, 1996 तक की अवधि में डार्क रूम सहायक से सहायक छायाकारी के पद पर कब-कब पदोन्नति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

( श्री रतनलाल ताम्बी )

(3) क्या उक्त पदोन्नतियों में किन्हीं नियमों में शिथिलता देते हुए पदोन्नतियां दी गई ? यदि हां, तो किस-किस को ? शिथिलता प्रदान करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रश्न के भाग (3) में उल्लेखित कर्मियों की भांति पदोन्नति से वंचित रहे कर्मियों को भी पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो दोहरी नीति के क्या कारण है?

### उत्तर

(1) जनसम्पर्क निदेशालय में छायाकार के दस, सहायक छायाकार के दो एवं डार्क रूम सहायक के 6 पद है।

(2) उल्लेखित अवधि में डार्क रूम सहायक से सहायक छायाकार के पद पर पदोन्नति नहीं की गयी है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

## जिला कोटा के माडा योजनान्तर्गत घोषित ग्राम

417. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें : —

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी बाहुल्य वाले ग्राम माडा योजनान्तर्गत घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो माडा ब्लॉकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिले की सांगोद तहसील के अनुसूचित जनजाति आबादी वाले ग्राम माडामिनि ब्लॉक में सम्मिलित होने से रह गये हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक सम्मिलित कर लिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। माडा लघु खण्डावर सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाला अनुसूचित जनजाति आबादी वाला कोई गांव सम्मिलित होने से नहीं रहा है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जिला जोधपुर की पंचायत समितियों को बजट स्वीकृति

418. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला विकास अभिकरण को वार्षिक बजट किस विभाग द्वारा आबंटित किया जाता है ?

(2) जिला जोधपुर को वर्ष 1996-97

( श्री खेतसिंह राठौड़)

में उक्त डी.आर.डी.ए. योजनान्तर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया ?

(3) उक्त जिले को आबंटित राशि का पंचायतों को आबंटन की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला जोधपुर में वर्ष 1996-97 में पंचायत समितिवार कितनी-कितनी धनराशि किस आधार पर आबंटित की गई ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को वार्षिक बजट भारत सरकार/राज्य सरकार के निम्न विभागों द्वारा आबंटित किया जाता है : —

| योजना का नाम | बजट आबंटन करने वाले विभाग का नाम |
|---|---|
| 1. एग्रावि. कार्यक्रम | 50% वि.यो.एवं एग्रा. वि. एवं 50% ग्रा. क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार |
| 2. मरू विकास कार्यक्रम | शत प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार |
| 3. सु.रो. योजना | 20% वि.यो. एवं एग्रा. विवि. एवं 80% ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार |
| 4. जे.आर.वाई. | 20% वि.यो. एवं एग्राविवि. एवं 80% ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार |
| 5. इंदिरा आवास | 20% वि.यो. एवं एग्रा. विवि. एवं 80 % ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार |
| 6. एजी.एके. | शत प्रतिशत वि.यो. एवं एग्रावि. विभाग, जयपुर |
| 7. निर्बन्ध | शत प्रतिशत वि.यो. एवं एग्रावि. विभाग, जयपुर |
| 8. तीस जिला तीस काम | शत प्रतितश वि. यो. एवं एग्रावि. विभाग, जयपुर |
| 9. वैस्ट लैण्ड योजना (कामलाना) | शत प्रतिशत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली |
| 10. वैस्ट लैण्ड योजना (जेल्वा जेतीवास) | शत प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली |
| 11. आई.पी.पी. नवम् | शत प्रतिशत चिकित्सा विभाग, राज., जयपुर |
| 12. माडा | शत प्रतिशत जन जातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर |
| 13. हाथकरघा (औसियां) | शत प्रतिशत कपड़ा मंत्रालय, विकास आयुक्त हाथकरघा, नई दिल्ली |
| 14. सांसद क्षेवि. योजना | शत प्रतिशत कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली |
| 15. ट्राइसम | 50% वि.यो. एवं ग्रावि. विभाग तथा 50% ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली |

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) जिला जोधपुर को वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं में 3280.31 लाख रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) जवाहर रोजगार योजना के तहत जनसंख्या के आधार पर जो राशि पंचायत विशेष की बनती है उसे चैक द्वारा जिग्रावि. अभिकरण से पंचायतों को भेजा जाता है। अन्य योजनाओं में जो कार्य पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाते हैं उनकी राशि कार्य की प्रगति को देखते हुए पंचायत समितियों के माध्यम से पंचातयों को भेजी जाती है।

(4) जोधपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों को वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का आधार एवं आबंटित बजट/धनराशि का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)**

## ग्राम अमरसर (जयपुर) का नाली निर्माण प्रकरण

419. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अमरसर जिला जयपुर में ग्राम पंचायत द्वारा नालियों के निर्माण का कार्य करवाया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा बुनकर मोहल्ला वार्ड नम्बर 13 में नालियां नहीं बनाई गई। यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम के वार्ड नम्बर 13 में नालियां बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी हां। जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम अमरसर में ग्राम पंचायत द्वारा नालियों का कार्य कराया गया है।

(2) वार्ड नं. 13 में अलग से बुनकर मोहल्ला नहीं हैं अतः बुनकर मोहल्ला में नालियां बनाने का प्रश्न ही नहीं हैं।

(3) ग्राम पंचायत अमरसर द्वारा वार्ड नम्बर 13 में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित निम्न स्थानों पर नालियों का निर्माण कार्य करा दिया गया है : —

1. बस स्टैण्ड से आसाराम बुनकर के मकान तक।

2. गणपत खुमार से मक्खन कुम्हार के मकान तक।

3. नारू मीणा के मकान से बुधाराम के मकान तक।

## अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास हेतु स्वीकृत योजनाएं

420. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं ? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई है ? यदि नहीं, तो इसकी पूर्ण क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण रहे? लक्ष्य एवं पूर्ति का गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) लक्ष्यों की निर्धारित समयावधि में पूर्ति हेतु सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा पोषित/राज्य के स्वयं के संसाधनों द्वारा पोषित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। गत तीन वर्षों के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" में अंकित है :-

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. ट्राइसम
3. जवाहर रोज़गार योजना
4. इन्दिरा आवास योजना
5. जीवनधारा योजना
6. बायोगैस योजना
7. मैसिव योजना

(2) गत तीन वर्षों में एग्राविं. कार्यक्रम, ट्राइसम में लक्ष्यों से अधिक उपलब्धियां अर्जित की गयी हैं। जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 94-95, 95-96 में, इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 94-95, 95-96 में एवं जीवनधारा योजना में वर्ष 93-94, 94-95 में लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गयी। इन्दिरा आवास योजना एवं जीवनधारा योजना में क्रमशः वर्ष 93-94 व 95-96 में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से शत प्रतिशत प्राप्ति नहीं हो सकी। बायोगैस एवं मैसिव में पृथक से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) वर्ष के प्रारम्भ में कार्य योजना तैयार कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राज्य स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की बैठक, जिला स्तर पर, शासकीय निकायों की बैठक एवं खण्ड स्तरीय समिति की बैठकों में उक्त कार्यक्रमों की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)**

## विधान सभा क्षेत्र बेगूं में आयुर्वेदिक औषधालय

421. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में गत पांच वर्षों में कोई नये आयुर्वेद औषधालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र में नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) गत 5 वर्षों (वर्ष 1991-92 से 1995-96) में चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कोई नवीन आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) विभाग को नवीन औषधालय खोलने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से फिलहाल नवीन औषधालय खोलना संभव नहीं है।

## अनुपस्थिति के लिये अनुमति

**श्री मोहन मेघवाल, सदस्य को दिनांक 6 मार्च, 1997 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति**

**श्री अध्यक्ष :** मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मोहन जी मेघवाल, सदस्य, विधान सभा ने सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने के कारण 6 मार्च, 1997 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

**(स्वीकृत)**

अनुमति प्रदान की गयी।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है : —

श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के कतिपय गांवों में इस वर्ष अनियमित वर्षा होने से अभाव की स्थिति होने के उपरान्त भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

**नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं**

(1) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अतिरिक्त तहसील बिजौलिया को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में वन भूमि पर गरीब काश्तकारों द्वारा अपनी जीविकोपार्जन के लिए किये गये कब्जों का नियमितिकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, दुलपुरा जिला गंगानगर में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्सक के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्रीमती तारा भण्डारी।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र सिरोही में 14 तारीख को एक महिला अमिया बाई की एक नर राक्षस ने नकली भोपा बनकर हत्या कर दी। अध्यक्ष महोदय, इस महिला का पति उस हत्यारे बरधाराम माली से पैसे मांगता था और वह बहुत बीमार था इसलिए वह मृतका अमिया बाई उसके पैसे लेने के लिए रात-दिन तकाजा करती थी। हत्यारे ने देखा की इसी को खतम कर दूं तो मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। उसने ऐसा षड़यंत्र करके, नकली भोपा बनकर अमिया बाई पर देवी चढ़ाने का जाल फैलाया, जादू टोने का नाटक किया और अमिया बाई के घर में ही इसको बालों से पकड़ कर जमीन पर पछाड़-पछाड़ कर इसकी नृशंस हत्या कर दी। अध्यक्ष महोदय, इसकी हत्या का विवरण अगर मैं रखूं तो रोंगटें खड़े हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह औरत दिन-रात मजदूरी करती थी। उसका पति बहुत बीमार है और विकलांग है। उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए था और पैसों के लिए वह बरधाराम से निरन्तर तकाजा करती कि मेरे पैसे दो तो मैं पति का इलाज करवाऊं। पैसे देने के बदले में उसने इसकी इस प्रकार हत्या की कि सबके रोंगटें खड़े हो गये। अध्यक्ष महोदय, मरने वाली के छोटे-छोटे चार बच्चे हैं। एक पुत्री और है, जो विकलांग है। पति विकलांग है। ऐसी हालत में मां मर गयी, बाप मरने वाला है और चारों बच्चे बहुत ही करूणाजनक स्थिति में आ गये हैं। घर का चूल्हा भी जलाने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत ही दुःखी हालत में यह कहना चाहूंगी, आज हम इक्कीसवीं सदी में पदार्पण कर रहे हैं और महिलाओं को कभी डाकण बताकर, कभी उन पर देवी चढ़ा कर, कभी जादू टोने करके, इस तरह से उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, यह तो बहुत ही गम्भीर, नर राक्षसों जैसी स्थिति है। मैं इस जघन्य अपराध की घोर निंदा आपके माध्यम

(श्रीमती तारा भण्डारी)

से करते हुए आपसे भी कुछ सहायता चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज इस परिवार का चूल्हा जलाने वाला कोई नहीं है। छोटे-छोटे वच्चे हैं, घर में खाने को नहीं है। इसका मुकदमा दर्ज हो गया है लेकिन मुकदमे का फैसला तो राम जाने कब आएगा, बच्चों की तो मां मर गयी इसलिए भूख से मर जाएंगे और पिता उनका मरने वाला है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी करूणाजनक स्थिति में उस परिवार को पूरी-पूरी आर्थिक सहायता देकर जिन्दा वचाएं और वह हत्यारा जो आज हास्पिटल में ढोंग-धतूरे करके पड़ा है, उसको हास्पिटल से उठाकर के उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में महिलाओं को इस प्रकार से आरोपित, कलंकित करके मारने का षड़यंत्र करना वह भूल जाए। अध्यक्ष महोदय, उस औरत को पटक-पटक कर जिस समय यह मार रहे थे, वह पानी-पानी चिल्ला रही थी लेकिन उसको पानी नहीं दिया। जब मौहल्ले वालों ने देखा कि अब आवाज आनी कैसे बन्द हो गयी, तो मोहल्ले वालों ने किवाड़ तोड़कर अन्दर घुसकर देखा तो वह मरी हुई पड़ी थी और उस मरी हुई को वह मार रहा था और जमीन पर पछाड़ रहा था, कह रहा था कि अभी देवी बुलाता हूं, अभी वह बोलेगी मुंह से। उसको इतना मारा कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो डाक्टरों ने कहा कि इसको मरे हुए तीन घंटे हो गए। मतलब इतनी बुरी तरह मारा कि उस मरने वाली की आत्मा जानें कि उसको कैसे उसने सहन किया। मरने वाली की आयु मात्र 32 साल की थी और मजदूरी करके पूरे परिवार का पेट भरती थी। आज सारा सिरोही उसके लिए रो रहा है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करायें। वह हत्यारा हास्पिटल में मजे मार रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। राज सक्षम है, कल्याणकारी राज है, अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देकर अमिया बाई के इस टूटते परिवार को बचा लिया जाए। उसके पति तेजा राम के पांव सड़ गये हैं तथा पांव में कीड़े पड़ गये हैं, पांव इतना मोटा हो गया है, सारे गुजरात और राजस्थान घूम लिया, उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। अब पांव कटाना था, उसके लिए वह रोज-रोज पैसे मांगती थी। उसके पैसे बाकी निकलते थे लेकिन पैसे देने के बदले इस तरह हत्या की गयी है। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को भी यह खेदजनक सवाल भेजना चाहती हूं कि महिलाओं को इस तरह डायन बताकर और देवी चढ़ाकर हत्या करने का मामला ठीक नहीं है, इसके बारे में सभी गम्भीरता से लें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** केस तो हो गया। माननीय श्री भवानी जी जोशी।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं।

**श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जघन्य घटना का जिक्र माननीय विधायिका ने किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस स्तर पर इसमें पूरी सख्त कार्यवाही होगी और सारी कार्यवाही होकर, कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत जो भी है, उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। रहा सवाल बच्चों का, जिनकी कारूणिक स्थिति माननीय विधायिका ने वर्णन की है, माननीय विधायिका जानती हैं कि मुख्य मंत्री ऐसे मामलों में उदारतापूर्वक अपने मुख्य मंत्री कोष से अनुदान स्वीकृत करते हैं, वे भी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करें और उनका साथ मैं भी दूंगा और इसमें इन बच्चों को कुछ न कुछ राज्य सरकार की ओर से अवश्य आर्थिक सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भवानीजी।

**श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी पुलिस थाना अन्तर्गत कातिजा गांव निवासी मखना के पुत्र बर्धा को अरसूना पुलिस चौकी में अमानवीय यातना दी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे बेवजह गिरफ्तार किया गया रातभर उसको पीटा गया और रात भर उसको सोने नहीं दिया गया। रात को पुलिस कांस्टेबल ने अपने स्वयं का पेशाब निकाल कर उसको पिलाया। उसके उपरान्त 16 तारीख को वह पागल हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अपने परिवार का एक मात्र पुत्र था जो अपने घर का भरण पोषण करता था। पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार से जनजाति क्षेत्र के जनजाति के लोगों को यातना देना हमारी सरकार के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल उस पुलिस अधिकारी को निलम्बित किया जाए और उस परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे देंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : इसी में।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : हां, इसी में। कल ही मैंने इस आदिवासी समाज पर पुलिस अत्याचार का मामला उठाया था आज दुबारा माननीय सदस्य ने उठाया है। जब तक इन अधिकारियों की एसी.आर. में मार्क नहीं किया जाएगा कि उनको थानों पर नहीं लगाया जाए, तब तक यह नहीं रूकेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के अधिकारी और कर्मचारियों की छंटनी हो जो कि थानों में रह कर इस तरह

( श्री चुन्नीलाल गरासिया )

के अत्याचार करते हैं उनके लिए यदि आप कोई मापदंड बनाएंगे तो अत्याचार रुकेंगे नहीं तो नहीं रुकेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। श्री लक्ष्मीनारायण जी।

**श्री पूंजालाल** (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना जो अभी माननीय विधायक ने बतायी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही है। अरसूना पुलिस चौकी इस मामले में जो भी पुलिस अधिकारी है, थानाधिकारी दोषी पाये जाएं, उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करके उन्हें सजा दी जाए और जिसके साथ यह अमानवीय और पाशविक अत्याचार की घटना हुई है, उसको तत्काल राहत दिलवायें यह मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

**श्री महावीर भगोरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को बरखास्त किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : चलिये बिराजिये। श्री लक्ष्मीनारायणजी।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी, जो उद्योग मंत्री भी हैं, से निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा रोड पर करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम लखेसरा, जो तहसील सांगानेर में पड़ता है और ग्राम बगराना जो तहसील जयपुर में पड़ता है, में काफी भूमि रीको के लिए अवाप्त की जा रही है। वहां 20-25 साल से ईंटों के भट्टे लगे हुए हैं जिनकी संख्या करीब 15 है। वहां पर सैकड़ों अनुसूचित जाति के मजदूर कार्यरत हैं। अगर यह भूमि अवाप्त की जाती है तो वहां से यह उद्योग धंधे भी हट जाएंगे और वहां पर जो मजदूर कार्यरत हैं वे सब बेरोजगार हो जाएंगे। यही ईंट भट्टा उद्योग राज्य सरकार को माइनिंग के रूप में और सेल्स टैक्स के रूप में लाखों रुपये की आमदनी कराते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि रीको द्वारा आगरा रोड पर ग्राम बगराना और लखेसरा में जो भूमि अवाप्त की जा रही हे, उसको रोका जाए। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती सूर्यकान्ताजी।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का जोधपुर में चिकित्सा विभाग के बारे में ध्यान दिलाना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर का जयपुर के बाद दूसरा नम्बर आता है। मगर चिकित्सा से सम्बन्धित कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी। ऐसे तो मैं मानकर चलती हूं कि पूरे राजस्थान के अस्पतालों को देखते हुए जोधपुर अस्पताल की व्यवस्था सबसे अच्छी है। इसकी मेरे को बड़ी प्रसन्नता है और मैं चिकित्सा मंत्रीजी को इसके बारे में धन्यवाद देती हूं। मगर कुछ असुविधाओं का भी

( श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास )

जोधपुर की जनता को काफी सामना करना पड़ रहा है इसके लिए मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से कहना चाहूंगी–

**श्री अध्यक्ष** : कोई विशेष, इमरजेंट नैचर की बात हो तो कहो।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : हां, मैं विशेष बात कह रही हूं।

**श्री अध्यक्ष** : इमरजेंसी की बात हो वह बताओ वरना तो आप जाकर उनसे बात कर लेना।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष बात ही कह रही हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर एंजियोग्राफी लैब की व्यवस्था की जाए ताकि जोधपुर की जनता को, रोगियों को बाहर, जयपुर या दिल्ली नहीं जाना पड़े। इसकी सुविधा होना अति-आवश्यक है। जोधपुर में जमीन की भी कोई समस्या नहीं है। जमीन वहां पर है, सिर्फ बनाने की और सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। यह स्वीकृत कर दिया जाए तो जोधपुर की जनता को सहूलियत रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मानकर चलती हूं कि यह तुरन्त होने वाला काम नहीं है, लेकिन जो तुरन्त होने वाली बात है उसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे कि मंत्री महोदय अतिशीघ्र इस कार्य को कर सकेंगे। वाल्व का आपरेशन छोटा आपरेशन होता है। इसके लिए जोधपुर में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है क्योंकि वहां पर आपरेशन वार्ड भी बना हुआ है, वहां पर सिर्फ एक सर्जन की पोस्ट दे दी जाए तो उससे काफी कुछ वहां के लोगों को राहत मिल सकेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वाल्व का आपरेशन करने के लिए यह सुविधा जोधपुर को दिलवायी जाए तो मैं समझती हूं कि जोधपुर ही नहीं बाड़मेर, फलौदी और जैसलमेर के लोगों को भी काफी कुछ सुविधा मिल जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भारी प्रशंसा होगी कि कांग्रेस की सरकार ने 50 साल राज कर के भी जो काम नहीं किया वह भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने कर दिया। अब तो वित्त मंत्री का काम भी उप मुख्य मंत्रीजी देख रहे हैं, मैं समझती हूं कि इस काम को भी हाथ में लिया जाए और यह तुरन्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी। मेरे श्वसुर के बहुत ज्यादा बीमार होने से करीब तीन महीने से मैं हास्पिटल में हूं। वहां पर बहुत असुविधा है। नर्सिंग स्टाफ की कमी की वजह से बहुत तकलीफ है, मरीजों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर 72 बैड पर सिर्फ दो नर्स होती हैं। मरीज चिल्लाते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री

( श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास )

महोदय से निवेदन करूंगी कि वहां पर नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी बोलती हूं और आप मेरे को ऐसे कहते हो।

**श्री अध्यक्ष :** देखिये, मैंने बोलने दिया फिर आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं फिर मेरी बात कहना भूल जाती हूं। मेरी बात ही कहना भूल जाऊं आप ऐसा कह देते हो तो।

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपको क्या कह रहा हूं ? इसको समाप्त करिये अब।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** दो मिनट में समाप्त कर रही हूं।

**श्री अध्यक्ष :** आपको एक तो अवसर दिया जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** नहीं, मैं आपकी बड़ी अहसानमंद हूं कि आपने मुझको समय दिया।

**श्री अध्यक्ष :** फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप मुझ को रोक रहे हो ?

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** दो मिनट मेरे को मेरी बात कहने दें, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस कार्य को तुरन्त किया जाए तो जोधपुर की जनता को काफी कुछ सुविधा मिलेगी, जनता को जो असुविधा हो रही है उससे राहत मिलेगी। मैं चाहती हूं, मंत्री महोदय इस पर अपने विचार रखें।

**श्री अध्यक्ष :** जरूर करेंगे। श्रीमती मीनाजी अग्रवाल।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** नहीं, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** जबरदस्ती कहलवाओगे ? अच्छी बात है। कहिये, मंत्रीजी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष ही जोधपुर के अन्दर हमने कार्डियोलोजी की यूनिट खोली थी। एंजियोग्राफी लैब के लिए वित्तीय संसाधन सरकार के पास जितने हैं उसमें मैं समझता हूं कि आप भी माननीय सदस्या अगर सहयोग करेंगी, आधा पैसा अगर जन-सहयोग से जुटा देंगी तो आधा पैसा सरकार अपने पास से देकर इस काम को भी करेगी।

इन्होंने वाल्व रिप्लैसमेंट की बात कही है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले तीन माह के अन्दर यह सुविधा जोधपुर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो जाए। क्योंकि वहां सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है,

( श्री राजेन्द्र राठौड़ )

लंबे चौड़े कोई वित्तीय संसाधन भी इसके बीच में नहीं आएंगे। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** धन्यवाद दे दो। अब आप बिराजें। श्रीमती मीना अग्रवाल।

**श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर में 1885 में महाराज मंगल सिंहजी ने कम्पनी बाग के नाम से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गार्डन बनाया था। वह गार्डन बहुत सुन्दर है। वहां पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है, विदेशी पर्यटक आते हैं। वह करीब 50 फीट गहरा है, 380 फीट लम्बा है और 290 फीट चौड़ा है। उसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं, रंग-बिरंगे फूल लगे हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, फव्वारें बने हुए हैं, एक समर हाउस बना हुआ है और एक शिमला बना हुआ है जिससे वहां गर्मियों में थकान मिटती है, जनता को बहुत राहत मिलती है। लोग सुबह-शाम घूमने आते हैं। इस बाग में जो फल पैदा होते थे, बाग के सामने कम से कम चार-पांच प्राइवेट स्कूलें हैं, हैप्पी स्कूल है, आर्य कन्या स्कूल है, बाल विकास स्कूल है, इन स्कूलों में बाग के अमरूद और शहतूत बिकते थे, बच्चे बड़े चाव से खाते थे मगर आज इस बाग की यह हालत हो गयी, यह बाग इतना उजड़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस बाग की कुछ जमीन निकाल कर रोड निकाल दी है। उस बाग में चाहे कोई पब्लिक मीटिंग हो, चाहे कोई आम सभा हो, पचास हजार आदमियों की मीटिंग हो सकती है। इस तरह के इतने बढ़िया गार्डन की ऐसी हालत हो गयी है। वहां अलग इन्चार्ज बैठा हुआ है। वह इन्चार्ज क्या करता है कि जो पीने के पानी की लाइन है सुबह-शाम घूमने वाले लोगों की सुविधा के लिए, उस पानी की लाइन को भी वह अपने क्वार्टर में ले गया है और जनता पीने के पानी से भी वंचित रहती है।

इसके इलावा जो बजट आता है उस बजट का भी कुछ मालूम नहीं लगता है। उसका बजट कौन खर्च करता है ? सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। वहां कोई देखभाल नहीं है कि वह बजट कहां जाता है। इसके लिए पेपर में 12 फरवरी को निकला कि ऐतिहासिक कम्पनी बाग की यह दुर्दशा हो रही है। मैं संक्षेप में बोल रही हूं क्योंकि आपने मेरी बहन सूर्यकान्ता जी को कम समय दिया इसलिए।

अध्यक्ष महोदय, उसने क्या किया, उसके बाद 24 फरवरी को लोकल पेपर में यह निकाल दिया कि कम्पनी बाग का रिकार्ड जला दिया गया है। फोटो छपी है। मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को यह तीनों-चारों कापियां दी हैं। मैं मंत्रीजी से यह कहना

( श्रीमती मीना अग्रवाल )

चाहूंगी कि इसकी जांच करवाएं और जांच करा कर उसमें कार्यवाही करें। मैं मंत्रीजी से यह आश्वासन भी चाहूंगी कि वे इसके बारे में कुछ कहें। मंत्रीजी कुछ और बजट देकर इसकी सुन्दरता बढ़ायें। यही मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

**श्रीमती मीना अग्रवाल** : मंत्रीजी, बोलें कुछ।

**श्री अध्यक्ष** : लिखकर देना, ऐसे हर चीज कोई रेडी-रेकनर थोड़े ही है। बिराजें आप।

**श्रीमती मीना अग्रवाल** : दे दिया मैंने, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** : अध्यक्ष महोदय, गोपीरामजी ने हाथ खड़ा कर रखा है। इतनी देर से।

**श्री अध्यक्ष** : काहे के लिए ? 295 में ?

**श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : नहीं, पहले एक मिनट। (व्यवधान) चिट दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, दोनों यहां बैठे हुए हैं। स्वायत्त शासन मंत्रीजी जयपुर के बारे में इतने चिंतित हैं कि पर्यटकों और यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए जितनी ज्यादा व्यवस्था की जाए उतनी ठीक है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन आमेर नगर के अन्दर जब जयपुर से हम आमेर के गांधी चौक में प्रवेश करते हैं वहां रास्ता बहुत संकड़ा है और रास्ता संकड़ा होने का मूल कारण है वहां पुराने तहसील भवन। वह पुराने तहसील भवन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के अंडर में आते हैं और इस विषय में स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने स्वयं कई बार वहां रुक कर इसका मौका देखा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक भ्रांति दूर कर दूं। आजकल जो बिल्डिंग्स हैं वह एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुख्य मंत्रीजी के पास हैं, उनके पास है। निर्माण विभाग से तो सलाह-मशविरा करते हैं केवल, उसका करते नहीं हैं।

**श्री गोपीराम जाट** : जिन किन्हीं के पास में हो, लेकिन जब हजारों की तादाद में वहां पर्यटक आते हैं, इतना वहां से ट्रैफिक गुजरता है रास्ता इतना संकड़ा है, उस बिल्डिंग का कोई उपयोग नहीं है। उस बिल्डिंग में जो लोग किराये पर बसे हुए हैं वह किराया नहीं देते और कई बार वायदा करने के बाद मंत्री महोदय आपने स्वयं ने कहा था कि यह हमारे विभाग के अधीन है और इसमें जो किरायेदार हैं वह नियमों का उल्लंघन करके उसके अंदर रह रहे हैं, 60 रुपये महीने का किराया देते हैं और यह राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है, राजस्थान सरकार के

( श्री गोपीराम जाट )

अंदर में है, तो मैं यह चाहूंगा कि उस पुराने तहसील भवन को वहां से तोड़कर उस रास्ते को चौड़ा किया जाए जिससे वहां जो हजारों पर्यटक आते हैं और उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है उसका निराकरण हो सके। यह मेरा कहना है।

**श्री अध्यक्ष :** यह तो आप चिट्ठी लिखकर ही बात करें। श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## बिजौलिया अतिरिक्त तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करना

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (मांडलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अतिरिक्त तहसील बिजौलिया को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, बिजौलिया स्वतन्त्रता संग्राम में अग्रणी रहा है। स्वर्गीय श्री विजय सिंह पथिक की जन्म स्थली व स्वर्गीय श्री माणक्य लाल वर्मा की कर्मस्थली बिजौलिया, जो अपने किसान आन्दोलन के लिये प्रसिद्ध रहा है, मेवाड़ स्टेट का प्रमुख ठिकाना रहा है। स्टेट टाइम पर बिजौलिया में मुन्सिफ कोर्ट रही है, तहसील रही है। परन्तु देश आजाद होने के बाद बिजौलिया को इन दोनों सुविधाओं से वंचित कर दिया गया और नायब तहसील का दर्जा दिया गया। बाद में जब क्षेत्र की जनता नायब तहसील को तहसील का दर्जा देने की मांग करती रही तो बिजौलिया को तहसील का दर्जा न देकर अतिरिक्त तहसील का दर्जा दे दिया गया। बिजौलिया खनन क्षेत्र है। सरकार को काफी रॉयल्टी खनन क्षेत्र से मिलती है। राजस्व की भी काफी आय है। व्यापारिक गतिविधियों का भी प्रमुख केन्द्र है। वहीं वहां की मिट्टी भी काफी उपजाऊ है। कृषि की पैदावार भी काफी होती है। करीब चार करोड़ रुपये की आय राज्य सरकार को बिजौलिया क्षेत्र से होती है। यहां पर छात्र एवं छात्राओं के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, बैंक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सहायक अभियन्ता का खनिज विभाग एवं बिजली विभाग का कार्यालय है। करीब 120 राजस्व गांव हैं। बिजौलिया क्षेत्र की जनता काफी लम्बे समय से बिजौलिया को तहसील का दर्जा देने की मांग करती आ रही है। बिजौलिया के बारे में पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि बिजौलिया के किसानों को मैं क्या संदेश दूं, उन्होंने तो मुझे ही नहीं, अपने सफल सत्याग्रह आन्दोलन से पूरे देश को दिशा दी है अतः राज्य सरकार बिजौलिया को तहसील का दर्जा अविलम्ब प्रदान कराएं। जिससे उस क्षेत्र की जनता की समस्या ही हल नहीं होगी, आकांक्षा की पूर्ति ही नहीं होगी बल्कि स्वर्गीय विजय सिंह पथिक को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं——

**श्री अध्यक्ष** : मना है। 295 में तो वही लिया जाता है जो आपने लिखकर दिया।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : नहीं, 295 खतम हो गया। इसके अलावा एक बात और करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आवासों की व्यवस्था में हमारी जो शिकायतें होती हैं उनको समय पर दूर नहीं किया जाता है। मेरे कूलर खराब हो रखे हैं. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : यह बाद की बात है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन हो गये।

**श्री अध्यक्ष** : These things cannot be discussed here my dear. बिराजें आप। श्री महावीर जी भगोरा। आप बाद में बात कर लेना।

**श्री कैलाश मेघवाल** : आप ललित जी के खास आदमी हो और यहां कह रहे हो।

**श्री अध्यक्ष** : बाद में बात कर लेंगे। आप मुझसे मिल लें। श्री महावीरजी भगोरा।

## वन भूमि पर काश्तकारों के कब्जों का नियमन

**श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए राजस्थान प्रदेश में वन भूमि पर किये गये कब्जों का नियमन नहीं करने की स्थिति की ओर माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, राजस्थान राज्य में, विशेष रूप से जनजाति उप योजना क्षेत्र में गरीब काश्तकारों द्वारा अपनी जीविकोपार्जन के लिए वन भूमि पर कब्जे कर खेती का कार्य लम्बे अरसे से किया जाता रहा है। जिस वन भूमि पर कब्जे किये हैं वहां कब्जे के पहले से ही किसी प्रकार के पेड़-पौधे नहीं थे।

1980 से पूर्व के कब्जों का नियमन करने के सम्बन्ध में राज्यादेश जारी होने के बावजूद भी अभी तक कब्जों के नियमितीकरण का कार्य नहीं हुआ है जिससे कई लोग व संस्थाएं इन भोले-भाले लोगों को गुमराह करके एवं नियमन कराने के नाम पर पैसे ऐंठते रहे हैं एवं वन विभाग के लोग भी इन कब्जेधारियों को आए दिन परेशान करते रहते हैं। उदयपुर संभाग में तो मकानों, कुओं आदि को भी परकोटे में लेकर उनकी जमीनों में खड्डे कर पेड़ लगाकर उन्हें भूखों मरने पर मजबूर किया जा रहा है।

कुछ स्वार्थी संगठन, राजनीतिक दल आए दिन इन लोगों द्वारा प्रदर्शन आदि करवाकर कानूनी उलझनों में उलझा रहे हैं। मेरा इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह है कि

( श्री महावीर भगोरा )

विशेष अभियान चलाकर बचे हुए प्रकरणों की जांच करवाकर मामलों का निपटारा कराया जाये ताकि गरीब काश्तकारों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री किशनाराम जी।

## दुलपुरा (गंगानगर) औषधालय के लापता वैद्य श्री महावीर स्वामी की खोज

**श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 295 के तहत इस सदन का माननीय गृह मंत्री तथा माननीय आयुर्वेद मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, वैद्य श्री महावीर स्वामी, जो कि वर्तमान में राजकीय आयुर्वेद औषधालय दुलपुरा जिला गंगानगर में पदस्थापित हैं, दिनांक 26.2.1997 से लापता हैं जिनका आज तक पुलिस पता नहीं लगा पायी है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में श्री स्वामी समाज सभा, श्रीगंगानगर के प्रधान ने दिनांक 11.3.97 को एवं उनके पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी 199 जी ब्लॉक, गंगानगर ने दिनांक 4.3.1997 को पुलिस थाना कोतवाली गंगानगर में सूचना दी। राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सक वैलफेयर एसोसिएशन शाखा गंगानगर ने दिनांक 6.3.1997 को जिलाधीश, गंगानगर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, गंगानगर से गुमशुदा व्यक्ति की फोटो सहित श्री स्वामी के बारे में बताने हेतु सूचना दी। विधायक श्री बनवारी लाल भिण्डा, जिनके विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कायमसर के श्री स्वामी निवासी हैं, ने दिनांक 11.3.1997 को गृह मंत्री को पत्र लिखा। जिला आयुर्वेद अधिकारी, गंगानगर ने भी दिनांक 5.3.1997 को पुलिस अधीक्षक, गंगानगर को श्री स्वामी का पता लगाने हेतु प्रार्थना की तथा मुझे भी श्री स्वामी समाज के प्रधान ने उचित कार्यवाही हेतु प्रार्थना की।

महोदय, इतना होने के बाद भी श्री स्वामी का आज तक पता नहीं चल पाया है जो कि बड़े शर्म और दुःख की बात है। अतः इस प्रस्ताव के तहत मेरा दोनों मंत्रियों से इस सम्बन्ध में विशेष आग्रह है कि श्री स्वामी का तत्काल पता लगाने की शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री पराक्रम सिंहजी।

## बापी ग्राम, थाना सैंथल के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अशांति फैलाना

**श्री पराक्रम सिंह** (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिला दौसा थाना सैंथल के गांव बापी में विगत तीन-चार वर्षों से कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने, जिनमें मुख्यतः श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र श्री श्रवण तथा श्री द्वारका श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा एवं परिवार के अन्य लोग हैं, अशांति फैल रखी है तथा आए दिन

( श्री पराक्रम सिंह )

कमजोर लोगों की जमीन-जायदाद को अपनी आदत के मुताबिक नाजायज रूप से हड़प लेते हैं। उक्त गिरोह द्वारा गांव के लोगों को इस कदर परेशान कर रखा है कि उन गरीब लोगों का गांव में रहना मुश्किल कर रखा है। हमेशा उनको जान -माल का खतरा बना रहता है। गरीबों को उक्त असामाजिक तत्वों की परेशानी से आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा हो रही है। उक्त आदतन अपराधियों के खिलाफ थाने में विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त रहने पर आठ दस मुकदमे दर्ज हैं। जिनमें सड़क निर्माण के कार्य को अवरुद्ध कर राजकार्य में बाधा डालना, नहर का पानी रोककर काश्तकारों की फसल सुखा देना, चरागाह एवं आम रास्तों पर अतिक्रमण करना, भू-माफिया गिरोह के रूप में गरीब लोगों के मकान, पाटोल तथा बाड़ों पर कब्जा करना, नाजायज रूप से गांव में लोगों को जान से मारने की धमकियां देना तथा डाराना, धमकाना तथा हर किसी को बेवजह गाली-गलौच करके शांति भंग करना, लोकसभा, विधान सभा तथा ग्राम पंचायतों के चुनावों में मतदाताओं को मतदान करने से डरा-धमकाकर रोकना, ग्राम पंचायत की मीटिंग के दौरान लोक सेवकों व जन प्रतिनिधियों (पंचों एवं सरपंचों) के साथ मारपीट करना तथा डरा-धमकाकर राज कार्य में बाधा डालना आदि हैं। इसके सम्बन्ध में गांव की जनता द्वारा अत्याधिक परेशान होकर समय-समय पर जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों को भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जा चुका है। दिनांक 8 जनवरी, 1997 को ग्राम पंचायत की मीटिंग ग्राम बापी के सरपंच महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हो रही थी, मीटिंग में गांव की जनता अपनी-अपनी समस्या काम के लिए शान्ति से बैठी थी। पंचायत की कोरम के समक्ष पंचायत अपना काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक मीटिंग कार्यकाल में घुसकर आदतन अपराधियों (हिस्ट्रीशीटर) ने एक राय होकर सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की मीटिंग में बैठी कोरम (लोक सेवक) तथा गांव के लोगों पर सुनिश्चित योजना के तहत गन्दी-गन्दी गालियां निकालते हुए जान से मारने के लिए लाठियों तथा पत्थरों से, लात घूंसों से हमला कर दिया और मारने लगे जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरान्त आज तक उक्त अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी जिससे उन्होंने बुलन्द हौसले के साथ अशान्ति फैला रखी है और खुले बस स्टैण्ड पर सारे दिन-रात घूमते फिरते हैं।

गांव की जनता उक्त आदतन अपराधियों द्वारा किये अपराध को थाने तक पहुंचाने एवं गवाह अपने बयान इनके भय से देने में हिचकते हैं और अपने ऊपर अपराध, जुल्म सहते रहते हैं। उक्त अपराधियों में बस स्टैण्ड पर दो-तीन वर्षों से अपना अड्डा बना रखा है। बस स्टैण्ड पर ही लोगों को डराते-धमकाते हैं तथा एक-दूसरे को आपस

( श्री पराक्रम सिंह )

में लड़ाई झगड़ों में फंसाकर झूठे केस (मुकदमे) करके परेशान करते हैं। उक्त अपराधियों ने गांव में किसी भी व्यक्ति के साथ जान-माल का खतरा पैदा कर रखा है तथा गांव में अशान्ति व्याप्त है। उक्त शख्स, गिरोह अपने राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव तथा लाठियों के बल से लोगों के खिलाफ झूंठी एफ.आई.आर. दर्ज कराकर डराते धमकाते रहते हैं। वे गिरोह अपने साथ 2-3 व्यक्ति ऐसे रखते हैं जिनसे पैसे खिलाकर एवं डराकर थाने में झूठे बयान कराने की कोशिश में रहते हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से उक्त स्थिति को देखते हुए इस गंभीर आतंकवादी प्रवृत्ति की रोकथाम एवं अपराधियों के खिलाफ अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

## याचिकाओं का उपस्थापन

**श्री अध्यक्ष :** याचिकाओं का उपस्थापन। माननीय श्री महावीरजी भगोरा, सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

**श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं : —

**गोगुन्दा पंचायत समिति के ग्राम गुन्दाली के पालछ आदि के बांधों क निर्माण।**

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा के ग्राम गुन्दाली के पालछ, बेकुड़ी एनीकट एवं धामाणिया रूपण माता बांधों के निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

**उदयपुर जिले की पंचायत समिति गोगुन्दा के रावछ में उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण।**

(2) उदयपुर जिले की पंचायत समिति गोगुन्दा के पंचायत मुख्यालय रावछ में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

**श्री अध्यक्ष :** आय-व्ययक (बजट) 1997-98, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, अनुदान की मांग संख्या - 21 सड़कें एवं पुल तथा माननीय श्री मदन जी दिलावर, समाज कल्याण राज्य मंत्री, अनुदान की मांग संख्या - 33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। माननीय चतुर्वेदी साहब।

## अनुदान की मांग

## मांग संख्या - 21 , सड़कें एवं पुल एवं मांग संख्या-33 ,

## सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या - 21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,58,51,53,000/- (तीन अरब अठावन करोड़ इक्यावन लाख तिरेपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या - 33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 01,98,14,12,000/- (एक अरब अठानवे करोड़ चौदह लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

## मांग संख्या- 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए,

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) :

1. पंचायत मुख्यालय तख्तपुरा जिसकी 1991 में जनसंख्या 1600 है को प्राथमिकता से सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. स्टेट हाइवे नम्बर 6 ए का शुभलाई से अजीतनामा पंचायत मुख्यालय के मिसिंग लिंक को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 के पंचायत मुख्यालय धीरेरा से पंचायत मुख्यालय खियेरा (जहां रामदेव जी का वार्षिक मेला लगता है) तक 6 कि.मी. ग्रेवल रोड को मेंटीनेंस लिस्ट पर लेने बावत चर्चा के लिए।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) :

4. उदयपुर से निकलने वाले सभी राज्य मार्गों पर अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. उदयपुर में आयड़ नदी पर सुभाष नगर से आयड़, भूपालपुरा से खारा कुआ जाने हेतु सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. नेशनल हाइवे नं. 8 पर जवाजा से देवगढ़ तक टूटी-फूटी सड़क को ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. उदयपुर नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई सड़कों को टेलीफोन विभाग व पेयजल विभाग द्वारा बार-बार खोद देने से सड़कों की हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

8. उदयपुर नगर में सेवा आश्रम चौराहे के पास रेल्वे लाइन पर ओवर ब्रिज न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :**

9. सिरोही तहसील के गांव मुंडवारियां को बस स्टैण्ड से गांव तक जोड़ने हेतु आधा किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. सिरोही तहसील के गांव गोईली से गांव पीपलकी तक सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. श्री काम्बेश्वर महादेव तहसील शिवगंज के अति प्राचीन महत्व के मन्दिर तथा अनेकों गांवों को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. जोगापुर तहसील शिवगंज से वाडका एवं जेतपुरा से केसरपुरा तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. खेजड़िया से गोडाना तहसील शिवगंज की रपट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :**

14. राज्य की सड़कों को तहसील, जिला, अन्तरराज्यीय सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. सड़क नीति के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालय व एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. मुख्य मार्गों पर पुलियाओं के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

17. राज्य में सड़कों पर होने वाले अतिक्रमणों की रोकथाम के अभाव से होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. पहाड़ी व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव व सुधारीकरण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :**

19. ब्यावर अन्धेरी देवरी सड़क को चौड़ी कर पेवर रोड व पंचायत कोटड़ा (ब्यावर क्षेत्र) से सिलेबेरी-दर्जी का फाटक तक सड़क एवं गाफा लिंक रोड से संख्या अधूरी सड़क बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में अरनाली से बराखन तक पेवर रोड को पूरी कराने एवं ब्यावर से किशनपुरा पेवर रोड को किशनपुरा से कोटड़ा, कावरा नेशनल हाईवे नं. 8 तक सड़क पेवर रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

21. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की बरासन-कण्टालिया बोर्डर तक अधूरी सड़क को पूरी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री नारायण लाल** (लसाडिया) :

22. बान्सी धारियावद-धरियावाद से लसाड़िया, कूण से फीला आदि सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) :

23. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सुनेल-रायपुर मार्ग पर जोनपुरा से कड़ोदिया तक रोड को रिपेयर एवं पुलिया निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में कोटड़ी से सिलेगढ़ तक वाया खरपा कला, गेलानी, गेलाना अन्तरराज्यीय मार्ग को पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में अन्तरराज्यीय मार्ग पिड़ावा सोयत पर पिड़ावा के पास की नदी (नाला) पर निर्मित रपट को लगभग 10 फीट ऊंचा कर एक छोटी पुलिया का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सिरपोई पंचायत मुख्यालय से बोली या बुजुर्ग पंचायत मुख्यालय लगभग 5 किलोमीटर तक मिट्टी के कार्य पर ग्रेवल एवं मिट्टी कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सुनेल-पटेल मार्ग पर सामिया के नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने व इसी रोड पर सुनेल से सलोतिया व पाटन से श्यामपुरा तक पेच वर्क कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) :

28. विडावल, मोरोला, खंजूरी सड़क पर पुलिया का निर्माण व सड़क का निर्माण पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. करावली से खैराड़ सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. सलूम्बर उपखण्ड क्षेत्र में वर्ष 1996-97 तक सड़क निर्माण कार्य आवश्यकतानुसार नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. जगत से गिगला मार्ग पर सड़क पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. जगत से झामोत्र्र जी मार्ग पर सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) :

33. बून्दी जिले में सड़कों एवं पुलों का नवनिर्माण एवं अधूरे कार्यों को पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) :

34. केशवारायपाटन क्षेत्र में बोरदा का छियानू से केबारपुरा, जेथल से झालोजी का

( श्री मांगीलाल मेघवाल )

वराना तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. कोटा-लाखेरी राज्य स्तरीय सड़कों को चौड़ा एवं मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. केशवरायपाटन (बून्दी) क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में आवागमन के रास्तों पर पड़ने वाली छोटी-छोटी पुलिया एवं कॉजवे न होने से जनता को हो रही भारी असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. कोटा व बून्दी जिलों को जोड़ने वाली रोटेदा-मन्डावरा पुल के अभाव में जनता को हो रही पेरशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. केशवरायपाटन (बून्दी) क्षेत्र में विभागीय सड़कें, आश्वासित रोजगार मद से सड़कें एवं डांग विकास योजना से बन रही सड़कों के कार्य में शिथिलता एवं कार्य की गुणवत्ता को जांच में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (फागी) :

39. रोटवाड़ा से लक्ष्मीनारायणपुरा 2.5 किलोमीटर का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. निमेड़ा-पारली रोड पर 13 किलोमीटर व मॉसी नदी पर पुलिया निर्माण नहीं होने से यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिये।

**श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) :

41. बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) :

42. लोटियाण से मंडेसरा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ सड़क एवं ब्राह्मणी नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. चित्तौड़गढ़-बून्दी रोड से दुगार और महेसरा सम्पर्क सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. आमल्दा से चरछा राजस्थान की सीमा तक रोड पर पड़ने वाली ब्राह्मणी नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. भैंरूघाटी से नन्दबाई सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. पंचायत मुख्यालय गोपालपुरा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ को सम्पर्क सड़क एवं बोराव के पास ब्राह्मणी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कमल** (हिण्डौन) :

47. गम्भीर नदी पर कॉजवे कटकड़ की बजाय श्री महावीर जी में निर्मित कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

( श्री कमल )

48. हिण्डौन खरैटा सड़क पर कॉजवे निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

49. हिण्डौन-वयाना सड़क पर जगर नदी पर पुल या कॉजवे निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में जगर, बाजना कला आदि पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. करौली-भिवाड़ी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग को रोकने एवं विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) :

52. झुंझुनूं से उदयपुरवाटी तक की सड़क को चौड़ा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. झुंझुनूं जिले में सड़कों की लम्बाई को देखते हुए एक और अधिशासी अभियन्ता डिवीजन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. झुंझुनूं जिले में सड़कों के रख-रखाव तथा वर्षा एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत हेतु समुचित राशि आबंटित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र की सड़कों की हालत सुधारने तथा उन पर डामर डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. झुंझुनूं जिले में बागौली के पास काटली नदी पर सड़क मरम्मत का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) :

57. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्वीकृत नाबार्ड सड़कों को कोटखावदा से रामनगर, कोटखावदा से झांपदा का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पंचायत समिति हैड क्वार्टरों को डामर की सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. पाटन से चूड़ला (बस्सी) मिसिंग लिंक रोड को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गरूडवासी तक सड़क मार्ग पर ढूंढ नदी पर कॉजवे नहीं बनाने से लोगों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विभिन्न विभागों द्वारा अर्थ वर्क व डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य जिन सड़कों पर हुआ है उन पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) :

62. कुरज गांव के पास बनास नदी पर पुलिया निर्माण के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (मांडलगढ़) :

63. माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त विभिन्न सड़कों को अविलम्ब ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती उज्वला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण):

**श्री मूलसिंह शेखावत** (झुन्झुनूं) :

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) :

64. जयसिंहपुरा खोर से विभाग की सड़कों के तेज बरसात में टूट जाने पर भी समय पर सुधार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. राज्य की सड़कों के रख-रखाव की आवश्यकता में की जा रही शिथिलता से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

## मांग संख्या–33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) :

1. उदयपुर जिले में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति देने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

2. उदयपुर जिले में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को बीस सूत्री कार्यक्रम, विशेष एकीकृत योजना आदि की सभी का समुचित लाभ नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. समाज कल्याण द्वारा संचालित होस्टल्स की इमारतों की मरम्मत एवं रख-रखाव कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

4. राजकीय छात्रावास अनुसूचित जाति, स्वच्छकार, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति के छात्रावास में अपेक्षित सुविधाओं की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. सामाजिक उत्थान और सुरक्षा योजना का समुचित लाभ सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) :

6. विभाग में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समुचित राशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. राजस्थान अनुसूचित जन जाति फाइनेन्स फेडरेशन द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. अनुसूचित जाति जन जाति के छात्रावासों में कठिन विषयों के कोचिंग की अपर्याप्त व्यवस्था से छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. राज्य में अनुसूचित जाति जन जाति के छात्रावास अधीक्षक के पद लम्बे समय

( श्री महावीर भगोरा )
से रिक्त चले आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. राज्य में अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रावासों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) :

11. सलूम्बर क्षेत्र में सामाजिक कल्याण केन्द्रों की प्रभावी भूमिका की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) :

12. समाज के असहाय एवं दलित वर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से थानों में इसी वर्ग के लोगों को अनुपात में नियुक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की स्थिति सुधारने के प्रयास न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. ग्रामीण अंचलों में समाज के गरीब तबकों के लोगों एवं दलित वर्ग एवं उपेक्षित लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु आर्थिक योजनाओं का विशेष अभियान चला कर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. समाज के उपेक्षित लोगों को निजी संस्थाओं में भी आरक्षण का लाभ दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. पंचायती राज के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को दिये जा रहे अनुदान एवं ऋण सुविधाओं के नियमों के सरलीकरण करने एवं निरीक्षण व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) :

17. बेगूं में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन निर्माण में आ रही बाधा को दूर कर निर्माण कार्य शीघ्र चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. मंडेसरा पं. स. भैंसरोडगढ़ में आश्रम छात्रावास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) :

19. झुन्झुनूं जिले में वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत कोई स्वीकृतियां जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. झुन्झुनूं ज़िले में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निराशाजनक प्रगति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) :

21. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वृद्धा आश्रम स्वीकृत कर संचालित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. प्रदेश में मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की समुचित सार-संभाल विभाग

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

द्वारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. 60 वर्ष से ज्यादा आयु के वृद्धों को विभाग द्वारा सहायता न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. बालिका छात्रावास, ग्राम झर तहसील बस्सी जिला जयपुर की जीर्ण शीर्ण अवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) :

25. राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति को सामाजिक कुरीतियों से बचाने हेतु आवश्यक शिक्षा दिलवाये जाने में विभाग की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (मांडलगढ़) :

26. समाज कल्याण विभाग के महिला सदन, बालिका सदन में शादी योग्य युवतियों, महिलाओं की योग्य व्यक्तियों से शादी कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

**श्री मूलसिंह शेखावत** (झुन्झुनूं) :

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) :

27. अनुसूचित जाति/जनजातियों के कल्याण हेतु आबंटित राशि को समय पर व्यय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

## मांग संख्या - 21 एवं 33 पर विचार

**श्री अध्यक्ष** : श्री रमाकान्त शर्मा।

**श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सड़कें एवं पुल तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की मांगें हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं, बहुत जागरूक हैं, सबसे ज्यादा प्रवास करते हैं, एक इंच भी राजस्थान की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो इन्होंने बार-बार नहीं देखी हो और सड़कों के बारे में प्रारम्भ से ही बहुत चिन्तित हैं। सच बात तो यह है कि बाकी सब मंत्री किसी न किसी सीमित चीज के हैं, ये सार्वजनिक मंत्री हैं, एक ही विभाग है जो सार्वजनिक विभाग है, अन्य विभाग सार्वजनिक नहीं हैं। चूंकि आप जागरूक हैं, हमें सुनते हैं इसलिए कहीं बीच में आलोचना के अन्दर आवेश आ जाए तो मुझे क्षमा करेंगे।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : क्षमा कर दिया।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के बारे में, कि वह देश कितना प्रगति कर रहा है, कितना प्रगतिशील है, कितनी उसकी समृद्धि है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस देश के विकास के बारे में जानना चाहे, प्रगति के बारे में जानना चाहे तो वहां की यातायात और संचार व्यवस्था क्या है, इसी से सारे देश का नक्शा

( श्री रमाकान्त शर्मा )

बनता है। जिस देश की यातायात व्यवस्था और सचांर व्यवस्था अच्छी होती है, उस देश के अन्दर चाहे उद्योग की बात हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे सामाजिक सेवाओं की बात हो, वह सारे उसी अनुपात के अन्दर प्रगतिशील होते हैं जिस अनुपात में यातायात की व्यवस्था होती है। और जिस देश के अन्दर यातायात और सड़कों की व्यवस्था नहीं होती है, वह देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। इसी प्रकार देश के साथ-साथ राज्य की बात है। एक राज्य बहुत ज्यादा प्रगति कर जाता है तो आप अच्छी तरह से देखेंगे कि उस राज्य की सड़कें सबसे ज्यादा हैं। उस राज्य के अन्दर कहीं पर यदि हम कोई औद्योगिक नगरी खोल दें और वहां पर सड़क नहीं हों, टेलीफोन नहीं हों तो वह औद्योगिक नगरी बन तो जाएगी परन्तु पनप नहीं सकेगी और यदि पनपी हुई होगी तो नष्ट हो जायेगी, बन्द हो जायेगी। तो जहां सड़क होती है और जहां सड़क नहीं होती है, इसका अन्दाज हर चीज के अन्दर बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है।

मैं आपको दो उदाहरण अर्ज़ करना पसन्द करूंगा। एक सड़क जाती है, जयपुर से दिल्ली। जिस सड़क पर पहले मेरे देखते-देखते कुछ नहीं हुआ करता था। जब मैं रीको के अन्दर काम करता था। माननीय सुजान सिंह जी को पता है, उस समय मैंने बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को यह निवेदन किया कि आप सूती मिल जो लगाना चाहते हैं, उसको बहरोड़ में लगा दीजिये। उस समय वह सड़क इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जयपुर छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज स्थिति यह है कि जयपुर से दिल्ली रोड पर और इसके आस पास की जगहों पर उद्योगों की भरमार लगी हुई है। गांव प्रागपुरा पावटा, जहां पर जरा सी, छोटी सी दुकान तो दूर रही, पानी पिलाने के लिए आदमी नहीं हुआ करता था, आज उसका बड़ी नगरी के रूप में विकास हो गया है। इसी प्रकार से दूसरा जो नेशनल हाई-वे है, आबूरोड से अहमदाबाद सड़क जाती है, वहां आप देखें तो दायें बायें उद्योग ही उद्योग नजर आते हैं। तो उद्योगों के अन्दर या व्यापार के अन्दर विकास करना ही है तो सड़क अत्यन्त आवश्यक है। यही बात खेती के बारे में भी है। जिस आदमी का खेत सड़क के किनारे हो तो आज तीन लाख रुपये, चार लाख रुपये और पांच लाख रुपये बीघा मांगता है और यदि उसका खेत सड़क से कुल मिलाकर आधा किलोमीटर भीतर हो तो पांच हजार रुपये बीघा पर ही रह जाता है। सड़क से खेती के मामले में न केवल खेती की कैपिटल कीमतें बढ़ती हैं बल्कि खेती का जो उत्पादन होता है उस उत्पादन की भी उसको अच्छी कीमत मिलती है।

इसी प्रकार से खेती या व्यापार की ही

( श्री रमाकान्त शर्मा )

बात नहीं है, चिकित्सा एवं शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। हम कहीं पर प्राइमरी हैल्थ सेण्टर खुलवा दें और सड़क, बिजली नहीं है वहां पर तो बिजली नहीं हो तो चल जाता है लेकिन आने जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है तो डाक्टर साहब वहां जाते ही नहीं हैं और घर बैठे ही हाजिरी लगवा देते हैं। मास्टरजी भी नहीं जाते हैं वहां पर। किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी नौकर वहां नहीं जाता है। ऐसे गांवों के अन्दर जो सड़क और यातायात से अच्छी तरह से नहीं जुड़े हुए हैं, व्यवस्था कर देने के बाद भी व्यवस्था का विकास नहीं हो पाता है क्यों कि आदमी जो वहां काम करने वाले हैं, वहां जाना नहीं चाहते हैं और यदि सड़क अच्छी है, वह अप-डाउन कर सकें तो उन गांवों के अन्दर सामाजिक सेवाएं हैं, सामुदायिक विकास की सेवाएं हैं, चिकित्सा की स्वास्थ्य की सेवाएं तथा अन्य सेवाएं प्रगति करती हैं।

राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक प्रगति प्रतिवेदन दिया है। इस प्रतिवेदन के अन्दर लिखा है कि सौ स्क्वायर किलोमीटर में भारतवर्ष के अन्दर 66.9 किलोमीटर सड़क हैं। यह भारतवर्ष की एवरेज है और राजस्थान की एवरेज कुल मिलाकर 38 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष के अन्दर बहुत सारे पिछड़े इलाके भी हैं, बहुत सारे पिछड़े राज्य हैं, हमसे भी पिछड़े राज्य हैं, वह सब भी इस एवरेज के अन्दर शामिल हैं। अब आप यह देखिए कि जो नार्थ ईस्ट के इलाके हैं, बिलकुल गहन पहाड़ों जो के अन्दर हैं, वह भी शामिल हैं, उड़ीसा जो बहुत पिछड़ा हुआ है या आसाम जो पिछड़ा हुआ है वह भी इसमें शामिल है। उसके बावजूद सारे हिन्दुस्तान की जो एवरेज है वह 66.9 है। उस एवरेज के मुकाबले राजस्थान का एवरेज 38 है। यदि सड़कों के अन्दर यह एवरेज 38 है तो मैं समझता हूं कि जो हम देश के अन्दर अग्रणी राज्य बनना चाहते हैं वह अग्रणी राज्य बन पाने के अन्दर हमको बहुत साल लग जाएंगे। हम कल्पना ही करते रहेंगे और 2011, 2017 की बात करते रहेंगे। वह इसी तरह की बात होगी कि दस वर्ष के अन्दर गरीबी हटाएंगे, गरीबी कभी हटेगी नहीं, दस वर्ष के बजाय कई दस वर्ष आ जाएंगे। यदि हमने सड़कों के बारे में ध्यान नहीं दिया, जो कि प्रगति की पहली और अन्तिम सीढ़ी है, उसको जब सामने देखते हैं 66 और 38 तो बहुत ही अजीब तरह की परेशानी होती है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर यह जो इन्डीकेटर है, यह स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिये हुए हैं। पापुलेशन के हिसाब से किसी भी जगह यह इन्डीकेटर सही द्योतक नहीं है। इन्डीकेटर के अन्दर देखना पड़ता है। अब आप इन्डीकेटर की बात करते हैं, नेशनल हाई-वे राजस्थान

( श्री रमाकान्त शर्मा )

के अन्दर चार पांच हैं परन्तु जितना ट्रैफिक जयपुर दिल्ली हाई-वे पर है उतना ट्रैफिक जयपुर बीकानेर पर नहीं है, उतना ट्रैफिक जयपुर आगरा पर नहीं है। अब नेशनल हाई वेज की बात करें और पांचों नेशनल हाई-वेज को हम कम्पेयर करें तो सही मायनों के अन्दर कम्पेयर नहीं कर सकते।

यदि किसी जगह अच्छी तरह से यह जानना चाहें कि वहां यातायात की सुविधाएं कितनी हैं और सड़कें पर्याप्त हैं या नहीं हैं तो उस क्षेत्र का जो पोटेन्शियल है वह भी देखना पड़ेगा और क्षेत्र की इस समय जो व्यवस्था है, इस समय जो स्थिति है, वह भी देखनी पड़ेगी। यह भी देखना पड़ेगा कि वहां पर कृषि उत्पादन कितना है। यदि कृषि उत्पादन ज्यादा है और उसके लिए सड़क नहीं है तो नेचुरली यह कृषि उत्पादन गिरता चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि वहां पोटेन्शियल है कृषि उत्पादन का और सड़क नहीं है तो वह पोटेन्शियल कभी बल नहीं पा सकेगा। तो हमें यह देखना होगा कि वहां पर कृषि की उपज क्या है।

वहां पर हमको खनिज का मामला देखना पड़ेगा कि वहां पर कितने खनिज हैं और उन खनिजों का अच्छी तरह से दोहन होकर वह मण्डी के अन्दर जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, उन खनिजों के आधार पर वहां पर जो सैकेण्डरी डवलपमेंट होने का है, वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसका क्या पोटेन्शियल है।

हमको उद्योगों के बारे में देखना पड़ेगा। उद्योगों के कारण जो ट्रैफिक बढ़ता है उसको देखना पड़ेगा। तो यह काम्पलीकेटेड चीजें हैं। इन्डीकेटर जब ही सही तरीके से द्योतक हो सकते हैं जब यह फाइव वेरिएबल्स और सिक्स वेरिएबल्स हैं इन सबको अपन कम्प्यूटर के द्वारा देखकर और उसका पोटेन्शियल देखकर फिर उसके बारे में हम चिन्ता करें कि कहां पर सड़क बननी चाहिए और कहां पर सड़कों की कमी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह 38 है, हमारे राजस्थान का, इससे जिस प्रगति पर हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वहां इन सब इन्डीकेटर्स को देखें तो वहां नहीं पहुंच सकेंगे। हमने साधारण तरीके से कह रखा है कि हजार की आबादी पर या पांच सौ की आबादी पर या सात सौ की आबादी पर हम सड़क बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। राजस्थान के अन्दर वास्तव में जो हम आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं, सही मायने के अन्दर, सही तरीके से, सही दिशा के अन्दर वह आर्थिक प्रगति नहीं हो सकेगी और असमानता बढ़ती चली जाएगी यदि केवल मात्र आपने जनसंख्या को या क्षेत्र को अपना इन्डीकेटर या आधार बनाया तो, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

इस प्रगति विवरण के अन्दर मैंने देखा कि अलवर में डामर की सड़कें 2088 किलोमीटर हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को

( श्री रमाकान्त शर्मा )

इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। परन्तु थानागाजी क्षेत्र अलवर का 1/9 वां हिस्सा है, यद्यपि पंचायत समिति 14 हैं और तहसील 10 हैं पर क्षेत्र के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से 1/9 है और 1/9 के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या वहां पर 300 किलोमीटर सड़कें हैं।

**श्री अध्यक्ष :** दो हजार में तो दो सौ, सवा दो सौ ही आएगी ना। तीन सौ क्यों गिन रहे हो आप ?

**श्री रमाकान्त शर्मा :** 2088 के अन्दर नौ का भाग दीजिए, अध्यक्ष महोदय। दस का भाग दें तो 208 हो जाता है, नौ का भाग दें तो पता चल जाएगा कितनी हो जाती है। खैर, मैं राउण्ड फिगर मैं अर्ज कर रहा था। आप सही कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप 250 मानें या कुछ भी मानें वह देख लें कि इतना है क्या। यह एक ऐसी स्थिति है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर इस प्रकार की असमानता पैदा होती है और समाजवादी व्यवस्था के अन्दर दुर्भाग्य यह है कि स्पर्धा नहीं होती इसलिए समाजवादी व्यवस्था फेल हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था कई मामलों में स्पर्धा होने के कारण सर्वाइवल आफ दी फिटेस्ट होने के कारण से अग्रणी हो जाती है पर पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर असमानता अत्यन्त स्वाभाविक है। असमानता मनुष्य के लिए पैदा होती है, असमानता समाज के अन्दर पैदा होती है, असमानता क्षेत्र के अन्दर पैदा होती है पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर। पूंजीवादी व्यवस्था से बहुत सारे जो गरीब आदमी हैं वह घृणा इसलिए करते हैं कि उन गरीब आदमियों के पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्दर पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर इनहेरेंट इस तरह की स्थिति है कि वह और पिछड़ता चला जाता है चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जाति हो और चाहे कोई क्षेत्र हो। समाजवादी व्यवस्था के अन्दर सभी लोगों का ख्याल रखा जाता है, परन्तु ज्यों ज्यों समाज के कुछ लोग ताकत पकड़ते हैं, आर्थिक ताकत पकड़ते हैं तो फिर वह समाजवादी व्यवस्था को बिलकुल छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था में आते हैं। उस समय पूंजीवादी व्यवस्था का जो निश्चित परिणाम है उस परिणाम को थानागाजी भुगत रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं इस परिणाम को देखिये, यद्यपि आज यह रेलेवेंट नहीं है, कृषि उपज मण्डी ने पिछले तीन साल के अन्दर नयी सरकार आई है तब से एक इंच सड़क नहीं बनाई। कोई कारण नहीं बता सकते वह, मैंने पूछा था कल मंत्री महोदय से। यहां भाषण देने की मेरी आदत नहीं है। मैं कहां-कहां तक किन-किन चीजों के बारे में निवेदन करूं। यह निवेदन करना केवल मात्र रिकार्ड के लिए वरना होता तो वही है जो होना होता है।

**श्री कैलाश मेघवाल :** आप अच्छा भाषण देते हैं।

**श्री रमाकान्त शर्मा :** बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेदन यह है कि तीन वर्ष के अन्दर एक इंच भी नहीं बनायी। राजस्थान भर में सबसे अच्छी यदि कोई मण्डी काम कर रही है तो अलवर की मण्डी है और अलवर की मण्डी के अन्दर सबसे ज्यादा योगदान है तो थानागाजी क्षेत्र का है क्योंकि बाकी तो दूसरे क्षेत्र में खैरथल चला जाता है, उधर की तरफ कठूमर में चला जाता है। जितनी थानागाजी की उपज है वह सारी उपज अलवर के अन्दर आती है। अलवर के अन्दर सरप्लस पैसा है और उन कृषि उपज मण्डी क्षेत्रों के अन्दर जहां अगले बीस वर्ष तक प्लस में नहीं होने वाला है वहां पर सड़क इतनी बना दी कि अगले तीस वर्ष के अन्दर भी वह पैसा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार की असमानता पूंजीवादी व्यवस्था का काम है। इस प्रकार की असमानता जो पैदा होती है वह इसलिए पैदा होती है कि जो पिछड़ा इलाका है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, उसकी बात नहीं सुनी जाती।

इसी तरह से जिस प्रकार हिन्दुस्तान में खनिजों के अन्दर राजस्थान और बिहार का स्थान है उसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर खनिजों के मामले में अलवर का स्थान है और अलवर के अन्दर थानागाजी का स्थान है। थानागाजी के कोने कोने के अन्दर किसी न किसी प्रकार का खनिज निकलता है। थानागाजी के अन्दर जितना मार्बल निकलता है। मैं समझता हूं सारी इटली के अन्दर उतना नहीं है। परन्तु थानागाजी का मार्बल, थानागाजी का ग्रेनाइट तरक्की नहीं कर सका। दूसरे क्षेत्रों का जहां तरक्की कर सका उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। भगवान करे आज है उससे सौ गुणा और तरक्की करें, वह भी मेरे राजस्थान के ही हिस्से हैं। इसलिए मेरी काम्पीटिशन की भावना नहीं है परन्तु यातायात व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहां से ट्रक लोड होकर के जो सामान मण्डी में जाने का है, वह नहीं जा पाता जैसे किशनगढ़ के अन्दर फैक्ट्री डवलप हो गयी, उदयपुर के अन्दर फैक्ट्री डवलप हो गयी, जयपुर के अन्दर कोई लेना-देना नहीं है, जयपुर में फैक्ट्री डवलप हो गयी, शाहपुरा में फैक्ट्री डवलप हो गयी और जहां मार्बल और ग्रेनाइट दोनों प्रचुर मात्रा में बढ़िया क्वालिटी का पैदा होता है वहां पर वह डवलप नहीं हो पायी और वहां के लोगों को एक कृत्रिम दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार खनिज विभाग जब वहां से इतनी रायल्टी प्राप्त करता है, जब वहां इतना ज्यादा पोटेन्शियल है तो फिर खनिज विभाग वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. को सड़क बनाने के लिए क्यों नहीं पैसा देता खनिज विभाग को चाहिए कि कुछ पैसा वहां पर दे। इससे उनकी खुद की तरक्की होगी।

( श्री रमाकान्त शर्मा )

जैसी बात आ रही थी बजट के जनरल भाषण के अन्दर कि हमारे सकल घरेलू उत्पादन का एक खास हिस्सा, चाहे वह डेढ़, दो या तीन पर्सेण्ट हो, करों के रूप में हम को मिलना चाहिए। वह करों के रूप में जब ही मिलेगा जब हमारा जो राजस्व व्यय है, हमारा जो कैपिटल व्यय है वह कैपिटल व्यय उन कामों के अन्दर खर्च हो, उन चीजों के अन्दर खर्च हो जिनसे कि रिटर्न ज्यादा हो। मैं इस बात को विस्तार में जिस समय एप्रोप्रिएशन बिल आएगा उस समय निवेदन करूंगा। परन्तु राजस्थान सरकार, वित्त विभाग सोच रहा है कि हम एक धनराशि डिपोजिट के अन्दर जमा कर देंगे और उसके ब्याज से जो हम ऋण लेते रहेंगे उसका ब्याज जमा कराएंगे, अध्यक्ष महोदय, किसी भी उद्योग की आप बैलेन्स शीट अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उस बैलेन्स शीट में यह पता चले कि उस उद्योगपति ने इतना रुपया बैंक में या किसी दूसरी जगह फिक्स डिपोजिट में जमा कर रखा है और अनयूटिलाइज्ड है तो वह अर्थव्यवस्था के अन्दर उद्योग बहुत ही थर्ड क्लास समझा जाता है। उद्योग तो वह अच्छा समझा जाता है जो ज़्यादा से ज्यादा ऋण लेकर के उत्पादक कार्यों के अन्दर लगाकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करे। हमारे इन्वेस्टमेंट के अन्दर इस तरह की चीज होनी चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट से इतनी धनराशि वापस आनी चाहिए कि हम अपने ऋण का पैसा, जो ब्याज है वह चुका सकें। जहां पोटेन्शियल होता है, हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के बारे में कोई बोलने वाला नहीं होता। हमारे दुर्भाग्य की बात है कि अलवर के इतने मंत्री बने, शुरू से लेकर आज तक 1950 से लेकर आज तक पूरे जिले के बारे में किसी भी मंत्री ने नहीं सोचा। जो अपने गांव में पैदा हुए हैं उस गांव से दूसरी जगह इनको क्षितिज ही दिखायी नहीं देता। जहां पर इस तरह की पैदावार है, खनिज की पैदावार है उस खनिज की पैदावार से राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, उस जगह पर सड़कों में खनिज विभाग ने कुछ भी नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग को देख लीजिए, कौनसा राजस्थान भर में इस तरह का इलाका है जो थानागाजी क्षेत्र है, जहां पर किसी जमाने में मध्य प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में राज करा करता था, सारे विश्व के अन्दर राज करता था वहां के सम्राट को जब लिखने की इच्छा हुई कि मुझे वैराग्य तक, नीति शतक, श्रृंगार शतक लिखने का है तो उज्जैन छोड़ कर वह थानागाजी के अन्दर आए और थानागाजी में भर्तृहरि का स्थान है वहां आकर बैठे। ऐसे जो स्थल है, जहां पर्यटन के नजरिये से बहुत सारी जगह है (व्यवधान) आप उस जमाने में उनके साथ होंगे मैं तो उस समय साथ नहीं था परन्तु जो मैंने पढ़ा है वह निवेदन कर रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : आपने पढ़ा है तो मैं ध्यान करवा दूं (व्यवधान) श्रृंगार ।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : क्या आप बता सकते हैं कि श्रृंगार शतक का पहला श्लोक कौनसा है या मैं बताऊं ?

"पां चिनापामि सततं मपि सा विरक्ता।
सम्पन्न मिच्छतिजनं सजनोन्य सक्तः॥
अस्मत् कृतेति परितुष्पति का काचिदन्या।
धिक्तां च तचं मदनं च इमा च मांच॥"

पहला श्लोक है जो थानागाजी के अन्दर लिखा गया है। तीनों शतक में वहीं लिखे गये हैं। (व्यवधान) तीनों शतक के सारे श्लोक मुझे याद हैं। सुनना चाहें तो 10-5 तो अभी मैं सुना देता हूं परन्तु इस समय मैं बात कर रहा हूं सड़कों के मामले में।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपको तो श्रृंगार ही याद हैं, वैराग्य तो है नहीं।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : मुझे वैराग्य क्यों याद होगा, वह तो आपको याद हो। अभी तो श्रृंगार का काम करना है। वैराग्य का समय बाकी है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : बीच में जो नीति शतक है वह कहां भूल गये ?

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बिराजें।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पर्यटन के मामले के अन्दर यदि हम वहां बाहर के लोगों को बताएं, तो एक मात्र स्थान है। नीलकंठ जहां दसवीं शताब्दी के जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म तीनों की बढ़िया-बढ़िया कलाकृतियां हैं। वहां पर उस समय मन्दिर बनाये गये थे। परन्तु जाएं कैसे? वहां सड़कें ही नहीं हैं। प्रचारित करें तो क्या करें ? पर्यटन विभाग ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया उस क्षेत्र के अन्दर यह वह क्षेत्र है जहां पाण्डव लोग रहे हैं, वह क्षेत्र है जहां सब प्रकार के मामलों के अन्दर महाभारत काल, रामायण काल, पुरातत्व काल सारे कालों के अवशेष मौजूद हैं। परन्तु पर्यटन विभाग वहां पर कोई ध्यान नहीं देता है और सड़कें नहीं हैं इसलिए पर्यटन बढ़ भी नहीं सकता।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आप इतने विद्वान हैं, आप एक बार इनको ले जाते, ललितजी को, वहां सड़कें नहीं बनती हैं तो। आपसे यह फार्मूला कैसे छिपा हुआ रह गया।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : माननीय बिराजिये, मैं आपसे निवेदन करूं कि न तो फार्मूला छिपा है और न ही प्रक्रिया के अन्दर पीछे रहे। मैं वहां पर माननीय मंत्रीजी को ले गया। वहां पर पहुंच कर इन्होंने घोषणा कर दी और कहा कि 6 महीने के अन्दर बन जाएगी और बनने के बाद मैं वापस आऊंगा।

( श्री रमाकान्त शर्मा )

मैं इन्तजार कर रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी कब वापस पहुंचेंगे और कब वहां हो जाएगा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : नीलकंठ, वहां तो नहीं गया।

**श्री रमाकान्त शर्मा :** गढ़राजोर, राजगढ़ (व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** वहां तो हो गया, सड़क भी बन गयी। वहां जंगलात ने रोक ली तो हम क्या करें।

**श्री रमाकान्त शर्मा :** खैर, जिसने भी रोकी है परन्तु बनी नहीं है। मैंने तो तिवाड़ीजी को निवेदन किया है कि इस मामले में मैं पीछे नहीं रहा हूं नीलकंठ ही तो है यह। गढ़राजोर और नीलकंठ एक ही चीज है दोनों अलग-अलग नहीं है। मेरा निवेदन यह था कि पर्यटन विभाग को भी सड़कों के बारे में सोचना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं सोचा। पुरातत्व विभाग की बहुत सारी चीजें हैं, पुरातत्व विभाग सड़कें बनाता है उसने भी नहीं सोचा। माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय ने कई बार यहां पर घोषणा की है कि मैं मेलों को और इस प्रकार के जो धार्मिक स्थान हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। कितने धार्मिक स्थान हैं यहां पर, संज्यानाथजी का है, धूणी नाथ जी का है। कोई 8-9 हजार मेरे यहां पर बागड़ा ब्राह्मण हैं उनका एक मात्र स्थान वहां पर मौजूद है। जैसे विश्नोईजी का बीकानेर में स्थान है वैसे सारे बांगड़ों का वहां पर एकमात्र स्थान है। वह सड़क से एक-डेढ़ किलोमीटर ही है। कई बार पत्र लिखे हैं, नहीं बन पायी परन्तु निवेदन केवल इतना सा है कि चाहे मेलों की बात है, धार्मिक स्थान की बात हो, पुरातत्व की बात हो, चाहे खनिज की बात हो, इतने सारे इंडीकेटर हैं, इन इंडीकेटर के बावजूद भी जो सड़क जितनी बननी चाहिए थी, उन सड़कों के नहीं बनने से क्षेत्र बहुत पीछे है। मैं उन सारी बातों पर निवेदन नहीं करूंगा क्योंकि माननीय मंत्रीजी को मैं समय-समय पर पत्र लिख चुका हूं 2-4 दिन पहले पत्र लिख चुका हूं। इतने बड़े सदन का इतने कीमती सदन का मैं कीमती समय जाया नहीं करना चाहता, परन्तु 2-3 बातें मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय के पुनः ध्यान के लिए। वैसे दो दिन पहले उनका ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, फिर भी अत्यन्त आवश्यक है कि पुनः ध्यान आकर्षित करूं। मेरे आधे हिस्से के जो गांव हैं, 9 पंचायतें हैं जिसके अन्दर गढ़ी, अजबपुरा, मुण्डावरा, चोलावास, बामनवास, सोलायड़ा है। इन गांवों के लोगों को यदि थानागाजी जाना होता है तो आज 30-35 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। पहले नारायणपुर जाना पड़ता है फिर घाटाबांधरी जाना पड़ता है और फिर थानागाजी जाना पड़ता है। यदि

**(12.56)**

**(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

(96)



(श्री रमाकान्त शर्मा )

5-6 किलोमीटर की सड़क थानागाजी से चोलावास बन जाए तो 15 हजार इधर के और 15 हजार उधर के, लोगों का 35 किलोमीटर के स्थान पर 5 किलोमीटर में काम बन जाता है। बराबर प्रयास कर रहा हूं, सालों से प्रयास कर रहा हूं, चिट्ठियां जाने कितनी-कितनी, क्या-क्या लिखी हैं, आज सवेरे भी जाकर आया हूं एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब के यहां वहां पर आज भी जिक्र करके आया हूं कि इस सड़क पर जरा ध्यान दें तो समझता हूं कि वहां का जो पिछड़ापन है, वहां का जो आर्थिक विकास है, उसके अन्दर मदद हो जाएगी।

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र की राजगढ़ तहसील के गांव हैं। उन गांवों का सामाजिक और अधिक जुड़ाव है वह बांदीकुई क्षेत्र से है। वहां के लोगों की कृषि उपज होती है तो वहां पर बेचने जाते हैं। वहां रिश्तेदारी होती है तो उधर की तरफ जाते हैं। वहां दो जगह से मिलाप हो सकता है। एक बलदेवगढ़ से शालुताचौकी होते हुए बांदीकुई जाते हैं, मेरे क्षेत्र के अन्दर कुल मिलाकर 4-5 किलोमीटर की बात है, शालुताचौकी से तक बन जाए तो उधर बांदीकुई तक किसी न किसी प्रकार का रास्ता तो मौजूद है, इसमें भी कुछ उधर की तरफ कार्यवाही चल रही है, यह उस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान हो सकता है। इसी प्रकार से आसन से रेड्यों बांध कुल मिलाकर तीन किलोमीटर है, वह तीन किलोमीटर का टुकड़ा बन जाता है तो इधर की तरफ 10-15 हजर खौक की दरीबा, जयसिंहपुरा, आसन, घाटला की आबादी को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है।

एक मैंने निवेदन किया था कि हमने तकरीबन 70-75 लाख रुपये लगा कर सड़कें बनायी है, झीरी से लेकर नटाटा तक। वह खास तौर से माइनिंग को मदद देने वाली सड़क है क्योंकि इधर संगमरमर के ब्लाक आंधी में या जयपुर आ सकते हैं कटने के लिये। वहां एक पुलिया बन जाए, यदि आपके पास धनराशि नहीं है तो मेरा यह निवेदन है कि आप ब्रिज कारपोरेशन से बनवाएं। ब्रिज कारपोरेशन को बहुत बड़े काम हाथ में लेने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी उपयोग के अन्दर अपने रीको का, आर. एफ. सी. का कायदा है कि उससे कहते हैं कि जो पैसा हम आपको लोन के अन्दर दे रहे हैं वह आप 8 या 10 साल में वापस करो। 8-10 साल का शिड्यूल बनती है। नन्देश्वर का पुल बनाया ब्रिज कारपोरेशन ने उसकी सारी कीमत जितनी भी कीमत थी वह ढाई साल के अन्दर वापस आ गयी और वहां से चौकी भी हट गयी। ऐसा कौनसा काम है, संसार के अन्दर जिसमें इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मय ब्याज के ढाई साल में वापस आ जाए। फिर इन कामों में हम यह सोचते रहे कि हमारे पास यह नही है, हमारे पास वह

( श्री रमाकान्त शर्मा )

नहीं है, हमारे पास धनराशि की कमी है। ऐसी जगहों पर जहां अच्छे तरीके से पैसा वापस आ सकता है उन जगहों पर लोन लेकर, किसी बैंक से या ब्रिज कारपोरेशन से बनावे तो वह सवाल आदमी की सुविधा का नहीं है, सवाल हमारे राजस्थान की आर्थिक प्रगति का है। उससे आर्थिक प्रगति बहुत ज्यादा बढ़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं उन चीजों को नहीं दोहराऊंगा जो माननीय मंत्रीजी को कम से कम 26-27 सड़कों का निवेदन हुआ है। मैं उन बातों को भी पुनः नहीं दोहराऊंगा कि थानागाजी के अन्दर ऐसे अनेक कस्बे हैं जिन कस्बों में किसी न किसी प्रकार का उद्योग धंधा बढ़ सकता है, यदि वहां सड़कें हो जाए तो माननीय मंत्रीजी थोड़ी-सी थानागाजी की उपेक्षा हो रही है पूर्वी राजस्थान की अलवर की उपेक्षा हो रही है। थानागाजी की ओर विशेष ध्यान देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

**(13.00)**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शांतिलाल खोईवाल।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सड़क एवं पुल तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की डिमांड्स पर इस सदन में चर्चा हो रही है। दोनों ही डिमांड्स काफी महत्वपूर्ण हैं। एक समाज के उत्थान से रिलेशन रखती है तो दूसरी क्षेत्र के विकास से। मैं सबसे पहले सड़क एवं पुल से रिलेटेड मुद्दों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि राजस्थान के बारे में यह कहा जाय कि सड़क निर्माण में ऐतिहासिक कार्य हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इसके बारे में एक छोटा सा एक्जाम्पल देना चाहूंगा। आज से सात वर्ष पूर्व राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में मात्र 78 किलोमीटर सड़कों का निर्माण था और मुझे यह बात कहते हुए बड़ी खुशी है कि विभिन्न नीतियों के अनुरूप, विभिन्न नेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस से सड़कों का निर्माण हुआ है, उसकी लम्बाई पौने तीन सौ किलोमीटर से ज्यादा पहुंच गयी है सिर्फ सात वर्ष में। इसका सीधा-सादा मतलब है कि कांग्रेस के 40 वर्ष के राज करने पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 78 किलोमीटर सड़क बनीं और भारतीय जनता पार्टी की इस छोटी-सी अवधि में पौने तीन सौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो गया। यह एक इतिहास नहीं तो और क्या है। इसमें सबसे ज्यादा कांस्ट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी के शासन का तो है ही लेकिन माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी का भी है, जिनका एक्सटेंसिव अध्ययन है। इनके थाने में यदि सुबह एफ.आई.आर. दर्ज कराएं तो मैं समझता हूं शाम तक नतीजे दे देंगे

( श्री शांतिलाल खोईवाल )

वाला थाना है। ऐसा ललित किशोर जी चतुर्वेदी का थाना है। यदि आप इनके थाने में कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराते हैं तो यह मानकर चलो कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। शाम नहीं तो अगले दिन तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट आ जाएगी। यह पहले ऐसे मंत्री हैं जो तत्परता से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):** या तो चालान होगा, या एफ.आर. लगेगी। (व्यवधान)

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** यह आपका विषय है, आप सोचते रहें। (व्यवधान) जो भी होगा लेकिन नतीजे निकल जाएंगे।...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** और 182 भी चलवा देते हैं ध्यान रखना आप। 182 भी चलवा देते हैं।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, इसके परीक्षण और जांच का दूसरा उदाहरण यदि मैं प्रस्तुत करूं तो आज के सात-आठ साल पहले कोई भ्रमणार्थी, पर्यटक कार द्वारा राजस्थान में विभिन्न प्रदेशों से प्रवेश करता था और रात को भी पीछे की सीट पर बैठा-बैठा थोड़े धचके आते थे, खड्डे आते थे तो उसकी समझ में आ जाता था कि राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। आज वह स्थिति नहीं है। चाहे पहले वह मध्य प्रदेश से प्रवेश करता तो मध्य प्रदेश की सड़कें तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी थीं, गुजरात की सड़कें अच्छी थीं, हरियाणा की सड़कें अच्छी थीं, उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी थीं और पंजाब की सड़कें अच्छी थीं लेकिन आज हमें यह कहते हुए बड़ा हर्ष है कि आज हमारे राजस्थान स्टेट की सड़कें इन सभी राज्यों से बेहतर हैं। इसका कारण मैंने आपको निवेदन किया कि माननीय मंत्रीजी अपने कार्य में बहुत संवेदनशील हैं।

आज छोटे-छोटे गांवों में पेवर की सड़कें बन रही हैं। पहले तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर ही पेवर की सड़क निर्माण की कल्पना की जा सकती थी। आज छोटी सी चाहे दो किलोमीटर की सड़क बन रही हो वह भी पेवर की सड़क बनेगी। आप यदि उस सड़क पर किसी भी वाहन से गुरजते हैं तो आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा और आज जो स्थिति बनी है यदि राजस्थान प्रदेश से कोई व्यक्ति, जिन चार-पांच स्टेट्स के बारे में मैंने निवेदन किया, उधर प्रवेश करता है आज की स्थिति में तो जो स्थिति आठ साल पूर्व राजस्थान की थी, आज वह स्थिति ठीक विपरीत हो गयी है और उन प्रदेशों में विचरण करने पर आपको अहसास हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, और फिर जिस तरह से सड़क नीति का निर्माण किया गया है। सड़क नीति के कारण सारी पंचायतों को सड़क से जोड़ना, एक निर्धारित जनसंख्या

( श्री शांतिलाल खोईवाल )

को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ना, यह एक कीर्तिमान उपलब्धि है हमारे राज्य की।

जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है, सड़कों का निर्माण कम नहीं हुआ है। इस वर्ष केवल चार पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़ने शेष थे सुंदरचा, सांगटकला, बामनहेडा और पीपली डोडियान चार में से नाबार्ड योजना के तहत सुंदरचा, सांगटकला के लिए 85 लाख रुपये मंजूर हो चुके हैं और मैं समझता हूं यथाशीघ्र इस पर कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्रीजी की ओर विभाग की भूरि-भूरि सराहना करता हूं। आज केवल दो पंचायत मुख्यालय रहे हैं पीपली डोडियान और बामनहेड़ा। जैसा कि बजट में प्रोवीजन रखा है इस वर्ष सारे पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा, इसमें न मेरा कोई कांट्रीब्यूशन है, न हमारे किसी अन्य व्यक्ति का कोई कांट्रीब्यूशन है, यूं मानिये कि नीति के तहत है, यह दो पंचायत मुख्यालय भी इस वर्ष जुड़ जाएंगे इसलिए मेरा इस मुद्दे पर अनुरोध करना व्यर्थ रहेगा। व्यर्थ यूं रहेगा कि जनता इस बात को आजकल खूब समझने लगी है कि इसमें किसका कांट्रीब्यूशन रहा है ? वह यह कहकर टाल देते हैं कि यह तो आपकी नीतिगत बात थी। नीतिगत बातों के कारण आपकी सड़कों का निर्माण हो गया है। खैर, इस विषय में ज्यादा विस्तृत रूप से जाना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक इंडीकेशन मात्र ही पर्याप्त है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह विभाग द्वारा 36 लाख रुपये दरीबाखदान से सांसेरा तक सड़क निर्माण के लिए जारी किये थे और 14 लाख रुपये सांसेरा से बनेड़िया, जो दोनों ही रेलमगरा तहसील में हैं, उसके लिए स्वीकृत किये थे। शायदन हमारा प्रस्ताव तो यह था कि दरीबाखान से सांसेरा और सांसेरा से बनेड़िया। इससे नाथद्वारा जाने वालों को कम से कम दरीबा से 30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है, इसका लाभ मिल जाता है। स्वीकृति दोनों ही निकल चुकी हैं लेकिन गलती से दरीबा से सांसेरा 36 लाख रुपये और फिर दुबारा सांसेरा-बनेड़िया के स्थान पर अंकित हो गया है दरीबा-सांसेरा 14 लाख रुपये तो असल में वह स्वीकृति बनेड़िया से सांसेरा के लिए है। यदि सांसेरा-बनेड़िया सड़क का भी निर्माण हो जाता है तो जैसाकि मैंने निवेदन किया, रास्ते की दूरी काफी कम हो जाती है जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और विशेष तौर पर उन लोगों को सुविधाएं मिलेंगी जिनको जिला मुख्यालय पर प्रातः दस बजे के पूर्व अपने विभिन्न कामकाज के लिए राजसमंद जाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, नीति के अनुरूप कुछ धार्मिक स्थलों को भी सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। माननीय मंत्रीजी बहुत

( श्री शांतिलाल खोईवाल )

संवेदनशील है। एक बार मंत्रीजी काबरी महादेव पधारे थे, मुझे जानकारी है, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनी हुई है, जो क्वारिया स्टेट हाईवे से काबरी महादेव का रास्ता है उसके लिए आपने वहां पर घोषणा की थी कि इस सड़क को जोड़ दिया जाएगा। चूंकि क्वारिया तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और काबरी महादेव माननीय सुरेन्द्र सिंह जी के विधान सभा क्षेत्र में है, जो माननीय मंत्रीजी को याद दिलाने में हमारी भूल रह गयी उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन अब अनुरोध करूंगा कि काबरी महादेव को क्वारिया से जोड़ दिया जाता है तो जो श्रद्धालु वहां पर हैं जिनकी हजारों में संख्या है उनको किसी तरह की कोई दुविधा न रहे।

इसी तरह सूरजबारी माताजी के नाम से ही स्पष्ट है कि अपंग लोग जाएंगे अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए। लूले जाएंगे, लंगड़े जाएंगे, बीमार जाएंगे। मालीखेड़ा से सूरजबोरी माताजी मात्र डेढ़ किलोमीटर है, अकाल राहत के माध्यम से डब्लयू.बी.एम. सड़क का निर्माण मंत्रीजी के निर्देशों पर हो चुका है। यदि उसका डामरीकरण कर दिया जाता है तो असहाय, अपंग लूले-लंगड़े लोग जो वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं, उनको सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनको तो वैसे ही वहां पर कोई व्यक्ति या परिवारजन ले जाते हैं, ले जाने वालों को बहुत दिक्कतें रहती हैं। सभी के पास स्कूटर नहीं हैं, सभी के पास मोटर साइकिल नहीं हैं, सभी के पास कारें नहीं हैं। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी इस सड़क निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान करें तो बहुत बड़ा उपकार का काम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर रीलिजियस प्लेस राजियावास पंचायत क्षेत्र में शनि महाराज का है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और विशेष तौर पर शनिवार को तो इतनी संख्या में आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहां दर्शन करने वालों की भीड़ होती है। यदि राजियावास को शनि महाराज से और शनि महाराज को सथाना से जोड़ दिया जाता है तो आपके लक्ष्य की पूर्ति भी हो जाएगी। क्योंकि सथाना की एक हजार की जनसंख्या है और इस धार्मिक स्थल को सड़क से जोड़ने की पूर्ति भी हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि आप तो बहुत अच्छी-अच्छी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ अन्य महकमों के सहयोग की भी आवश्यकता है। माननीय खनिज मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि खनिज मंत्रीजी की राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र पर कृपा नहीं है। आपकी अवधि में अभी तक एक इंच भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू उस क्षेत्र से प्राप्त होती है

( श्री शांतिलाल खोईवाल )

और जितनी सुविधाएं प्रदान करेंगे उतनी ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगी। मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेहरबानी करके खनिज विभाग के माध्यम से भी कुछ सड़कों का निर्माण करायें। इससे मैं समझता हूं, खनिज व्यवसाय भी पनपेगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। केलवा से झांझर रोड जाती है मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि 250 ट्रक प्रतिदिन वहां से मार्बल ब्लाक्स के गुरजते हैं। एक ट्रक जो वजन ढोता है वह लगभग 20 टन, कभी 25 टन कभी 30 टन होता है। बहुत मजबूत सड़क बनाने की आवश्यकता है। हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी अर्ज किया था। उन्होंने इसकी मरम्मत कराने का आश्वासन तो दिया लेकिन वहां ट्रैफिक इतना हैवी है कि कोई ठेकेदार उस मरम्मत का कार्य लेने के लिए अपनी सहमति नहीं देता है और यदि किसी ने गलती से दे भी दी तो वह काम पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि झांझर को आकमा से और महासतियों को मादड़ी से जोड़ दिया जाता है तो यह निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। ट्रक कई बार उलट जाते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, इससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मेरा अनुरोध है कि जो भी तरीका विभाग अपनाये, उस तरीके को अपनाकर इन सड़कों की दुरस्ती करावें, इनकी मरम्मत करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत अच्छी सड़कें पेवर पद्धति के माध्यम से राजस्थान में निर्मित हो रही हैं और इन सड़कों को सुसज्जित करने के लिए, सड़कों के दोनों किनारों पर फूल वाली बेलें लगाते हैं। पेड़-पौधे लगाते हैं, वातावरण को सही बनाने के लिए प्रदूषण को समाप्त करने के लिए पेड़-पौधे लगाना जरूरी भी है। दुर्भाग्य से प्रशासन की शिथिलता के कारण सड़कों के दोनों किनारों पर मार्बल स्लेरी डाली जा रही है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि मार्बल स्लेरी के लिए एक निर्धारित स्थान बनाया जाए और वहीं पर डाली जाए। इसके लिए प्रशासनिक शिथिलता जिम्मेदार है लेकिन दोषी व्यवसायियों को माना जा रहा है। अभी उद्योग विभाग से इस तरह के निर्देश जारी हुए हैं कि चूंकि सड़कों के किनारे पर मार्बल स्लेरी डाली जा रही है, इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वैसे नियम तो यह है कि 75 फीट दूर किसी भी व्यवसाय के लिए जमीन को कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन अब वह पाबंदी इस तरह की लगा रहे हैं कि 500 मीटर दूर तक किसी प्रकार का मार्बल व्यवसाय की दृष्टि से किसी जमीन का कन्वर्शन नहीं किया जाएगा। ऐसे जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासनिक शिथिलता का खामियाजा व्यवसायियों को नहीं भुगतना चाहिए। मैंने अभी गत सोमवार को जीरो आवर में निवेदन किया था माननीय उद्योग मंत्री जी से जो उप मुख्य मंत्री भी

( श्री शांतिलाल खोईवाल )

हैं, कि चित्तौड़गढ़ जिले में घोसुण्डा गांव हैं, चित्तौड़ से घोसुण्डा जाते समय सड़क के दोनों किनारों पर मार्बल स्लेरी का सफेदा बिछा हुआ है, गर्मी में वहां के रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी, उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने सदन में आश्वासन भी दिया कि उस मार्बल स्लेरी को हटाने के लिए जिला कलक्टर को निर्देश दे रहे हैं। जिला कलक्टर को निर्देश भी दिये। दुर्भाग्य से सात दिन बाद जब मैं दुबारा गांव गया तब भी मार्बल स्लेरी के ट्रेक्टर चालित टैंकर्स खाली हो रहे थे। कितना संवेदनशील जिला प्रशासन है यह एक चिन्तन का विषय है। एक तरफ तो हाउस में आश्वासन इस तरह का दिया जा रहा है कि यह मार्बल स्लेरी हटा दी जाएगी और दूसरी तरफ सात दिन बाद में उसी स्थान पर फिर मार्बल स्लेरी डाली जा रही है। मैं उप मुख्य मंत्रीजी को अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में पुनः देखें और इस पर सख्त कार्यवाही करें ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी डिमाण्ड जिसके बारे में आज चर्चा हो रही है, वह समाज कल्याण की है, सामाजिक सुरक्षा की है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के हितों के लिए उत्तरदायी है। जिस तरह का प्रावधान इन वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार रख रही है, वह बहुत सराहनीय है। इसमें कोई कमी नहीं है। अभी जो प्रोविजन रखा है 91 करोड़ रुपये का, जर्मन सहायता से आवासीय विद्यालय खोलने का और चालू वर्ष में इसमें एक करोड़ रुपये रखे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत छात्रावास खोले हैं पिछले 3-4 वर्षों में, यह भी बहुत अच्छी बात है। पैसे की सुविधा देखते हुए राजस्थान में छात्रावास भवनों का निर्माण हुआ है यह भी बहुत अच्छी बात है और इसका लाभ मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भी मिला है। मेरे छोटे से गांव कुरज में छात्रावास भवन का निर्माण हुआ है।

राजसमन्द जिला मुख्यालय पर छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति हुई है, अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। रेलमगरा में छात्रावास भवन का निर्माण हुआ है। मैं समझता हूं कि इसी गति से यदि पूरे राजस्थान में छात्रावास भवनों का निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से इस विभाग की उपलब्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। परन्तु उपलब्धि को दो तरह से आंका जाना चाहिए। आपने सेवाएं तो उपलब्ध करा दीं लेकिन सेवाओं के नतीजे कैसे निकल रहे हैं यह मंत्रीजी के ध्यान देने की बात है। आपने काम्पीटिटिव एक्जामिनेशन के लिए प्री-कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल रखी है। दुर्भाग्य से पिछले 5-6 वर्ष से इन प्री-कोचिंग बोर्ड से एक भी

( श्री शांतिलाल खोईवाल )

बालक-बालिका आल इंडिया सर्विसेज में काम्पीटिटिव एक्जामिनेशन के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। इसके क्या कारण हैं ? इसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया है कि एक कमेटी का गठन किया जाए कि इसके क्या कारण हैं ? इन कारणों और उनके निवारणों के बारे में कुछ चिन्तन किया जाए। माननीय मंत्रीजी ने इसके बारे में, मैं समझता हूं कि ध्यान नहीं दिया है या भूल गये होंगे। अब भी मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में चिन्तन करें। इसी तरह समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

आवासीय छात्रावास है लेकिन छात्रावास में आपने एक भत्ता निर्धारित कर रखा है कि इतना भत्ता एक छात्र के लिए स्वीकृत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो जेल सुपरिंटेंडेंट रहा हूं, जेलों में भत्तों से काम नहीं चलता है। वहां पर एक मानदण्ड होता है कि आधा किलो आटा मिलेगा, 100 ग्राम तेल मिलेगा, 100 ग्राम चीनी मिलेगी, चाय की पत्ती मिलेगी, दूध मिलेगा, इतनी सब्जी मिलेगी, इतना कांडिमेंट मिलेगा। जिन बच्चों के कैरियर के निर्माण के लिए आप इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, इसमें आप निर्धारित भत्तों में इनको बांध रहे हो तो क्या आप यह समझते हो कि निर्धारित भत्तों से इनका गुजारा हो जाएगा ? आप उनको आधा पेट भूखा रख रहे हो और फिर उम्मीद यह कर रहे हो कि उनका कैरियर निर्माण हो। यह ऐसे आधे-अधूरे काम करने का कोई लाभ नहीं है। मेरा अनुरोध है, मंत्रीजी, कि भत्तों से निकल कर और जितना वास्तविक खर्चा हो समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को संचालित करने में, उसको वहन करने की परिपाटी डालें, इस तरह के नियम बनायें कानून बनाएं और प्रोविजन्स करें तभी आप वास्तव में जो लाभ देना चाह रहे हो वह लाभ उनको मिल पाएगा अन्यथा बेकार है।

**श्री उपाध्यक्ष :** छात्रों को अल्पाहारी ही होना चाहिए।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** कथन तो ठीक है। अल्पाहारी होना तो बुरी बात नहीं है लेकिन भूखे पेट आप किसी से अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए कहेंगे तो मैं समझता हूं कि वह उपलब्धियां प्राप्त होना बहुत मुश्किल है।

दूसरी ओर आज जो कुछ कठिन विषय है, पढ़ाई से सम्बन्धित, अध्ययन से सम्बंधित, बच्चे छात्रावास में रहते हैं, 6 से 12 वीं कक्षा तक, मैं समझता हूं यहां चाहे जितने अधिकारीगण बिराजे हों, चाहे माननीय सदस्यगण बिराजे हों अपने बच्चों को बिना ट्यूशन अध्ययन कराना उनके लिए सम्भव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि विषय ऐसे ही हैं, बहुत कठिन विषय है। कठिन विषय में शालाओं में, कालेजेज में जिस तरह का

( श्री शांतिलाल खोईवाल )

अध्ययन-अध्यापन हो रहा है आप उससे अनजान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विशेष ट्यूशन की छात्रावास में व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय के लिए वे अपने कैरियर का निर्माण कर पाएंगे, काम्पीटिटिव एक्जामिनेशन के लिए तैयार कर पाएंगे। माननीय मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में वह चिन्तन करें, जो कुछ कठिन विषय हैं उनमें छात्रावास में ही अध्ययन की कुछ व्यवस्थाएं कराएं। मैंने अभी निवेदन किया था कि काम्पीटिटिव एक्जामिनेशन में राजस्थान में एक भी शख्स नियुक्ति पाने में सफल नहीं रहा इन संस्थाओं के माध्यम से। एक समय था, 25 वर्ष पूर्व बापूनगर में एक छात्रावास समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ही संचालनरत था जिसकी देखभाल स्वर्गीय प्रोफेसर इकबाल नारायण कर रहे थे, उनकी रुचि थी, उनकी इच्छा शक्ति थी, तब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग से आने वाले कई बच्चों का सलेक्शन हुआ है। आई.ए.एस. में हुआ है, आई.पी.एस. में हुआ है, आई.आर.एस. में हुआ है, विभिन्न सैंट्रल सर्विसेज में हुआ है। आज क्यों नहीं हो रहा है ? वह भी एक व्यवस्था थी। कहीं न कहीं आपकी व्यवस्थाओं में गड़बड़ है। समाज कल्याण मंत्रीजी इस बारे में भी मेरा अनुरोध है कि इसका अध्ययन कराएं, कमेटी का गठन कराएं, जो कारण हैं उनका निवारण कराएं और छात्रों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वह लाभ दिलाएं तो, मैं समझता हूं उत्तम रहेगा। नहीं तो कहने के लिए अभी आपने जिस तरह के प्रोविजंस रखे हैं, पिछले वर्ष आपने 100 करोड़ रुपये रखे, इस वर्ष 200 करोड़ रुपये रखे, चाहे एक हजार करोड़ रुपये भी रख देंगे आप, लेकिन उनके नतीजों के बारे में आप चिन्तनशील नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैंने संक्षिप्त में मेरी बात कही और अनुरोध यह करूंगा कि माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी और दिलावरजी, दोनों ही मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान दें और इसका निवारण करायें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भवानी जोशी। (अनुपस्थित) श्री मूलसिंह शेखावत (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल गरासिया।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मांग संख्या 21 और मांग संख्या 33, सड़कें एवं पुल और सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से सड़कें एवं पुल के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990 में आई एवं सरकार के आने के बाद योजनाबद्ध ढंग से राजस्थान में जिस तरह से सरकार ने सड़कों का निर्माण किया, अगर उसकी तुलना पिछली सरकारों से की जाए तो जितना कार्यकाल पिछली सरकारों को

( श्री चुन्नीलाल गरासिया )

मिला और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को जितना समय मिला उस समय के अन्तराल में जो निर्माण हुआ मैं समझता हूं अपने आप में एक उदाहरण बनेगा कि योजनाबद्ध ढंग से सारे राजस्थान को, गांवों को, जनजाति क्षेत्रों को और रेगिस्तान को किस तरह से जोड़ा है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है उसके लिए सरकार को, माननीय निर्माण मंत्रीजी को मैं मेरी तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।

उदयपुर अनुसूचित जनजाति का एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक गांव के बीच और दूसरे गांव के बीच दूरी कम होती है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं और सड़कों से जुड़े हुए नहीं होने के कारण जो विकास कार्य होने चाहिए वह विकास कार्य उन गांवों में नहीं होते हैं। वास्तव में उन गांवों में गरीबी आज जिस कारण से है उसमें एक कारण सड़क भी मानता हूं क्योंकि जब तक कोई गांव सड़क से नहीं जुड़ेगा तब तक विकास का आयाम वहां पहुंचेगा नहीं। सड़क नहीं होगी तो मास्टर नहीं जाएगा, सड़क नहीं होगी तो पटवारी नहीं जाएगा, सड़क नहीं होगी तो चिकित्सा का कर्मचारी नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि गांव के विकास का जो प्रथम आयाम है वह है सड़क। इसलिए मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति के जो नार्म्स बनाए हैं, उन नार्म्स में शिथिलता बरतते हुए जियोग्राफिकली भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अपने नियमों में कुछ शिथिलता बरतते हुए हर गांव, हर ढाणी को जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं, जनजाति क्षेत्र को विकास में हम ज्यादा जल्दी आगे भागीदार बना पायेंगे, यह मेरा आज आपसे निवेदन है।

उदयपुर जिले में और विशेष रूप से उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, में आधा क्षेत्र शहरी और आधा अनुसूचित जनजाति पहाड़ी क्षेत्र है। विशेष रूप से गिरवा यानि नाम से प्रतीत होता है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान गिरवा है। वास्तव में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां ऊंटों पर मतपेटियां ले जायी जाती हैं और ऊंटों पर ही मतदान कराया जाता है। ऐसे कुछ स्थान हैं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष ध्यान देकर ऐसे गांवों को जोड़ेंगे तो कम से कम वहां के रहने वाले क्षेत्र के निवासी, अनुसूचित जनजाति भाई, किसान भाई अपने रोजगार के लिए शहर में आ सकेंगे।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : गांव का नाम भी बताएं।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : मान्यवर, मैं गांवों का नाम भी बताऊंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे स्थानों को सड़क और पुल के निर्माण से अगर प्राथमिकता के आधार पर जोड़ेंगे तो उन गांवों का विकास

( श्री चुन्नीलाल गरासिया )

हम जल्दी कर पाएंगे। जो स्कूल वहां पर खुले हुए हैं उनमें अध्यापक जाना प्रारम्भ करेंगे तो वहां की आने वाली पीढ़ी है वह शिक्षित होगी और आने वाले समय में उस समाज को हम मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। विशेष रूप से जिन गांवों का उल्लेख मैं करना चाह रहा था उनमें एक खजूरी है जो उदयपुर से केवल 15 किलोमीटर दूर है लेकिन सड़क से न जुड़ने के कारण अगर वहां से कोई व्यक्ति सुबह निकलता है तो उदयपुर शहर में आने के लिए तो, मैं समझता हूं दोपहर तक शहर में आएं, एक बजे पहुंचेगा और वहां से वापस रवाना होगा तो रात के 10 बजे पहले नहीं पहुंचेगा। यह ऐसा दूरगामी क्षेत्र हैं जहां एक-दूसरे पहाड़ों को पार करके पहुंचना पड़ता है। अकाल राहत में मैंने उसकी ग्रेवल की सड़क बनवाई है। मंत्री महोदय उस गांव को यदि प्लान में से पैसा देंगे, मैं समझता हूं, उस गांव को हम जोड़ पाएंगे। अन्य एक गांव है गोडान, जो मदार पंचायत में आता है, वह भी ऐसा गांव है जो पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वहां पर भी आज भी मतदान के लिए कर्मचारी पैदल या अन्य किसी साधन से ऊंटों से जाएगा। ऐसे कुछ 2-4 गांव हैं जो आज भी सड़क से जुड़े हुए नहीं है जिनको माननीय मंत्री महोदय सड़क से जोड़ने हेतु अपने विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आदेश देंगे, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूंगा।

शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे नये नगर बस गये हैं जिनको शहर से जोड़ने के लिए काफी दूरी पार करनी पड़ती है। आयर नदी जो उदयपुर से निकलती है उस पर दो पुलिया अगर बना दी जाएं, हमारा सुभाष नगर और आयर और भोपालपुरा से खारा कुआं जो है, दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी गांव के रूप में हैं लेकिन उनको शहर में आना पड़ता है तो काफी दूरी पार करके आना पड़ता है, अगर हम इनको सड़क से जोड़ दें (व्यवधान) नहीं मान्यवर, न नगर न्यास के अंतर्गत आता है, न नगर परिषद में आता है, यह ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके द्वारा ही, आपके कर कमलों द्वारा ही बनेगा, मैं ऐसा मानता हूं। मेरे जुड़वां भाई भी बैठे हुए हैं, वे भी मेरी बात में बात मिलाएंगे, माननीय सनाढ्य साहब , क्योंकि उनका भी आधा क्षेत्र आता है, आधा मेरा भी आता है, तो हम दोनों मिलाकर आपसे निवेदन करना चाहेंगे। ये दोनों ऐसे स्थान हैं जिनको सड़क से जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा लाभ दोनों माननीय विधायकों को होगा।

माननीय मंत्री महोदय, उदयपुर शहर में आपने पेवर की सड़के बनाई हैं लेकिन केन्द्र का एक विभाग है, टेलीफोन विभाग, वह आए दिन सड़कों को खोद देता है जिससे सड़कों को विशेष रूप से ज्यादा हानि होती

( श्री चुन्नीलाल गरासिया )

है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि टेलीफोन विभाग परमिशन लेकर खोदे और वापस उसको सही भी करे। क्या होता है कि वे अपने वायर बिछाने के लिए, लाइन बिछाने के लिए सड़कें तो खोद देते हैं लेकिन इनको वापस भराया नहीं जाता है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। मैं इस मांग के माध्यम से मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से टेलीफोन विभाग सड़कें खोद देता है, उसकी किसी नार्म्स के आधार पर समयबद्ध ढंग से वापस रिपेयरिंग कराई जाए तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं होती हैं, वे दुर्घटनाएं नहीं होंगी।

हिरण मगरी जो हमारे शहर का एक उपनगर है, उसको सड़क से जोड़ने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। शहर में जो आते हैं वे रेलवे पटरी पार करके आते हैं, आयुर्वेदिक सेवा श्रम के पास ओवर ब्रिज न होने के कारण आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं, आवागमन के साधन अवरुद्ध हो जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में जिस तरह से अण्डर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाने का सरकार का समयबद्ध कार्यक्रम है उसी तरह से उदयपुर के लिए भी हो। उदयपुर चूंकि पर्यटन नगरी है, झीलों की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है वहां आए दिन काफी पर्यटक आते हैं, आवागमन के काफी साधन हैं, नेशनल हाईवे वहां से गुजरता है, ऐसी परिस्थिति में ओवर ब्रिज बनाने के लिए, माननीय मंत्री महोदय, आप इस बजट में प्रावधान रखें तो मैं समझता हूं कि हमारे उदयपुर के निवासियों को आपका काफी योगदान रहेगा। मैं इस कार्य के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उदयपुर में जो आयुर्वेदिक सेवाश्रम है वहां ओवरब्रिज बनाएंगे तो विशेष रूप से उदयपुर का उपनगरीय भाग पुराने शहर से जुड़ जाएगा। इससे आए दिन जो सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बच पाएंगे, यह मेरा विशेष रूप से निवेदन है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग ने काफी सड़कें बनाई हैं लेकिन नान प्लान में रिपेयरिंग के लिए जितना पैसा देना चाहिए वह नहीं दे पाते विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वे निश्चित नार्म्स से, निश्चित समय में रिपेयर होनी चाहिए, वह रिपेयर नहीं होती हैं, इस कारण से सड़कों का स्वरूप आज बिगड़ा हुआ है। लगता ही नहीं है कि कभी इन पर डामर हुई थी। विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में झाड़ोल रोड से अलसीगढ़ किसी जमाने में सिंचाई विभाग ने सड़क बनाई थी मानसी वाकल योजना को बनाने के लिए आज वह सड़क, ऐसा लगता ही नहीं है कभी डामर हुई थी। बल्कि कंकरीट ही रह गई है और स्थिति यह है कि पैदल वाले भी गिर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

( श्री चुन्नीलाल गरासिया )

करना चाहूंगा कि इस तरह की जो पुरानी सड़कें हैं जिनकी रिपेयरिंग नहीं हुई, 20-20 साल हो गये, उनकी प्राथमिकता के आधार पर रिपेयरिंग करवाएंगे तो मैं समझता हूं कि वहां के क्षेत्र के लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे बच पाएंगे। यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, मेरा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है इसलिए मैं विशेष रूप से गुजारिश करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, डूंगरपुर जिला जो वास्तव में पूरा जनजातीय क्षेत्र है वहां किसी समय में किसी अधिशासी अभियंता ने दैनिक मस्टररोल पर कुछ मजदूरों को भर्ती किया था और आज उनके लिए ऐसी जटिल समस्या है कि सड़कों की रिपेयरिंग का जो पैसा जाता है प्लान का, वह उनके वेतन भुगतान के लिए चला जाता है। आज डूंगरपुर क्षेत्र की सड़कों को देखें। डूंगरपुर क्षेत्र कम से कम 3/4 क्षेत्र ऐसा है जो गुजरात की सीमा से मिलता है। गुजरात की सीमा से लगने वाली जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों की आप हालत देखेंगे तो शायद मन में बहुत दुःख होगा कि हमारे पूरे राजस्थान में सड़कें किस तरह से बनी हुई हैं और सीमा पर कैसी सड़कें बनी हुई हैं। उन सीमा की सड़कों की हालत यह है कि कम से कम एक-एक फीट, छह-छह इंच खड्डे पड़े हुए हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि जितना नान प्लान का पैसा आता है वह। सारा पैसा कर्मचारियों को देने में चला जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी आपसे मेरी व्यक्तिशः बात हुई थी कि कम से कम उदयपुर संभाग में डिवीजनवाइज आप कर्मचारियों को बांट देंगे स्थानान्तरित कर देंगे तो डूंगरपुर जिले की सड़कों के रख रखाव के लिए जो पैसा है उसका सही उपयोग हो पाएगा और उस क्षेत्र की सड़कों का समय पर रख-रखाव और मेंटीनेंस होगा। यह भी मैं मांग के माध्यम से आपको आगाह करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि इस विषय में मंत्रीजी काफी दृढ़ हैं, कोई न कोई निर्णय करेंगे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सके।

आज सड़कों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की मांग के बारे में भी चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री महोदय ने काफी छात्रावास खोले हैं राजस्थान में, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अल्प समय में आपने जहां-जहां भी आवश्यकता थी, वहां-वहां छात्रावास खोले हैं। विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र में इनके कार्यकाल में दो छात्रावास खुले हैं, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। गिरवा ऐसा क्षेत्र है जहां देश आजाद होने के आद में समझता हूं कि पांच साल के अंतराल में दो होस्टल खुले हैं इससे पहले गिरवा में कोई आदिवासी छात्रावास नहीं था जबकि गिरवा पूरा

( श्री चुन्नीलाल गरासिया )

आदिवासी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है। मैं समझता हूं आलोचना तो नहीं करनी चाहिए लेकिन हम जनजातीय क्षेत्रों के लिए काफी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। शहर के आसपास पच्चीस किलोमीटर के रेडियस में बसने वाले आदिवासियों के लिए हम छात्रावास ही नहीं बना पाए तो कैसे कल्पना कर पाएंगे उनको मुख्य धारा में लाने की। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां-जहां वास्तव में गैप था, जहां जैसी जरूरत थी वहां के आदिवासी भाइयों को, जनजातीय छात्रों को, जनजातीय भाइयों को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, उनके छात्रों के पढ़ने के लिए छात्रावास खोले हैं, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन छात्रावास खोलकर जिस तरह का आउटपुट हम चाहते हैं वह आउटपुट इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो मापदण्ड बनाए हैं, जो हमने भत्ते रखे हैं वह कम हैं। उन भत्तों को वास्तव में महंगाई के अनुसार देना चाहिए। जिस तरह कि अपेक्षा है कि जनजातीय क्षेत्र के छात्र पढ़कर शहर के छात्र से काम्पीटिशन करे और काम्पीटिशन करके रोजगार के हर क्षेत्र में आगे आएं, मैं समझता हूं कि यह खाली घड़ियाली आंसू बहाना होगा, कोरी कल्पना होगी जब तक कि हम छात्रावासों को पूरी सुविधाएं नहीं देंगे, उन्हें खाने के लिए भरपेट रोटी नही देंगे, उन्हें कपड़े अच्छे नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे। शहर का छात्र अच्छे कपड़े पहन कर और छात्रावास का छात्र फटेहाल आएगा या केवल एक ड्रेस होगी। एक गंदी ड्रेस में आएगा तो मैं समझता हूं कि एक साइक्लोजिकल प्रभाव पड़ेगा कि वास्तव में शहर का छात्र उससे कितना अच्छा रह रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल भत्तों को मापदण्ड न बनाकर कम से कम क्या सामान उनको दिया जाए वह सूचीबद्ध करके, उस सामान का कितना क्या मूल्य है उसके आधार पर भत्ते देंगे तो आने वाले समय में हम जिस छात्र को मुख्य धारा में या शहर के छात्र से काम्पीटिशन कराना चाहते हैं वह हमारा सोच पोजीटिव बनेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भत्तों में बढ़ोतरी करें ताकि हम छात्रों को सही ढंग से पूरी सुविधाएं दे पाएं।

आज राजस्थान में दो प्रकार के छात्रावास चलते हैं। जनजाति क्षेत्रों में जनजाति विभाग छात्रावास चलाता है और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग छात्रावास चलाता है। ये छात्रावास दो मापदण्ड के आधार पर चलते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री और समाज कल्याण मंत्री दोनों मिलकर इनके मापदण्ड समान रखें। एक छात्रावास में रहने वाला छात्र कहता है कि मुझे ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और दूसरे छात्रावास में रहने

( श्री चुन्नीलाल गरासिया )

वाला छात्र कहता है कि मुझे कम सुविधाएं मिल रही है, दोनों छात्रावासों में जनजाति के और एस.सी. के छात्र रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनों के मापदण्ड एक रहेंगे, दोनों को सुविधाएं एक रहेंगी तो अलग-अलग सुविधाएं रहने से एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पड़ता है वह नहीं पड़ेगा, यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

आज समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कई होस्टलों में बिस्तर नहीं है, खाट नही है, भवन वर्षों पहले निर्मित हो चुके हैं, जर्जर हो रहे हैं, रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं है। मैं समझता हूं कि आधारभूत सुविधाएं तैयार कर लेंगे लेकिन उनकी मेंटीनेंस नहीं होगी तो वहां की चार दीवारी में रहकर जो छात्र पड़ते हैं उनकी उस भवन को देखकर कैसी मेंटीलिटी बनेगी। बरसात में छतें चू रही हैं, छात्रों की किताबें भीग रही हैं, बिस्तर भीग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वह पढ़ नहीं पाएंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे छात्रावासों की सूची बना करके उनकी मेंटीनेंस की जाए, सारा रखरखाव ठीक किया जाए ताकि आने वाले समय में वहां रहने वाले छात्र ढंग से पढ़ सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नॉन-प्लान में प्रत्येक पांच साल में या कोई भी नॉर्म्स बना दें। आज कई छात्रावास ऐसे हैं जिनमें बिस्तर नहीं है, खाट नहीं है, उनको नीचे दरी पर सोना पड़ता है। आज हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने वाले है और छात्रावासों में छात्रों के पास बिस्तर नहीं हैं, नीचे सो रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो आवश्यकता है, इनको सुविधा नहीं कहा जा सकता, हम आदिवासी तथा एस.सी. के छात्रों की मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो आने वाले समय में यही जनरेशन हमारे साथ भागीदार बनकर हर क्षेत्र में आगे आएगी। हमारी सरकार इस विषय में काफी गंभीर है कि एस.सी., एस. टी. और ओ.बी.सी. को अन्य समाज के बराबर लाकर कैसे खड़ा किया जाए।

दोनों मांगें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये विकास और सामाजिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। दोनों मांगों पर मैं दोनों मंत्री महोदय से अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान का उदयपुर का दक्षिणी भाग है, जो वर्षों से विकास की दृष्टि से राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के बराबर नहीं आया है इसलिए आप छात्रावास व सड़कों के माध्यम से इस एरिया का विशेष ध्यान रखें। जय भारत। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री कन्हैया लाल मीणा।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आज हमारे प्रिय मंत्री श्री अनंग कुमार जी जैन का जन्मदिन है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अधूरी बात की है। आज सारे सदन को लड्डू खिलाए जाने चाहिए।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री अनंग कुमार जैन को उनके जन्म दिन पर बधाई देता हूं। मांग संख्या 21 और 33 पर हो रही चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय के लिए माननीय खोईवाल साहब ने जो कहा कि या तो ये कहते नहीं है और कहते है तो उसको करते भी हैं और करते भी ऐसा है कि यह 10 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 5 महीने में होगा। इसकी तारीख भी देते हैं, वह सही है। उसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम समय सीमा में सारे कार्य को किया, अन्यथा दो-दो, तीन-तीन वर्ष तक कार्य चलते रहते हैं। उस कार्य के प्रति आपका जो लगाव व प्रेम है उसके लिए मैं जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने आगरा रोड पर घाट की गुणी से लेकर खानिया तक, चूलगिरी पर्वत तक सीमेंट-कंकरीट रोड बनाकर उस पुलिया को करीब 6 फीट सड़क को तोड़ने के बाद नीचे किया, उसके लिए मैं इसको धन्यवाद देना चाहूंगा। वहां महीने में औसतन 15-20 व्यक्तियों की डेथ होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन अब उसको बने हुए तीन साल पूरे हो गए, ईश्वर की कृपा है कि उस दिन से लेकर आज तक वहां एक भी दुर्घटना नहीं हुई। उसको नीचे करने से ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और आने वाले वाहनों को जो सुविधा हुई है उसके लिए विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ही नहीं बल्कि आगरा, भरतपुर और दौसा जिले से जितने भी लोग आने वाले हैं वे सब भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

इसके साथ-साथ मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में धूलारोड से नांगल बेरसी तक जो सड़क मंजूर की और आपने उसको अतिशीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया है, उसके लिए भी मैं आपको एडवांस बधाई देना चाहूंगा। दूसरा आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में नाबार्ड योजना के तहत कोटखावदा से रामनगर और कोटखावदा से जावदा कलां, जो पंचायत हैडक्वार्टर है, दोनों को जोड़ने का कार्य स्वीकृत किया, उसके लिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नाबार्ड योजना में जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं उससे सारी जनता में यह हो गया कि अब काम एकदम जल्दी हो जाएगा, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इन

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

कार्यों के लिए एन.आई.टी. जारी हो गई, एक सड़क का टेंडर भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश दोनों सड़कों के लिए आगे की तारीख बढ़ा दी गई है। मैं निवेदन करूंगा कि दोनों सड़कों के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्य चालू करें। पहले लोगों में यह धारणा हो गयी थी दोनों सड़कें मंजूर हो गयीं, लेकिन अब लोगों के दिमाग में यह हो गया है कि ये तो कैंसिल हो गयी हैं। जबकि मैं जानता हूं कि कैंसिल नहीं हो सकतीं, क्योंकि आपके कोई ऐसे-वैसे आदेश नहीं होते हैं। यह भी नहीं होता है कि आपके आदेश कैंसिल हो जाएं। इसलिए उनको शीघ्र चालू कराया जाए।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नौ पंचायत हैडक्वार्टर हैं जिनमें से दो तो आपने जोड़ दिए, बाकी सात पंचायत हैडक्वार्टर को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। तीन पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जिनकी रेवेन्यू सीमा में से रोड जा रही है उससे वे पंचायत हैडक्वार्टर या तो चार किलोमीटर दूर हैं या तीन किलोमीटर दूर है या दो किलोमीटर दूर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कुछ परिवर्तन कीजिए। जैसे आगरा रोड किसी रेवेन्यू सीमा से निकल गयी, आगरा रोड से पांच किलोमीटर की दूरी पर झर पंचायत हैडक्वार्टर है। बस्सी से सामरिया तक की लिंक रोड बनी हुई है, वहां से कचोलिया पंचायत हैडक्वार्टर तीन किलोमीटर है। इसी प्रकार से अन्य पंचायत हैडक्वार्टर को नहीं जोड़ा गया है। उनमें सम्पर्क सड़क- कोटखावदा से खेड़ा रानीवास, सम्पर्क सड़क- खेड़ा रानीवास से महादेवपुरा, वाया ताज खां का वास, इन्द्रपुरी ; सम्पर्क सड़क- गरूडवासी से ठिकरिया मीणान वाया रलावता ; सम्पर्क सड़क - हरिनारायणपुरा ; सम्पर्क सड़क - देलाना ; सम्पर्क सड़क - ठिकरिया गुजरान और सम्पर्क सड़क कोटखावदा से रामनगर, जो आपने मंजूर कर दी, सम्पर्क सड़क - कोटखावदा झांपदा कलां भी नाबार्ड में स्वीकृत करा दी और सम्पर्क सड़क नाडोली भी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से नहीं जुड़े हैं और ऐसे 95 गांव हैं जिनके 30 किलोमीटर के एरिया में कोई सड़क आज तक स्वीकृत नहीं हुई है। वहां आसपास न हास्पिटल की सुविधा है, न कोई छोटी डिस्पेंसरी है या एड पोस्ट है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र है जिसमें आने-जाने का कोई सुगम रास्ता नहीं है। बारिश के समय लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है। अनेक बार रात्रि के समय बरसात के समय जब डिलीवरी के लिए किसी महिला को लाते हैं तो वहां काली मिट्टी होने की वजह से ट्रेक्टर, जीप या और कोई साधन नहीं आ सकता इसलिए उन लोगों को लालसोट या दौसा जाना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पंचायत हैडक्वार्टर

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

को आप सड़क से जोड़े और जो रेवेन्यू सीमा में आने वाले पंचायत हैडक्वार्टर हैं, जिसमें झर कचोलिया, सामरिया है, जिनके दो-दो, तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर में रेवेन्यू सीमा में सड़क जाने की वजह से उनको जोड़ा हुआ मान लिया गया उनको जोड़ा हुआ नहीं माना जाए और उनको भी जोड़ने की इजाजत देकर, जो आपकी नीति में आते हैं और जो आपके आदेश हैं वह पूरे हो सके, उन सारी पंचायत हैडक्वार्टर्स को सड़क से जोड़ा जाए।

आपने अभी चाकसू से गरूडवासी तक की सड़क बनाई, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन गरूडवासी को जोड़ा गया है चार पंचायत हैडक्वार्टर के 37 गांवों के लोग उधर से गुजरते हैं उनके बीच में ढूंढ नदी आती है तो वर्षा के समय पानी आ जाने की वजह से उधर के उन 37 गांवों का आवागमन एकदम बंद हो जाता है। उनको कोटखावदा या तूंगा होकर जयपुर आना पड़ता है। उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन चारों पंचायत हैडक्वार्टर्स और एक गरूडवासी, इन पांच पंचायत हैडक्वार्टर्स को आम जनता के लिए ढूंढ नदी पर एक कॉज-वे बनाया जाए। इस पर ज्यादा खर्च नहीं आने वाला है। तो गरूडवासी पंचायत हैडक्वार्टर्स को रोड से जोड़ा है उस रोड पर 37 गांवों की जनता के लिए ढूंढ नदी पर कॉज-वे बना दें तो वहां की जनता को राहत पहुंचेगी।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि विभिन्न विभागों के द्वारा चाहे वह सड़कें जे.आर.वाई. में बनाई हों, चाहे पंचायत समिति या अनटाइड फण्ड में या 30 जिले 30 काम के अन्दर 2-3-4-5 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाई हों, उन्होंने अर्थवर्क का सारा काम करवा दिया। एक लेन या कहीं-कहीं दो लेन, कहीं-कहीं ग्रेवल, ऐसी सड़कें जो बना दी गयी हैं और उनको बने हुए 3-4-5 साल हो गये, इन सड़कों को समय रहते हुए, आखिर आपको जोड़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपकी नीति के मुताबिक भी इन गांवों को जोड़ोगे, इसलिए शीघ्रातिशीघ्र यदि इन पर गिट्टी गिरवा दी जाए, तो खर्चा भी कम आएगा विभाग का। इन सड़कों को जोड़ दिया जाए तो प्रदेश की जनता आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहेगी। इन सड़कों को जोड़कर हमें लाभान्वित करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी की जो रोड्स हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 33 सड़कों की आज की तारीख में हालत ऐसी है कि कई जगह रोडवेज की बसें लगी हुई थीं वह बसें भी रुक गयी हैं रास्ता खराब होने की वजह से। कृषि उपज मण्डी की जो रोड हैं, कृषि उपज मण्डी ने आपके

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

हैंड-ओवर करने के लिए सारा कार्यक्रम तैयार कर लिया, माननीय मंत्री महोदय ने कल मांग पर यह बताया था कि मैंने सारी रोड्स पी.डब्ल्यू.डी. को हैंड आवर कर दी हैं और पी.डब्ल्यू.डी. ने वायदा किया है कि वह मई से पहले पहले इन सारी सड़कों की मरम्मत कर देगी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी की जो रोड्स आपने ली हैं उनके लिए विभाग को निर्देश देकर उनकी मरम्मत शीघ्रातिशीघ्र करवाई जाए।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूड़ला से पाटन सड़क पर अर्थ वर्क अकाल राहत के तहत हुआ, ग्रेवल का काम हो रहा है, यह दो पंचायत हैडक्वार्टर्स के बीच की मिसिंग लिंक रोड है, शाहपुरा से, देहली से जमवारामगढ़ होता हुआ भूड़ला पाटन होता हुआ वह सीधा कोटखावदा और चाकसू होता हुआ डायरेक्ट टौंक रोड में मिल जाता है, इतना शार्टकट है कि वह जयपुर से बच जाता है, सांगानेर से बच जाता है और शाहपुरा से, दिल्ली से आने वाला व्यक्ति सीधा डायरेक्ट टौंक जा सकता है। मात्र तीन किलोमीटर का एक टुकड़ा जो मिसिंग लिंक का है भूड़ला और पाटन दो पंचायत हैडक्वार्टर के बीच में, यदि यह जुड़ जाता है तो 60-70 किलोमीटर का टुकड़ा है इसका एक लिंक हो सकता है और जो लोग डायरेक्ट कोटा जाने वाले हैं वह उधर से भी जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भूड़ला और पाटन के बीच में यह सड़क का टुकड़ा निर्देश देकर जोड़ने की कृपा करें। मात्र तीन किलोमीटर है जिसमें अर्थ वर्क का काम हुआ पड़ा है, ग्रेवल का काम हुआ पड़ा है। तो जो शेष तीन किलोमीटर का कार्य है वह पूरा करवाये जाने का आदेश जारी करें।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे पर खोखाला पुलिया से रामसर पालावाला जो पंचायत हैडक्वार्टर है, इस पर डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क पंचायत ने जे.आर.वाई. के तहत बनवा दी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें अगर एक काज-वे बन जाता है तो पंचायत हैडक्वार्टर में पहुंचने में सुगमता रहेगी। बारिश के अन्दर एक नाला आता है जिसकी वजह से जो लोग रामसर पालावाला गांव में जाना चाहते हैं, 6-7 गांव के लोग इधर से गुजरते हैं, उनको इधर-उधर घूमकर के 6-7 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह छह गांव जुड़ जाएं इसके लिए खोखाला गांव के पास में पुलिया से रामसर पालावाला पर एक काज-वे का निर्माण करवा दिया जाए तो इन 6-7 गांवों की जनता को काफी राहत मिलेगी।

इसके साथ ही मैं मांग संख्या 33 के बारे में माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में मानसिक दृष्टि से कई व्यक्ति पागल हैं। चाहे पुरुष

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

हो या महिलाएं हों, पूरे प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, हमारी माता-बहनें नंग-धड़ंग अवस्था में घूमती रहती हैं। रात-रात भर वे कहीं भी रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर घूमती फिरेंगी या जंगल में लकड़ी के भरोटे लेकर रात के 2-2, 1-1 बजे घूमती हुई मिलेंगी यहां सांगानेरी गेट पर एक महिला, जो अच्छी हालत में हैं, नंग धड़ंग अवस्था में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अहाते में बैठी रहती है और वह घूमती फिरती है, शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं है। ऐसी हालत में हमारे प्रदेश की माता-बहनों की इस तरह की दुर्दशा हो रही है, समाज कल्याण विभाग का इनके प्रति नैतिक दायित्व भी है। असहाय व्यक्ति, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई सार-सम्भाल करने वाला नहीं है, उनके घरवालों को पता नहीं है कि कहां चले गये है, ढूंढ़ते-ढूंढ़ते कई बार थक जाते हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप बाजार से, शहरों से कहीं दूर चाहे 500 या एक हज़ार बीघा चरागाह या सिवाय चक जमीन पड़ी हुई हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि उस जमीन को अलाट कर दें, कई दानी तैयार है, दान देने वाले आज की तारीख में कई तैयार है जो इनके भवन की व्यवस्था कर सकते हैं, बल्कि इनके खाने-पीने की व्यवस्था में भी मदद करने वाले हैं लेकिन समाज कल्याण विभाग आगे होकर इस ओर कदम उठाये कि राजस्थान में कहीं भी कोई पागल व्यक्ति मिले, उस व्यक्ति को एक अमुक स्थान पर, एक स्थान नियत हो जाय कि फलां जगह पागलों को रखने का स्थान है तो मैं कहता हूं कि 50 पर्सेण्ट से ज्यादा तो उनके माता-पिता वहां जाकर के उनको ढूंढ़ लेंगे और उनका इलाज करवाया जाए तो आधे से ज्यादा ठीक भी हो सकते हैं। इससे समाज कल्याण विभाग का एक दायित्व भी पूरा होगा। समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक अमुक टेलीफोन नम्बर हो जहां आम आदमी सूचना दे दे और पागल व्यक्ति राजस्थान में कहीं भी मिले तो उसको उठाकर के वहां पहुंचा दिया जाए। ऐसा अगर राजस्थान में एक स्थान बना दिया जाए तो यह बहुत बढ़िया होगा और आप हिन्दुस्तान में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि राजस्थान में समाज कल्याण मंत्री दिलावर नाम के ही नहीं है, वह वास्तव में दिल वाले भी हैं और अच्छा काम करने में वे हमेशा अग्रणी रहते हैं।

साथ ही मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धावस्था आश्रम बनाने हेतु। असहाय व्यक्ति जिनकी 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र है, जिनके आगे-पीछे देखभाल करने वाले नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपने घोषणा भी की थी और ऐसा प्रावधान भी है कि ऐसे बूढ़े आदमी को आश्रम में रखा जाए। ऐसे आश्रम के लिए

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

मेरे बस्सी विधान सभा क्षेत्र में एक व्यक्ति है यदि आपकी तरफ से कुछ सहयोग मिल जाए तो वह भवन बनाने के लिए तैयार है। व्यवस्था समाज कल्याण विभाग की तरफ से करवा दी जाए, कुछ एड उनको दे दी जाए तो वे लोग कमेटी बनाकर उसको चलाने को तैयार हैं। मुझे आशा है कि आप इसकी स्वीकृति देंगे और समाज कल्याण विभाग को साथ में लेकर उस कार्य को पूरा करवायेंगे।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा ऐलान भी किया था, भारत सरकार का ऐसा ऐलान है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को पेंशन दी जाएगी। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में समाज कल्याण विभाग की तरफ से आज तक जिन-जिन व्यक्तियों ने तहसील में आवेदन किया है उनमें से किसी भी व्यक्ति को सहायता के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को सहायता देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान जो आपने किया है, मात्र जो पहले सरकार की योजना चल रही है उसके अलावा कोई सहायता नहीं मिल रही है असहाय व्यक्ति हैं, विकलांग है या लूले-लंगड़े हैं उन्हीं को सहायता मिल रही है बाकी किसी को नहीं मिल रही है।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बालिका छात्रावास झर में है और डी.आर.डी.ए. की तरफ से उसको चला रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह झर में जो बालिका छात्रावास है वहां पर आज की तारीख तक रात को छात्रावास अधीक्षक नहीं ठहरते हैं। उस छात्रावास के अन्दर आज

(14.00)

आप जाकर निरीक्षण करें तो वे बच्चियां आपको महीनें में मात्र 10 दिन से ज्यादा और वह भी जितनी वहां पर एन्ट्री दिखाई जाती है उससे एक चौथाई भी बच्चियां नहीं ठहरती हैं क्योंकि वहां उनको पूरा भोजन नहीं मिलता है। लिस्ट बनाकर भुगतान पूरा उठाया जाता है। न वहां पर पानी की कोई व्यवस्था है। पहले वहां पर एक हैण्ड पम्प था, उस हैण्ड पम्प से पानी लाकर खाना बनाने का काम भी कभी-कभी उन छात्राओं से लिया जाता है। अनेकों बार शिकायतें हुई। शिकायतें होने के बावजूद भी डी.आर.डी.ए. की तरफ से जांच कराई गयी। एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय भी वहां पर गये थे, अध्यक्ष महोदय ने इसके बारे में आपको लैटर भी लिखा है और उनके कहने के बाद मैं वहां पर कुछ, अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने लिखकर दिया है और उसके बाद में थोड़ा बहुत काम हुआ है दो दिन तक और उसके बाद में वापस वह की वह स्थिति, पुराना ढर्रा चालू हो गया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि झर

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

बालिका छात्रावास आगरा रोड पर बन रहा है, एक बार आप किसी बड़े अधिकारी को भेजें या स्वयं एक बार आगरा रोड पर जाते हुए, बिलकुल रोड पर है, अगर निरीक्षण करेंगे तो आप सारी हालत को देखेंगे और देखने के बाद आपको पता लगेगा कि वास्तव में पूरे स्टाफ को ही वहां से हटाया जाए और दूसरा कोई स्टाफ वहां पर नियुक्त किया जाए। पुराना स्टाफ है जो वर्षों से वहां पर बैठा हुआ है।

इसके साथ ही मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति निगम बना दिया गया है, यह बात सही है लेकिन अनुसूचित जाति निगम के द्वारा महिलाओं और पुरुषों को, अनुसूचित जाति या जनजाति का तो खाली नाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति निगम बनाया गया, अनुसूचित जनजाति के तो कोई बेरोजगार या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्ति को लोन देने का आज तक कोई सवाल ही नहीं है, खाली नाम दे दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि इसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी लोन दिलवाये जाने की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आज तक जिन्होंने आवेदन किया है, होना यह चाहिए था कि यदि 50 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ विधान सभा क्षेत्र में हों या एक पंचायत समिति में हों उनका कैम्प आयोजित करके वहीं की वहीं कागजात बनाकर सारी कार्यवाही वहां पर पूरी की जाए। चर्म उद्योग के नाम पर मेरे क्षेत्र में करीब 50 व्यक्तियों ने आवेदन किया, आज दो वर्ष हो गये लेकिन उन व्यक्तियों को आज तक लोन नहीं मिला। तो कम से कम जो यह ऋण देने की व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए। अनुसूचित जाति के व्यक्ति आवेदन करें तो उनके लिए कम से कम यह समय सीमा होनी चाहिए कि एक माह के अन्दर ऋण दें या कुछ न कुछ उनको जवाब दें, जवाब नहीं दे सकते हों तथा कोई परेशानी हो तो वह बता दें, वह वैसा जवाब दे दें। इनकी समय सीमा तय की जानी चाहिए कि इतने दिन में हो सकता है।

साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, हर दृष्टि से पिछड़े वर्ग को, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को लिया जाए। उनके उत्थान के लिए आप हर तरह से प्रयत्नशील रहते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों मे जो यह शराब पीने की आदत है वह सबसे ज्यादा है और इनके सबसे ज्यादा पिछड़े रहने का मैन कारण ही शराब है, मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग के माध्यम से एक शुभारम्भ करें, ऐसे शिविर लगायें जाएं, हर विधान सभा क्षेत्र वाइज अनुसूचित जाति के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। वहां की महिलाएं इतनी दुःखी हैं कि एक बार

( श्री कन्हैयालाल मीणा )

मैं गांव में जब माननीय सोनगरा साहब को लेकर गया था, सोनगरा साहब जब उधर गये तो महिलाओं ने वहां एक किलोमीटर आगे आकर, क्योंकि सामने वहां अपने पतियों के सामने यह कहना नहीं चाहती थीं, शिकायत नहीं करना चाहती थीं, आप ताज्जुब करेंगे कि अनपढ़ महिलाएं जिनको पता लग गया कि आज सोनगरा साहब हमारे गांव में पधारने वाले हैं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, एक किलोमीटर दूर आकर उनकी गाड़ी रोक ली और गाड़ी को रोकने के बाद में उन्होंने कहा कि साहब, हम आपको जाने तभी देंगे, जब आप यहां पर पधारे हैं, आप हमारे पतियों की अगर शराब छुड़वाकर नहीं जाओगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। आप ताज्जुब करेंगे, माननीय सोनगरा साहब ने वहां पर साफा बंधवाया, कुछ लोगों को वहां पर सौगंध भी दिलवाई। इससे 10 प्रतिशत कुछ लोगों में सुधार भी आया लेकिन स्थिति फिर वह की वह बनी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार एक अभियान चलाया जाए और विभिन्न विधान सभा क्षेत्र या पंचायत समिति क्षेत्र वाइज कैम्प आयोजित किये जाएं। उससे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के शिविर आयोजित करें उससे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को काफी राहत मिलेगी। जिस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के बारे में सरकार अभियान चला रही है, आप भी इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, उनको छुड़ाने के लिए एक अभियान चलायें जिससे काफी फर्क पड़ेगा। मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

**श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय। आज मांग संख्या 21 पर चर्चा हो रही है। माननीय चतुर्वेदी साहब, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री ने मेरे क्षेत्र में कई सड़कें स्वीकृत की हैं। बेगूं और बिजौलिया, आन्दोलन के जमाने में एक क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है। बहुत अरसे से बेगूं विधान सभा क्षेत्र काफी लम्बा होने से उधर ठीक रामगंज मंडी तक फैला हुआ है और कुंडाल में सिर्फ एक सड़क रामगंज मंडी को जोड़ने वाली टूटी फूटी अवस्था में थी इसके अलावा कोई सड़क नहीं थी और कई गांव दुःखी थे। माननीय चतुर्वेदी साहब से हमने निवेदन किया कि वह जो सड़क है नौ-ए स्टेट हाईवे है। उस स्टेट हाईवे को आपने स्वीकृति दी, उसका काम चालू है और वह 47 लाख की योजना है और सुचारू रूप से उसका काम चल रहा है, पुलियाएं उसकी बाकी हैं। बड़ोदिया से डावतकलां तक की सड़क के बीच में आने वाली पुलियाओं के लिए माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि उन पुलियाओं को भी साथ-साथ ले लिया

( श्री चुन्नीलाल धाकड़ )

जाए ताकि इस सड़क का पूरा सदुपयोग हो सके और रामगंज मंडी तक जाने में लोगों को सुविधा मिल सके, चाहे किसी फंड से लें, चाहे नाबार्ड से लो। अबकी बार नाबार्ड में चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत कम रकम मिल पाई है। मंत्रीजी से अनुरोध है कि इन पुलियाओं को जरूर लें।

मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सवाणिया पंचायत मुख्यालय है, सादी पंचायत मुख्यालय है और आमरडा से चरछा राजस्थान-मध्य प्रदेश की सीमा है और धामणचां पंचायत मुख्यालय है जिसको दो किलोमीटर की स्वीकृति दी है और बाकी का डामरीकरण का काम चल रहा है। मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही कुछ मुख्यालय ऐसे बच गये हैं जहां सड़क नहीं बन पाई हैं। मेघ निवास, जय नगर, मोतीपुरा, धामणचां का दो किलोमीटर शेष, रावड़दा, इन सभी से ऊपर उठकर मैंने प्रश्न उठाया एक समस्या बीच में 295 के तहत भी मैंने उठाई थी और माननीय मंत्रीजी से अनुरोध भी किया था जब मंत्री महोदय वहां पधारे थे, बोराव के पास एक पंचायत मुख्यालय है गोपालपुरा, जिसके बीच में ब्राह्मणी नदी पड़ती और यह ब्राह्मणी नदी की दूर-दूर से पानी की आवक होने की वजह से बरसात के दिनों में 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक इसमें उतार नहीं आता है और सारा पंचायत क्षेत्र गोपालपुरा हमसे अलग-थलग पड़ जाता है। मंत्रीजी से इस सड़क और पुलिया के लिए विशेष निवेदन करता हूं। पूर्व में मंत्रीजी से मिलने के लिए उस क्षेत्र के लोग यहां से एक बार बस भरकर आए थे उनको भी मंत्रीजी ने थोड़ा भरोसा दिलाया था, पक्का तो नहीं। आज मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिया, जो मात्र 23 लाख की है, का आश्वासन इस सदन में अवश्य दें क्योंकि इस पुलिया के बन जाने से गोपालपुरा पंचायत के जो आठ गांव हैं, जहां बरसात के दिनों में तेल, पानी, नमक वगैरह सब बोराव से जाता है और अधिकांश इलाका अनुसूचित जनजाति का है, ऐसे लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सड़क के बारे में एक निवेदन और है। भैरूंघाटी से नंदवाई अगर सड़क बन जाती है तो चित्तौड़गढ़ और रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ और कोटा के बीच 12 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। आज के इस महंगाई के युग में 12 किलोमीटर की दूरी कम होना एक बहुत बड़ी बात है। इतना फ्यूल कम होना, जल्दी पहुंचना इत्यादि लोगों के आने-जाने में इस प्रकार का असर करता है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस सीधी 12 किलोमीटर कम पड़ने वाली रोड को इस योजना में स्वीकृति प्रदान करें।

मंडेसरा से लोटियाणा, यह बिलकुल आदिवासियों को जोड़ने वाली एक सड़क है और मंडेसरा में आठवीं तक का स्कूल भी है, बीच में एक नदी पड़ती है ब्राह्मणी, अगर यह रास्ता पूरा हो जाता है, नदी पर पुलिया

( श्री चुन्नीलाल धाकड़ )

बन जाती है तो इधर के गांव आदिवासी को, जिनकी पढ़ाई का साधन एकमात्र मंडेसरा ही है, जाने-आने में सुविधा होगी और अपना स्तर सुधार सकेंगे।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से हमें बहुत कुछ उम्मीद है और आपकी मेहरबानी से मेरे बेगूं में कन्या छात्रावास का कार्य प्रगति पर है। इससे पहले भी एक आश्रम छात्रावास जावदा में चलता है, माननीय मंत्री महोदय अचानक एक बार रात्रि में पधारे और उन्होंने आकस्मिक चैक भी किया था, आपकी रुचि भी इस ओर है। एक निवेदन करता हूं कि बेगूं में जो एक छात्रावास लड़कों के लिए मंजूर हुआ था उसका कार्य अभी तक चालू नहीं हो पाया है अधिकारियों की ढिलाई की वजह से। जब उनको जमीन बता दी गयी है, जमीन का पट्टा भी करा लिया गया काफी पहले से, सब कुछ होते हुए भी न मालूम समझ में नहीं आया, अभी एक-डेढ़ महीने पहले जरूर वहां वह आए थे, मेरे साथ चले थे, मैंने मौका भी उनको बताया लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, यह वजह माननीय मंत्री महोदय पता करें कि यह अधूरा लटका हुआ काम क्यों है। जितना लम्बा होगा उतना ही खर्चा और बढ़ेगा। मंत्री महोदय से मंडेसरा, जिसके आस-पास सब आदिवासी हैं, में एक आश्रम छात्रावास की मैं मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें, कन्सीडर करें। वहां आश्रम छात्रावास खुल जाने से उस क्षेत्र के जो पिछड़े लोग हैं, जो डूब से आकर वहां बसे हैं, उन सबको इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए स्वीकृति दिलायें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल, 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बहस में अपने आपको शामिल करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी और उनके विभाग को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से नीति के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया है चाहे सड़कों के सम्बन्ध में है, चाहे भवनों के सम्बन्ध में है, आज एक दिशा नजर आती है सार्वजनिक निर्माण विभाग की, क्योंकि जब कभी किसी भवन का उद्घाटन होता है, जिस दिन उसकी नींव का पत्थर रखा जाता है तो यह तय हो गया कि आज से यह प्रारम्भ हो रहा है कि लेकिन माननीय चतुर्वेदी जी ने अपने डिपार्टमेंट को इसके लिए बाध्य किया कि वह तिथि भी बताएं कि यह समाप्त कब होगा। क्योंकि एक लम्बा अनुभव इस बात का है कि सड़कें बनें, चाहे भवन बनें, उसके टेण्डर हों, टेण्डर होने के बाद में काम प्रारम्भ हो, फिर ठेकेदार भाग कर चला जाए, काम अधूरा रह जाए, फिर वापस उस पर थोड़ा-बहुत दण्ड हो जाए, फिर नेगोशिएशंस हों, फिर उस रकम को

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

बढ़ाया जाए, उस ठेकेदार को लाभ दिया जाए, इस तरीके से जो काम होता था उसमें समय भी लगता था और पैसा भी अधिक लगता था। जब से इस नीति की घोषणा की, यह भवन है इसका एस्टीमेट यह है, आप आज प्रारम्भ कर रहे हो, इसको समाप्त किस तारीख को करोगे, उसका वह जो वहां पर वर्णन होता है, जो तिथि लगी होती है तो हर आदमी की निगाह में आता है कि यह काम इस तारीख को समाप्त होने वाला है। इसके लिए मैं इनके विभाग के अधिकारियों को और माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने सड़क बनाना शुरू किया, पहले भी सड़क बनती रही है, और हर सड़क बरसात में टूटती रही है और फिर मरम्मत होती रही और फिर सड़क बनती रही, लेकिन आज जो सड़के राजस्थान के अन्दर हैं उनका अपना एक स्वरूप है। मैं एक निवेदन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से करना चाहता हूं कि यह जो गिट्टी की सड़क बनाते हैं, गिट्टी की सड़क बनाने के बाद में कुछ ठेकेदार डामर के नाम पर उनको छोड़ देते हैं, उसके बाद में फिर डामरीकरण करने का नम्बर आता है तो फिर उस पर मरम्मत का काम शुरू होता है, अगर इस पर भी थोड़ा सा चैक लगा दिया जाए और जिस तरीके से भवन की बात हो गयी है, उसी तरीके से सड़कें भी समय पर बनें कि यह इस तारीख से शुरू होगी और इस तारीख को खतम होगी, तो मेरा ख्याल है, बहुत अच्छा होगा। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं। जो सड़कें आपकी गांव के मध्य में होकर निकल रही हैं, आप किसी गांव में चले जाइयेगा, किसी कस्बे में चले जाइयेगा, जो पी.डब्लयू.डी. की सड़क निकलेगी, वह गांव में टूटी हुई होगी। गांव में टूटी होने के कारण क्या है? उसमें पानी है। डामर में पानी चला जाता है। डामर और पानी का तो बैर है तो वह सड़क उकल जाती है। तो आप जब सड़क का निर्माण करें और उस गांव से सड़क निकालें तो उसे सीमेंट की बना दें। वह सीमेंट की सड़क होगी और आगे जाकर डामर हो जाए। गांव का जो हिस्सा है उस पर अगर सीमेंट कर दी जाए तो वह सड़क कभी टूटेगी नहीं और उसका लाभ निश्चित रूप से स्थायी रहने वाला है। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं हमारे बाईपास के लिए गुलाबजी कभी एम.एल.ए. होते थे, आज तो वह मंत्री हैं, तब से डिमाण्ड करते रहे क्योंकि उदयपुर में मौते होती रही हैं, ट्रक टकराते रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते रहे हैं। जब से सार्वजनिक निर्माण विभाग इनके पास में आया है, निरंतर हम सारे जन प्रतिनिधि वहां के, चाहे मैं हूं, चाहे भगोराजी हों, चाहे चुन्नीलालजी, जन प्रतिनिधि जितने भी थे, वह सब उदयपुर के संदर्भ में चर्चा करते रहे, वह बाईपास इन्होंने

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

बना दिया, बाईपास बन रहा है और दोनों तरफ बन रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बी.ओ.टी. के अन्दर इतने पुल हैं, यह बाईपास हैं, जैसे उदयपुर का आपने बी.ओ.टी. में यह बाईपास का निर्माण किया है, उसी तरीके से करा दें। उदयपुर जिले में आपने दरूलाई के आगे एक छोटी सी पुलिया बनाई है और वह पुराना पुल भी अभी है, लेकिन एक छोटी सी पुलिया बनाई इसलिए वहां रोज झगड़े होते हैं। झगड़े इस बात के होते हैं कि पुलिया तो इतनी सी है और उस पर तीस रुपये ट्रक को देने पड़ते हैं, दस रुपये कार को देने पड़ते हैं और फिर वह ट्रक वाले कहते हैं कि मैं तेरी इस पुलिया से नहीं आया हूं, मैं तो उस पुराने रोड से आया हूं और वास्तव में वह उस पुराने ही पुल से निकलता है और जब वह पुराने पुल से निकलता है तो वह कहता है कि मैंने आपकी इसका उपयोग ही नहीं किया तो तीस रुपये किस बात का दूं? मान्यवर, छोटी सी पुलिया पर अगर इतना टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से उसमें गड़बड़ होने वाली है। या तो उसे लम्बे समय तक के लिए दें। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, आप इसको देख लें। यह जो मैं आपके सामने समस्या रख रहा हूं, मैंने तो समस्या रख दी और इसकी वजह से वहां आए दिन झगड़े होते हैं और जनता के अन्दर एक गलत मैसेज जा रहा है, जबकि मैं यह देख रहा हूं कि वह जो बाईपास बन रहा है उसकी वजह से उदयपुर के लोग बहुत प्रसन्न हैं और आपको रोज आशीर्वाद देते हैं और आपका अहसान मानते हैं लेकिन दूसरी तरफ यह जो छोटे-मोटे झगड़े खड़े हो जाते हैं उनसे भी दिक्कत आती है।

मैं इसी के साथ यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे नम्बर आठ के ऊपर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि आज इस बात की चिंता होने लगी है कि दिल्ली से जयपुर तक फोरलेन हो और उसके बाद अजमेर तक फोरलेन हो और फिर उदयपुर तक फोरलेन हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उदयपुर और अजमेर के बीच में फोरलेन हो वह तो हो, लेकिन अगर यह फोरलेन हो तो रतनपुर से लेकर उदयपुर तक को प्रायोरिटी दें आप। इसलिए दें कि वहां पर जब जाम लग जाता है उन घाटियों के अन्दर, तो अहमदाबाद जाने वाले जो मरीज हैं, जो उदयपुर से जाने वाले हैं वह तड़पते रहते हैं। और वह जाम खुलता ही नहीं है। इसलिए उसे फोरलेन कराने की जरूरत है और इसका वाया मीडिया और है इस सारे रश को कम करने का, और वह वाया मीडिया है अजमेर से नसीराबाद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ होते हुए और चित्तौड़ से इस ट्रैफिक को मंगलवाड़ तक और मंगलवाड़ से कीर की चौकी, होते हुए सलूम्बर और सलूम्बर

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

से आप इसको रतनपुर निकाल दें, इसे नेशनल हाई-वे नम्बर आठ का ए पार्ट कहा जाए तो भी जो ट्रैफिक बहुत जाम होता रहता है इसका एक रास्ता मिल जाएगा। यह सारा का सारा ट्रैफिक कीर की चौकी से उदयपुर नहीं जाएगा। उदयपुर को छोड़ करके सीधा ही सलूम्बर और सलूम्बर से रतनपुर निकल जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेहरबानी करके इसके लिए प्रयत्न करें तो यह जो अहमदाबाद से बहुत ट्रैफिक आता है नेशनल हाई-वे पर और आए दिन एक्सीडेंट्स और यह सब होते हैं यह रुक सकेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद यू.आई.टी. ने सेवाश्रम के ऊपर एक अण्डर ब्रिज बना दिया। छोटे-छोटे वाहन आज जाते हैं लेकिन जिस तरीके से सैक्टर 3,4,5,6 में यह जो आबादी बढ़ रही है और उदयपुर का विकास जिस गति से हो रहा है, किसी न किसी दिन इस सेवाश्रम के ऊपर आपको ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता होगी क्योंकि रेल का क्रास करके जाना पड़ेगा और अगर इसी को अभी से प्लान करेंगे उस ओवर ब्रिज को तो मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और इसे कैसे बनाया जा सकता है इस पर अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कोई रास्ता निकल आएगा।

मैं इसके साथ ही आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और रणकपुर से जो रास्ता जाता है गोगुन्दा होकर के आता है, सायरा होकर के आता है, यह सारा ट्रैफिक जो इधर से आता है और वह वापस नाथद्वारा जाने वाला ट्रैफिक है वह भी उदयपुर को फतहपुरा को क्रास करके वापस जाता है। यही ट्रैफिक डूंगरपुर की तरफ जाता है तो उदयपुर और फतहपुरा और बड़गांव गांव को क्रास करते हुए जाता है। इसमें सीधा सुखेर की तरफ यह जो बेदला गांव है इस बेदला गांव से अगर एक सड़क आप निकाल दें तो नाथद्वारा की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वह सारा का सारा शहर में नहीं जाएगा और वहां से सीधा निकलकर चला जाएगा।

मैं आपको इसके लिए भी बधाई देता हूं, अहमदाबाद से आते हैं तब रतनपुर आता है जहां हमारे आर.टी.डी.सी. का एक रेस्टोरेन्ट भी है, भवन भी है, मिड-वे है, वहां पर आपने जिस तरीके से द्वार खड़ा किया है महाराणा प्रताप के नाम पर। राजस्थान की एक जो किलों की संस्कृति रही है उसका दिग्दर्शन कराते हुए आपने राणा प्रताप दरवाजा वहां पर खड़ा किया है। जो भी गुजरात से आने वाला आदमी है उसे मालूम हो जाता है कि राजस्थान प्रारम्भ हो रहा है। मेरा

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

आपसे निवेदन है, जब कोई दिल्ली से आए या आप दिल्ली जाएं और सड़क के किनारे-किनारे जाएं, धोला कुआ की तरफ आप जाएं तो देखा होगा एकतरफ मिलिट्री के क्वार्टर्स हैं, करिअप्पा मार्ग है और छावनी मार्ग है और उसके आगे एक बिल्डिंग बनी हुई है मिलिट्री की जिसके द्वार पर लिखा हुआ है "प्रताप द्वार"। विशाल द्वार है। दिल्ली में प्रताप का द्वार है। आपने उसी तर्ज पर अहमदाबाद से, दक्षिण से आने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए जो द्वार बनाया है प्रताप के नाम पर, मैं उसके लिए बधाई देता हूं लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राजस्थान में आने वाले जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों के ऊपर उनके ही किले की आकृति देते हुए उसी क्षेत्र का एक आर्किटैक्ट काम में लेते हुए सब जगह इन द्वारों का निर्माण कराएं। जिनकी वजह से हम जाने जाते हैं ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर अगर इन द्वारों का निर्माण कराया तो राजस्थान को जाना जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत आकर्षण होगा, ऐसा मेरा मानना है।

मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि उदयपुर में कोटड़ा है, झाड़ोल है, यह नाथद्वारा तहसील का जो कुम्भलगढ़ के ऊपर का क्षेत्र है आप, मेहरबानी करके, अपने अधिकारियों से इसका सर्वे कराए। इसमें रोड्स तो हैं लेकिन क्रास रोड्स नहीं है। बहुत छोटे-छोटे गांव इनसे जुड़े हुए नहीं हैं। कई बार जैसे बरोठी से आने वाला आदमी है, बरसात में उसे सात नदियां पार करनी पड़ती हैं तो वह बहुत दुःखी होता है। बताते हैं कि एक 8-9 किलोमीटर का रास्ता उस पहाड़ी को काट करके अगर बना दिया जाए, शायद वह महंगा होगा लेकिन केन्द्र सरकार भी इसमें मदद कर सकती है, जनजाति विभाग जो है वह भी इसके लिए पैसा दे सकता है, तो मेहरबानी करके ऐसा सर्वे कराएं कि कौन सा गांव किस क्षेत्र से जोड़ा जाए तो वह शहर के बहुत नजदीक जुड़ जाएगा। इसका एक सर्वे कराने की कृपा करें।

मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितने भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में भवन हैं इन भवनों की मरम्मत के लिए निश्चित रूप से आप पैसा रखते होंगे लेकिन वह पैसा कहां खर्च होता है ? किसी विद्यालय का बहुत कम होगा लेकिन किसी विद्यालय की मरम्मत के लिए कहां से— (व्यवधान) आपकी बिल्डिंगें हैं और उसके बाद मरम्मत नहीं हो, हास्पिटल की बिल्डिंग है, अगर इनकी मरम्मत नहीं हो और पानी चूता रहे तो बहुत मुश्किल है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंत्रिमण्डल में बैठकर इस बात पर विचार करें कि प्रत्येक डिपार्टमेंट जो इतना बजट बनाता है, अपनी बिल्डिंग्स की मेंटीनेन्स के लिए कुछ पैसा खुद निकाल करके रखे। मैं आपसे निवेदन

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

करना चाहता हूं कि चर्चा तो यह है कि मरम्मत का पैसा तो जिसके यहां सुख और सुविधाएं पहुंचानी हैं वहां खर्च कर दिया जाता है। आज विधायकों के जो मकान हैं, जिनमें हम रहते हैं उन मकानों में भी मेंटीनेंस होती है और हर साल उनकी पुताई होती है। अगर हमारे मकानों की पुताई हो सकती है तो उस हास्पिटल की पुताई क्यों नहीं होनी चाहिए ? उस विद्यालय की पुताई क्यों नहीं होनी चाहिए, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की अपनी बिल्डिंग है ?

मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूं कि इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई कंट्रोल होना चाहिए कि यह जो मरम्मत का पैसा है वह मरम्मत में ही लगे। साधन और सुविधाओं में नहीं लगे तथा निश्चित रूप से और भवनों की मरम्मत के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने हिस्से का पैसा भी आपको दे। मैं इसी को जोर से कह रहा हूं कि ये सब निकालें लेकिन मरम्मत होनी चाहिए। ऐसा है कि जैसे ही आप बनाना शुरू करते हैं, जब बनाते हैं तो उसमें एक एस्टीमेट यह भी निकाल कर रख लें कि यह ऐसा फंड है जो मरम्मत के काम में आएगा। उसमें थोड़ा बहुत 1%, 2% , जैसा राठौड़ साहब फरमा रहे हैं, हर साल मरम्मत होती रहे तो- (व्यवधान) आखिर विधान सभा में भी जो हम सब लोग बोलते हैं वह भी एक इसी तरह की मरम्मत है जो हर साल उन्हीं बातों को दोहराते हैं। मेहरबानी करके मेंटीनेंस होती रहे तो ठीक रहे। मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय को सड़कों के लिए, उदयपुर के बाईपास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं।

अब मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्रीजी और अधिकारीगण से निवेदन करना चाहूंगा ये जो डाकूमेंट इस बार तैयार किया गया है, अब तक इनका प्रगति विवरण आता रहा है, प्रयास एवं प्रगति विवरण, लेकिन 1996-97 का जो विवरण आया है इस विवरण से इस विभाग की तस्वीर हमारे सामने आयी है। ऐसी तस्वीर इसके पहले हमने कभी नहीं देखी थी। अगर इतने सब काम हो रहे हैं जो इसमें दिये गये हैं और राजस्थान सरकार इस समाज कल्याण के लिए सब कुछ कर रही है और पिछले इतने वर्षों से अगर यह काम चल रहे थे तो सचमुच में राजस्थान का नक्शा बदल जाना चाहिए था। जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए और पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए जिस तरीके से प्रयत्न किये जा रहे हैं उससे नक्शा बदल जाना चाहिए था लेकिन शायद इस समाज कल्याण विभाग का अर्थ लगाया जाता रहा है व्यक्तिगत कल्याण, संस्थाओं का कल्याण उनकी तो स्थिति सुधर जाएगी लेकिन जिनके लिए यह कल्याण की योजनाएं बनायीं, उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। इसमें जिस तरीके के आंकड़े दिये गये हैं और जो काम बतायें गये हैं, मैं धन्यवाद देना

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

चाहता हूं समाज़ कल्याण मंत्री महोदय को कि कमजोर वर्गों की शिक्षा व रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है योजनागत व्यय को चौदह करोड़ छियानवे लाख रुपये से बढ़ाकर छब्बीस करोड़ पचास लाख रुपये रखा गया है। यह जो 1997-98 की योजना है उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु जर्मनी की सहायता से 91 करोड़ रुपये खर्च करना इस बजट में प्रस्तावित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के जो मेधावी छात्र हैं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो विकलांग बच्चे हैं उनके माता-पिता, उनके परिवार की व्यथा को इस सरकार ने समझा है। जिसके घर में मंद बुद्धि बच्चा होता है या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चा होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बचपन से ही उसकी मां उसके पिता के मन के अन्दर जो पीड़ा और व्यथा होती है आज समाज कल्याण विभाग ने राजस्थान सरकार ने उस व्यथा को समझा है और मूक, बधिर, अस्थि एवं दृष्टि से बाधित बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण में पांच वर्ष से कार्यरत संस्थाओं के भवन निर्माण में भी और शैक्षणिक उपकरणों के लिए जो मेचिंग ग्रांट की सुविधा दी गयी है इससे यह बहुत अच्छा संस्थाएं काम कर सकेंगी। बसों में रियायतें दी गयी हैं।

**(14.30)**

**(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)**

सबसे बड़ी बात तो यह है कि विकलांग बच्चों को रोजगार और ऐसे पांच सौ लोगों को विभिन्न उद्योगों के साथ लगाकर, प्रशिक्षण देकर पहले तैयार किया जाएगा उसके बाद में उन विकलांग बच्चों को लगाया जाएगा। मैं इसी के साथ एक निवेदन माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से करता हूं कि जो दृष्टिहीन बालक हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि के बालक की दृष्टि से नहीं बल्कि जो दृष्टिहीन हैं इनमें ऐसे लोग भी हैं जो विश्वविद्यालय की ऊंची-ऊंची डिग्रियां प्राप्त करते हैं, जो एम.ए. बी.ए. की परीक्षाएं देते हैं। कई तरह की यह जो विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने वाले जो बालक हैं जिनको अपने घर से यूनिवर्सिटी या कालेज दूर पड़ता है, इस पर विचार करके आप देखें कि किसी विश्वविद्यालय के साथ में ऐसे बच्चों के लिए जो अपंग हैं, जो दृष्टिहीन हैं, उनके लिये होस्टल बना दें, जो उनके कालेज और विश्वविद्यालय के परिसर ये बहुत दूर नहीं हो। अगर इस तरीके से हमने से सुविधाएं दी तो निश्चित रूप से वे अपनी विकलांगता से दूर हो सकेंगे। मैं उदयपुर के एक ऐसे प्रोफेसर को जानता हूं जो पैरों से विकलांग हैं, चल नहीं सकते, मिस्टर दलाल, वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं। उनको चलने में भी तकलीफ होती है। वह सहारे से भी नहीं चल सकते लेकिन ऐसे मेधावी व्यक्ति हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर भी जाकर लेक्चर्स दिये। मेरा

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

ख्याल है 6-7 महीने तो विदेश में ही घूमते रहते हैं लेक्चर्स देने के लिए। ऐसे जो मेधावी बालक हैं उनको आप अगर यह शिक्षण की सुविधा यूनिवर्सिटी में और कालेजेज के पास उपलब्ध करा सकें तो आपका बहुत उपकार होगा और इनके परिवार आपका अहसान मानेंगे। आपने जो लिस्टें दी हैं इसमें विभाग द्वारा स्वीकृत राजकीय अनुदानित छात्रावासों की जिलेवारी सूची दी है और इसके पीछे आपने एक लिस्ट और दी है, उसमें आपने उन संस्थाओं का नाम भी लिखा है, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा स्वीकृत अनुदानित निराश्रित गृहों का विवरण और उसी तरीके से आपने विभाग द्वारा स्वीकृत राजकीय अनुदानित छात्रावासों की जिलेवार सूची दी है। यह सस्थाएं चलती हैं, इन संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग अनुदान देता है और यह राजस्थान सरकार के सहयोग से चलती है तो कभी उधर से निकलते हुए हमारा भी मन यह हो सकता है कि इस छात्रावास को देख लें, कि इसमें क्या काम हो रहा है। इसकी हम जानकारी ले सकें। मैं चाहता हूं कि इस तरह के नियम बने और आप स्वयं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आकर मीटिंग कीजियेगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर में आपका किशोर गृह है, आपके और कई किशोर गृह हैं और इन किशोर गृहों के अन्दर कितने ही बालक हैं। हमारे यहां सैटेलाइट हास्पिटल है, इसकी बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए एम.पी. ने अपने कोटे में पैसा दे दिया। जो सैटेलाइट हास्पिटल की बिल्डिंग है उसके लिए वह स्थान कम है, आपका यह किशोर गृह उसके पास है। यह कभी उदयपुर का पुराना पागलखाना हुआ करता था जिसके अन्दर वह किशोर गृह चल रहा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह किशोर गृह की बिल्डिंग आप सैटेलाइट हास्पिटल को दे दें। इसका प्रपोजल कलक्टर ने आपके विभाग को भेजा हुआ है। सारा मामला पी.डब्ल्यू.डी. के लोगों से मिलकर तय हुआ। यह सैटेलाइट अस्पताल अगर खड़ा कर दिया गया तो निश्चित रूप से जो सार्वजनिक अस्पताल है उसमें मरीजों का कम दबाव रहेगा। लेकिन उस बिल्डिंग को कलक्टर के लिखने के बाद में भी डिपार्टमेंट में जैसे एक वाटर टाइट पोजीशन आ जाती है कि मेरी सम्पत्ति है, मेरी सम्पत्ति है, जबकि मैंने यह निवेदन किया कि उसके ही सामने हास्पिटल का एक बड़ा क्वार्टर है मैं अपना अनटाइड फण्ड का पैसा देता हूं और आपको कितनी आवश्यकता है उन बच्चों के लिए क्योंकि वहां 5-7 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को एक कैदी की तरह से रखने के स्थान पर यदि एक पारिवारिक वातावरण मिलता है, अगर ऐसे बच्चे कुछ परिवारों से भी जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कर रहा हूं। यह तो मैंने उस किशोर भवन को खाली कराने की बात की लेकिन मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि समाज से जोड़ने के लिए ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जिन्हें उन बच्चों के साथ जोड़ा जाए तो उन्हें एक पारिवारिक वातावरण मिलेगा। लोग-बाग आते-जाते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो दिशा है वह बदल जाएगी। इस तरीके से आपके 5-7 जो किशोर गृह हैं जहां छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं जो अपराधी हैं, उन अपराधी बच्चों को जिस तरीके से समाज के लिए तैयार किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से वह किशोर गृहों में रह करके हो सकते हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और एक विशेष विद्यालय आपका अजमेर में है, मैं चाहता हूं कि एक कमेटी आप बनाएं जिसमें जन-प्रतिनिधि भी हों, समाज सेवक भी हों तो निश्चित रूप से इनको एक दिशा मिलेगी।

इस बजट भाषण के अन्दर महिला नीति की घोषणा की गयी है। महिलाओं की बहुत बात की जा रही है, पार्लियामेंट में भी महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है। हमने भी एक महिला नीति की घोषणा की है। इस नीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, नियोजन, आर्थिक विकास, संज्ञान, उत्पीड़न सुरक्षा तथा विकास में सहभागिता आदि विषयों का समावेश है। एक उच्च स्तरीय समिति निरन्तर इसकी समीक्षा करती रहेगी। अभी भी इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से काम चल रहे हैं। कभी आपने इस बात को सर्वे करके देखा है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं और उनके जो होस्टल बने हुए हैं उन होस्टल्स का क्या उपयोग हो रहा है ? अगर आपने कभी इस बात को देखा होता तो आपको पता चलता कि उदयपुर का होस्टल मेरे सामने है उसमें कितनी महिलाएं रहती हैं ? कोई जानती ही नहीं है इस बात को गांव से आने वाली महिला कि उसके लिए ऐसी भी कोई सुविधा है। वह नगर परिषद का बनाया हुआ होस्टल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया है। आज नगर परिषद वाले कहते हैं कि यह बिल्डिंग हमको लौटाओ। वह कहते हैं यह यूनिवर्सिटी के पास है। यह किस तरह से आप महिलाओं का भला करेंगे, कम से कम इस बात को मेहरबानी करके आप देखें। (व्यवधान) महिला परिषद में इनका एक और भी होस्टल चल रहा है। नहीं, किसका है ?

**श्री मदन दिलावर :** नगर परिषद का।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य :** महिला परिषद वाला, उदयपुर में नहीं है ? अगर यह आपका नहीं है, यह मेरी जानकारी में नहीं है, नगर परिषद का होगा लेकिन इनके रखरखाव का काम किसी न किसी एजेंसी को देखना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा

( श्री शिवकिशोर सनाढ्य )

महिला एवं बाल विकास योजना में 20 करोड़ 29 लाख से बढ़ाकर इस वर्ष 34 करोड़ 10 लाख रुपये व्यय किया जायेगा। यह आपने बढ़ाया है। इसमें, महिलाओं और किशोरियों के विकास, स्वास्थ्य, सफाई, व्यक्तिगत विकास पर किशोर बालिका योजना में 15 जिलों में 15 लाख रुपये खर्च होंगे, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया जाएगा। आगामी वर्ष में 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, पढ़ने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके परिणाम क्या हैं ? यह योजनाएं किस तरीके से पूरी होंगी ? उसके लिए अगर यह सरकारी चिंतन चलता रहा, यह फाइल का चिंतन चलता रहा, यदि सरकारी अधिकारी बैठकर इन सब योजनाओं पर सोचते, यह योजनाएं तो बहुत अच्छी होंगी लेकिन समाज में उसका कितना लाभ होगा इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रत्येक योजना के साथ, चाहे वह बच्चों के लिए है, किशोरों के लिए है, बालकों के लिए है, पिछड़े हुए लोगों के लिए है, विकलांगों के लिए है, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़े जिनके मन में उसकी पीड़ा हो, उसकी पीड़ा अनुभव करते हों। ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को जोड़ें जो उस पीड़ा को समझते हों और ऐसे कुछ दानदाताओं को भी जोड़े जो उसके लिए कुछ खर्च भी कर सके। जैसे हमारे यहां पर विकलांग बच्चों के लिए स्कूल चल रही है, उसमें संवेदनशील लोग जुड़े हुए हैं। वे चाहे वह नारायण सेवा संस्थान में चल रहा है, चाहे वह हाथीपोल पर चल रहा है, पंचवटी के थियोसोफिकल लांज पर चल रहा है। हमारे यहां दृष्टिहीन बच्चों का स्कूल चल रहा है, विकलांग स्कूल चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एस.आई.आर.टी. और शिक्षा विभाग भी ऐसे जो मंदबुद्धि हैं, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिये इंटिग्रेटेड एजूकेशन की दृष्टि से चलाता है। ऐसे लोगों के साथ मिलकर, ऐसे सारे लोगों के साथ बैठकर इस पर आप चिंतन करें।

महिला बाल विकास के संदर्भ में भी एक चिंतन चल रहा है। एस.आई.आर.टी. और एन.सी.ई.आर.टी. और दिल्ली के साथ अगर इन सब बातों पर चर्चा की गयी और जन प्रतिनिधि और समाज सेवकों को जोड़ा गया तो इन संस्थाओं पर राजस्थान सरकार जो इतना पैसा खर्च कर रही है। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलने वाला है। मैं आपको बहुत-बहुत हृदय की गहराई से बधाई देता हुआ मेरी बात समाप्त कर रहा हूं इसी के साथ कि आप इन सब प्रयोगों के साथ लोगों को जोड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय महावीर भगोराजी।

**श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल और मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर चर्चा हो रही है, मैं भी इसमें अपने आप को सम्मिलित करते हुए सबसे पहले माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने प्रदेश में सड़क नीति बनाकर पिछड़ी जाति और दूर-दराज की पंचायतों को जोड़ने की कोशिश की है, उन गांवों, जिनकी आबादी एक हजार है, को जोड़ने का प्रयास किया है। आपकी दूसरी लाइन भी आपने प्रारम्भ कर दी है, साढ़े सात सौ और हजार की आबादी के बीच के गांवों को भी जोड़ने के लिए आपने प्रपोजल मंगवा लिये हैं, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का आभार और व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने कोटड़ा जैसी तहसील, जो उदयपुर जिले का कालापानी कहलाता था। आज की तारीख में चारों तरफ से सड़कों से और सड़क भी डामर की और डामर में भी पेवर करवा कर जोड़ दी है। इसके लिए हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्रीजी, इसके बावजूद भी कुछ समस्याएं सड़कों की अन्तरराज्यीय जिला, एसडीएम. मुख्यालय और तहसील मुख्यालय की ऐसी बची है अगर उनकी भी व्यवस्था हो जाए तो हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग तहसील, जिला या अन्तरराज्यीय मुख्यालयों पर रोजमर्रा के काम के लिए आते-जाते रहते हैं, अपनी रोजी-रोटी के लिए आते-जाते रहते हैं, उन्हें कम से कम सौ या डेढ़ सौ किलोमीटर का राउंड लगाकर, एक या दो दिन खर्च करके चार-पांच बसें बदल कर जाना पड़ता है उसमें उनको काफी मदद मिलेगी, ऐसी मेरी भावना है। मैं उन सड़कों का नाम ले रहा हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि अगले प्लान में उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अन्तरराज्यीय सड़क में आपने झाड़ोल तहसील को झाड़ोल से नालवा होकर दइया अम्बासा तक की स्वीकृति जनजाति विकास विभाग के सहयोग से करायी है उसको आगे विजय नगर तक जोड़ने का मैं निवेदन कर रहा हूं और जो काम स्वीकृत हुआ है उस काम में चूंकि हमारा पूरा जनजाति संभाग करीब 70 पर्सेंट फोरेस्ट लैंड है, वन विभाग की अड़चन आ रही है, मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप वन मंत्रीजी से भी इस सम्बन्ध में चर्चा करें तो सड़कें तो आपने बहुत स्वीकृत करा दी हैं परन्तु वे सड़कें वन विभाग की अड़चन की वजह से बन नहीं पा रही है। जैसा भी नियमों में प्रावधान है, फोरेस्ट की सड़कें पहले से बनी हुई हैं परन्तु पी.डब्ल्यू.डी. काम करा रहा है इसलिए उन्होंने उन सड़कों को बनने में बाधा खड़ी की है आप उनसे चर्चा करके इन सड़कों को चालू करवायेंगे तो सड़क के हिसाब से भी हम गुजरात से जुड़ेंगे और तहसील

(श्री महावीर भगोरा)

मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय और एसडीएम. मुख्यालय पर आने के लिए नालवा-दइया-अम्बासा, जो हमारी दो पंचायत हैडक्वार्टर हैं और वहां जाने के लिये गुजरात, खैरवाड़ा, विजय नगर, उदयपुर होकर आना पड़ता है, यह करीव ढाई सौ किलोमीटर का राउंड है, वह बच जाएगा और इन गरीब आदिवासी लोगों को सीधा रास्ता मिल जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा प्रावधान करिए।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक एरिया है जो वाकल क्षेत्र कहलाता है जिसमें 5 पंचायतें हैं। उनका तहसील मुख्यालय कोटड़ा है। कोटड़ा जाने के लिए या तो उन्हें झाड़ोल होकर पानखां होकर जाना पड़ता है। उसमें भी करीब 70 किलोमीटर का एक्स्ट्रा राउंड होता है। अगर गोगुन्दा होकर जाते हैं तो 80 किलोमीटर का एक्स्ट्रा राउंड लगाना पड़ता है।

इसके लिए अकाल राहत में सड़क स्वीकृत करायी थी। वह सड़क मादड़ा से कुकराघाटा, मालवीया होकर कोटड़ा तक बन जाती है तो हमारी 5 पंचायत के लोगों को अपने तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। इसी तरह से एक सड़क बेकरिया पंचायत है कोटड़ा की उससे भीमाणा होकर बाली, जो माननीय मुख्यमंत्रीजी का इलाका है, और अन्तर जिले को जोड़ने के प्रस्ताव भी आपने मंगवाये हैं, उस सड़क को भी अगर आप बनवा देंगे तो इन क्षेत्र के लोगों, जिनकी अधिकतर रिश्तेदारी बाली जिले में है, सुविधा हो जाएगी। इसी तरह से बिसमासी गोरियो सड़क प्रपोजल भी आपके पास विचाराधीन है, वह भी जुड़ जाएगा तो मेरे क्षेत्र के आधे लोगों की रिश्तेदारी मारवाड़ में है वे कम से कम मारवाड़ में आ-जा सकेंगे।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा माननीय सनाढ्य साहब ने कहा, आबू, जोधपुर और इधर गुजरात के कितने सैलानी या निवासी जो आजकल कुम्भलगढ़ में जाकर काम करते हैं उन सबको इस क्षेत्र में जाने के लिए या तो इसवाल आना पड़ता है और इसवाल से भी सीधी बस नहीं है तो उन्हें उदयपुर जाना पड़ता है, उदयपर से होकर वे नाथद्वारा, कांकरोली होकर कुम्भलगढ़ जाते हैं और फिर आगे का रास्ता तय होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे गोगुन्दा से रावलिया कलां, रावलिया खुर्द, पानेर, करदा और बरवाड़ा होकर कुम्भलगढ़ का रास्ता है, इस सड़क को भी अगर पक्की करवा दी जाए तो इससे 6 पंचायत मुख्यालय जुड़ते हैं और आगे से बाहर से आने वाला जो ट्रैफिक है, नाथद्वारा वगैरह जाना चाहता है, वह सीधा इस रास्ते होकर अजमेर होकर निकल जाएगा। इसी तरह से एक सड़क है बामलवाड़ा, पीपलवाड़ा, बागपुर, मादडी। इस पर भी 7 पंचायत मुख्यालय पड़ते हैं और यह झाड़ोल तहसील और खैरवाड़ा तहसील दोनों को जोड़ती है। इस सड़क को भी

( श्री महावीर भगोरा )

अगर आप बनवा देंगे तो इस क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सजावट, छाली, उण्डीथल बगडूंदा पंचायत के लोगों को उदयपुर आने के लिये गोगुन्दा होकर राउण्ड मारकर के आना पड़ता है, क्योंकि जिला मुख्यालय है। एक सीधी सड़क है वो 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, उभयश्वरजी तक तो हम पक्की सड़क बनवा चुके हैं, उभयश्वरजी से मजावद का जो 6-7 किलोमीटर का टुकड़ा है, अगर वह टुकड़ा जुड़ जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों को जो 70 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, उसमें काफी सुविधा हो जाएगी। मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि इस सड़क को भी आप अगले वित्तीय वर्ष में प्लान में लेने की कोशिश करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, पिछले दिनों जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था उसमें कई पुरानी बस्तियां या गांव या पंचायत मुख्यालय या कस्बे हैं, जिनमें यह सड़कें हमारे नेशनल हाइवे घोषित होने के लिए बनी थीं वे बस्तियां बसी हुई हैं, और नेशनल हाईवे के नार्म्स में आती हैं, आधी की आधी बस्तियां, पूरे के पूरे गांव उजड़ रहे हैं। तो उन जगह पर बाइपास निर्माण का आप कोई प्रावधान कराएंगे। विशेष रूप से मैं मेरे क्षेत्र के जसवंतगढ़ की बात कर रहा हूं, माननीय गरासियाजी का जो क्षेत्र है जिसमें बड़गांव पंचायत समिति मुख्यालय है, उस गांव की बात है। इसी तरह से मेरे सायरा क्षेत्र का गांव है, जो भागपुड़ा, कुम्भलगढ़ का क्षेत्र आता है। इसी तरह से मानपुरा का क्षेत्र है। यदि वहां बाइपास बन जाते हैं तो बस्तियों का नुकसान नहीं होगा और जो लोग लाखों रुपये लगाकर पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको राहत मिल जाएगी, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी तरह से मैंने आपसे लिखित में निवेदन किया है कि सड़कें तो बनीं हुई हैं, कच्ची हैं, कोई बात नहीं, उससे काम चल जाएगा। परन्तु पुलियाओं के अभाव में बरसात के जो 4 महीने हैं, उन 4 महीनों में आवाजाही की समस्या हो रही है। मैंने 12.3.97 को जो पत्र आपको दिया है मैं अपेक्षा करूंगा कि सड़कों पर पुलियाओं के निर्माण के लिए आप गौर फरमाएंगे। सभी पंचायत मुख्यालय हैं, सभी गांव हजार और डेढ़ हजार की आबादी के हैं, जो नार्म्स में कवर होते हैं। उन सड़कों पर अगर आप पुलियाओं का निर्माण करवा देंगे तो वर्षा के 4 महीनों में उन क्षेत्रों के लोगों को अपनी तहसील, पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय और जिला मुख्यालय आने-जाने में जो तकलीफ होती है, आने जाने में जो दिक्कत आती है, अपनी चिकित्सा सुविधा में तकलीफ होती है, उससे राहत मिलेगी, यह मेरी आपसे विनती है। माननीय मंत्री महोदय

( श्री महावीर भगोरा )

इजाजत दें तो मैं पढ़ूंगा या फिर मैं आशा करता हूं कि जो लिखा हुआ दिया हुआ है, उसी पर आप कार्यवाही फरमाएंगे। जो दिक्कतें आती रहती हैं, पुलियाएं वन जाने से उनसे हमें राहत मिलेगी।

माननीय मंत्री महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। स्टेट हाइवे घोषित होने के बाद निश्चित रूप से आप मानदण्ड के अनुसार सड़कें बनवा रहे हैं, नार्म्स के हिसाब से उन सड़कों की जितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उनको आप चौड़ी करवाएं पर इसके पहले उन पर आए दिन अतिक्रमण होते जा रहे हैं, अतिक्रमण करके लोग सड़कों को संकड़ा करते जा रहे हैं ? उन अतिक्रमणों को आप हटाने की व्यवस्था कराए। मैंने लिखित में दिया है कि मेरे गोगुन्दा क्षेत्र में लोग सड़क पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं आप उनको रोकें, परन्तु आपके विभाग के लोग इसमें सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप उन्हें पाबन्द करेंगे तो कम से कम आगे से जो अतिक्रमण हो रहे हैं उन अतिक्रमणों को रोक पाएंगे तथा आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे हम राहत पा सकेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, हमारा पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है। उसमें सड़कों के सुधारीकरण की भी आवश्यकता है। वहां काफी टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं व नदी नाले हैं। जो भी बसें चलती हैं, जैसे रोडवेज की हैं तो वे 55 सीटर हैं, प्राइवेट वाले भी 40 से नीचे कोई नहीं चलाता है, ओवर लोडिंग चलाते हैं। टेढ़े-मेढ़े रास्ते होने से, चढ़ाइदार रास्ते होने से ड्राइवर गाड़ियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहां लेटेस्ट एक्सीडेंट मई में हुआ है। इसी तरह से सोम के घाटे में एक्सीडेंट हुआ, मतलब निरन्तर एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। यदि इन चढ़ाइयों और घुमावदार रास्तों के सुधारीकरण की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो एक्सीडेंट और अन्य दिक्कतें हैं, उसमें काफी सुधार हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय मंत्री महोदय, अभी सड़कों और पुलियाओं की बात है पर आपके विभाग की बात आई थी इसलिए भवनों के रख-रखाव और उनके मेंटीनेंस की जो बात है, मैं निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा करूंगा...

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आज की डिमाण्ड नहीं है।

**श्री महावीर भगोरा** : हां, आज की डिमाण्ड नहीं है इसलिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप इस पर भी बजट का प्रावधान करें। मैं आपसे विशेष आग्रह करके निवेदन

( श्री महावीर भगोरा )

कर रहा हूं। आज की डिमाण्ड में नहीं है, यह मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है।

मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि जो आपके नार्म्स हैं, जो एक हजार की आवादी के गांव हैं जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, जो पंचायत मुख्यालय हैं, उनको आप शीघ्रातिशीघ्र जुड़वाने की कृपा करेंगे। आपने अव तक जो प्रयास किया है, हमारे जनजाति क्षेत्र की सड़कों और पुलियाओं के निर्माण के लिए, नये स्टेट हाइवेज की घोषणा भी आपने करवायी है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

अब मैं मांग संख्या 33 पर माननीय दिलावरजी का और हमारे मुख्य मंत्रीजी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समाज कल्याण विभाग ऐसा पवित्र विभाग है जो समाज के ऐसे तबकों के लिए, ऐसे अंगों के लिए काम करता है जिसको समाज में परिवार के लोग देखना पसंद नहीं करते, जैसे कोढ़ी हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कोढ़ी व्यक्ति को कौन सम्भालता है ? समाज कल्याण विभाग के तहत जन्म से लेकर मृत्यु तक असहाय लोगों को, निराश्रित लोगों को और ऐसे तबके को सेवाएं दी जाती हैं जिसको समाज का अन्य वर्ग भी सम्भालना या देखरेख करना पसन्द नहीं करता है। इसलिए मैं इस विभाग को पवित्र महकमा कहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस वर्ष वजट में जो प्रावधान किये हैं वे वास्तव में सराहनीय हैं। चूंकि इस विभाग का मुझे भी 10-15 वर्षों का अनुभव है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस विभाग में जो भी कार्य हो रहे हैं, निश्चित रूप से बड़े सराहनीय हैं। हमने जो भी कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, वे कार्यक्रम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के ऐसे तबके या ऐसे वर्ग के लिए हैं जो किन्हीं कारणों से जाने-अनजाने में अपराधी भी बन जाता है तो विभिन्न सर्विस के माध्यम से समाज कल्याण विभाग जो सेवा दे रहा है, उसको अपराधी प्रवृत्ति छोड़कर समाज में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे तबकों के उत्थान के लिए आपने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं।

मैं कुछ निवेदन निश्चित रूप से करना चाहूंगा, हमारे प्रदेश की जनसंख्या का साढ़े सत्रह प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट हैं और साढ़े बारह प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके उत्थान के लिए दो विभाग देख रहे हैं, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के गठन के पूर्व समाज कल्याण विभाग ही इस कार्य को देखता था। आपने इनके शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और सांस्कृतिक उत्थान के

(श्री महावीर भगोरा)

लिए कई गतिविधियां चला रखी हैं। जैसा कि मैंने दूसरा निवेदन किया, समाज का ऐसा तबका इसके अलावा जो बचता है उसमें भी जैसा आंकड़ा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय अपने भाषणों में कहते हैं कि सबसे ज्यादा अंधे कहां, तो भारत में। सबसे ज्यादा लूले कहां, तो भारत में। सबसे ज्यादा कोढ़ी कहां, तो भारत में। इस तरह से करीब 62 प्रतिशत पापुलेशन उत्थान के लिये यह विभाग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगा हुआ है।

**(15.00)**

इस विभाग की जो जिम्मेदारी है, अभी कुछ कमियां जो मैं महसूस कर रहा हूं वह यह है कि जैसे हमारे शैक्षणिक विकास के लिए छात्रावास चलाए जा रहे हैं उन छात्रावासों में, विशेष रूप से मेरे उदयपुर सम्भाग की बात करता हूं, 50 प्रतिशत पद रिक्त चल रहे हैं, होस्टल सुपरिंटेंडेंट के और इनमें भी महिलाओं के। माननीय मंत्रीजी ने विभाग में प्रयास करके कुछ पद एडवरटाइज किये थे। प्रक्रिया गलत मैं इसलिए मानता हूं कि इन्होंने ओपन एडवरटाइजमेंट कर दिया और उसमें हजारों की संख्या में लोगों ने एप्लाई कर दिया और कहीं कोर्ट-कचहरी का मामला आ गया तो वह अभी भी पैंडिंग चल रहा है। आप उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करके इन पदों पर जल्दी से जल्दी लोगों की नियुक्ति कराएं तो बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जाएगी। जो बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए, पारिवारिक वातावरण चाहिए, जो हम संस्कारित करने की बात कर रहे हैं, ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए फुल टाइम होस्टल वार्डन की जो पोस्ट्स हैं, उनको तुरन्त भरा जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

दूसरा मेरा निवेदन विभाग के भवनों का है। भवनों की स्थिति ऐसी है, माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोलूं कि बच्चे एक तरह से नारकीय जीवन जी रहे हैं, भवनों के अभाव में तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे क्षेत्र के लिए तो टी.ए.डी. से कुछ फण्ड्स मिले हैं, हम लोगों ने जिला स्तर पर प्रयास करे भवन बनवाये हैं पर अब टी.ए.डी. से मिले हुए होस्टल वापस टी.ए.डी. में जा रहे हैं। बचे हुए जो होस्टल हैं, उनमें कम से कम आप भवनों के निर्माण की मरम्मत आदि की व्यवस्था करवायें। साथ ही सुविधाओं की दृष्टि से मैं यह मानता हूं कि आपने तीन सौ पचास रुपये उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए मुकर्रर किये हैं, आज महंगाई के जमाने में साढ़े तीन सौ रुपये कम हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से और हमारे वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यह जो मैस भत्ते का पैसा है, यह राशि कम से कम 500 रुपये की जाए ताकि बच्चों को दोनों टाइम भरपेट भोजन मिल सके क्योंकि भोजन के साथ कपड़े, तेल, साबुन, सभी मिलाकर के तीन सौ पचास रुपये हैं। इसी

( श्री महावीर भगोरा )

तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कई स्कीम्स चलायी हैं पर छात्रों का जहां तक सवाल है, माननीय सभापति महोदय, जैसे-जैसे महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के सूचकांक के हिसाब से छात्रवृत्ति की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी की जाए तो बच्चों को काफी राहत मिलेगी। बुक बैंक्स की स्कीम आपके यहां पर चल रही है, बहुत अच्छी है। अनुदानित छात्रावासों की बात आई है, निराश्रित बाल गृहों की बात आई है, वृद्ध एवं अशक्त लोगों की बात आई है। एक बात मैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वृद्धावस्था पेंशन की जो पात्रता आपने निर्धारित की है, आपने यह रखा है कि जिनके बालिग लड़के हो या जिनके नाम जमीन हो, ऐसे लोग पात्र नहीं होंगे। माननीय मंत्री महोदय, आज जो आधुनिक समय है उसमें सामूहिक परिवार की जो हमारी व्यवस्था थी वह तो खतम होती जा रही है, लोग शादी के बाद अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और बेटे होते हुए भी मां-बापों को रोटी नही मिलती है। कलजुग है, जैसा माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, अभी तो आया नहीं है पर शुरूआत हो गयी है, उसकी। तो आप माई-बाप हैं, सरकार, मेहरबानी करके उस नार्म्स में शिथिलता करके, जो सैंक्शन करने वाली अथोरिटी है, चाहे बी.डी.ओ. साहब हो, चाहे एस.डी.एम. साहब हो, उनके विवेक पर छोड़ें ताकि वे इनमें शिथिलता करते हुए ऐसे लोगों की पेंशन स्वीकृत कर सकें और उनकी पेंशन की जो राशि 100 रुपये, 150 रुपये है, उसको भी आज की महंगाई के जमाने को देखते हुए थोड़ा बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है ताकि उनको कम से कम दो जून की रोटी मिल जाए।

माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण की जो एक्टिविटीज हैं, उनके सुधारीकरण में माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से प्रयत्नशील हैं और आप इसमें और भी प्रयास करेंगे, यह मैं अपेक्षा करता हूं। कई अन्य स्कीमों के बारे में भी शासन ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रत्येक माननीय मंत्री महोदय के साथ एक या दो-दो माननीय विधायक को जोड़कर वर्तमान व्यवस्था में, कार्यक्रमों में कैसे सुधार हो, उसके लिए कमेटियों का गठन किया है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मुझे समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय के साथ जोड़ा है। तो हम प्रयास करके इसमें और अधिक सुधार लाएंगे। मुझे समय दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। माननीय श्री रूपाराम जी (अनुपस्थित)। माननीय श्रीमती तारा भण्डारी (अनुपस्थित) माननीय श्री उगमराजजी मेहता।

**श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)** : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21 पर चर्चा हो रही है, माननीय सदस्यों के साथ मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं।

कोई भी शहर हो, कोई भी नगर हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी गांव हो, बहुत अच्छा सुन्दर बसा हुआ होता है, पर उसके चारों तरफ अगर आने-जाने के लिए सड़कें नहीं हों, रास्ते नहीं हों तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। हमारे पीडब्ल्यूडी. मंत्री, माननीय श्री चतुर्वेदी साहब जिस प्रकार से विकास के कार्य में सड़कों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और विकास के लिए जिस प्रकार उत्सुकता से छलांग लगा रहे हैं, मुझे उम्मीद है इसी रफ्तार से इन सड़कों के विकास के लिए काम करते रहेंगे। जनता की निगाहें आपके ऊपर हैं। इस बजट में भी विशेषकर ऐसे एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको लें। आप कहीं-कहीं ब्रेक भी लगा देते हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि जो ब्रेक की आपकी सीमा है, जनसंख्या कहीं-कहीं तो आप उदारतापूर्वक उसका निर्णय करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है खुले हृदय से घोषणा करेंगे।

पिछले वर्ष आप ब्यावर पधारे थे, श्री सीमेंट के कार्यक्रम में। मैंने डाक बंगले में आपसे चर्चा की। आपके अधिकारी भी बैठे थे, मैंने कहा, कई बार हो गया, गाफा लिंक रोड से सरूपा, आने-जाने का रास्ता नहीं है। बैलगाड़ी का वहां पर आने-जाने का रास्ता नहीं। खाली पैदल भी जाएं तो भी लोग बाग कई बार गिर जाते हैं। कई बैलों की मृत्यु हो गयी। सन् 1950 के अकाल राहत कार्य में उसमें काम चला था तब सड़क बनी, गिट्टी बिछी, गिट्टी के ऊपर रोलर नहीं फिरा और यह हालत हो गयी कि अति वर्षा के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी। आज भी मैं अगर उस क्षेत्र में जाऊं तो मुझे जाने का रास्ता नहीं, गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल जाओ। मेरे पास अभी कल भी तीन-चार पत्र आए कि माननीय चतुर्वेदी साहब को आप साथ लेकर 30 अप्रेल तक यहां पहुंचे और आपको उनको लाना पड़ेगा, उनको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग यहां पर रह रहे हैं। अब वह रास्ता ऐसा है कि बिलकुल उसके पड़ौस में सोजत चार किलोमीटर है। अगर सरूपा से पैदल गाफा रोड पर आए और उधर से चक्कर काटकर के सोजत जाएं तो 100 किलोमीटर का रास्ता है, ब्यावर होकर जाएं तो 100 किलोमीटर का रास्ता है। मंत्री महोदय, आपने उनको कहा, आपके एसई. साहब ने मुझे यह कहा कि यह रोड तो मैंने स्वीकृत कर दी। मैंने कहा, धन्यवाद। फिर मैंने उनको कहा कि रोड का टेंडर कहां गया, एईएन. साहब को पूछा। टेंडर गये हैं स्वीकृति के लिए हमारे एक्सईएन. साहब के पास पड़े हैं। अभी तक वे टेंडर हुए हैं या नहीं हुए या स्वीकृत हुए , कोई मालूम नहीं है। कल भी

( श्री उगमराज मेहता )

आप सर्किट हाउस में बिराजे हुए थे, मैंने बाहर बैठे हुए आपके अधिकारियों से कहा कि वह गाफा-सरूपा रोड कहां है ? कहा, उसकी कार्यवाही चल रही है। माननीय मंत्री महोदय, आपका आदेश ऐसा होता है कि तुरन्त उस आदेश की पालना के लिए अधिकारी वहां ऐसे हां-ना नहीं कह सकते परन्तु अभी तक इस रोड का कार्य नहीं हुआ। आपने वहां पर 10 लाख रुपये सैंक्शन किये थे ब्यावर अन्धेरी देवरी रोड के लिए, घोषणा की थी। मैंने कहा, काम क्यों नहीं हो रहा है, सड़क आलरेडी बनी हुई है, उसको चौड़ा करना है। रोज ब्यावर पांच-सात सौ ट्रक श्री सीमेंट के जाते हैं जिससे रोज एक्सीडेंट होते हैं। रफ्तार ऐसी चल रही है, मुझे मालूम नहीं यह कब तक पूरा होगा। मैं आशा करता हूं कि यह काम जल्दी से जल्दी होगा।

आपने कुछ पेवर रोड भी बनायीं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जसाखेड़े से बराखन तक, अरनाली तक आकर काम आधा छोड़ दिया। मैंने कहा, क्या हुआ ? कि इतना ही बजट है। इस साल उस रोड को लें ताकि बराखन तक वह पेवर रोड पूरी हो जाए। इसी प्रकार जालिया से नेशनल हाइवे नम्बर आठ पर जवाजा जाते हैं, उसकी भी किशनपुरा तक रोड बनी है और आधा काम छोड़ दिया। तो इस साल इन दोनों पेवर रोड का कार्य हो जाए ताकि वहां की जनता को बहुत बड़ी राहत मिले।

आपको मालूम है, पिछली वार भी मैंने बराखन से टाटगढ़ रोड के बारे में कहा था। टाटगढ़ से व्यक्ति अगर बराखन आएगा तो बन्जारी होकर आएगा और उसको कम से कम 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। जबकि टाटगढ़ से सीधा बराखन आने के लिए उसको सात या आठ किलोमीटर ही पड़ता है। सम्वत् 2052 में, 2050 में अकाल राहत कार्य के अन्दर यह रोड मिट्टी की स्वीकृत थी, पिछली बार पी.डब्ल्यू.डी. से यह रोड स्वीकृत हो गयी, गिट्टी पड़ गयी और मुझे कहा गया कि काम चालू हो गया। मैंने भी जनता से कहा जाकर कि आपकी रोड का काम चालू हो गया, सैंक्शन हो गयी है। मैं पिछली बार गया तो टाटगढ़ में काम चल रहा था। मुझे खुशी हुई, मैंने कहा कि इस रोड का काम चालू हो गया। पर जब मैं गाड़ी लेकर गया, मालूम किया कौन से डिपार्टमेंट का यह काम हो रहा है, तो टाटगढ़ से मेड़िया तक कृषि मंडी का उस सड़क पर काम हो रहा था। अच्छी बात है, कृषि मंडी ने किया परन्तु आपके विभाग का काम आगे मेड़िया से बराखन तक उस सड़क का काम इस साल पूरा होना चाहिए था। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा यह पहाड़ी क्षेत्र है, उस रोड को पूरा किया जाए।

(श्री उगमराज मेहता)

माननीय मंत्री महोदय, आपको और कृषि मंत्रीजी को मैं इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि रोड बहुत वनी हैं, रोड की कमी नहीं है, परन्तु आप कभी-कभी थोड़ी कंजूसी कर लेते हैं कि आधा काम इस साल और बाद में जब विधायक कहेंगे तो आधा काम उस समय स्वीकृत कर देंगे। तो मैं आज आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो रोड बाकी है वह इस साल पूरी हो इसी बजट में।

कोटड़ा पंचायत हैडक्वार्टर है, 2500 की आबादी है, उधर से जाने वाली सिलीबरी रोड की आज कई साल से मांग है। बीच में जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमारी गाड़ी भी नहीं जा सकती। हमको बाहर होकर के सैंदड़ा होकर, दर्जी फाटक होकर उधर आना पड़ता है एरिया में जाने के लिए। पंचायत हैडक्वार्टर है, 2500 की आबादी है और वहां रामदेवजी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, इसको दृष्टिगत रखते हुए वहां चाहे इस बार सिलीवरी तक रोड ले लीजिए और सिलीवरी से दर्जी फाटक तक अगले बजट में ले लीजिए। इस बजट में 1996-97 के बजट में यह जरूर लें। पैसा अभी आपके पास इस बजट का है इसलिए उससे यह रोड लें और बीच में रपट जरूर बने जो वहां बीच में एक रपट आती है। यह सड़क टूट जाती है। आप जो कह रहे हैं कि पंचायत हैडक्वार्टर को हम सड़कों से मिला रहे हैं तो आगे चार-पांच गांव और हैं, आधा काम लीजिए, मैं नहीं कहता कि आप दर्जी फाटक तक लीजिए। जितनी रोड आप बनाएंगे वो अगर बाकी होगी तो मैं कृषि मण्डी से और बनवा दूंगा। कृषि मंडी की भी करोड़-डेढ़ करोड़ की हर साल सड़कें बनवाता हूं। मैंने, अनटाइड फंड से पीडब्ल्यूडी. से बराखन कंटालिया रोड का काम चालू किया, वह काम आधा हो गया, अब आप अपने विभाग से करवाएं। अगर किसी व्यक्ति को बराखन से कंटालिया को पाली बोर्डर पर जाना है तो उसको सिर्फ सात किलोमीटर जाना पड़ता है और इधर घूम कर ब्यावर होकर कंटालिया जाने के लिए 100 किलोमीटर पड़ता है तो यह बराखन कंटालिया रोड की भी मंजूरी कराएं।

आपने बड़कोचना लिंक रोड से हथानखेड़ा में गत वर्ष काम कराया, इस साल काम सड़क का हो गया परन्तु पास में एक एनीकट है, उस एनीकट के पास में जो सड़क जा रही है वहां रपट नहीं बनायी तो वह सड़क बनी हुई किस काम की ? गाड़ियां जा नहीं सकतीं, हमको उस गांव के अन्दर पैदल जाना पड़ता है। सड़क तो आपने बना दी, आपने बीच में रपट नहीं बनायी। इस रपट का काम इस बार कराएं। आप अधिकारियों को कहें कि हथानखेड़ा की जो सड़क है उस सड़क की रपट बनायी जाए।

( श्री उगमराज मेहता)

सभापति महोदय, मंत्रीजी अपने भाषण में कई बार कहते हैं कि पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ने का काम हमने कर दिया है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : किसने कहा है ? यह अभी कर रहे हैं, कर दिया नहीं।

**श्री उगमराज मेहता** : बहुत बड़ी लौटियाणा पंचायत है उस की सड़क आपने मंजूर की है। लौटियाणा पंचायत का मुख्यालय आगोर लौटियाणा है। कृषि मंडी ने दो किलोमीटर रोड बनायी। अब आपने आगे सिर्फ सात सौ मीटर सड़क बना करके अपना काम पूरा कर लिया। आगोर पंचायत हैडक्वार्टर पर पहुंचने के लिए अभी तक दो किलोमीटर की और सड़क बाकी है। आगे जो पहुंचना है वह मैं कृषि मंडी से बनवा दूंगा। परन्तु आगोर लौटियाणा पंचायत हैडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए उस सड़क की आप मंजूरी करवाएं।

मैं ज्यादा नहीं कह कर एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। नेशनल हाइवे नम्बर आठ पर ब्यावर मुख्य है। जोधपुर जाने वाले भी ब्यावर रुकते हैं डाक बंगले में, पाली जाने वाले भी ब्यावर डाक बंगले में रुकते हैं, उदयपुर जाने वाले, भीलवाड़ा जाने वाले भी ब्यावर डाक बंगले में रुकते हैं। यह बहुत पुराना डाक बंगला है, इसके जैसी व्यवस्था आपके अजमेर सर्किट हाउस में भी नहीं होगी परन्तु वहां पर कमरों की कमी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय भी आते हैं तो ठहरने की वहां पर व्यवस्था नहीं होती, आगे और वी.आई.पीज. ठहरे हुए रहते हैं। आपसे निवेदन किया था कि पास में जगह पड़ी हुई है, एक पोर्शन और अपने हाथ में ले लीजिए। 1997-98 के बजट में ब्यावर को सर्किट हाउस का दर्जा देकर वहां और कमरे बढ़ाने की व्यवस्था करें। सीधा अभी से ही बनाइये। ब्यावर तो जिला बनने वाला है, घोषणा 1998 में...(व्यवधान)...

**श्री टीकमचन्द कान्त** : जिला बन जाएगा तो अपने आप हो जाएगा तत्काल। आप तो ब्यावर को जिला बनाने की बात करो।

**श्री उगमराज मेहता** : इसलिए आप अभी से तैयारी करिये। वहां जगह खाली पड़ी है, सर्किट हाउस बनाएं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय जो आश्वासन देते हैं वो पक्का पूरा करते हैं, मैंने जो दो-तीन बातों का जिक्र किया है, आपने आश्वासन दिया हुआ है, यह सड़कें बनायी जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

**श्री सभापति** : माननीय श्री नारायणलाल मीणा (अनुपस्थित)। माननीय श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

**श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, मैं जब अपने चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में अपने लिए प्रचार कर रहा था, गांव-गांव में जा रहा था और वायदे भी करता जा रहा था अधिकांशतः हर गांव की डिमांड, हर पंचायत की डिमांड सड़कों के

( श्री कन्हैयालाल पाटीदार )

बारे में आया करती थी। चुनाव जीतने के लिए हर जगह में वादा करता था कि हां, आप के यहां सड़क बना दी जाएगी। लेकिन मैं खुद आश्वस्त नहीं था कि मैं किस तरह से सड़कों का निर्माण करवाऊंगा। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्दवाद देना चाहूंगा कि मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में न तो ई.एस. है, न डांग है और ना डी.पी.ए.पी. है। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसके माध्यम से मैं सड़कों का निर्माण करा सकता, मैंने अपना दर्द माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को सुनाया, आपने मेरे दर्द को समझते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र के सभी निवासी आपके अत्यन्त आभारी हैं।

अभी मांग की चर्चा चल रही है, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय मेरे निवेदन पर थोड़ा ध्यान देंगे। सिरपोई और गोल्या बुजुर्ग दो पंचायत मुख्यालय हैं, दोनों को जोड़ने के लिए हमने अनटाइड फण्ड से पांच किलोमीटर मिट्टी का काम पूरा करवा दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रेवल और गिट्टी के लिए यदि डिपार्टमेंट से हमें स्वीकृति मिल जाती है तो हम सुनेल-पिड़ावा मार्ग से जुड़ने में सफल हो जाएंगे। साथ ही एक इण्टर स्टेट रोड आपने मुझे स्वीकृत करके दी उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन एक और इण्टर स्टेट रोड और मेरे क्षेत्र में बन सकती है मात्र सात-आठ किलोमीटर की स्वीकृति यदि प्रदान की जाय। इस रोड के ऊपर भी हमने लगभग छह किलोमीटर मिट्टी का कार्य, सांसद कोष से करवा दिया है, मात्र चार-पांच किलोमीटर यदि और मिट्टी एवं टोटल रोड के ऊपर ग्रेवल का कार्य करा दें तो एक अन्तरराज्यीय सड़क यहां निर्मित होगी।

एक अन्तरराज्यीय मार्ग है हमारा पिड़ावा से सोयल, जिस पर एक छोटा-सा नाला है हालांकि उसे नदी के नाम से जाना जाता है, पिड़ावा की नदी, लेकिन बहुत छोटा नाला है, ज्यादा से ज्यादा पचास फीट भी उसका पाट नहीं है, इसके ऊपर एक छोटी-सी रपट बनी हुई है तीन-चार फीट ऊंची, बरसात के दिनों में यहां तीन-तीन, चार-चार घण्टे तक आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। वाहन राजस्थान से मध्य प्रदेश आते और जाते हैं। यह इन्दौर-उज्जैन वाला मार्ग है। ट्रक भी बहुत निकलते हैं। जब उस नदी में पानी ज्यादा होता है तो तीन-चार घण्टे वाहनों को रुकना पड़ता है और सवारियां परेशान होती रहती है। मैंने पूर्व में भी माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि इस नदी के ऊपर एक सात-आठ फीट ऊंची छोटी-सी पुलिया का निर्माण करा दिया जाए। तो यह आवागमन काफी सुगम हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, भवानी मण्डी-सुनेल मार्ग में सुनेल के पास आऊ नदी बहती है, उसके ऊपर पुलिया बनी हुई

( श्री कन्हैयालाल पाटीदार )

है लेकिन पुलिया इतनी संकीर्ण है कि आए दिन उस पर एक्सीडेंट होते हैं। मैं सदन को याद दिलाऊं, 1980 में मेरे विधान सभा क्षेत्र से ठाकुर शिवदान सिंहजी एम.एल.ए. चुनकर आए थे और इस पुलिया की संकीर्णता से इस पुलिया के ऊपर उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी जीप नदी में जा गिरी और उनकी मृत्यु हो गयी। आए दिन इस तरह से इस पुलिया के ऊपर दुर्घटनाएं होती रहती है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पुलिया को थोड़ा चौड़ा कराया जाए ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से क्षेत्र के लोग बच सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ पुलियाओं के काम के बारे में मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को अनुरोध करना चाहूंगा। सुनेल-पाटन रोड, जो लगभग पूरी होने जा रही है, पर लगभग चार-पांच किलोमीटर का काम शेष है। इस पर एक बहुत-बड़ा नाला शामिया गांव के नजदीक पड़ता है, इस नाले की स्वीकृति अभी आई नहीं है। छोटी-छोटी खल्लियों की स्वीकृतियां माननीय मंत्री महोदय ने कर दी है लेकिन जब तक इस नाले के ऊपर हम पुलिया का निर्माण नहीं कराएंगे, इस पर आवागमन सुगम नहीं हो पाएगा।

इसी तरह से सुनेल-रायपुर रोड पर कांदलखेड़ी गांव के निकट एक रपट बनी हुई है। रपट काफी कमजोर मैटीरियल से बनी थी लगभग सात-आठ वर्ष पूर्व उसके आधे-हिस्से में दरारें पड़ गयी, आधा हिस्सा बह भी गया है। वहां पर ट्रैफिक बड़ी मुश्किल से निकलता है। इस रपट को थोड़ा ऊंचा करवाकर एक छोटी पुलिया का रूप दे दिया जाए तो सुनेल-रायपुर रोड का आवागमन सही हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, सुनेल-पाटन रोड पर पाटन से शामिया तक इतने बड़े गड्ढे बने हुए हैं, शायद रोड के निर्माण होने के बाद आज दिन तक उस पर पेच वर्क या रिपेयर नहीं किया गया है। मात्र दस किलोमीटर की दूरी पार करने में हमें लगभग एक घण्टे का समय लग जाता है। वहां के एक्सईएन. से मैंने दो-तीन बार कहा लेकिन उसका कार्य अभी तक शुरू नहीं करवाया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अधिकारियों को निर्देशित कर इस सुनेल-पाटन रोड के सारे पेच वर्क को पूरा कराने की कृपा करें। सूलिया चौकी से सुनेल के बीच में तीन किलोमीटर की सड़क बरसात में इतनी अधिक खराब हो गयी है कि आज उसके ऊपर से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। वाहन को मात्र दो किलोमीटर की दूरी पार करने में कम से कम पन्द्रह मिनट लग जाते हैं और भारी वाहन तो निकल ही नहीं सकते, कच्चे से दूसरा रास्ता बनाकर निकाले जा रहे हैं। तो यहां के पेच वर्क का काम भी कराएं।

( श्री कन्हैयालाल पाटीदार )

मैं एक बार और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में काफी सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है।

मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में आपने दो छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है। सुनेल का छात्रावास दो-तीन साल पूर्व स्वीकृत हुआ था और आज छात्रों को उसका पर्याप्त लाभ मिल रहा है। पिछले वर्ष पिड़ावा में भी आपने एक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों छात्रावासों के भवन हेतु स्वीकृति प्रदान करें ताकि वहां छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सरकार की इस योजना का समुचित लाभ प्राप्त हो सके। मैं दोनों विभागों के मंत्रियों को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। आभार प्रकट करना चाहूंगा और आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपको भी धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री फूलचन्द मीणा।

**श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन मांग संख्या 21 एवं 33 पर चर्चा कर रहा है, मैं भी इसमें सम्मिलित होकर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। पूर्व वक्ताओं ने माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है और पूरे राजस्थान के लोगों के मन में यह बैठ गया कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय जिधर जाएंगे उधर निश्चित रूप से सड़क ठीक होगी और नयी सड़क बनेगी। यह धारणा बनी हुई है पूरे राजस्थान में। एक बात और है कि ये "दौरा मंत्री" के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दौरा करेंगे और दौरे के साथ-साथ यह भी घोषणा करेंगे कि यह पुल बन जाएगा, यह सड़क बन जाएगी। इसी आधार पर सलूम्बर का भी विकास आपने निश्चित रूप से किया है। गींगला एक ऐसा क्षेत्र है मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां 10-15 पंचायतें जुड़ती हैं और ये बारिश में बिलकुल कट-ऑफ रहती थी। उसके लिए 78 लाख रुपये स्वीकृत करके तुरन्त पुलिया बनवाई इसलिए और लोगों के मन में बैठ गया कि निर्माण मंत्रीजी को लाओ और हमारा काम होगा। इसी तरह दूसरी नदी बाणा और थरोड़ा है वहां भी पुलिया का निर्माण कराया, वहां भी तुरन्त ले गये और मीटिंग हुई, जनजाति मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि आधा पैसा इन्होंने दिया और आधा पैसा आपने दिया, तुरन्त उसका भी काम पूरा हो गया।

इसके साथ ही आपने बहुत गंभीरता से सोचा कि हमारे कार्य का विकेन्द्रीकरण कैसे हो, हमारा कार्य कैसे पूर्ण हो, इस आधार पर सलूम्बर में खण्डीय कार्यालय की स्थापना की। जनता को सीधा लाभ मिले इसके लिए

( श्री फूलचन्द मीणा )

पूरे जनजाति क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करके उस खण्डीय कार्यालय का मुख्यालय सलूम्बर में बनाया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। सलूम्बर जनजाति क्षेत्र का मुख्यालय है, संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, वहां रहने के लिए भवन मिलने में थोड़ी कमी है। प्रशासनिक भवन और कुछ आवासीय क्वार्टर जिस प्रकार से उदयपुर में एक्सईएन. के या कलेक्टर के निश्चित होते हैं उसी प्रकार वहाँ एक्सईएन. और एईएन. और कुछ कर्मचारियों के लिए भवन बनवाने की स्वीकृति देवें। मैं निश्चित रूप से इस बार मांग करूंगा।

दूसरा, मेरा कुछ क्षेत्र गिरवा में है जिसमें जगत -जामेश्वरी रोड बन जाने से उदयपुर सीधा जुड़ जाता है। उसका नाबार्ड में 46 लाख का पूरा एस्टीमेट बनाकर, तखमीना बनाकर भी दिया है परन्तु वह स्वीकृत नहीं हुई है। मैं मांग करूंगा कि उस सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करवाने से वहां की जनता को बहुत लाभ होगा और सीधा उदयपुर से आना-जाना होगा जिससे मेहनत और मजदूरी करके वहां के लोग अपनी जीविका चला सकते हैं। एक रोड और है- झामर कोटड़ा से खारवा चरसदा, जो कई बार बन चुकी है, ग्रेवल की चार-पांच बार बन चुकी हैं परन्तु वह पूरी नहीं हुई है। चाहे वह झामर कोटड़ा के खान विभाग से पैसा लेकर बनायी जाए, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग से पैसा लगाया जाए, कई वर्षों से वहां के लोग इन्तजार कर रहे हैं कि यह रोड कब बनेगी। गिट्टी पड़ती है, वापस टूट जाती है।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व में कहा था कि हाई वे नम्बर आठ पर जितना दवाव आज है, उस दबाव को कम किया जाए और कम खर्चे में उस सड़क का निर्माण कर दिया जाए, कीर की चौकी से सलूम्बर, सलूम्बर से चाहे रतनपुर जोड़ें, चाहे खैरवाड़ा जोड़ें, चाहे डूंगरपुर जोड़ें और चाहे दाहोद जोड़ें, वह सबसे ज्यादा लाभदायक होगा और यह घोषणा माननीय मंत्री महोदय ने 1994 में तब की थी जब डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाले खरका ब्रिज का उद्घाटन किया था। तब कहा था कि इस रोड को बनायेंगे और निश्चित रूप से बनायेंगे। उसमें शायद तीन सौ करोड़ रुपये की लागत आयेगी। चाहे वह विश्व बैंक से लेंगे या किसी से भी लेंगे पर तीन सौ करोड़ से भी ज्यादा का यह काम होगा, उदयपुर से डूंगरपुर के रास्ते को अगर फोरलेन किया जाए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि इस रोड को कीर की चौकी से सलूम्बर होकर रतनपुर या दाहोद से जोड़ा जाए।

सलूम्बर एक मुख्यालय है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय और कई मंत्रियों ने वहां सिंचाई विभाग का डिवीजन किया, वहां

( श्री फूलचन्द मीणा )

आर.एस.ई.बी. का खण्डीय कार्यालय खोला, वहां पी.एच.ई.डी. का खण्डीय कार्यालय होगा, वहां आपने भी खण्डीय कार्यालय का सृजन किया इसी सरकार में। मैंने कई बार मांग की है कि वहां डाक बंगले में एकमात्र इंस्पेक्शन रूम है, सारे अफसर और जन प्रतिनिधि माननीय मंत्री महोदय जो भी वहां दौरा करते हैं, उनको वहां रहने में बड़ी परेशानी आती है। राजसमंद जिला बनने के बाद सलूम्बर ही उदयपुर जिले का एक बड़ा कस्बा रहा गया है। तो निश्चित रूप से वहां पर डाक बंगले की आवश्यकता है और उसका एस्टीमेट तथा तखमीना भी हमने बनाकर भेजा है, मैं आग्रह करुंगा, निवेदन करूंगा कि वहां डाक बंगले का विस्तार किया जाए। तभी जाकर वहां ठहरने की व्यवस्था हो सकेगी अन्यथा बहुत दिक्कत आ रही है।

आपने अभी ट्राइबल एरिया की सड़कें स्वीकृत की हैं। बिड़ावा सड़क है जो एक करोड़ की लागत से बनने वाली है। वहां आज भी कोई जाने को तैयार नहीं है। वहां न स्कूल चलता है क्योंकि अध्यापक जाते नहीं है। न डाक्टर जाते हैं। वहां कुछ भी नहीं है। उस सड़क को भी गंभीरता से लेकर बनवाएं। आदिवासी एरिया में स्वीकृत की, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उस सड़क के बनने से कई आदिवासी लाभान्वित होंगे और सीधा धरियावद से जुड़ेगा। कई ऐसी सड़कें अभी भी बाकी हैं जिनमें काम चल रहा है, जो अधूरी रह गयी हैं, उनको निश्चित रूप से पूरा करें, यही मेरी मांग है। सलूम्बर क्षेत्र की करीब-करीब सारी पंचायतें जोड़ दीं और एक हजार की जनसंख्या वाले गांव भी जोड़े हैं इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

वहां हैलीपेंड का बार-बार परिवर्तन करना पड़ता है। कभी सैकण्डरी स्कूल में और कभी अन्य जगहों पर। तो मैं आग्रह करूंगा कि हैलीपैड भी निश्चित जगह पर बना दिया जाए ताकि आप कभी भी वहां पधारें, मुख्य मंत्रीजी पधारें तो उसको बार-बार बदलना नहीं पड़े। इसलिए हैलीपेंड का वहां निर्माण करवाया जाए।

अकाल राहत कार्य में आपके विभाग ने जिस प्रकार से काम किया, वह भी एक सराहनीय कदम है। सारे अच्छे काम हुए हैं। धो-धाकर फेंक दिया ऐसा नहीं है। जो पुरानी परिपाटी थी वह खतम हुई। इससे लोगों के दिमाग में यह दृढ़ता बैठी है कि अब निश्चित रूप से सड़क मंत्री साहब काम करते हैं। यह भावना बहुत अच्छी है। पूर्व में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मरम्मत के लिये जो पैसा दिया जाता है वह बहुत कम रहता है। हमारे यहां पर चिकित्सालय भवन है, स्कूल भवन है। पांच वर्ष पहले या 1985 में एक लाख रुपया आता था, आज भी वह एक लाख ही है। उससे न तो भवनों की सफेदी हो

( श्री फूलचन्द मीणा )

सकती है, न रिपेयरिंग हो सकती है । कुछ नहीं हो सकता। मैं मांग करूंगा कि मरम्मत के लिये धनराशि बढ़ायी जाए और सारे भवनों की मरम्मत का कार्य पूरा करवाया जाए। (व्यवधान) धीरे-धीरे ही बोल रहे हैं।

**श्री सभापति :** कृपया व्यवधान नहीं डालें। बोलिये।

**श्री फूलचन्द मीणा :** मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अभी 25 बच्चियों का छात्रावास खोला लेकिन वहां रहने की इतनी समस्या है कि एक-एक कमरे में 12-13 रहते हैं। बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं। तीन होस्टल हैं, भवराना में, जलदारा में और सलूम्बर में। इतनी दिक्कत आ रही है कि बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह पैसा फालतू जा रहा है। इसमें सुधार किया जाए और सुधार करोगे तो निश्चित रूप से हम सबको लाभ मिलेगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति :** माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :** माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 और 33 पर विचार चल रहा है, मैं इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा।

मैं पहले तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका आभारी हूं कि उन्होंने बूंदी जिले में बहुत ही अच्छी धनराशि दी जिससे वहां के गांवों में सड़कों का निर्माण हुआ। वैसे तो सारे राजस्थान में ही आपने इस प्रकार की योजना बनायी, नीति बनायी उस नीति के आधार पर चार हजार किलोमीटर नवीन सड़कें इस वर्ष बनायीं हैं और 1200 गांवों को जोड़ा है। जिनमें 805 पंचायत मुख्यालय शामिल हैं। अगले वर्ष 4200 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है और 1300 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कोटा के मंत्री महोदय हैं, इसलिए शायद लोग यह सोचते होंगे कि वहां पर कुछ पैसा अधिक दे रहे हैं पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में कोटा की यह स्थिति है कि गांवों में जाने के कोई रास्ते नहीं हैं, ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं। पच्चीस-पच्चीस किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलने के लिए कोई रास्ते नहीं हैं। पंचायत मुख्यालय को जोड़ने की जो नीति बनायी है उससे उन गांवों को लाभ मिला है। आप पूरा बजट देख लीजिये, उसमें जितने पंचायत मुख्यालय हैं, हाड़ौती के , बूंदी के, कोटा के, झालावाड़ के, बारां के, पुलियाएं वहां नहीं थीं, रास्ते नहीं थे, राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव किया गया था। राजस्थान के साथ कोटा को भी दिया है इसके लिए मैं राजस्थान

( श्री ओमप्रकाश शर्मा )

की सरकार को और खास तौर से मंत्री महोदय को धन्यवाद देकर अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं।

अभी जो आपने सड़क नीति बनायी थी उसमें 1971 के आधार पर एक हजार की आबादी या पंचायत मुख्यालय लिए हैं और आपने कहा है कि 2003 तक सम्पूर्ण गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। मेरा निवेदन यह है, मैंने वित्त मंत्री महोदय से भी निवेदन किया है, मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन किया है कि 2003 के बजाय 1998 तक कम से कम 500 की आबादी वाले गांवों को इसमें ले लिया जाए तो उससे गांवों को लाभ मिलेगा। आज गांवों में कर्मचारी नहीं जाते। रास्ते नहीं हैं जाने के तो उस नाते वहां जब सड़क होगी तो कर्मचारी भी वहां जा सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें और बजट का प्रावधान किया जाए। आज 1971 के आधार पर कुछ पंचायत मुख्यालय और गांव ऐसे बचे हुए हैं जिनके बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि अगले साल तक जोड़ दिया जाएगा।

मेरे बूंदी विधान सभा क्षेत्र में, बूंदी तहसील में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। जो कि पंचायत मुख्यालय हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा आपने एक नीति बना रखी है और कह भी रखा है कि 15 नवम्बर तक यदि कोई सड़क ऐसी हो जिसकी मरम्मत नहीं की गयी हो तो मुझे पत्र द्वारा सूचित कर दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में तो है, आप चाहते हैं कि सड़क बिलकुल ठीक रहे, लोगों को परेशानी नहीं आए, लेकिन नीचे के कर्मचारी पूरी तरह से कार्य नहीं करते आज भी। मैं कुछ सड़कों के नाम गिना रहा हूं जहां पर सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है बल्कि खड्डे भरने के नाम पर गिट्टी और डामर जोवटा रखते हैं वह तक खड्डों में नहीं भरी जाती। उसके बारे में कई बार निवेदन भी किया जा चुका है, उच्च अधिकारियों को भी कहा है कि मौका देखो पर आज भी वही स्थिति है मेरी बूंदी तहसील के अन्दर। मैं निवेदन करूंगा, बरूधंण चौराहे से लेकर लक्ष्मीपुरा जोरा, सुतड़ा, इसी प्रकार नामाना से लेकर गरड़दा, खड्डे नहीं भरे गये हैं। बजड़ से वडूंदा बजड़ से केशोरायपाटन रोड, कोटा रोड वाया देलूंदा। कोई भी पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं जहां पर ये सड़कें बनी हुई हैं। यह बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा था कि बूंदी में जो भी मण्डी की सड़कें हैं या सी.एडी. के माध्यम से जो सड़कें बनी थीं, उन सभी सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. ने ले लिया है और उन सबकी मरम्मत कर दी जाएगी। मैं, मंत्री महोदय, आप ही की बात याद दिला रहा हूं और यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम नहीं हुए हैं, जो सी.एडी. की सड़कें

(148)



( श्री ओमप्रकाश शर्मा )

थीं, जो मण्डी कमेटी की सड़कें थीं उन सड़कों के जो गड्ढे अभी तक पड़े हुए हैं उनको भरने का कष्ट करें। पी.डब्ल्यू.डी. की जो सड़कें हैं, जो 15 नवम्बर तक भरनी थीं, अधिकारियों ने अगर आपको रिपोर्ट दी है तो गलत रिपोर्ट दी है। आप मौका दिखवा लें और रिपोर्ट नहीं दी तो उनसे पूछें कि 15 नवम्बर तक इन सड़कों का काम क्यों नहीं हुआ। बजट दिया जाता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि गिट्टी और डामर के लिए हम पैसा देते हैं उसके बजाय सड़क ही बना दी जाए। चाहे कम सड़क बनेगी लेकिन लाभ तो होगा। गड्ढे पड़ रहे हैं उनको मिट्टी से भर दिया जाए वरना वह जो भरते हैं वह केवल ऊपरी तौर पर भरकर हट जाते हैं, चले जाते हैं, पैसा बेकार जाता है। मेरा निवेदन यह है, आपके बारे में छवि है कि जो घोषणा करते हैं वह पूरी होती है, परन्तु यह 15 नवम्बर वाली जो घोषणा है वह पूरी नहीं हो पा रही है। आप तो चाहते होंगे परन्तु जो नीचे के कर्मचारी हैं वह ढिलाई बरतते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए।

इसी प्रकार अभी जो पुलियाएं बनीं, नवीन पुलियाएं बनवाई हैं, पिछले साल इसका बजट दिया और पुलिया बनीं, उसके लिए तो मैं आभारी हूं पर जैसे नामाना से बरूधण के मध्य पुलिया में गड्ढे पड़ गये। वह मैटीरियल अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से लक्ष्मीपुरा से डोरा के बीच में दो पुलियाएं बनीं। एक पुलिया तो उड़ ही गयी और दूसरी पुलिया में गड्ढे पड़ गये। उसके बारे में मैंने एडिशनल चीफ इंजीनियर, एसई., एक्सईएन. सभी अधिकारियों से निवेदन किया है परन्तु क्या पता वह गये या नहीं गये और गये तो कुछ कार्यवाही हुई कि नहीं दिन में गड्ढे पड़ते हैं, रात को जाकर भर देते हैं, दीखता नहीं है लोगों को, इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको जाकर एक बार स्वयं दिखवाएं।

इसी प्रकार गरडदा की पुलिया का काम चल रहा है, परन्तु उसमें भी मैटीरियल कमजोर है। मेरा निवेदन करना यह है कि आप अधिकारियों को भेजकर उनको दिखवाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा।

**(15.45)**

**(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

इसके साथ-साथ कुछ सड़कें हैं जो वन विभाग के कारण अटकी पड़ी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यहां घोषणा की थी कि गरडदा से डाबी को हम इस वर्ष जोड़ देंगे। वन विभाग के अधिकारी भी आ गये थे, पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी भी थे और यह कहा था कि जहां गडार है वहां सड़क बन सकती है। परन्तु वह सड़क क्यों नहीं बनी ? केवल चार किलोमीटर सड़क शेष बची है, और सड़क बन गयी, पुलियाओं का निर्माण भी हुआ है, मेरा निवेदन करना यह है कि वह जो केवल

( श्री ओमप्रकाश शर्मा )

चार किलोमीटर सड़क बची है उसको इस बार लिया जाए जिससे डाबी का बरडी एरिया है, वह सारा बूंदी से जुड़ेगा और जयपुर की तरफ आने वाले व्यक्ति को तीस किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। अभी डाबी से कोटा आना पड़ता है और कोटा से बूंदी होकर जयपुर की तरफ आना पड़ता है। यह गरडदा से डाबी की सड़क बन गयी तो तीस किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। उसको कोटा नहीं जाना पड़ेगा, सीधा बूंदी आएगा। इसी प्रकार बरूधंण चौराहे से लक्ष्मीपुरा, डोरा और सुतड़ा, यह दोनों सड़कें ऐसी हैं, इनको स्टेट हाई-वे में लिया जाए। वह माइन्स इलाका है। बरड एरिया में खनिज सम्पदा है और वहां से रोज़ाना लगभग 300 ट्रक पत्थर के आते हैं। यहां पर खनिज मंत्री महोदय भी बैठे हैं उनसे भी पैसा लिया जाए। उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी पैसा दें और मिलकर इसको स्टेट हाई-वे में लें। अगर एक ट्रक आ गया और दूसरी गाड़ी आ गयी तो निकल नहीं सकते। कई बार ऐसी स्थिति होती है, पहले तो रोड खराब और रोड खराब होने के बाद अगर दो गाड़ी आमने-सामने आ गयीं तो निकल ही नहीं पाती है और जाम लग जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्टेट हाई-वे में लिया जाए।

इसके साथ मैं कुछ रोड्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी चार-पांच महीने पहले पीडब्ल्यूडी. मंत्रीजी सुवासा पधारे थे और आपने कोई बात वहां कही थी, आपकी यह छवि है कि एक बार कहने के बाद वह काम पूरा होता है, आपने यहां तीन सड़कों के बारे में कहा था। एक तो जमीतपुरा रेलवे फाटक से पीपल्दा हाडा वाया जलौदी। जलौदी की जनसंख्या 1991 के आधार पर एक हजार हो चुकी है। इसी प्रकार सुवासा से सेदड़ी और छिपावदा से डगलावदा। डगलावदा वाली एक किलोमीटर सड़क है। इनके बारे में आपने वहां कहा था। मैं उम्मीद करता हूं मंत्री महोदय से कि इस वर्ष के बजट में इसको अवश्य लेंगे। (व्यवधान) सेदड़ी में तो ग्रेवल रोड बना हुआ है। आपने यह भी कहा था कि जहां ग्रेवल रोड होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुवासा से सेदड़ी ग्रेवल रोड बना हुआ है। तालेडा-केशोरायपाटन रोड से तीतरवासा, वहां पर भी ग्रेवल रोड बना हुआ है। मांगली नदी से खानखेडा वाया कोटखेड़ा, बरखेड़ा, वहां भी ग्रेवल रोड है, कुछ डामर रोड भी है, कुछ अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार सांकरदा से सिलोर रोड है वहां भी गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके ग्रेवल रोड बना रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां ग्रेवल रोड है उनको प्राथमिकता दें।

इसी के साथ कुछ और सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बूंदी-चित्तौड़ रोड से एक रेगरान मंदिर है वाया रघुवीरपुरा।

( श्री ओमप्रकाश शर्मा )

दूसरा है बूंदी-कोटा रोड से नानकपुरया, घोड़ा पछाड़ नदी से नोहीपुरा और वहीं से सप्तीजा, इसी के साथ नया वरधा से पीताम्पुरा, वहां माताजी का मंदिर है, क्योंकि आपने कह रखा है कि जहां भी प्रसिद्ध मंदिर होंगे वहां पर सड़कों से जोड़ा जाएगा और यह गांव शिड्यूल्ड कास्ट का है। यहां केवल एक या दो परिवार ब्राह्मण हैं और सारे के सारे शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माताजी का मंदिर भी है और शिड्यूल्ट कास्ट का गांव भी है और मुश्किल से एक किलोमीटर का रास्ता है, उसको भी लिया जाए। इसी प्रकार बूंदी-कोटा रोड से रघुनाथपुरा है, बूंदी कोटा रोड से संवर है और लोइचा से श्रवण की झोंपड़ियां, इन गांवों को प्राथमिकता से लिया जाए। पुलियाओं के बारे में निवेदन करूंगा कि जाजड़ से अंचड़ा जो 1971 के आधार पर एक हजार की आबादी का गांव है और इधर बूंदी-कोटा रोड से जिंगला वासन जो पंचायत मुख्यालय है, बधुवाना और अन्थला, यहां कम से कम 30 गांवों के लोग बूंदी आते हैं, जिला मुख्यालय पर आने के लिए यहां पुलिया का बनना अतिआवश्यक है। इसके बारे में भी दो माह पूर्व अधिकारियों की मीटिंग आपने कोटा में बुलाई थी, वहां पर भी मैंने निवेदन किया था। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिया का बनाना अति आवश्यक है। सारा ग्रामीण इलाका इससे जुड़ेगा। इसी प्रकार एक छोटी सी पुलिया है, आमली पंचायत का प्रेमपुरा गांव है, चारों तरफ वहां नहर निकली हुई है, गांव में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो मेरे विधायक कोष से भी एक लाख रुपया दिया तो उन्होंने कहा कि एक लाख में काम नहीं चलता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रेमपुरा की पुलिया को भी बनवाने का कष्ट करें।

इसी प्रकार भवनों के रख-रखाव के बारे में बड़ी दिक्कत आती है। सब लोग कहते हैं कि पी.डब्ल्यू.डी. वाले एक्सईएन. साहब काम नहीं कर रहे हैं, पी.डब्ल्यू.डी. काम नहीं करता। मैं एक सुझाव दूंगा कि जितने भी विभाग हैं, जिनके भवन हैं वह विभाग स्वयं पैसा दें और कार्य पी.डब्ल्यू.डी. से करवाएं तो पी.डब्ल्यू.डी. के लिए यह नहीं होगा कि पक्षपात करें। अब पी.डब्ल्यू.डी. यह कहता है कि पैसा ही नहीं है वहां पर तो रख-रखाव का और सारे विभाग कहते हैं, पैसा आप दो। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इन विभागों को पैसा दिया जाए और वही पी.डब्ल्यू.डी. से काम करवाएं।

इसी के साथ एक निवेदन और करूंगा। जब मंत्री महोदय कोटा पधारते हैं, बाई-पास आपने चौड़ा करवाया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं परन्तु जब वाई-पास बूंदी के ऊपर से निकलते हैं और बूंदी की तरफ घूमते हैं तो देखा होगा वहां पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। वह नेशनल हाई-वे में

( श्री ओमप्रकाश शर्मा )

आता है। नगरपालिका के खिलाफ स्टे आ जाता है। नेशनल हाई-वे पर चौराहा है, जहां कई बार एक्सीडेंट होते हैं। इधर तो बूंदी में जाने का रास्ता है, उधर चित्तौड़ जाने का रास्ता है, कोटा जाने का रास्ता है। कई बार वहां एक्सीडेंट हो गये। लोगों ने कब्जा करके रास्ते को तंग कर दिया। मैंने नगरपालिका से भी निवेदन किया लेकिन उसके खिलाफ स्टे आया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, उनको हटवाया जाए। उसके लिए मैंने दो लाख रुपये मेरे फण्ड से दिये हैं, विधायक कोष से। वहां पर मूर्ति लगा कर बढ़िया पार्क बन जाए, पर्यटन की दृष्टि से वह अच्छा लगेगा। नेशनल हाई-वे के नजदीक जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे, गयी बार भी कई लोगों को हटाया है उससे लाभ ही हुआ है। कुछ समय के लिए नुकसान जरूर होता है लेकिन इसका लाभ है। वहां लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उनको हटाने से बाई-पास चौड़ा होगा और वहां चौराहे बन पाएंगे।

मैं मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने बूंदी नगर के लिए भी कुछ धन आवंटित किया उसके लिए बूंदी नगर की जनता, पूरे बूंदी जिले की जनता आपकी आभारी है। वास्तव में आपने जिस प्रकार का काम करवाया है, इसलिए नहीं कह रहा कि आप कोटा के हैं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार का सोच आप में है, राजस्थान के मंत्रिमण्डल में है, मुख्यमंत्री जी में है, इस सोच के माध्यम से सड़कों का निर्माण हो रहा है, उससे गांवों में बहुत बड़ी प्रशंसा है, शहरों में बड़ी प्रशंसा है।

इसी प्रकार मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। समाज कल्याण मंत्री महोदय ने इस वर्ष कुछ नवीन होस्टल खोले हैं। बूंदी में एक नवीन होस्टल बन रहा है, इसके लिए मैं आभारी हूं उसका जिला मुख्यालय पर कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि नामाना और डाबी, दोनों ऐसे स्थान हैं जिनकी स्थिति अच्छी नही है। नामाना में तो अभी भी किराये के भवन में बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपने ढाई सौ से साढ़े तीन सौ रुपये मैस भत्ता किया शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए, शिड्यूल्ड ट्राइबा के बच्चों के लिए, राज्य सरकार को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही एक निवेदन और करूंगा कि बूंदी में ही नहीं राजस्थान में विकलांग बच्चों का वैवाहिक परिचय अगर करवाया जाए, सम्मेलन करवाया जाए स्थान-स्थान पर चाहे जिला मुख्यालय पर हो, चाहे राजस्थान लेवल पर हो उसका एक लाभ मिल पाएगा। इसी प्रकार विकलांग बच्चे हैं उनकी जिलों में प्रतियोगिताएं होती हैं खेलकूद की, इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम

( श्री ओमप्रकाश शर्मा )

से बच्चे सामने आते हैं, यदि राजस्थान भर में भी जिला मुख्यालय पर होने के बाद राजस्थान लेवल पर प्रतियोगिता हो तो उसका भी एक लाभ मिलेगा और उससे बच्चों में स्फूर्ति आएगी।

इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बच्चों को या अन्य लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं राज्य सरकार की ओर से उनके कैम्प लगाये जाएं। होता क्या है कि राज्य सरकार सब्सिडी देती है, राज्य सरकार कई सुविधाएं देती हैं, परन्तु वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वह गांव के लोगों से चुपचाप मिलीभगत करके अपना प्रतिशत तय कर लेते हैं, न वहां माल पहुंचता है, न धनराशि पहुंचती है, न सामान पहुंचता है और बीच में ही गायब हो जाता है। इसीलिए अगर वहां पर कैम्प लगाये जाएंगे, वहां अधिकारी भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे, जनता भी होगी तो उसका सीधा-सीधा लाभ मिल जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मंत्री महोदय अपनी बात रखेंगे, जवाब देंगे उस समय इस पर भी ध्यान दें।

मैं पुनः पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय और समाज कल्याण मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 21 और 33 पर चर्चा हो रही है उसमें सम्मिलित होते हुए मैं सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय चतुर्वेदी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डिग्गी एक तीर्थ स्थान है जहां पर श्रद्धालु आते हैं, हर साल जाते हैं, पद यात्री भी जाते हैं, आपने एक करोड़ की लागत से वांडी नदी पर पुलिया का निर्माण करवा कर उन सभी श्रद्धालुओं, यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने वांडी नदी पर तो पुल बना दिया अगर वांसी नदी पर भी एक पुल और बना दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी जिससे हमेशा बरसात में यात्रियों को जो असुविधा होती है वह नहीं होगी।

इसी प्रकार की आपकी सड़क की रीति और नीति के हिसाब से मेरे विधान सभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा पंचायत मुख्यालय नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा है। मेरे कांस्टीटयूएंसी के सारे पंचायत हैडक्वार्टर, जुड़ चुके हैं इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे ग्रेवल रोड से जुड़े हो, चाहे डांमरीकरण से जुड़े हों पर करीब-करीब सारे मुख्यालय जुड़ चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

पंचायत मुख्यालयों का डामरीकरण नहीं हुआ है, अगर यह हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसमें फागी में मोहबतपुरा, झाड़ला, सवाई जयसिंहपुरा, गोंदी, दौसरा और कासिल और चाकसू में है बड़ली, गिरधारीलाल पुरा, सवाई माधोसिंहपुरा। यह तीन-चार ऐसे पंचायत हैडक्वार्टर हैं जहां डामरीकरण नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पर डामरीकरण किया जाए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई सड़कें अकाल राहत में, डी.आर.डी.ए. में या एम.एल.ए., एम.पी. के फण्ड से भी बनी हुई हैं। वह कुछ अधूरी रह जाती हैं या जिन पर ग्रेवल हो जाती है परन्तु डब्ल्यू.बी.एम. नहीं होती है, उसमें सरकार का काफी पैसा लग चुका होता है, लाखों रुपया लग जाता है परन्तु उसका कोई उपयोग नहीं होता इसलिए उन रोड्स पर भी आप कम से कम डब्ल्यू.बी.एम. करने की कृपा करें। इसी प्रकार जो एप्रोच रोड हैं फागी में, उन पर भी डामरीकरण करवा दिया जाए जो कि डी.आर.डी.ए., एम.एल.ए., एम.पी. कोटे में बनी हुई हैं। जैसे दूदू-फागी रोड से शंकरपुरा, फागी रोड से मोहनपुरा वाया रामपुरा पहाड़िया से बांमडोली और सांगानेर मालपुरा रोड से हनुमानजी के मन्दिर तक की है। इसी प्रकार चाकसू में कोटखावदा रोड से बड़ोदिया, लसाड़िया से लूनी अहीरान कादेड़ा से भोजारा और बापू गांव। इसी प्रकार से मंत्री महोदय से निवेदन है कि 1991 की एक हजार की आवादी वाले सभी गांव जुड़ चुके हैं, सिर्फ तीन गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाकी रह गये हैं। उसमें जोरिंदा,

(16.00)

भोजपुरा, सुल्तानिया और सांवलिया है। अभी नाबार्ड के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 3 करोड़ रुपये की सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें काम कराने में और टेण्डर डालने में कुछ डिले हो रही है। मैं कहना चाहता हूं चाहे इसमें डिले हो जाए, इसमें एक दो महीने की देरी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परन्तु जो एक बार घोषणा हो चुकी है, जिनके एरिया में जाकर कह चुके हैं, उन कामों को आप जरूर से जरूर कराएं और इसमें ज्यादा देरी न करें।

इसी के साथ मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए विशेष आग्रह करना चाहता हूं। नीमेड़ा-पारली रोड पर 13 किलोमीटर पर एक नाला आता है, झूपड़ा का नाला। देश आजाद हुआ तब से यह नाला आज तक नहीं बना है। मेरी कांस्टीट्एंसी की तीन पंचायतें इस नाले के दूसरी तरफ रहती हैं, बरसात के टाइम दो ढाई महीने तक इस नाले की वजह से इन पंचायतों, जिसमें

( श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा )

15-20 गांव जुड़े हुए हैं, के व्यक्तियों को अगर जयपुर आना होता है तो वह पहले दूदू जाते हैं और फिर जयपुर आते हैं। अगर किसी को फागी तहसील मुख्यालय पर आना होता है तो वह मालपुरा जाएगा और फिर फागी आएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस नाले पर आप पुलिया बनाने की कृपा करें। अगर पुलिया नहीं बना सकते तो कम से कम रपट जरूर बनवा दें जिससे हारी-बीमारी में या किसान को अपनी जिस कृषि उपज मंडी मुख्यालय पर लाने-जे जाने में सुविधा होगी। इसीलिए यह मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नाले को बनवाने की विशेष कृपा करें।

एक लिंक रोड है लक्ष्मीनारायणपुरा से रोहतवाड़ा, सिर्फ ढाई किलोमीटर है। अगर यह रोड जुड़ जाती है तो इससे फागी क्षेत्र बगरू से जुड़ जाता है और बगरू से जुड़ जाता है तो अजमेर रोड से भी जुड़ जाता है। इसलिए यह ढाई किलोमीटर रोड भी आप जुड़वाने की कृपा करें।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, मांडी में मुरली मनोहर जी का मंदिर, धार्मिक स्थल खाली आधा किलोमीटर है, अगर आप उसे जुड़वा दें तो जन भावना यह है कि यहां पर आने-जाने वालों के लिए बरसात में कोई दिक्कत नहीं होगी।

मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाह रहा हूं। चाकसू, टौंक रोड पर इंडियन आयल कारपोरेशन का एक टर्मिनल बना है, जहां पर पैट्रोल, डीजल फिलअप करते हैं। इस टर्मिनल के टौंक रोड पर जुड़ने से फलौदी से सरमथुरा तक जो रोड है, जो वाया दूदू, फागी, चाकसू होकर जाता है, इस पर रोजाना कम से कम डेढ़ सौ, दो सौ डीजल के टेंकर गुजरते हैं, जिनका वजन 15-20 टन के करीब होता है और सड़क खाली तीन मीटर चौड़ी बनी हुई है, इससे यहां के किसानों का साइकिल, बैलगाड़ी या स्कूटर पर आना-जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। 20-20 टन के ट्रक इस पर जाने से सारी रोड खराब हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है कि स्टेट हाईवे यह घोषित हो चुका है, इसको रिपेयर कराने की कृपा करें जिससे कि यहां आवागमन का साधन ठीक हो जाए।

इसी प्रकार मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जयपुर से फागी सड़क बने कम से कम 15-20 साल हो गये लेकिन इसका रिन्यूअल, डामरीकरण नहीं हुआ है जिससे इसमें जगह-जगह खड्डे हो गये, जगह-जगह इसमें पेचिंग आ गये, इसका डामरीकरण कराने की कृपा करें। इस टर्मिनल के खुलने के साथ ही फागी के गांवों में से इन ट्रकों का आना-जाना ज्यादा बढ़ गया है इस वजह से गांवों में दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा हो गयी हैं, मैं मांग करता हूं कि जो फागी

( श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा )

तहसील मुख्यालय है उसका बाईपास बनवाने की व्यवस्था करें तो बड़ी कृपा होगी। यह सभी बातें रखते हुए मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को पुनः धन्यवाद देता हूं।

अब मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चाकसू में पहले ही होस्टल बना हुआ था, फागी में इस साल अपने होस्टल स्वीकृत किया और 75 प्रतिशत वह बन भी गया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम जयपुर में बना हुआ है, इसकी जो योजनाएं चल रही हैं, उनका कोई लाभ राजस्थान को नहीं मिल पा रहा है। सेण्टर की जो योजनाएं हैं, एन.एस.एफ. डी.सी. जितनी भी योजनाएं राजस्थान में आनी चाहिए वह हमारे यहां पिछले दो साल से नहीं आ रही हैं। इसमें चाहे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कृषि के लिए ट्रेक्टर खरीदना हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक खरीदना हो, जीप खरीदनी हो, या अन्य कोई योजनाएं चालू करना चाहते हैं, वह कर नहीं पा रहे हैं। एन. एस. एफ.डी.सी. से जो लाभ मिलने चाहिए थे, वह राजस्थान में नहीं आ रहे हैं। शायद इसमें एक कमी रह गयी है, या जैसा मुझे सुनने में आया है, मुख्य मंत्रीजी वैसे तो पूरे उदार हृदय के रहे हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण कार्य के लिए हमेशा ध्यान भी देते हैं और अब की बार बजट पेश किया है उसमें कमजोर तबके का पूरा ध्यान भी रखा है, मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार एन.एस.एफ.डी.सी. को गारण्टी दे जिससे कि जितनी भी योजनाएं दिल्ली में बनती हैं वह हमारे राजस्थान में लागू हो जाएं और इस प्रदेश के एस.सी., एस.टी. के लोग इसका फायदा उठा सकें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग में आपने पद तो बहुत बढ़ा दिये, जैसे जाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, यह अधिकारी तो आपने बहुत बढ़ा दिये परन्तु अधिकारियों के बढ़ाने से जितने भी होस्टल बने हुए हैं इनकी कोई सुख-सुविधा नहीं बढ़ जाती है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। आपने पद बढ़ाकर इतना इनकी तनख्वाह का खर्चा और बढ़ा दिया बनिस्बत इसके जो होस्टल बने हुए हैं उनकी दशा सुधारने में आप ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा रहता। वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको अच्छा भोजन, ड्रेस, बिस्तर और अन्य जो सुविधा है, नहीं मिलती है। इन पर जो मानीटरिंग की बात है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। आप पैसा तो इनको अलॉट कर देते हैं परन्तु उस पैसे का सदुपयोग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी देखने की बात है। होस्टल आप एस.सी., एस.टी.

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

के बच्चों के लिए बना तो देते हैं परन्तु वहां ऐसा तो नहीं कि कोई असामाजिक तत्व अपना अड्डा चला रहे हों, बच्चों को बिगाड़ रहे हों, या कुछ ऐसी आदत चल रही हों जो कि अकसर हो जाया करती है, इस पर मानिटिरिंग की आवश्यकता है। चाकसू में आपके साथ ही पधारा था तो आपने देखा कि वहां जगह-जगह दीवारों पर जर्दा और तम्बाकू का पीक थूंका हुआ मिला था। उससे यह लग रहा था कि स्टूडेंट शायद तम्बाकू जर्दा मिलाकर खाते हैं। (व्यवधान) तो ऐसे लोग नहीं जाएं, आने-जाने वालों को रोका जाए, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां स्टूडेंट एडाप्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स में अच्छी प्रवृत्तियां कहां से आएंगी ? मेरा कहने का मतलब है कि असामाजिक तत्व वहां इनका मिसयूज नहीं करें जिससे कि बच्चों में कोई गंदी आदत पड़े।

इसी प्रकार से मैं आपको यह कहने वाला था कि छात्रवृत्ति और भत्ते बढ़ाएं जिससे कि छात्रों को लाभ हो। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बच्चों की तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाए। अगर तकनीकी शिक्षा पर जोर देंगे तो गांव का जो भी व्यक्ति पढ़ेगा वह स्वयं रोजगार अर्जित करके अपना पेट पाल लेगा। तकनीकी शिक्षा पर अगर ज्यादा जोर दें तो मेहरबानी होगी। इसके लिए थोड़ा बजट अगर आप रखें तो एस.सी. और एस.टी. के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा।

मैं पुनः सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी और समाज कल्याण मंत्रीजी को धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री कमल कोली (अनुपस्थित)। श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सड़क और समाज कल्याण पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद, यदि हम विकास करना चाहते हैं तो आवागमन के जो साधन हैं, वह सड़कें हैं, जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राज्य का सड़कों के बारे में जो असंतुलित विकास हुआ था और पूर्ववर्ती सरकारों का जो चलन था कि जहां पर विधायकों ने चाहा वहीं सड़क बन गयी, सड़क बनाने में राजनीतिक दृष्टिकोण था, उससे जो गांव वाकई में सड़कों से जुड़ने चाहिए थे वह वंचित रह गये, इस नाते मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी का राजस्थान की जनता की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के राजस्थान के समग्र विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सड़क नीति बनायी। वह निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में तो नहीं भायी, क्योंकि लोग यह चर्चा करते हैं परन्तु

( श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी )

उससे निश्चित रूप से राजस्थान का समग्र विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राजस्थान की चर्चा नहीं करते हुए मेरे क्षेत्र की चर्चा करूंगा क्योंकि बोलने वाले काफी वक्ता हैं, आज लिस्ट लम्बी-चौड़ी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप भी थोड़ा स्पीड बढ़ायें बोलने की।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी :** हां, स्पीड बढ़ा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बिजौलिया से एक रास्ता जाता है शंकरगढ़, बीच में माल का खेड़ा, भांगथल वगैरह आते हैं, माननीय मंत्री महोदय ने तीन करोड़ रुपये लगाकर इस सड़क पर गुढ़ा तक काम कराया, यह सड़क मेरे निर्वाचन क्षेत्र तक तो बन गयी है लेकिन शंकरगढ़ से भांगथला, आगे शंकरगढ़ के बीच में 10-12 किलोमीटर का रास्ता है वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस सड़क के पूर्ण बनने से बिजौलिया से जयपुर की कम से कम 30-35 किलोमीटर की दूरी कम होगी। बिजौलिया से बूंदी होकर हम जाते हैं तो वहां बीच में बूंदी की जो घाटी पड़ती है उससे ट्रक निकलते हैं, भारी वाहन निकलते हैं, काफी माल लेकर निकलते हैं तो उस घाटी की वजह से उनको चढ़ने में तकलीफ होती है, यह सीधा जयपुर से लिंक बन जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस ओर थोड़ा ध्यान फरमायें। ऐसे ही भीलवाड़ा-बिजौलिया रोड है, यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है। कम से कम 200-300 ट्रक पत्थर के भरकर रोजाना निकलते हैं, आवागमन के बहुत साधन हैं। माननीय मंत्री महोदय ने करीब 40 लाख रुपये उसकी रिपेयरिंग के लिए भी लगाये हैं, लेकिन मंत्री महोदय, यह एक तरह से स्टेट हाईवे के बराबर का रोड है, हालांकि स्टेट हाईवे घोषित नहीं है लेकिन जो आवागमन है वह स्टेट हाईवे के बराबर है, यदि इसकी चौड़ाई थोड़ी और बढ़े और यह पूरा पेवर रोड हो जाए तो निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी।

ऐसे ही माननीय मंत्री महोदय ने कृपा करके मांडलगढ़ से सिंगरौली, चारभुजा, बरूनी होते हुए बलियास, आमा तक भीलवाड़ा का जो रोड है उसको पेवर रोड कर दिया। अभी भी काम चल रहा है। सिंगरौली, चारभुजा पूरा करीब 20-30 लाख रुपये खर्च करके उस रोड को पेवर रोड बनाया।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने तय किया था कि पंचायत हैडक्वार्टर्स को हम सड़क से जोड़ेंगे और यह भी तय किया था जहां तक मुझे जानकारी है, यदि डी.आर.डी. ए. की राशि से या अन्य किसी राशि से गिट्टी रोड किसी पंचायत हैडक्वार्टर पर बन जाता है तो विभाग तुरन्त उस पर डामर करवा देगा। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे चार पंचायत हैडक्वार्टर्स गेगाखेड़ा, विकरण और

( श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी )

भल्ला डानर से जोड़ने के लिए करीब 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है और उस 50 लाख की राशि से चार पंचायत मुख्यालय डानर से जुड़ गये।

पर, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने मेरे क्षेत्र में प्रयास करके गेगलिया, जालिया, कल्याणपुरा, राजगढ़, सुरास आदि कई पंचायत मुख्यालयों को गिट्टी रोड से जोड़ दिया है, अब आप मान लो, उनको एक साल बाद डामर के लिए सैंक्शन करेंगे तो वह गिट्टी उखड़ जाएगी और जो पैसा लगा है वह पैसा भी व्यर्थ जाएगा और उसमें कुछ ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे गेगलिया, भीलवाड़ा-बेगूं का बहुत महत्वपूर्ण रूट है और कम से कम 70-80 बसें चलती हैं, गिट्टी रोड करवा दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पंचायत मुख्यालय या एक हजार की आबादी के गांव हैं उनको आपने सड़क नीति के तहत जोड़ने के लिए तय किया है किसी भी जिला फण्ड से, विधायक कोटे से, सांसद कोटे से यदि गिट्टी रोड हो जाता है तो आप विभाग को यह सीधे निर्देश दे दीजिए क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से ही काम होते हैं, यदि जिले के डी.आर.डी. ए. फण्ड से यह गिट्टी रोड होता है तो डामर की स्वीकृति वहां के एस.ई. को जारी करने के अधिकार आप दे दें तो साथ के साथ डामर हो जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर मंदाकिनी एक प्रसिद्ध पुरातात्विक महत्व का स्थान है। वहां चौहानों के समय के मंदिर हैं, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट हैं। वहां कई विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। वहां पर जाने का रास्ता नहीं था लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने कृपा करके डामर की स्वीकृति जारी कर दी और अभी गिट्टी रोड तो हो गया, डामरीकरण का काम चल रहा है पर माननीय मंत्री महोदय, यह जो रोड है इस पर विभाग बाद में पैसा खर्च नहीं करने वाला है। रख-रखाव होने में बहुत तकलीफें आती हैं और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 13 एम.एम. का रोड बना रहे हैं, डामर का, इसको यदि 20 एम.एम. का बना दें तो इससे स्थायित्व होगा और खराब होने में समय लगेगा।

ऐसा ही मेरे यहां गोंगटा माताजी का स्थान है, जिन लोगों के पेरेलाइसिस हो जाते हैं वह काफी लोग वहां जाते हैं और ईश्वर की कृपा से वहां ठीक हो जाते हैं। वह स्थान पहाड़ी पर बना हुआ है। करीब 700-800 सीढ़ियां चढ़कर मरीज को खाट पर डालकर ले जाना पड़ता है। यदि वहां पर आपकी कृपा से डामर रोड हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब मैं आपकी इजाजत से दूसरा नाम पुकार रहा हूं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, आप शार्ट करें।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शॉर्ट में बोल रहा हूं। मैं लम्बा-चौड़ा नहीं बोल रहा हूं (व्यवधान) मेरे त्रिवेणी से बूंदी रास्ता निकलता है, यह मैं माननीय मंत्री महोदय के इसलिए ध्यान में ला रहा हूं कि बरसात में माल का खेड़ा से जलंधरी रास्ता इतना खराब हो गया कि उसमें चार-चार फीट के गड्ढे पड़ गये तो कृपया उसको ठीक करा दें।

मैं समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समाज कल्याण मंत्रीजी वैसे तो एक बेटी के बाप हैं लेकिन जब से समाज कल्याण मंत्रालय इन्होंने संभाला है , तब से कई बेटियों के पिता हो गये हैं। इनका जो महिला सदन चलता है उसमें राज्य सरकार ने और इन्होंने प्रयास करके कई युवतियों की शादी कराने में पहल की और कई महिलाओं की शादी करायी है। मैंने यह इसलिए कहा है कि अब इनके पास उनकी चिट्ठियां आती हैं कि पूज्य पिताजी मेरे इनके नौकरी नहीं है, नौकरी लगा दें, मेरी यह समस्या है। यह जो पुण्य का काम किया, इसके लिए समाज कल्याण मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अभी भी कई शादी योग्य युवतियां महिला सदन में हैं तो कम से कम उनकी शादियां हो जाएं इस बारे में भी आप थोड़ा ध्यान दें।

ऐसे ही विकलांगों को परिचय पत्र देने की समाज कल्याण विभाग ने घोषणा की है परन्तु प्रेक्टिकल में अभी तक कई विकलांगों को परिचय पत्र नहीं मिले हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा ध्यान दें।

समाज कल्याण योजनाओं में सत्यापित या प्रमाणित करवाने के लिए अधिकार सरपंच को है कि प्रमाणित सरपंच करेंगे। मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिला परिषद के सदस्यों को, पंचायत समिति के सदस्यों को भी प्रमाणित करने के अधिकार दिलायें जिससे लोगों को सुविधा मिले।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असहाय लोगों को आकस्मिक विपत्ति में सहायता करने के लिए (व्यवधान) प्रावधान बना हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह दिक्कत आती है कई बार गरीब व्यक्ति आता है इलाज के लिए, तो ऐसा कोई फण्ड इनका 10-20 हजार रुपये का बन जाए, जिससे कि विधायकों के पास यदि बीमार लोग आते हैं, सहायता के लिए आते हैं तो अपनी अनुशंसा से उनको दवाई दिला सकें, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करा सकें, उनकी अन्य व्यवस्था करा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना भूल गया था, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, मेरे क्षेत्र में आईटीआई. के भवन के लिए 85 लाख

( श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी )

रुपये इन्होंने सैंक्शन किये थे, उसका भवन भी आप बनवा रहे हैं, वह थोड़ा शीघ्र बन जाए तो ठीक रहेगा।

महिला विकास के लिए मैं यह कहना चाहता था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनकी आंगनबाड़ी योजना पूरे राजस्थान में नहीं थी, जब से माननीय नरेन्द्र कंवरजी मंत्री बनी हैं तो इन्होंने सबसे पहले यह काम किया कि पूरे राजस्थान में आंगनबाड़ी योजना लागू कर दी।

ऐसे ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था इनके विभाग में है परन्तु उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने करीब साठ पर्सेण्ट लेने का एक लक्ष्य रखा है कि हम करेंगे सन् 2000 तक। मैं यह कहता हूं कि इसको आप थोड़ा जल्दी लें तो ठीक रहेगा। एक ड्राकरा योजना की बात करते हैं कि महिलाएं अपने घर पर रह कर या समूह के रूप में उत्पादन करती हैं परन्तु जो उत्पादन करती हैं उनकी बिक्री की समुचित व्यवस्था नहीं होती, तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला केन्द्र या कहीं कोई ऐसी सेल लगायी जाए या उनकी दुकानें लगायी जाएं जिससे उनकी अच्छी चीजें जो बनती हैं उनकी बिक्री हो और उनको उचित दाम मिले। जिससे उनको अपना जीवन स्तर उठाने का मौका मिले। धन्यवाद, आपने समय दिया।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती तारा भण्डारी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति होने के कारण इन्हें समय मिला है।

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : नहीं, मैंने पत्र लिख कर, अपना कारण बता कर फिर समय लिया है, और उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 21 के अन्तर्गत सड़कों और पुलियाओं की बातचीत हो रही है। हमारे कई सदस्य साथियों ने सड़कों और पुलों के बारे में काफी अच्छे सुझाव दिये और सबसे बड़ी जो बात उभर कर आई वह यह है कि सड़कों के मामलों में राजस्थान ने बहुत अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था तब इसी राजस्थान विधान सभा में हम यह कहते थे, मैं स्वयं कहती थीं कि हम जब गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो हमारी नींद अपने आप खुल जाती है, किन्तु आज ऐसा नहीं है। आज तो , उपाध्यक्ष महोदय, हम जब राजस्थान से गुजरात की ओर जाते हैं तो वहां हमारी नींद खुल जाती है। राजस्थान की सड़कों के लिए जहां हम पेवर नाम ही सुना ही करते थे, पेवर की सड़कें देखी नहीं थीं, आज राजस्थान में जगह जगह पर पेवर से सड़क निर्माण की गयी और अच्छे से अच्छे जो पुलों का निर्माण हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

( श्रीमती तारा भण्डारी )

सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने अपने पूरे प्रयासों से चाहे पैसा केन्द्र सरकार से लिया हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, चाहे नाबार्ड से लिया हो और अब तो इन्होंने बी.ओ.टी. में भी पहल कर दी, उपाध्यक्ष महोदय, और मेरा सिरोही जिला इसमें सबसे बड़ा भाग्यशाली है कि बी.ओ.टी. का पहला प्रोजेक्ट सिरोही जिले में प्रारम्भ हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, बी.ओ.टी. के अन्तर्गत सिरोही जिले के रेवदर में करेटी पुल का उद्घाटन किया। (व्यवधान) हमारी माननीय सदस्या कह रही हैं कि हिन्दी बोलो। बी.ओ.टी. का मतलब है बिल्ड, आपरेट एण्ड ट्रांसफर। बनाओ, उसको शुरू करो और उस पर गाड़ी चला लो। समझें, उसका मतलब यह है। जो हमारा परपज सिद्ध हुआ है उसमें एक निजी कम्पनी, प्राइवेट कम्पनी ने आकर यह रिस्क उठाई और हमारे यहां उसने पुल बनाया और उस पुल को शुरू करके टोल टैक्स के ज़रिये वे पैसा लेगी। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह रही उपाध्यक्ष महोदय, कि उस कम्पनी ने अपने समय से पहले उस प्रोजेक्ट को पूरा किया, समय से पहले ही उद्घाटन किया और आज इतना सुन्दर पुल हमारे जिले में है। यह तो बी.ओ.टी. का है और हमारे जिले में आरएसआरबीबीसी. का भी बढ़िया पुल बना है। मैं तो पुनः एक बार धन्यवाद देती हूं कि हमारे जिले की सड़कों के लिए, रपटों के लिए, आई.टी.आई. भवन के लिए, अन्य उपयोगी भवनों के लिए, हरेक मामलों में हमारे मंत्रीजी का बहुत हमारे साथ सहयोग रहा। आज हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे इस शासन में जो काम हुआ है, इस तीन साल के काम को आप किसी भी सरकार के पांच साल से कम्पेयर कर लें तो हम बाजी मार ले जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, काम तो बहुत हुए हैं, मेरी कोई लम्बी-चौड़ी मांगें भी नहीं हैं लेकिन कुछ सुझाव देना चाहती हूं। नेशनल हाई-वे नम्बर 14 गुजरता है सिरोही के अन्दर से। इस नेशनल हाई-वे नम्बर 14 का पहले सर्वे हुआ था वह सिरोही से मण्डार, डीसा और कांडला तक हुआ था। किन्हीं राजनैतिक कारणों से यह मार्ग बदल गया और अब यह सिरोही से पिण्डवाड़ा होकर कांडला तक जाता है। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह सुझाव है कि इस राज मार्ग पर सिरोही से सिरोही रोड के बीच एक बहुत बड़ी घाटी आती है, उसका नाम बारीघाटा है। बारीघाटा पर प्रतिदिन नहीं तो हर दूसरे दिन एक बड़ा एक्सीडेंट होता है क्योंकि घाटी की जो उतराई है वह बहुत सीधी है जिससे ट्रकों के बैलेंस खराब हो जाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं। इसको अगर कीमत के आंकड़ों में

(162)



( श्रीमती तारा भण्डारी )

बांधा जाए तो 4-5 करोड़ का नुकसान प्रति वर्ष होता है। जान की तो कोई कीमत हम लगा नहीं सकते पर इतनी जानें जाती हैं। तो मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहूंगी कि इस बारीघाटा को अलग करते हुए बाईपास बनवा दें जैसे आप पाली जनसंख्या के घनत्व के कारण समझ लें या लोगों के आवागमन की रुकावट के कारण बाईपास बनवा रहे हैं, उसी सिलसिले में मेरा यह सुझाव है कि इस घाटे से जान और माल का नुकसान बचाने के लिए हमने एक बाईपास का सर्वे कराया है, उस बाईपास को आप देखें और मन्जूरी दें तो सिरोही जिले की जनता तो क्या, हिन्दुस्तान की जनता आपकी आभारी रहेगी, क्योंकि उस बारीघाटा में मरने वाले लोग पंजाब के भी होते हैं, हरियाणा के भी होते हैं, बॉम्बे के भी होते हैं, पूरे देशभर के होते हैं और बारीघाटा के नाम से ही लोग घबराते हैं। हर तीसरे दिन वहां पर ट्रेफिक जाम हो जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूं, आपने मुझे समय सीमा में ही खड़ा किया है तो मैं दो-तीन सुझाव ही दूंगी। एक सुझाव मेरा और है इनके विभाग में जो काम होता है वह टुकड़ों-टुकड़ों में होता है। जैसे सिरोही से जालौर सड़क जा रही है तो पांच किलोमीटर इन्होंने नयी तैयार कर दी, बीच में पांच किलोमीटर पुरानी है, उसके थोड़ा आगे जाकर और पांच किलोमीटर नयी तैयार कर दी। इस प्रकार सिरोही से जालौर तक की सड़क पर हर साल कहीं न कहीं काम होता रहता है। यह तो एक उदाहरण दे रही हूं सिरोही से जालौर तक का। केवल मैंने तो बात कही थी कि इस तरह से होता है। तो उससे क्या होता है कि एक जगह तो आपने पेवर से रिपयेरिंग करवा दी, पांच किलोमीटर पर गाड़ी चली हमारी बिना बोले और फिर पांच किलोमीटर गाड़ी बोलती हुई चलने लग गयी। तो उस सड़क पर चलने का व्यक्ति का जो आनन्द है वह खतम हो जाता है। तो कम से कम इसको भी आप अपनी डायरी में नोट करें जो लम्बे रूट हैं, इन्टर डिस्ट्रिक्ट, एक जिले से दूसरे जिले के जो रूट हैं उनकी आप मरम्मत करवाएं तो पूरी सड़क को लें। इसी तरह से कुछ रोड मेरे यहां हैं, जैसे सिरोही से जालौर जिले को जाने का जो रास्ता है उसमें कई जगह मिसिंग लिंक रह गये हैं, आप उन मिसिंग लिंक को बनाएं तो वहां की जनता दूसरे जिलों में ठीक से जा सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्रीजी ने हमारे जिले को (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलेंगे, देवस्थानों को जोड़ने में इनकी बड़ी कृपा रही है...

**श्री उपाध्यक्ष :** इस समय आप सभापति के पद पर नहीं हैं।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : सॉरी साहब, खेद प्रकट करती हूं, मुझे आपने अहसास कराया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही थी कि हमारा जिला देवत्व में आगे है, सिरोही जिले में बहुत प्राचीन मंदिर वगैरह हैं, उसमें बहुत सारी सड़कें हमारे मंत्रीजी ने स्वीकार की हैं और इस साल वे सड़कें बनेंगी भी लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रह गया है, उसके लिए मैं मंत्रीजी को नोट कराना चाहूंगी कि हमारे यहां ताम्बेश्वर महादेव करके एक देवस्थान है जहां सिरोही, जालौर और पाली, तीनों जिलों के लोग निरंतर आते हैं और यह सड़क मंडी से भी जुड़ती है तो इस सड़क को अगर मंत्रीजी पूरा करवाएंगे तो हम बहुत आभारी रहेंगे।

इसके साथ-साथ सभापति महोदय, आज दूसरी जो मांग है, मांग संख्या 33, वह सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी है। सभापति महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष** : उपाध्यक्ष महोदय।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : उपाध्यक्ष महोदय, आज कुछ गलती मुझसे इसलिए हो रही है कि महिला उत्पीड़न का मामला अभी तक मेरे दिमाग से गया नहीं इसलिए कुछ न कुछ गलती हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह कहा जाए कि यह बजट महिलाओं, विकलांगों, और समाज के कमजोर वर्गों को समर्पित किया गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि उसमें इस बार इतने अच्छे-अच्छे कार्यक्रम लिए हैं जिससे समाज के विकलांगों पिछड़े लोगों और महिलाओं का अच्छी तरह से विकास होगा। इसी में एक घोषणा की है महिला नीति की। मैं समझती हूं कि महिला नीति अगर ठीक से बन जाए और उसकी क्रियान्विति भी ठीक से हो जाए तो महिलाओं के विकास के कार्यक्रमों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और महिलाएं अपने आप में समर्थ बनेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी जिलों में बालिका होस्टल खोलने का भी प्रावधान बजट में किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। बालिकाओं को लोग बाहर भेज नहीं पाते और जिला मुख्यालयों पर जो छात्रावास बनेंगे इससे बालिका शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी होगी, इससे उनको सम्बल मिलेगा।

एक कार्यक्रम है, किशोर बालिका योजना। उपाध्यक्ष महोदय, यह किशोर बालिका योजना हमारी बालिकाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं उनके लिए कुछ न कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ पढ़ने-लिखने में मदद होगी, कुछ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलेगी, कुछ उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, कुल मिला करके वे बालिकाएं शिक्षित बनेंगी और सुशील गृहणी बनेंगी इसके लिए भी बहुत अच्छा बजट

( श्रीमती तारा भण्डारी )

रखा है। जहां पिछले वर्ष 20 करोड़, 29 लाख रुपये थे, इस बार महिला बाल विकास कार्यक्रम के लिए 34 करोड़, 10 लाख रुपये रखे हैं। महिला विकास कार्यक्रम को भी इस बार पूरे राजस्थान में लागू करने का निर्णय किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर राजस्थान भर में जिला मुख्यालयों पर महिला विकास अभिकरण बनेंगे और उन अभिकरणों के माध्यम से, महिलाओं का समुचित विकास होगा।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, महिला समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए एक स्वयं ग्रुप योजना का बजट में प्रावधान किया गया है। इनको पांच हजार रुपये की मैचिंग ग्रांट मिलेगी। अगर महिलाएं अपना समूह बना लेती हैं, कुछ काम करना सीख जाती हैं, कुछ काम प्रारम्भ करना चाहती हैं तो सरकार की ओर से प्रति समूह पांच हजार रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे और यह महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हर जिले में महिला उत्पीड़न सुरक्षा समिति बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। जहां कहीं भी महिला उत्पीड़न, अत्याचार की शिकार हो जाए या उसको कोई घर से बाहर निकाल दें या बिलकुल निराधार हो जाए तो महिला सुरक्षा समिति के लोग महिला को सही जगह पहुंचाने में या उसके अभिभावक को उसे सुपुर्द करने में काफी मदद करेंगे। इससे महिलाएं भटकाव से बचेंगी और उनको बहुत फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात जो सरकार ने की है वह है विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह पर तीन हजार रुपये अनुदान प्रति विवाह पर देने का कहा है। यह बहुत बड़ी बात है और बड़े दिल की बात है। यह अच्छा काम किया है। पर हमारी सूर्यकांताजी पीछे से बता रही हैं कि तीन हजार रुपये थोड़े कम लगते हैं, इसको पांच हजार करने का सोचा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, देने से कुछ घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। मैं समझती हूं कि इसमें कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक सुझाव भी देना चाहती हूं कि जैसे गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, इनके हैल्थ डे फिक्स होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छोटे-छोटे बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते हैं, उसको रखते हैं तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी जरूर होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं पर मैं उनको कुछ सुझाव देना चाहती हूं आपके माध्यम से कि गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होते हैं, ए.एन.एम. भी होती हैं, कई गांवों में डाक्टर और कम्पाउण्डर की भी सुविधा है जहां पी.एच.सी. है, तो इन आंगनबाड़ियों में हैल्थ डे के दिन डाक्टर-कम्पाउण्डर या

( श्रीमती तारा भण्डारी )

ए.एन.एम. की सहायता मिले, उनका स्वास्थ्य परीक्षण ठीक ढंग से हो तो आंगनबाड़ियों की सार्थकता बढ़ जाएगी वरना इनकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी।

इसके साथ-साथ मेरे जिले की बात है, 1994 में मेरे जिले में माननीय मंत्री महोदया ने द्वाकरा योजना की घोषणा की थी..(व्यवधान) नींद तो नहीं आ रही ? मेरे जिले में द्वाकरा योजना को 1994 में स्वीकृति दी गयी थी लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या कठिनाई है कि आज तक वह योजना प्रारम्भ नहीं हुई। मेरे को एक बार यह भी बताया कि योजना प्रारम्भ है लेकिन यह बात सही नहीं है। हमारे यहां द्वाकरा योजना स्वीकृत हुए तीन साल हो गये। 1994 में मंत्री महोदया स्वयं सिरोही पधारी थीं तब भी इन्होंने कहा था कि आपके यहां द्वाकरा योजना लागू कर दी। लेकिन द्वाकरा योजना प्रारम्भ नहीं हो रही और उसमें मुझे यह बताया गया है द्वाकरा योजना के जो पदाधिकारी चाहिए उसका उनके बजट में प्रावधान नहीं है या केन्द्र सरकार बजट दे नहीं रही है। कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसमें जो ए.पी.ओ. लगाने होते हैं उनके भी इनके पास पद नहीं हैं या प्रमोशन नहीं हो रहा है। पिछले दिनों प्रमोशन का प्रयास महिला बाल विकास विभाग ने किया था विभागीय महिलाओं को इन्टरव्यू के लिए बुलाया था मगर उनके इन्टरव्यू लेने के बाद कोई रिजल्ट नहीं दिये। मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि वे तो सब की सब अनफिट पाई गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, जिन मुख्य सेविकाओं ने 25-25 साल तक इनके विभाग में काम किया है, आज वे ए.पी.ओ. के लिए अनफिट कैसे हो गयीं ? इस प्रमोशन की प्रक्रिया में महिलाओं का जो अपना हक है, वह तो मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं हमारी महिला और बाल कल्याण मंत्री महोदया से गुजारिश करती हूं कि वे इस ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। पर्यटन तो इन्होंने बहुत सुधारा है लेकिन वे स्वयं महिला हैं इसलिए महिलाओं के विकास की योजनाएं ठीक से चल सकें। बजट तो ले लिया, बजट खूब मिला है, मंत्री महोदया स्वयं कह रही हैं कि हमारे पास बहुत बजट है लेकिन बजट का ठीक से यूटिलाइजेशन हो, योजना ठीक से चल जाए और उसके अच्छे परिणाम हमें हासिल हों।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूं कि मेरी गलतियों सहित आपने मुझे बोलने की स्वीकृति दी और समय दिया। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भवानी जोशी।

## सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

( श्री सुरेन्द्र गोयल )

हूं कि सदन का समय दो घण्टे और बढ़ाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए ?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया। एक घण्टा।

## मांग संख्या 21 एवं 33 पर विचार

**श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जनजाति क्षेत्र के लोगों पर अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखा है। इस क्षेत्र में आपने मात्र डेढ़ साल में देवलिया पुल 78 लाख रुपये, जंतौला से सागवाड़िया पुल 78 लाख रुपये एवं आदिवासियों का जहां मेला लगता है बेणेश्वर धाम, जिस पर 50 साल तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उस पुल के निर्माण की स्वीकृत दी है इसके लिए हम उस क्षेत्र के लोग बहुत-बहुत आभारी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि राजस्थान के दक्षिण में एक खड्डे में बांसवाड़ा स्थित है। हमारी सीमा एक तरफ मध्य प्रदेश से मिलती है और दूसरी तरफ गुजरात से मिलती है। पिछले 50 वर्षों के बाद भी बांसवाड़ा रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा, अन्य यातायात के साधनों से नहीं जुड़ा। बांसवाड़ा में खनिज सम्पदा अपरम्पार है तथा बिजली व पानी मिलने से वहां बहुत अधिक संख्या में उद्योग लगे हुए हैं। लेकिन जिन मुख्य सड़कों से जोड़ा गया था उन सड़कों की स्थिति बिलकुल जर्जर है। बांसवाड़ा से उदयपुर तक की सड़क बिलकुल जर्जर अवस्था में है। बांसवाड़ा से दाहोद, बांसवाड़ा से रतलाम व बांसवाड़ा से डूंगरपुर जो अच्छी सड़कें बननी चाहिए थीं वे अभी भी जर्जर अवस्था में हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए हमें राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सदन में इस बात की घोषणा करें तथा हमें राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ें। चित्तौड़ तक तो रोड जा ही रही है, लेकिन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाया बांसवाड़ा व डूंगरा होते हुए यदि हमें गुजरात से मिला दिया जाए तो जयपुर से मुम्बई तक बांसवाड़ा होकर जो गाड़ियां चलती हैं उनके लिए 120 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यातायात की मार पड़ रही है वह भी कम हो जाएगी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप अपने यहां सड़कों को नहर बनवाना तो बंद करो, वहां पानी पिलाने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

के लिए पानी सड़कों के ऊपर से ले जाते हैं।

**श्री भवानी जोशी :** वह जनजाति क्षेत्र है। वहां के लोग अभी तक पूर्ण शिक्षित नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सरकार साक्षर करने का भी प्रयास कर रही है, साक्षर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उन व्यवस्थाओं में कुछ सुधार कर पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने रतनगढ़ पर जो राणा प्रताप की मूर्ति का निर्माण करवाया है उस सिलसिले में मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि बांसवाड़ा को बांसिया भील ने बसाया था, इसलिए राजस्थान-गुजरात सीमा पर बांसिया भील की मूर्ति लगाई जाए ताकि हमारा सांस्कृतिक स्वरूप और उजागर हो सके।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। समाज कल्याण मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 78 लाख रुपया गढ़ी में छात्रावास के लिए स्वीकृत किया लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक वह बना नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप ध्यान देकर इस कार्य को करवाएं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री किशन गोपाल कोगटा।

**श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या - 21 सड़कें एवं पुल एवं मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर चर्चा हो रही है, मैं भी इस चर्चा में अपने को सम्मिलित करता हूं।

इस साल का जब बजट भाषण हो रहा था तो यह अपेक्षा की जा रही थी कि जिस प्रकार एक साल का बजट शिक्षा को समर्पित किया, एक साल का बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया, एक साल का बजट जल योजनाओं को समर्पित किया उसको देखते हुए इस साल का बजट सड़क को समर्पित होना चाहिए। राजस्थान में जैसा वातावरण बना है उसको देखते हुए तो निश्चित रूप से ऐसी अपेक्षा थी। फिर भी बजट में जहां 1996-97 में 4 हजार किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया और 1,200 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, जिसमें 805 पंचायत मुख्यालय हैं, यह निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है और इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद।

जो आगामी वर्ष 1997-98 का बजट पेश किया गया है उसमें 4,200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है और 1,300 गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद सभी पंचायत मुख्यालय जुड़ जाएंगे। यह निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से जो अपनी एक नीति थी कि पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना है, वह पूरी होगी। मैं मंत्री महोदय

( श्री किशन गोपाल कोगटा )

को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि कुशल प्रशासन और तहेदिल से रुचि लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिस स्टेज पर पहुंचाया, वह सराहनीय है।

मैं एक उदाहरण दूंगा। कल 17 मार्च को अजमेर में एक फंक्शन था। जवाहर रंगमंच पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी साहब पधारे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अजमेर में जो रंगमंच बना है, जिसको ब्रिज कारपोरेशन ने बनाया है, वैसा रंगमंच मैं लखनऊ, जहां से वे लोकसभा के सांसद हैं, में निर्माण कराना चाहता हूं। ऐसी उनकी इच्छा थी। जब बजट एस्टीमेट आया तो यहां जितना बजट था उससे कई गुना ज्यादा बजट था। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे लखनऊ में ऐसा रंगमंच बनवाने के लिए राजस्थान के ब्रिज कारपोरेशन से काम करवाना पड़ेगा। इतनी कम कॉस्ट पर, इतना बढ़िया, इतना सुसज्जित रंगमंच बना है। यह इस बात का द्योतक है हिन्दुस्तान के नक्शे पर राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग और ब्रिज कारपोरेशन की जो गुडविल वनी है, जो रेपुटेशन बनी है वह इस छोटी सी वात से जाहिर होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में...

**श्री उपाध्यक्ष :** आपकी कोई मांग नहीं है क्या ?

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** मांग भी कर रहा हूं। पूरे जिले में सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ा।

मेरा सबसे पहले सुझाव यह है कि नेशनल हाइवे और स्टेट हाईवे से गांवों को जो सड़क जाती है जो छोटे-छोटे रास्ते जाते हैं उन पर स्पीडब्रेकर लगाने चाहिए। वहां रफ्तार से निकलना होता है और वहां एक्सीडेंट होते हैं। अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की बजाय अन्दर की तरफ उन सड़कों पर स्पीड-ब्रेकर बना दिए जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी और राजस्थान के सभी गांवों के नागरिक आपको याद करेंगे तथा जिस प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें भी कमी आएगी।

**श्री उपाध्यक्ष :** इसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** खर्चा भी नहीं होगा, और कम खर्चा होगा तथा इसको पोतना भी नहीं पड़ता, साइन-बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर बनने से निश्चित रूप से एक्सीडेंट का पर्सेण्टेज भी कम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव और मांग है कि अजमेर तथा जयपुर में जिस प्रकार का ट्रैफिक बढ़ा है, जिस प्रकार से वाहन चलते हैं उसको देखते हुए इस मार्ग को चार लेन करने की आवश्यकता

( श्री किशन गोपाल कोगटा )

है। यह मांग इसलिए कर रहा हूं कि अजमेर और जयपुर के रास्ते से 16 डिस्ट्रिक्ट्स का ट्रांजेक्शन होता है, ट्रासपोर्टेशन होता है, यातायात का भार बढ़ा है। यही नहीं कांडला बंदरगाह तक सारा ट्रेफिक अजमेर, जयपुर, केकड़ी होकर जाता है। इसलिए मैं इस रास्ते को चार लेन को बनाने की मांग करता हूं।

इसके साथ साथ ट्रेफिक बहुत बढ़ा है, इसको कम करने के लिए अजमेर, जयपुर से मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा होते हुए भीलवाड़ा तक स्टेट-हाई वे, जैसे अजमेर और जयपुर के बीच में रोड बनी है उसी प्रकार की रोड बनाने का मेरा आग्रह है जिससे यह जो ट्रेफिक बढ़ा है वह कुछ कम होगा और दूसरा एरिया और डवलप होगा तथा इस पर जो भार है वह कम होगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव है कि जयपुर से मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा होते हुए भीलवाड़ा तक नया रूट सैंक्शन किया जाए और उसको पेवर रोड बनाया जाए जिससे यह अजमेर-किशनगढ़ का जो ट्रेफिक है वह कम हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार मुझे जिला मुख्यालय आना पड़ता है, जिला मुख्यालय की कुछ समस्याएं हैं। अजमेर प्रोपर में कचहरी रोड स्टेशन होकर मार्डन ब्रिज तक एक ही रास्ता है, पूरे अजमेर का जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है। मेरा सुझाव है कि कचहरी रोड से तोपखेड़ा होते हुए कोई मेन रोड निकाल दी जाए तो यह जो बार-बार एक्सीडेंट होते हैं और जो अजमेर शहर के पैदल चलने वाले, साइकिल से चलने वाले लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। बड़ी व्हीकल्स के लिए अलग से एक रास्ता निकाला जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, अजमेर में ब्राडगेज का कार्य चल रहा है, जो मॉडर्न ब्रिज है उस पर भी कंस्ट्रक्शन होकर दुबारा नया बन रहा है, जिस प्रकार अभी बना हुआ है वैसे ही बन रहा है, अजमेर से भीलवाड़ा रोड की तरफ से और श्रीनगर रोड की तरफ ब्रिज का रास्ता जा रहा है, मेरा सुझाव है कि अगर उस ब्रिज से ही ब्यावर की तरफ और ऊपर से ही रास्ता चला जाए तो निश्चित रूप से जनता को सुविधाएं मिलेंगी और ट्रेफिक का भार भी कम होगा। अभी नीचे उतर कर घूमकर ब्यावर की तरफ जाना पड़ता है वह भी कम होगा। यह मेरा सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बाईपास बना था किशनगढ़ शहर के लिए शहर में ट्रेफिक कम हो लेकिन आज की स्थिति यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में बाई पास आ गया। औद्योगिक क्षेत्र इतना घना हो गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी किशनगढ़ बन गयी है।

( श्री किशन गोपाल कोगटा )

आज ऐसी स्थिति है कि वह बाई पास कहलाता ही नहीं, वह तो मेन रोड हो गयी। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन वहां हड़ताल होती है, रास्ता जाम होता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव है कि किशनगढ़ बाईपास जो अभी बना हुआ है वह औद्योगिक क्षेत्र में आ गया है। इसलिए वहां से अलग बाईपास बनाकर उस क्षेत्र के लोगों को, उद्योगों को, मजदूरों को, बैलगाड़ियों वालों को राहत दें। यह मेरी मंत्रीजी से मांग है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप कितनी मांगें रखेंगे ? बहुत मांग हो गयी।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : मेरे क्षेत्र की, मेरे जिले की सारी बातें मुझे कहनी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके बाद जोगेश्वरजी गर्ग बोलेंगे।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : मेरे जिले में 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है। किशनगढ़ के पास औद्योगिक क्षेत्र और किशनगढ़ के बीच में ओवरब्रिज की आवश्यकता है। इसी प्रकार बान्दनवाड़ा के पास में जो रेलवे क्रासिंग है उस पर ओवरब्रिज बने। ब्यावर और अजमेर के बीच में सराधना के पास जो ब्राडगेज चल रही है, क्योंकि ट्रेफिक बढ़ेगा, इस पर ओवरब्रिज बने, ऐसी मेरी मांग है।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : मेरे क्षेत्र पर तो आया ही नहीं। अजमेर जिले में कुछ धार्मिक स्थल हैं, खोडागणेशजी है हमारे क्षेत्र में, देतपुरामाताजी है, मकरेडा में माताजी का मंदिर है, ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां डामर की सड़क बने। जो बनी है वह छोटी है, ट्रैफिक इतना है कि चौड़ी बनाएं। खोडागणेशजी में आपने जो सड़क बनायी है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन सड़क इतनी सी है और ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि वह छोटी पड़ने लग गयी तो उसको चौड़ी बनायी जाए। देतपुरामाताजी और मकरेडा माताजी के जो मन्दिर हैं, जहां धार्मिक स्थल हैं और लोग धार्मिक आस्था के लिए आते हैं, वहां सड़क बनायी जाए, यह मेरा आग्रह है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा में अधिकांश खनिज क्षेत्र है। वहां ग्रेनाइट भी निकलता है, सीमेंट के लिए पत्थर भी निकलता है और अन्य-अन्य पत्थर भी निकलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी है लेकिन ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसके माध्यम से यह उद्योग आगे से आगे पनपें और बढ़ें। तो मेरा यह सुझाव है कि 10-5 ऐसी खानें हैं, ऐसा एरिया है वहां सड़कें बनायी जाएं। मेरा निवेदन है कि नन्दवाड़ा से उतमी, केलु से हनुतिया, टमाटर मण्डी से नया गांव होते हुए खींवपुरा, श्यामगढ़ से नीमगढ़, ब्यावर-विजयनगर रोड से अंधेरी-देवरी-रावलाबाडिया, ब्यावर-विजयनगर रोड से शाहपुरा वाया अतितमन

( श्री किशन गोपाल कोगटा )

आदि ऐसी खानों का एरिया हैं जिसमें कोई साधन नहीं है। बैलगाड़ियों से पत्थर ले जाते हैं। वहां अभी भी यह प्रचलन है कि गांव वाले पत्थर, पट्टियां निकालते हैं और बैलगाड़ियों में भरकर ब्यावर मण्डी में जाते हैं। ऊंची-नीची जगह पर बैल बहुत सी बार स्लिप हो जाते हैं। बैलगाड़ियों की स्थिति यह है कि उनके पहिये निकल जाते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि यह जो खनिज क्षेत्र है, इसमें सड़कें बनायी जाएं जिससे इस क्षेत्र का विकास हो।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो घाट हैं, एक शोपरा घाट और दूसरा मसूदा घाट। इन घाटों के आसपास रास्ता निकालकर इनको फ्री किया जाए जिससे किसान अपनी उपज का माल जानवरों से आसानी से ब्यावर, विजयनगर, मसूदा, खरवा ले जा सकें। इसके लिए इन घाटों के पैरेलल सड़क बनायी जाए तो बहुत बढ़िया होगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शोपराघाटा के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी कि घाटा को समाप्त कर के पास में से सड़क निकाली जाए। वह चार किलोमीटर का रास्ता बढ़ेगा जरूर लेकिन यह घाटा समाप्त हो जाएगा। उसके लिए उस क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इसी के साथ साथ मेरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, वहां श्री सीमेंट का प्लांट है जो एशिया में सबसे बड़ा सीमेंट का प्लांट है।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप विराजें। श्री जोगेश्वर गर्ग।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** सर, मेरा समय है दो मिनट लूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं, अब आप विराजें कृपया। आपको भी कहीं जाने की जल्दी है, आप भी कहीं जल्दी जाना चाह रहे हो।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** समाज कल्याण के बारे में बोला ही नहीं, गरीबों के लिए बोला ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष :** इतनी देर तो बहुत चैनल बनवा रहे थे।

**(16.55)**

**(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)**

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में 42 किलोमीटर ...

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं, जोगेश्वर जी का नाम लिया है। सदन की गरिमा का ध्यान रखें।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बोलूंगा। माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में 42 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम...

**एक माननीय सदस्य :** क्या बच्चे की तरह जिद करते हो ?

**श्री सभापति :** आप मंत्रीजी को बता देना। उनको बोलने दें।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** मेरे क्षेत्र की बात तो मैं कहूंगा। दो मिनट का समय दें। माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में 42 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम. की सड़कें हैं, गिट्टी की हैं। उनकी ब्लैक टॉप नहीं की गयी तो सब पैसा बेकार जाएगा। तो आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि उनको डामर की सड़कें की जाएं। मांग संख्या 33 पर मैं बोलना चाहूंगा।

**श्री सभापति :** आप लिखकर दे देना। बिराजें आप। अब जोगेश्वर जी को बोलने दीजिये। अब आप बिराजिये।

**श्री जोगेश्वर गर्ग :** मांग संख्या 33 पर मैं बोल दूंगा। वह मेरा विषय है, मैं बोल दूंगा।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य सरकार, खासकर समाज कल्याण मंत्री, मदन दिलावर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान रखा गया था, आठवीं पंचवर्षीय योजना में उससे चार गुना ज्यादा इस मद में रखा गया है। यह इस बात का द्योतक है कि यह सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए किस प्रकार से व्यवस्था कर रही है। जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में...

**श्री सभापति :** दो मिनट पूरे हो गये आपके। दो मिनट भी हो गये।

**श्री किशन गोपाल कोगटा :** दो मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदया, आपने होस्टल में छात्रों के लिए 250 रुपये प्रतिमाह की जगह 350 रुपये किये उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं दो बातें और बताऊंगा। एक बात तो है हरिजन बस्तियों के लिए जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए इतना बजट रखते हैं, हरिजन बस्तियों में जहां 1992-93 में 669 बस्तियों को इलैक्ट्रिफाई किया वहां 1996-97 में मात्र 104 बस्तियों को ही लिया गया है। आंकड़ों में नहीं, व्यावहारिकता में आपके टार्गेट क्या है, इनको सुधारना पड़ेगा। आज पापूलेशन बढ़ रही है, बस्तियां भी बढ़ रही हैं, गांव भी बढ़ रहे हैं और यह 669 से कम होते गये। 1994-95 में 375 हुए थे, 1995-96 में 595 हुए और अब 1996-97 में 104 बस्ती ही हैं। तो यह विचार करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए।

इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदया, गाड़ोलिया लुहारों को कच्चा माल क्रय करने के लिए अनुदान की योजना है। जहां हम कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए हम रात-दिन लग रहे हैं और ज्यादा बजट दे रहे हैं वहां इनके लिए 1992-93 में एक लाख रुपये

( श्री किशन गोपाल कोगटा )

का बजट में प्रावधान किया गया था और अब जब सब मदों में बढ़ाया गया है लेकिन इस मद में 1996-97 में भी एक लाख रुपये रखा गया है। गाड़ोलिया लुहारों की संख्या बढ़ी होगी, उनका काम भी बढ़ा होगा।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, अब आप बिराज जाएं।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : सभापति महोदया, यह जो बता रहे हैं, उस क्षेत्र में इसका होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि इसमें भी बढ़ाया जाए। जब चारों तरफ, सब मदों में अनुसूचित जाति और जनजाति को उठाने, उनका विकास करने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए बजट बढ़ाया जा रहा है तो गाड़ोलिया लुहार और हरिजन बस्तियों को भी पूरी-पूरी सुविधा मिले, यह मेरी मांग है।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

**(17.00)**

**श्री सभापति** : श्री जोगेश्वर गर्ग।

**श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : धन्यवाद कोगटाजी। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 33 पर बात करता हुआ। अपनी इस चर्चा का प्रारम्भ करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है समाज के कल्याण का। समाज कल्याण का मतलब जो समाज के सबसे कमजोर है उनके कल्याण का यह कार्यक्रम है, उनके कल्याण की योजनाएं इस विभाग के जिम्मे हैं। बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं, अच्छी योजनाएं बनती हैं, सरकार की मंशा पर किसी भी प्रकार का शक नहीं लेकिन जब उन योजनाओं को लागू करने की बारी आती है तो बहुत दुःख होता है, यह देखकर, बहुत कष्ट होता है यह जानकर कि अधिकांश योजनाएं ठीक ढंग से लागू नहीं हुई। गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने का अवसर मिले, पढ़ने का माहौल मिले इसलिए उनको छात्रावास बनाकर सरकार देती है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त खाना, मुफ्त कपड़ा, सारी व्यवस्था करती है पर इस समाज में ऐसे दरिन्दे भी पैदा हो गये जो मनुष्य के रूप में राक्षस है, वे इन गरीब बच्चों के हिस्से का भोजन, इन गरीब बच्चों के पेट में जाने वाला अनाज, उनको भूखा सुलाकर बेचकर खा जाते हैं। कमोबेश सब तरफ यह बात देखने को मिलती है। जिस भी योजना पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इस विभाग में राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, जो नहीं लूटता है वह पछताता है ऐसी स्थिति बन गयी है। मंत्रीजी ठीक करने के बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत भ्रमण भी उन्होंने किये हैं, अचानक छापे भी डाले हैं छात्रावासों पर, अन्य इंस्टीट्यूशंसों पर। मैं तारीफ करूंगा मंत्रीजी की कि उनके कारण सुधार नजर भी आ रहा है लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था उतना अब भी नहीं हो पाया है। मैं मंत्रीजी

( श्री जोगेश्वर गर्ग )

से कहना चाहूंगा कि अपने प्रयासों को और तेज करें, थोड़ा और कठोरता से काम लें और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा सदन के माध्यम से उच्चाधिकारियों से, अकेले मंत्रीजी के करने से कुछ नहीं होगा, उच्चाधिकारियों की टीम जब तक पूरी इस भावना के साथ, लगन के साथ काम नहीं करेगी तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे।

सभापति महोदया, यह बात जब मैं बोल रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं और मैं उदारहण के रूप में कहना चाहूंगा कि अपना जो अनुसूचित जाति विकास निगम है, उसका मैं उदाहरण पहले भी देता रहता हूं सदन में और आज फिर देना चाहूंगा। अब वह सिर्फ अनुसूचित जाति विकास निगम नहीं रहा, उसमें ओ.बी.सी. के विकास के कार्यक्रम को हाथ में ले लिया गया है और अनुसूचित जनजाति की कुछ योजनाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं, ऐसा भी मेरी जानकारी में आया है। इसलिए अब इसमें अनुसूचित जाति के विकास के कार्य और कम हो गये हैं। उसके ऊपर कार्यभार बढ़ गया, योजनाएं बढ़ गयीं। लेकिन अब शुद्ध रूप में वह अनुसूचित जाति विकास निगम था तब भी अनुसूचित जाति के विकास के जितने काम उस निगम के माध्यम से हो सकते थे, होने सम्भव थे, किये जा सकते थे, नहीं किये गये। करने वालों की नीयत इसमें बाधक रही और उस निगम से व्यक्तिगत कितना लाभ लिया जा सकता है, अधिकतम दृष्टि यह रही। मैंने इस पवित्र सदन में प्रमाण रखे थे कि किस-किस प्रकार की गड़बड़ी, किस-किस प्रकार का व्यक्तिगत लाभ इस निगम के माध्यम से निगम के अधिकारियों ने लिया। घर पर पत्रिकाएं पढ़ने के लिए खरीदी जाती थीं, और बिल जाता था निगम में। घर में सब्जी खरीदी जाती थी और बिल जाता था निगम में। घर में क्राकरी खरीदी जाती थी और बिल जाता था निगम में। इस तरह के उदाहरण मैं सदन में रख चुका हूं और इतना हल्ला-गुल्ला मचाने के बाद कुछ परिवर्तन आया है। अब इतनी छोटी सी बात तो नहीं हो रही है, अब इतनी गड़बड़ तो नहीं हो रही है पर अब भी निगम का लाभ समाज को उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि (व्यवधान) मैं उस बिन्दु पर भी आ रहा हूं, मंत्री महोदय, पहले जब बहुत सारी योजनाएं थीं हमारे पास तो उसमें घोटाले हुए और घोटालों के कारण से यह योजनाएं बदनाम हुई और फिर धीरे-धीरे वह योजनाएं बंद हुई। जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजना चली और निगम ने यह निर्णय लिया कि कम्पयूटर प्रशिक्षण के जितने भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनको यह सुविधा दी जाए कि उनके यहां यदि अनुसूचित जाति का कोई लड़का या लड़की जाकर ट्रेनिंग लेगा तो उसका सारा खर्च, उनकी सारी फीस निगम देगा।

( श्री जोगेश्वर गर्ग )

मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, ऐसे केस व्यक्तिगत मेरी जानकारी में हैं कि अनुसूचित जाति के लड़कों को ढूंढकर उनका नाम एनरोल किया गया, लड़कों ने कभी इंस्टीट्यूट की शकल नहीं देखी, उसको जो मानदेय मिलना चाहिए था महीने का, 300 रुपये उस लड़के को मिलना होता था, इंस्टीट्यूट की फीस अलग, इंस्टीट्यूट की फीस वसूल हो गई और वह 300 रुपये प्रतिमाह से लड़कों के घर बैठे पहुंचा दिये गये और इस प्रकार से सैकड़ों लड़कों के नाम से अनुदान हड़प कर लिया गया अधिकारियों और इंस्टीट्यूट की मिलीभगत से। मजबूरी में यह योजना बंद करनी पड़ी। इसी प्रकार से निगम में एक और योजना चली थी, बी.एड. की योजना चली थी, एसटीसी. की योजना चली थी और अन्य प्रकार की कई योजनाएं चली थीं। अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए स्पेशल बैच निकलते थे और उसके कारण से बहुत अधिक लोगों को लाभ मिलता था। इस प्रकार की गड़बड़ी के कारण धीरे-धीरे वे सारी योजनाएं बंद कर दी गयीं।

इसी प्रकार से एन.एस.एफ.डी.सी. भारत सरकार का कारपोरेशन है, बहुत सारी योजनाएं चलाता है और ढेर सारा पैसा राज्यों को देता है अपने-अपने प्रदेशों में अलग-अलग कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए। जिस समय वहां से पैसा आया, सारा का सारा पैसा सिर्फ जयपुर जिले में लग गया। मान लीजिए पूरे राजस्थान में कुल 200 व्यक्तियों को लाभ दिया गया तो 200 में से 175 आदमी जयपुर के होते थे और बाकी 25-30 लोग बाहर के जिलों में होते थे। इस तरह की स्थिति बनी और जयपुर के उन लोगों को लोन जो दिया गया, सब्सिडी जो दी गयी लोन भी मुश्किल से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर दिया गया और वह लोन अनियमित तरीके से दिया गया, गलत व्यक्तियों को दिया गया, भ्रष्टाचार के आधार पर दिया गया और उसका दुष्परिणाम यह निकला कि उनकी वसूली रुक गयी और वसूली रुक गयी तो भारत सरकार ने कहा कि वसूली नहीं आ रही है, राजस्थान सरकार गारंटी दे। राजस्थान सरकार ने कहा कि वसूली नहीं आएगी तो हम गारंटी कहां से देंगे ? और सिर्फ इस गारंटी के कारण से दो सालों से एन.एस.एफ.डी.सी. का एक पैसा भी हम नहीं ले पा रहे हैं और वह गारंटी इसलिए नहीं दे रही है कि पुराने वाले ऋण की वसूली नहीं हो रही है और ऋण वसूल इसलिए नहीं हो रहा है, सभापति महोदय, मैं बैंक में मैनेजर रहा हूं, मुझे मालूम है कि ज्यादातर ऋण वह डूबते हैं जो गलत तरीके से दिये जाते हैं, नॉर्म्स के खिलाफ दिये जाते हैं, गड़बड़ी करके दिये जाते हैं और जिसमें असैट्स क्रिएट नहीं होती है, केवल कागजों में लोन और सब्सिडी का लेना देना हो जाता है इस प्रकार के लोन डूबते हैं, उनकी वसूली डूबती है। वसूली डूब रही है सरकार

( श्री जोगेश्वर गर्ग )

गारंटी देने में असमर्थ हो गयी। सरकार ने गारंटी नहीं दी तो पैसा नहीं मिला एन.एस.एफ.डी.सी. से और पैसा नहीं मिला तो जो राजस्थान के बाकी जिले थे, जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, जो हकदार थे उनको लाभ नहीं मिला। पूरे जालौर जिले में केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इन 4-5 सालों में जाकर लोन मिला है जबकि जयपुर में हजारों को मिला होगा। पूरे जालौर जिले में सिर्फ दो व्यक्तियों को लाभ मिल पाया बाकी 2500 फाइलें सैंक्शंड पड़ी हुई, कम्प्लीट इन आल रेस्पेक्ट, जयपुर तक आ गयीं लेकिन चूंकि जो लाभान्वित होने वाले थे वे जयपुर आकर यहां के अधिकारियों से नहीं मिले इसलिए वह लोन स्वीकृत नहीं हुआ। तब तक इधर बैन आ गया, गारंटी खतम हो गयी और वह लोन रुक गये। इस प्रकार की गड़बड़ी इस निगम में हुई है और उसका दुष्परिणाम सामने यह आ रहा है कि अनेक लाभकारी योजनाएं बंद हो गयी हैं। अब भी उस निगम में मितव्ययता, माननीय मुख्य मंत्रीजी मितव्ययता के लिए बार-बार बोलते रहते हैं, बार-बार इंसिस्ट करते रहते हैं मंत्रियों को, अधिकारियों को कि फालतू खर्च रुकना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि इस निगम पर मितव्ययता के उस आह्वान का कोई असर नहीं हो रहा है। आज भी वहां फिजूलखर्ची हो रही है। आज भी वहां फालतू की पोस्टें बना रखी हैं। आज भी वहां ऐसे-ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तनख्वाह ले रहे हैं। जैसे लाइजन आफिसर, निगम में लाइजन आफिसर की कहां जरूरत है ? समझ में नहीं आता, क्या लाइजन करता है, किससे लाइजन करता है ? पर है, बैठा है। इस प्रकार की पोस्ट क्रिएट कर करके जो भी चेयरमैन आया, जो भी एम.डी. आया, उसने अपने चहेते किसी न किसी व्यक्ति को एडजस्ट कर दिया। कोई दो कर गया, कोई चार कर गया, कोई छह कर गया। जो ड्राइवर नहीं था, ड्राइविंग की जानकारी नहीं थी, पूरा एक्सपीरियंस नहीं था, उसको ड्राइवर बना दिया। एक्सीडेंट कर रहा है, गाड़ियां तोड़ रहा है, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं यहां की गाड़ियों के और, माननीय मंत्री महोदय, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, इस बार अभी एक एक्सीडेंट हुआ है 1997 में, और एक्सीडेंट हुआ उस तारीख में उस गाड़ी का इन्श्योरेंस नहीं था। इन्श्योरेंस क्लेम नहीं मिला गाड़ी को। वह हर्जाना निगम पर और जो आगे वाली पार्टी का नुकसान हुआ होगा, उसकी जो भरपाई करनी पड़ेगी वह नुकसान भी निगम को भरना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि समय पर उसका इन्श्योरेंस नहीं हुआ। इतना लम्बा-चौड़ा स्टाफ, इतने लम्बे-चौड़े आफिसर्स की टीम बैठी है, वह इतनी सी बात नहीं देख पाए कि गाड़ी का इन्श्योरेंस खतम हो गया। इस प्रकार की सैकड़ों बातें यदि मैं गिनाने बैठूंगा, माननीय, सभापति

( श्री जोगेश्वर गर्ग )

महोदया तो इस निगम के बारे में गिना सकता हूं कि इस निगम को जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं कर पाया है और उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि समाज को, पीड़ित वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को जितना इसका लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा, मांग करना चाहूंगा समाज कल्याण विभाग से, समाज कल्याण मंत्री से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस निगम को सुधारने के लिए कुछ कठोर कदम उठाएं, इस निगम का भरपूर लाभ समाज को मिले, इस निगम का पूरा उपयोग हो, ऐसी कुछ व्यंवस्था बनाए और साथ ही एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाएं राजस्थान में ठीक से लागू हों उसके लिए राजस्थान सरकार शीघ्र, जल्दी से जल्दी गारण्टी दे।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था, मंत्रियों की एक उप समिति बनाई गयी थी, उस उप समिति ने ऐसा सुना है कि रिकमण्ड कर दिया है गारण्टी देने के लिए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उसमें तुरंत निर्णय ले और गारण्टी दे ताकि यह जनहितकारी योजनाएं हमारे भी लागू हो सकें।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि छात्रावासों की संख्या उन्होंने पिछले वर्षों में बहुत बढ़ाई, छात्रावासों का स्तर सुधारा है, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों का प्रति व्यक्ति खर्चा उन्होंने बढ़ाया है और उसके कारण निश्चित रूप से वहां की स्थिति सुधरी है। लेकिन एक जालौर जिले में सांचौर का छात्रावास है जो बहुत बुरी हालत में है। कई बार मैं आपके ध्यान में ला चुका और ऐसा है कि वह रहने लायक नहीं था और अंत में यह निर्णय करना पड़ा कि उस होस्टल को बंद किया जाए क्योंकि उस भवन, जिसमें छात्र रहते हैं, कभी भी कुछ भी होने का खतरा था। सांचौर में यदि जगह दी जाती है तो दानदाता ढेर सारे बैठे हैं जो मकान बनाकर दे सकते हैं। पर हमारा विभाग कहीं न कहीं इसमें ढील बरत रहा है जिसके कारण यह काम नहीं हो पा रहा है। कलक्टर से मिले आपका विभाग, आपके विभाग के अधिकारी कलक्टर से जमीन उपलब्ध करवाएं और जमीन उपलब्ध होने के बाद सांचौर जैसी धरती पर दानदाताओं की कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से मैं भी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूं और वह एक छात्रावास भवन यदि बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से वहां के बच्चों को लाभ मिलेगा। ऐसे ही आपने एक छात्रावास बागरा में मंजूर किया है मेरे क्षेत्र में, आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं मैं आपका, पर निवेदन भी करना चाहूंगा, उसको जल्दी चालू करिये और उसके लिए जमीन जल्दी से उपलब्ध करवाएं तो शीघ्र ही मैं उसमें भवन निर्माता लाकर आपको देने का प्रयास करूंगा।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं ध्यान में

( श्री जोगेश्वर गर्ग )

लाना चाहूंगा। सभापति महोदय, प्लीज, कोगटाजी को बहुत टाइम दिया उतना मुझे दे दीजिए, निपट लूंगा। विकलांगों की...

**श्री सभापति** : देखिये, मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि अभी बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और अगर आसन को-आपरेट करते हुए आप अपने अच्छे से अच्छे सुझाव देने की कोशिश करेंगे तब तो सभी को फायदा होगा वरना कई लोग बोलने से रह जाएंगे।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : मैंने अब तक सुझाव दिये, खराब थे क्या ?

**श्री सभापति** : नहीं, मैंने सबके लिए कहा है, मैं बहस में नहीं पड़ती हूं और किसको कितना टाइम दिया है, यह भी मैंने नहीं किया है पर मैं यह चाहती हूं कि आप लोग अपने कन्क्रीट सुझाव देकर इस बहस को पूरा करवाएं तो अच्छा होगा।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : सभापति महोदया, धन्यवाद। एक अंतिम सुझाव देना चाहता हूं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी को विकलांगों की संख्या राजस्थान में बहुत बढ़ी है। बहुत बड़ी संख्या है विकलांगों की। मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में एक व्यक्ति ने विकलांग संघ का निर्माण किया और उसने मुझे कहा कि हमारी कुछ मदद कीजिए और मंत्रीजी को लाइए, इसके कार्यालय का उद्घाटन करना है। तो मैं मजाक में समझा कि कोई दो-चार सौ लोग होंगे इसके पास। मैंने पूछा कि भाई, कितने मैम्बर्स हैं तुम्हारे। जब वह आंकड़ा बताया तो मेरी आंखें खुल गयीं। उसने कहा कि जालौर जिले में छह हजार का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका और अभी और बहुत सारे लोग बाकी हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाएं। चौंकाने वाला तथ्य था। सिर्फ जालौर जिले में छह हजार विकलांग तो रजिस्टर हो चुके थे, और अब भी, उन्होंने कहा, और हैं हमारे पास जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है, पत्र आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या विकलांगों की है। विभिन्न प्रकार के विकलांग हमारे पास हैं। नेत्रहीन भी हैं और फ्लोराइड की अधिकता के कारण जो विकलांगता पैदा हो रही है वैसे भी विकलांग है, उन सब लोगों के कल्याण के लिए विशाल, बड़े पैमाने पर कोई न कोई योजना हाथ में लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मांग संख्या 21 के बारे में। ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल नीतिगत दो-तीन बातें करना चाहूंगा। एक तो विभिन्न संस्थाएं जो सड़कें बनाती हैं, कहीं पर मार्केटिंग बोर्ड बनाता है, कहीं पर कृषि मण्डी बनाती है, कहीं पर नगरपालिकाएं बनती हैं, कहीं पर अकाल राहत में बन जाती हैं, उन सारी सड़कों के निर्माण तो वह एक बार करवा देती है टेण्डर करके, लेकिन निर्माण के बाद उनका संधारण करना उन विभागों के बस

( श्री जोगेश्वर गर्ग )

में नहीं होता है। उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते, उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होता, उनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं होते उसके कारण से वह संधारित नहीं होती। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उदाहरण के तौर पर सुमेरपुर और पाली के बीच में 22 किलोमीटर की सड़क है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, वह कृषि मण्डी सुमेरपुर ने बनायी थी और इसलिए उसका संधारण शायद आपका विभाग नहीं कर रहा है। बहुत बुरी हालत है उसकी। इस प्रकार की अनेक सड़कें होंगी। मैंने पहले भी अकाल राहत की सड़कों के बारे में 1990-91 में इस विषय को उठाया था और आपने एक आदेश जारी करके सारी अकाल राहत की सड़कों का अधिग्रहण किया था। ठीक उसी प्रकार से अन्य संस्थाओं द्वारा बनायी सड़कों का संधारण करने का काम आप अपने जिम्मे लें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, आप गांवों को जोड़ रहे हैं, पंचायत मुख्यालयों को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में जोड़े हैं आपने, और भी इस साल जोड़ने जा रहे हैं बारह, तेरह सौ गाँवों को, बहुत खुशी की बात है लेकिन इसमें एक नीतिगत बात ध्यान रखने की है। निकटतम दूरी के आधार पर निकटतम मार्ग से गांवों को जोड़ने की जो कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ, यह बात ठीक नहीं है। निकटतम मार्ग की बजाय अधिक उपयोगी मार्ग हमको लेने चाहिए वरना आपने निकटतम मार्ग से एक गांव को जोड़ भी दिया तो भी उस गांव की डिमाण्ड तो बनी ही रहेगी। उस गांव की मार्केटिंग व्यवस्था क्या है, कहां से उसकी मार्केटिंग होती है, कहां पर उनका अधिक आना-जाना होता है, कहाँ उनको चिकित्सा या शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, कोर्ट-कचहरी के लिए कहां जाना पड़ता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यदि हम उस गांव को जोड़ने का रूट तय करेंगे तो वह जनोपयोगी हो सकेगा, नहीं तो आपकी खानापूर्ति तो हो जाएगी, गांव को जोड़ दिया, लेकिन उस गांव को उसका लाभ नहीं मिलेगा।

मैं सिर्फ दो-तीन बातें मेरे जालौर के बारे में कहना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ब्राडगेज के कारण फालना वाला रूट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जालौर से ब्राडगेज कहीं जुड़ा हुआ नहीं है और इसलिए जालौर जिले के अधिकांश लोग जो दक्षिण भारत में जाते हैं वह फालना से होकर ट्रेन पकड़ेगें। सांडेराव और आहोर के बीच में एक चालीस किलोमीटर का रोड बहुत बुरी हालत में है। उसको वाइडनिंग करना चाहिए, आपकी योजना में है, स्टेट हाईवे नम्बर 16 है वह, उसको वाइडनिंग करना ही है आपको। मेरा निवेदन है कि उसको तुरंत करें। अभी दो-चार महीने के अन्दर अन्दर करें तो यह जो ट्रेफिक लोड उस पर बढ़ने वाला है

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसको हम सम्भालने में कामयाब होंगे। वरना वहां बहुत बुरी स्थिति बनेगी। अब जैसे ही यह, मेरे ख्याल से होली के बाद वह ट्रेनें चालू होने वाली हैं ब्राडगेज की, उसके बाद उधर बहुत ट्रैफिक बढ़ने वाला है। तो बहुत बुरी समस्या पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार से दो पुल हैं मेरे क्षेत्र में, जालौर से दक्षिणी दिशा में आकोली नदी पर 25 किलोमीटर दूर जालौर से और उत्तर दिशा में सोनपुरा 6 किलोमीटर पर, यह दो पुल बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत आवश्यक हैं। इनके बिना यह होता है कि जब भी कोई बाढ़ की या ऐसी स्थिति बनती है तो जालौर जिला मुख्यालय खुद अपने आप में आइसोलेट होकर रह जाता है, कट कर रह जाता है। गांवों में दूर-दराज समस्या आ रही है, बाढ़ग्रस्त हो गये गांव, संदेश आ रहे हैं, वायरलैस मैसेज आते हैं लेकिन जिला मुख्यालय पर बैठे अधिकारी उस वायरलैस मैसेज को सुनने के सिवाय कुछ नहीं पाते, क्योंकि खुद दोनों तरफ से घिर चुके होते है पानी में। इसलिए इन दोनों नदियों पर पुलिया बहुत आवश्यक है। इस बारे में मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, इन दोनों पुलियाओं के बारे में आप निर्णय करायें। सायला से बागरा की तरफ सिरोही को जोड़ने वाला जो मार्ग है, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, बाड़मेर से सिरोही का भी वह शार्टकट हो सकता है, उस पर कभी जवाई नदी जहां क्रास करती है सायला के पास में, वहां पुल न सही, यदि काजवे भी ढंग का बन जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसी प्रकार जालौर शहर के बारे में मैंने एक बार निवेदन किया था, अस्पताल चौराहे से लेकर कालेज तक का एक वाईपास, जो राजेन्द्र नगर वाली सड़क है वह ठीक हो जाए और अहोर चौराहे से लेकर तिलकद्वार तक की एक रोड हो जाए तो शहर में जो ट्रैफिक का लोड एक ही रोड पर बढ़ रहा है वह डाइवर्ट हो सकेगा। नगरपालिका के बूते यह रोड्स नहीं हैं इसलिए इसे आपके विभाग द्वारा संधारित करवाएं तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी।

यही बात रखते हुए मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 33 और 21 में मैं भी भाग ले रही हूं। मैं मांग संख्या 21 में माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। हालांकि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से हूं वहां पर करीब चार सड़कें हैं पी.डब्ल्यू.डी. की और कुछ सड़कों का मैं नाम उनमें जोड़ रही हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मोची मार्केट से नागौरी गेट होते हुए यह सड़क रिंग रोड में मिला दी जाए तो बहुत उत्तम रहेगा और वास्तव में यह रिंग

( श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास )

रोड ही है। इस सड़क के लिए मैं मंत्री महोदय से पहले भी निवेदन कर चुकी हूं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, शहर के अन्दर हाथीराम के ओडे से जालोरियों का बास, ताऊजी का मन्दिर, मकतूरमल जी की हवेली के इधर होते हुए सड़क जाती है यह भी एक रिंग रोड है, ऐसी रोड्स को जल्दी लिया जाए। इन रोड्स को आप लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शहर के अन्दर ये जो रिंग रोड हैं, इनको लिया जाए।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक और सड़क का नाम इसके अन्दर एड करना चाहूंगी जो कि कन्दोई बाजार से आडे चोटे तक जाती है। उस सड़क को भी पी.डब्ल्यू.डी. ले लें और ठीक करवाएं। नगर निगम के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जिससे कि इन सड़कों को सुरक्षित रख सके। इसलिए मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि ये जो सड़कें हैं इनको तुरन्त लें ताकि जोधपुर की जनता को राहत मिल सके। नहीं तो यहां पर उबड़-खाबड़ खड्डे बहुत रहते हैं और बहुत ही असुविधा जनता को रहती है। मैं इस मांग संख्या 21 के माध्यम मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप इसमें लें।

एक चौथी बात मेरी और है, मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि राणीसर पदमसर है वहां से एक बाईपास सड़क निकल जाए वह सीधी हाईकोर्ट से जाकर के मिलेगी। उस सड़क का सर्वे कराना उचित रहेगा और मैं यह चाहती हूं कि उस सड़क को भी आप अपनी डायरी में सम्मिलित करें। मैं चाहूंगी कि आप अपने उत्तर में कुछ कहें तो बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं समाज कल्याण मंत्रीजी की बहुत-बहुत आभारी हूं कि इन्होंने महिलाओं के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो योगदान किया है। वास्तव में यह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके पास जो समाज कल्याण का मंत्रालय है, मैं यह चाहूंगी कि इस मंत्रालय के माध्यम से महिलाओं का बहुत उत्थान हो सकता है विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्र की और मध्यम श्रेणी की महिलाओं का। यह अफसरों तक ही नहीं रहें, इसके अन्दर जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए, उसके माध्यम से काम करें, वहां के कार्यकर्ताओं को लिया जाए तभी काम में सफलता मिल सकती है। सारा काम अधिकारियों के भरोसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा।

मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसके अन्दर सबका सहयोग लें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम चलता है उसके अन्दर जनप्रतिनिधि जा कर के उसको देखें।

सभापति महोदया, यहां पर बाल कल्याण

( श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ):

विकास मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपने विभाग के अन्दर हर तबके के लोगों को सहूलियत देने के लिए, हर विभाग के लोगों को सहुलियत देने के लिए अपनी पूरी भागीदारी निभाएं और हर व्यक्ति को उसमें साथ रखकर काम करें जिससे कि उस काम को करने में काफी कुछ सहूलियत मिलेगी। मेरे को आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

**श्री सभापति** : श्री हरिनारायण बैरवा।

**श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : सभापति महोदया, आप मांग संख्या 21 और 33 के अन्दर सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने-आपको इसमें सम्मिलित करते हुए अपनी बात रखता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चौथ का बरवाड़ा अतिरिक्त तहसील है, वहीं पर चौथ माता का मन्दिर है इसलिए टौंक जिले की तरफ से आने वाली सड़क जो चोरू से चौथ के बरवाड़ा को जोड़ती है उसके ऊपर यात्रियों की और अन्य आने वाले लोगों की भीड़ रहती है। यह सड़क काली चिकनी मिट्टी के ऊपर बनी हुई है इसलिए बार-बार बरसात के अन्दर फूल जाती है और सड़क में बड़े-बड़े खड्डे पड़ जाते हैं इसलिए इस सड़क को चौड़ा करके नये ढंग से बनाया जाए। कमलेश्वर महादेव के लिए मैंनें पिछली बार सदन में अपनी बात रखी थी उसमें माननीय मंत्री महोदय, ने 20 लाख रुपये स्वीकृत किये इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : चौथ माता के मंदिर के नीचे तक पहुंचा दी सड़क ।

**श्री हरिनारायण बैरवा** : हां सड़क तो पहुंच गयी, साहब, लेकिन चोरू से वह सड़क है न, वह आपकी ही कृपा है उसका भी धन्यवाद दे रहा हूं और चौथ का बरवाड़ा की जनता की तरफ से कमलेश्वर महादेव के लिए आपने जो बीस लाख रुपये पिछली बार स्वीकृत किये उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और इस अधूरी रोड को पूरा करने के लिए आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि और पैसा स्वीकृत करके इस रोड को पूरा करवाया जाए । जितने भी गांव सड़क से एक किलोमीटर की दूरी पर हैं और उनकी जनसंख्या पांच सौ से ज्यादा है सड़क से वंचित हैं, उनको जोड़ा जाये। मेरे क्षेत्र में डांगरवाड़ा, बसोकलां, बसोखुर्द, दोलाड़ा, टालड़ा, देवली, कैलाशपुरी, हलोनन्दा, गुर्जर बस्ती, भगवानपुरा, बांसला, इटावा, चैनपुरा, खानपुर, बनखण्डी हनुमानजी, फिरोजपुरा, सोनकच्छ, नया गाँव और पीपल्दा ये सब एक-एक किलोमीटर सड़क से दूर हैं, कृपया इन गांवों को सड़क से जोड़ा जाये।

**एक माननीय सदस्य** : वे चार-पांच गांव और बच गये हैं ।

**श्री हरिनारायण बैरवा :** वे बाद में बता दूंगा। सूची ले लेना मेरे से । सूरवाल से भगवतगढ़ की जो सड़क है उसको बहुत पहले डामरीकरण से जोड़ा था वह पूरी की पूरी टूटी हुई है इसलिए भगवतगढ़ से सूरवाल तक की सड़क का डामरीकरण करवाया जाए। पी. एच. क्यू. के लिए जे. आर. वाई. के माध्यम से जो सड़कें बनी हैं और अधूरी पड़ी हुई हैं, उसका पैसा खतम हो गया है इसलिए पैसा स्वीकृत करके उन सड़कों को पूरा करवाया जाए या अन्य योजनाओं के माध्यम से उन सड़कों को पूरा करवाया जाए।

डूंगरी से लेकर सावटा होते हुए नायपुर तक और नायपुर से डाबिच तक, परसीपुरा, कुडाना, भूलनपुर, करीराकलां व खुर्द, आंकोदा और सिंदरपुर जादौन को हाड़ौती से और वीरपुर से सिंदरपुर जाटान, जो दस्यु उन्मूलन क्षेत्र में है और डांग विकास में भी ये गांव है इनमें सड़क से जोड़ा जाये। वहीं पर लहसोडा जाने वाली सड़क पर चार बड़े नाले आते हैं उन नालों के ऊपर पुलिया का निर्माण करवाया जाये। गम्भीरा में जो सड़क बनी हैं वहां गम्भीर नदी के ऊपर और रांगड़ी में गम्भीर नदी के ऊपर पुलिया का निर्माण कराया जाए। उसी प्रकार पार्वाडेरा और जगमोहा में श्री गालब नदी के ऊपर पुलिया बनवाई जाये। मेईकलां से जो सड़क जा रही है उसके ऊपर एक बड़ा भारी नाला आता है उस पर पुलिया नहीं है और पुलिया नहीं होने के कारण आवागमन के साधन बरसात के दिनों में वहीं रुके रहते हैं। इसके लिए पुलिया का निर्माण कराया जाए।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 35 वर्ष की आयु से कम की महिलाएं विधवा हो जाती हैं, ऐसी विधवा महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए या आपके विभाग के माध्यम से उनको नौकरी दिलावायी जाए। भगवतगढ़ में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खोला जाये।

मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

## समिति का गठन

## वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

**श्री सभापति :** श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) :** सभापति, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनलेखा समिति, 1996-1997, प्राक्कलन समिति "क" 1996-97, प्राक्कलन समिति "ख", 1996-97 व राजकीय उपक्रम समिति, 1996-97 के सदस्यों को ही आगामी एक वर्ष के लिए जनलेखा समिति, 1997-98, प्राक्कलन समिति "क" 1997-98, प्राक्कलन

( श्री महावीर प्रसाद जैन )

समिति "ख", 1997-98 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 में सर्वसम्मति से सदस्य निर्वाचित कर लिया जाए।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक ने रखा है उसे स्वीकार कर लिया जाए ?

**(स्वीकृत)**

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री जयन्ति लाल कोली।

## मांग संख्या 21 एवं 33 पर विचार

**श्री जयन्ति लाल कोली** (रेवदर): सभापति महोदया, आज मांग संख्या 21 और 33 पर चर्चा हो रही, मैं भी अपने आपको इसमें शरीक करते हुए सार्वजनिक निर्माण मंत्री, माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी को सिरोही जिले की जनता की तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। (व्यवधान) धन्यवाद दे रहा हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन तीन साल के अन्तराल में_

**श्री सभापति** : मैक्सिमम बजट का मैक्सिमम धन्यवाद वह दे रहे हैं।

**श्री जयन्ति लाल कोली** : सड़क के मामले में जो विकास कार्य हुआ है वह अभूतपूर्व है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने आज से लगभग डेढ़ साल पूर्व आबू रोड पुल के उद्घाटन के समय में घोषणा की थी कि करौली का पुल हम 7 दिन के अन्दर-अन्दर सैंक्शन कर देंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उसको सैंक्शन भी किया और समय से पहले ही बनाकर तैयार कर दिया। दूसरा, करूटी और करौली, दोनों ही में लगभग एक करोड़ रुपये और तीन करोड़ रुपये की लागत के पुल बनाये हैं उसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 8 गांव सम्बल विलेज में रोड से जोड़ दिये गये और वह भी समय से पहले ही जोड़ दिये गये उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन उसमें दो गांवों में कुछ काम रह गये हैं। उसमें एस्टीमेट बनाते समय या कुछ कमी की वजह से आवारा और भवानगढ़ धावेटा इन दोनों को आधा-आधा किलोमीटर की दूरी से दूर रखा गया है, आधा किलोमीटर लगभग छोड़ दिया गया इसलिए इसको पूरा कर दिया जाए।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूंगा। लगभग दो साल पहले सुमेला से सुलेवा तक रोड बनकर तैयार तो हो गयी लेकिन हमारा एक दर्शनीय स्थान है रामचन्द्रजी का मन्दिर है, जो बहुत ही पुराना है। उस बजट में कुछ पैसा भी बचा हुआ है तो लगभग दो सौ मीटर की

( श्री जयन्ति लाल कोली )

दूरी है, उस मन्दिर को उस रोड से जोड़ दिया जाए। यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। पंचायत मुख्यालय से 3-4 बाकी थे वह तो जोड़ दिये हैं और 2-3 बाकी हैं रोहुआ, पादर और धाण, तो मेरा करबद्ध निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इन तीन पंचायतों को भी रोड से जोड़ दिया जाए।

एक मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब आप उद्घाटन करने के लिए करोटी पधारे थे उस समय देखा होगा उस रोड के ऊपर आवागमन कुछ ज्यादा ही है। आबू रोड औद्योगिक क्षेत्र की वजह से सेलवाड़ा में जो माइंस हैं, रेवदर विधान सभा में है और उसका औद्योगिक क्षेत्र आबू रोड में है और वहां के वाहन से सारा मार्बल ले जाते हैं। उसमें 10 किलोमीटर आबू रोड की तरफ से और 5 किलोमीटर करूटी तक तो डबल रोड बना हुआ है और बीच में कुछ बीसियों किलोमीटर, डबल रोड नहीं है। तो उसको भी डबल रोड करवाने का थोड़ा कष्ट करायें। माननीय मंत्री महोदय, जब आबू रोड पधारे थे उस समय आबू रोड का एक पुल जो पहले से बना हुआ है उसको दोनों तरफ से चौड़ा करने की वहां पर घोषणा कर दी थी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि आवागमन को देखते हुए उसको चौड़ा करने का भी आज मुझे आश्वासन दें।

इसके साथ-साथ मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में इन्होंने छात्रावास की कुछ कमी थी उसका भवन बनाकर उसको पूर्ण किया। दूसरा, आपने बजट तो अनादरा के लिए दे दिया लेकिन वहां भवन अभी तक नहीं बना है। तो मेरी आपसे यह करबद्ध प्रार्थना है कि नादरा के अन्दर भवन निर्माण कराने का कष्ट करायें।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री राकेश मेघवाल।

**श्री राकेश मेघवाल** (गरबतसर) : माननीया सभापति महोदया, मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल तथा मांग संख्या-33 सामाजिक कल्याण, पर जो आज चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दे रहा हूं। एक तो चले जा रहे हैं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, ललित किशोर जी चतुर्वेदी - "रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई।" माननीय मंत्री महोदय, यह राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल की एक अच्छी बात है और अच्छी साख है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो भी मंत्री घोषणा करते हैं उसकी पालना करते हैं और समयानुसार उसकी क्रियान्विति भी होती है।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, यातायात) : सभापति। महोदया, शुरू में तो

(186)



( श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा )

तारीफ करते हैं और फिर मंत्री की टांग खींचते हैं।

**श्री सभापति :** आपकी टांग बहुत मजबूत है, खींच नहीं पाएंगे।

**श्रीमती उज्वला अरोड़ा :** मार्गदर्शन नहीं किया गया ?

**श्री राकेश मेघवाल :** माननीया सभापति महोदया, ये इतने मोटे हैं कि इनकी टांग तक मैं पहुंच ही नहीं पाता हूं। लम्बे इतने हैं कि मुझे ऊपर मुंह करके बात करनी पड़ती है।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने राजस्थान की सड़कों के चहुंमुखी विकास का कार्य हाथ में लिया जिससे आम जनता को बहुत राहत मिली और राजस्थान में जो सड़कें बनी हैं उनमें बढ़ोत्तरी हो रही है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने सड़क नीति बनायी है, बहुत अच्छी बात है कि सभी पार्टी के लोगों को एक साथ लेकर, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर राजनीति से ऊपर उठकर हम सड़कें बना रहे हैं । यह बात सरकार के लिए भी अच्छी है और आपके लिए और हमारे लिए भी अच्छी है लेकिन माननीय मंत्री महोदय इसमें कुछ आपको संशोधन करना चाहिए। कुछ अधिकार आप अपने पास भी रखिये ताकि एक बी. जे. पी. के एम. एल. ए. और कांग्रेस के एम. एल. ए. अभी देखों हाउस में कांग्रेस का एक भी एम. एल. ए. नहीं है और बी. जे. पी. सभी माननीय सदस्य आपकी घोषणा का इन्तजार कर रहे हैं। इसलिए कुछ तो आप इसमें संशोधन कीजिए । आप चाहें जिस सड़क की घोषणा कर सकते हैं, स्वीकृत दे सकते हैं नीति के अलावा हटकर। माननीय मंत्रीजी नीति आपने बना दी, ग्राम पंचायत मुख्यालय या एक हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़िये, निश्चित जोड़िये लेकिन जोड़ने का जो आपने कार्यक्रम हाथ में लिया है कि जहां से कम होगा उधर से जोड़ेंगे, चाहे एक गांव छूट रहा है डेढ़ किलोमीटर, एक किलोमीटर के लिए। आपने नीति में यह लिख दिया कि मैं तो जिधर से कम होगा उधर से ग्राम पंचायत को जोड़ दूंगा। एक हजार की आबादी वाले गांव को जोड़ दूंगा। आधा किलोमीटर के चक्कर में एक गांव छूट गया । वह गांव आपको निश्चित रूप से दो साल बाद में जोड़ने पड़ेंगे, तीन साल बाद में जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ना आखिर आप ही को है, आपके अलावा कोई नहीं जोड़ सकता इसलिए आपका इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए कि कोई भी गांव वंचित नहीं रहे। ठीक उसी प्रकार सड़कें स्वीकृत बहुत ज्यादा हैं । इतना बजट स्वीकृत है, राजस्थान में जिसकी कोई सीमा ही नहीं है लेकिन आज गये वर्ष बनी सड़कें डामर का इन्तजार कर रही हैं। अगर सड़कों पर शीघ्रातिशीघ्र डामर नहीं डाला गया, डामरीकरण नहीं किया गया तो आने वाली बरसात में

( श्री राकेश मेघवाल )

वह आपकी सड़कें बनायी, नहीं बनायी बेकार हो जायेंगी तो उस सड़क को बनाने से तो अच्छा है कि गांव का चीला होता है, खेत का रास्ता होता है जिसको गेला या गोवा कहते हैं, वह आपकी इस गिट्टी वाली सड़क से अच्छी सड़क मानी जाती है।

आप सड़क बनाते हैं उसकी समयावधि होनी चाहिए कि अगर गिट्टी की आंज सड़क बना दी तो एक महीने के अन्दर-अन्दर उस पर डामरीकरण किया जाएगा। हालांकि वह डामर कहीं खेत में पड़ा-पड़ा जमीन में जा रहा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ठेकेदार वह डामर कहां से लाएगा ? वह इसी सरकार का डामर है। जितना वेस्टेज सामग्री होगा वह उसी सड़क में से निकालेगा, चाहे ईमानदारी से निकाले, चाहे बेईमान करके निकाले। सामान तो वहां से आएगा। कहते हैं कि एक रुपया नीचे पड़ा तो कुछ उठाकर लेकर आएगा चाहे मिट्टी ही उसके चिपक कर आये, आएगी जरूर। अगर एक भी ड्रम बेकार हो गया तो उस सड़क का ही हो गया। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिलाइए। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि आपके अधिकारी बहुत अच्छे हैं, कर्मचारी बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं-कहीं 19-20 गड़बड़ तो होती रहती है। इसलिए आप तहसील स्तर पर या विधान सभा स्तर पर एक कमेटी बना दी जाए जिसमें अधिकारी भी शामिल हो, एईएन., जेईएन. भी शामिल हों और जनप्रतिनिधि भी हों, प्रधान हो या जिला परिषद का मैम्बर हों, 10-11 मैम्बर्स की एक कमेटी बना दी जाए तो वह भी इस काम में लग जायं कि माननीय मंत्री महोदय ने हमको कमेटी में लिया है तो राजनीति एप्रोच से उस सड़क का, कार्य का ध्यान रखेंगे और समय-समय पर आपको अवगत भी कराते रहेंगे कि माननीय मंत्रीजी इस सड़क में यहां गड़बड़ हो रही है।

माननीय मंत्रीजी, आज तीन साल और कुछ महीने हो गये इस सदन में मुझे आए हुए और मैंने शुरू से ध्यानाकर्षण के जरिए, 295 लोक महत्व के प्रस्ताव के जरिए बार-बार एक सड़क का मामला उठाया है कालेटड़ा-मण्डोवरी का। कालेटड़ा पंचायत मुख्यालय है, नागौर जिले में आती है, मेरी तहसील में आती है। बबायचा पंचायत मुख्यालय है, अजमेर है, अजमेर जिले में आती है। अजमेर जिले वालों ने ग्राम पंचायत तक सड़क बना दी और इधर कालेटड़ा और मण्डोवरी के बीच में जो बबायचा को जोड़ती है, यह एक दूसरे जिले को भी जोड़ती है। यह सड़क अजमेर और नागौर की सीमा पर है और दोनों जिलों को आपस में जोड़ती है। आज तक तो आपने इसलिए नहीं जोड़ा कि अजमेर जिले में सांसद बी.जे.पी. का था और नागौर जिले में कांग्रेस का था। अब तो दोनों सांसद आपके हो गये। जिस तरह दोनों सांसद जुड़े हैं उसी तरह उन दोनों जिलों को, कालेटड़ा-मण्डोवरी सड़क से जोड़

( श्री राकेश मेघवाल )

दीजिए, यह मेरा आपसे पुरजोर शब्दों से निवेदन है। आपकी सड़क नीति के अनुसार यहां की 1991 की जनसंख्या 1186 है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : इनकी दूरी कितनी है ?

**श्री राकेश मेघवाल** : मात्र 5 किलोमीटर। ज्यादा नहीं है, मात्र 5 किलोमीटर है। कई बार व्यक्तिगत मेरी आपसे भी बात हुई थी। मैंने जब सड़क नीति के बारे में बात की तो आपने कहा कि जो सड़कें मैं रिजर्व रखता हूं वह आपको दे दूंगा। दो-चार-पांच किलोमीटर हर विधान सभा क्षेत्र के लिए रखता हूं। मैंने कहा कि यह दे दीजिए। आपने कहा कि अभी तो मैं कटिंग बना रहा हूं, कल आ जाओ, दे देना। लेकिन, साहब, मैं दुबारा गया तो आप भूल गये और कहा कि मेरी आपसे बात ही नहीं हुई। माननीय मंत्रीजी, परबतसर विधान सभा क्षेत्र में...

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा)**: आंसू चल रहे हैं माननीय सदस्य के।

**श्री राकेश मेघवाल** : बहुत आंसू आ रहे हैं और इतने आंसू आ रहे हैं कि 60 बसें माननीय परिवहन मंत्रीजी की वहां से आती-जाती है और सबके टायर इतने घिस गये और आधी तो कादे में रुक-रुक कर खराब हो गई।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन)** : यह परिवहन विभाग पर चर्चा नहीं हो रही।

**श्री राकेश मेघवाल** : इस सड़क निर्माण से अजमेर, किशनगढ़, केकड़ी, परबतसर, डेगाना, मेड़ता, जोधपुर को सुविधा उपलब्ध होगी।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

आप तो मेरे लिये ऐसा क्यों कह रही हैं ?

**श्री सभापति** : बहुत सदस्य बोलने वाले हैं। आप इसको कन्क्लूड करने पर आइए।

**श्री राकेश मेघवाल** : माननीय मंत्रीजी, अभी कोगटाजी ने कहा जो सबसे बड़ी मार्बल मंडी है किशनगढ़ है। आप विश्व विख्यात मार्बल मंडी है तो मकराना है और असली मार्बल निकलता है तो मकराना में निकलता है। आज कोई भी मन्दिर हो उसमें मूर्ति लगेगी तो मकराना के मार्बल की लगेगी, अन्य किसी पत्थर की मूर्ति नहीं लगती। इसलिए मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी भी पधार गये, राजस्थान के बाहर जितने भी राजस्थान के गये हुए व्यापारी हैं उनको आप कहते हैं कि राजस्थान में आइए और उद्योग लगाइए। हमारे मकराना के उद्योग लगे हुए हैं तो किशनगढ़ जा रहे हैं। आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। उसका एक मुख्य कारण हमारे गोदाम, हमारी दुकानें और हमारे

( श्री राकेश मेघवाल )

मकान करोड़ों रुपये के थे जो सड़क सीमा में आते थे, पहले 50 फीट चौड़ी थी अब 70 फीट चौड़ी कर दी और अब 100 फीट चौड़ी कर दी, तोड़ दी, खण्डहर बना दिये और आज वह खण्डहर उस सड़क का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि डेढ़ सौ रुपये पर ट्रक का हम देते हैं और यहां तक कि 50-60 लाख रुपये मकराना से दे दिया। काम चल रहा है लेकिन उसमें गति थोड़ी तेज की जाए। एक्सईएन. साहब को वहां बैठाया जाए मकराना में स्पेशली इस सड़क के लिए। हमारे गोदामों में मार्बल के सामने बड़े-बड़े टीले लगा दिये पांडू के। आज देश के कोने-कोने से व्यापारी आता है, मद्रास, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से वह राजस्थान की यह साख लेकर जाते हैं कि विश्व विख्यात मार्बल मंडी मकराना में मार्बल की जगह दुकानों के सामने या तो रोडी का टीला मिलता है या पांडू का टीला मिलता है। माननीय मंत्रीजी, उसमें आप विशेष रुचि लें। जब आप मकराना पधारे थे और दिल्ली के मुख्य मंत्री, माननीय साहिब सिंह वर्मा पधारे थे, उस सड़क को आपने देखा था, किस तरह हमारे आंसू आ रहे थे उस सड़क को देखते हुए। आपने कहा कि मेरी गाड़ी का चैम्बर नीचे से नहीं अड़ जाए। मैंने कहा कि आज तो चैम्बर फूट जायेगा तो मेरी वाली गाड़ी आगे चल रही है उसमें बैठ जाइये आप। आज भी उस मार्बल मंडी की स्थिति दयनीय है। उसका एक ही कारणा है सड़क नहीं होना। पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा व्यापारी देने को आज भी तैयार है।

## सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) :** सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति :** क्या सदन की अनुमति है ?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय बढ़ाया गया।

## मांग संख्या 21 एवं 33 पर विचार

**श्री राकेश मेघवाल :** माननीय मंत्रीजी, आपकी नीति के अनुसार एक हजार की आबादी वाले गांवों की सड़कों के नाम आपको शार्ट में निवेदन कर रहा हूं। पूरे भाषण में मैं कटौती कर रहा हूं क्योंकि बार-बार माननीय सभापति महोदया निर्देश दे रही हैं। एक हजार की आबादी वाले गांवों के नाम यहां दे रहा हूं।

1. मायापुर पंचायत मुख्यालय से बरूण दो किलोमीटर सड़क।

2. खुन्डियास से सिमारों की ढाणी से अमरपुरा कांटा तक दो किलोमीटर।

( श्री राकेश मेघवाल )

3. रामसिया से गच्छीपुरा मार्ग पर सिवराशी से गच्छीपुरा छह किलोमीटर।

4. पीपलाद से मेह ग्राम तक सड़क।

5. ग्राम पीपलाद से ग्राम पंचायत झालरा वाया अरठ सड़क।

6. गांगवा ग्राम से लिंक रोड मकराना रेलवे क्रासिंग जो 10 किलोमीटर घूम कर पड़ती है। बाईपास सड़क है यह।

7. बडू से हरनावां सड़क।

8. बेसरोली से गेढ़ा सड़क।

9. गेढ़ा से गच्छीपुरा सड़क।

10. रतनास से मिथ्यान।

11. गेढ़ा से गिंगालिया।

12. नाथ का बेरा से भावसिया।

13. बेसरोली से खुर्द माताजी के मन्दिर से गच्छीपुरा।

14. बस्सी सम्पर्क सड़क बवांल माताजी के मन्दिर तक।

15. जंजीला सम्पर्क सड़क से ललाणा खुर्द तक।

16. कवंलाद सम्पर्क सड़क राबड़ियावाद।

17. अलतवा से बरनेल।

18. जंजीला से ललाणा कलां।

माननीय मंत्री जी, एक केकड़ी सड़क है, जो 15-20 किलोमीटर लम्बी है, यह सड़क अजमेर जिले में है और आधी परबतसर तहसील में आती है, आखिरी छोर अजमेर जिले का है, वह कहते हैं कि यह हमारी सड़क नहीं है, परबतसर वाले कहते हैं कि हमारी सड़क नहीं है। इस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है और अगर उस सड़क को बंद कर दिया जाए और साइड से रास्ता दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। दस-दस फीट पर एक -एक फीट गहरे गडढे हैं। न वह बाद में रिपेयर हुई और एक बार बनने के बाद में, मेरे ख्याल से 15 साल पुरानी सड़क है, आज तक वह रिपेयर नहीं हुई।

इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद की, माननीय मंत्रीजी, आपके अपने शासन में आपकी ही बनायी हुई सड़क है, आपकी ही घोषणा की हुई सड़क है, आज के तीन-चार साल पहले बनी थी, औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद भी विश्व विख्यात मार्बल मंडी है। परबतसर से बिदीयाद सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि हर 10-20 फीट पर खड्डा है और 7-8 फीट चौड़ी सड़क है, 20-20 टन और आजकल तो 40-40 टन मार्बल से ट्रोले निकल रहे हैं। इसलिए इस सड़क को मेहरबानी करके दुबारा बनवा दीजिए ताकि औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद में देश के कोने-कोने से आए व्यापारी वहां से माल भी ले जा सकेंगे और उनकी गाड़ी का चैम्बर भी नहीं टूटेगा।

सभापति महोदया, जब हम पुलों की बात करते हैं कि कहीं सड़क बन गयी तो पुल नहीं बने और पुल बन गये तो सड़क नहीं बनी। वर्षा ऋतु में जगह-जगह पूरे पुल इधर से उधर भर जाते हैं। आजकल छोटी-छोटी गाड़ियां, मारुति और एम्बेसडर हैं,

( श्री राकेश मेघवाल )

आप इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। इस तरह के पुलों के निर्माण के लिए भी आप सड़कों की स्वीकृति के साथ-साथ पुल भी स्वीकृत कराने की कृपा करावें। जिस तरह से खेड़ी खिवसी से जावला सड़क पर दो पुल हैं, कवंलाद से राबड़ीयाद सड़क पर एक पुल है, रीड़ से लेंगा की ढाणी पर दो पुल हैं, परबतसर से बिदीयाद सड़क पर 3 पुल हैं, परबतसर से खिदरपुरा सड़क पर 2 पुल हैं और करकेड़ी से भी परबतसर तक 3-4 पुल हैं, ये सभी पुल इस तरह के हैं कि आज भी अगर बारिश हो जाय तो वहां 4-5 घण्टे तो आदमी को इधर से उधर खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए, मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस सड़क का जो भी तखमीना मंगाएं, प्रपोजल मंगाएं उसके साथ ही उस पुलिया को साथ में लेवें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई बार आप स्वीकृत कर देते हैं और वह पुल लिखा होता है "कार्य प्रगति पर है", 6-6 महीने तक पुल का कार्य प्रगति पर नहीं रहता। इससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। इसलिए इसका भी समय होना चाहिए कि एक महीने में पुल बने या दो महीने में पुल बने। दोनों तरफ बोर्ड लगा दिया, "कार्य प्रगति पर है", रात को चाहे अंधेरे में उस पुल में कोई गिरे। उसका कार्य प्रगति पर 6 महीने तक कभी नहीं होता है और यहां तो ऐसे ऐसे पुल देखें जिनमें एक-एक साल लग जाता है। माननीय मंत्री महोदय, इसकी समयावधि तय की जाए। सड़कें आप स्वीकृत करते हैं, ठेकेदार 10 प्रतिशत पैनल्टी दे देता है, भर देता है, दूसरी सड़क में भ्रष्टाचार से वह पैनल्टी निकाल लेता है लेकिन सड़कें दो-दो साल तक, एक -एक साल तक नहीं बनती है। उसकी भी एक समयावधि होनी चाहिए। जिस ठेकेदार ने देरी की है, वह पैनल्टी से ही पीछा न छोड़े, उसका दुबारा दूसरा टेण्डर ही न डाला जाए और दूसरा टेण्डर ही उसको न छोड़ा जाए, जब तक वह उस सड़क को पूरा नहीं करे। पहले भी इस सदन में बात हुई थी कि एक ठेकेदार को एक सड़क मिले लेकिन आज तो एक-एक ठेकेदार की 5-5 सड़कें हैं। यह बात भी हमको ध्यान में रखनी है।

आपने देवस्थान की सड़कों के लिए विशेष बात कही। देवस्थान की सड़कें तो सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर हमको बनानी चाहिए क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी इसी संस्कृति की है, इसी पर चलती है। देवस्थान की सड़कों के लिए जनता मांग करती है। हम भी उनको कहते हैं कि देवस्थान में मंत्री महोदय से कहेंगे और बनाएंगे। राणीबाई जी का मंदिर अच्छा मंदिर है, हजारों यात्री आते हैं। खुर्द करणी माता जी का मंदिर है, वह भी बहुत बड़ा मंदिर है, मुख्य मंत्रीजी भी 3-4 बार जाकर आए

192



( श्री राकेश मेघवाल )

हैं और उन्होंने भी घोषणा की थी कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सड़क बनाऊंगा। इन्होंने सड़क बनायी, ग्रेवल बना दी, डामर नहीं डाली। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, इस पर डामर डलवाने की कृपा करिये। सांचौर करणी माताजी का मंदिर, रामदेवजी का मंदिर, खुंडियास, जहां गुजरात से आते हैं, आज रामदेव जी के मंदिर में लोग रामदेवरा, गुजरात से जाते हैं और खुंडियास मंदिर में भी लोग गुजरात से जाते हैं, यहां तक कि मध्यप्रदेश से, यू.पी. से लोग इस सड़क से गुजरते हैं, यह खुंडियास रामदेवजी का बहुत बड़ा मंदिर है, यहां भी अच्छी सड़कें बनायी जाएं। जो सड़क बनी हुई है, वह टूटी हुई है।

माननीय सभापति महोदया, एक मुख्य जो अनुसूचित जाति का विभाग है उस पर मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए।

**श्री सभापति** : आप तो सड़कों में ही उलझ गये, अब पूरा करिये।

**श्री राकेश मेघवाल** : इस सदन में बहुत जोरों से चर्चा होती है, हर माननीय सदस्य कहता है कि अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए हम यह करेंगे, वह करेंगे। क्या सब लोग, हम सब सच्चे दिल से अपनी ईमानदारी से अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं? और अगर करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज तक पिछड़े हुए क्यों हैं, इसका कारण क्या है? अभी माननीय जोगेश्वरजी गर्ग कह रहे थे, वे हमारे अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज अगर वे खुद कहते हैं कि इस तरह की कमियां हैं तो हमको सहर्ष स्वीकार हैं। उन्होंने जो भी कहा है, उनके साथ-साथ हमको भी वह सहर्ष स्वीकार है। माननीय मंत्रीजी, आप इसी समाज के हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा हूं कि उन्होंने यह विभाग अनुसूचित जाति के माननीय दिलावर साहब को, दिलदार को दिया है, माननीय मंत्रीजी, आपका दिल बहुत बड़ा है, दिलदार हैं, आप जहां पधारते हैं, 10-15 लाख की घोषणा करते हैं लेकिन जहां नहीं पधारते हैं वहां का भी थोड़ा ध्यान रखिये।

**एक माननीय सदस्य** : आप माला पहनाइये।

**श्री राकेश मेघवाल** : माननीय मंत्रीजी माला नहीं पहनते हैं। ये ऐसे मंत्री हैं जो पलंग पर नहीं सोते, माला नहीं पहनते हैं। इसी बात के तो प्रतीक हैं, इसलिए लिए तो यह विभाग इनको दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोच समझकर विभाग दिया है। माननीय मंत्रीजी, इसमें कुछ कमियां हैं, वह अगर आप दूर नहीं कर पाए तो शायद कोई दूर कर पाएगा। आप कार्य करने में इतने सक्षम हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन

( श्री राकेश मेघवाल )

करना चाहूंगा कि आपके विभाग पर लगने वाला आरोप आने वाले विधान सभा सत्र में नहीं लगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। इसमें जो भी कमी है वह आपको पूरी करनी है।

मैंने आपको कहा था कि मेरे क्षेत्र में आप प्रोग्राम दीजिए। आपने कहा, देऊंगा, देऊंगा, परन्तु आपको पैसा देना नहीं था। कोई बात नहीं। मैंने कहा 3 साल हो गये, 5 साल का सूद समेत आपसे ले लूंगा, मैं जमा खर्च कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा हाई-वे नम्बर 7 जो किशनगढ़ से पंजाब आता है, यह सड़क हरियाणा पंजाब जाती है, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश हाई-वे नम्बर 7 मंगलाना के पास ग्राम देवली पर उपलब्ध सरकारी भूमि पर अनुसूचित जाति के धुंधले अतीत को उज्ज्वल वर्तमान व सुनहरे भविष्य हेतु एक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को यथा नियम स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करावें।

मंत्रीजी, नागौर जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र परबतसर है। यहां के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति के बन्धुओं को आबादी के इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी अनेकानेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस स्थिति में इन समस्याओं के समाधान हेतु वर्तमान में राज्य सरकार ने अपनी नीति व कार्यक्रमों को जो नयी दिशा दी है, उसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से होंगे व सिर्फ परबतसर ही नहीं नावां, कुचामन व मकराना विधान सभा के क्षेत्र लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। जो आपका आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलेगा, उसमें एक विधान सभा क्षेत्र नहीं है, वह पूरे 4 विधान सभा क्षेत्रों के मध्य में हैं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम डेढ़ लाख अनुसूचित जाति के लोग इन तीनों विधान सभा क्षेत्रों में आज भी रहते हैं। आप कुचामन पधारे थे, मकराना पधारे थे, 15 लाख का हास्पिटल मकराना में, आपने दिया, कुचामन सिटी में दिया और अभी आप पधारे थे, खटीक समाज के समारोह का उद्घाटन किया था, नावां के पास में वास्तव में वहां मैं भी आता लेकिन आपका निमंत्रण समय पर नहीं पहुंचा, इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा ध्यान रखियेगा, मैं दुबारा करवा लूंगा। इसमें आप विशेष रुचि

**(18.00)**

लेकर यह पांच साल का सबसे बड़ा काम मेरे क्षेत्र में देने की कृपा करें।

एक बात माननीय सार्वजनिक मंत्रीजी की रह गयी। एक सैकण्ड में, वह क्या बीच में सड़क आते-आते रास्ता थोड़ा सा कच्चा आ गया था, वापस अपने हाईवे में नम्बर

( श्री राकेश मेघवाल )

पर आ गयी। माननीय सार्वजनिक मंत्रीजी– (व्यवधान) सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, ठीक है एक ही बात है, सार्वजनिक हो जाएं यह।

**श्री सभापति :** आप बार-बार घूम कर फिर सड़क पर ही आ जाते हों। सड़क पर आना अच्छा नहीं है।

**श्री राकेश मेघवाल :** मैं सड़क पर नहीं आ रहा हूं। अब सड़क बनाने वालों पर आ रहा हूं। माननीय मंत्रीजी, दिल्ली के मुख्य मंत्रीजी साहिब सिंहजी वर्मा पधारे थे और मकराना में आम सभा करके आप और मैं दोनों परबतसर आम सभा में सम्मिलित होने पधारे तब आपसे एक निवेदन किया था–

**श्री सभापति :** आप कन्क्लूड नहीं करेंगे तो मैं दूसरा नाम बुला लूंगी।

**श्री राकेश मेघवाल :** एक ही मिनट में। दो मिनट की दो लाइन है।

**श्री सभापति :** आपने पांच मिनट मांगे थे, दस पूरी कर ली।

**श्री राकेश मेघवाल :** अब एक ही मिनट चाहता हूं।

मैंने आपसे निवेदन किया था कि सब डिवीजनल हैड क्वार्टर जो आफिस है, वह परबतसर है, मकराना, कुचामन, नावां और परबतसर, इस पर आप एक्सईएन. आफिस परबतसर में खोलें। नागौर जिले में चार एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर हैं। नागौर में आपका एक्सईएन. बैठता है, मेड़ता सिटी में भी आपका एक्सईएन. बैठता है, डीडवाना में भी आपका एक्सईएन. बैठता है तो परबतसर एक ऐसा क्षेत्र है, जो एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर है, वहां पर आपका एक्सईएन. नहीं बैठता है। माननीय मंत्रीजी, अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट को मद्दे नजर रखते हुए एक्स. ईएन. आफिस की आज ही घोषणा करने की कृपा करिये। आपका यह दिल जो मेरे प्रति है, जितनी मैंने आपकी गाड़ी में, आपकी कार में सेवा की है, दोनों पैर दबाये हैं एक्स. ईएन. आफिस खोलने के लिए तो उसकी आज आप सदन में घोषणा करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

सभापति महोदया, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री खंगार सिंह चौधरी (अनुपस्थित) । श्री अमर चन्द मिड्ढा।

**श्री अमर चन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदया, आज सदन में मांग संख्या 21 और 33 पर बहस हो रही है, इसमें मैं भी अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। श्रीमान् चतुर्वेदीजी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत सड़कें बनायी हैं और कई सड़कें रहती हैं उसके लिए निवेदन करना है कि एक तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक टीबी क्षेत्र है, जहां पर 4 X 4 की गाड़ी भी नहीं जा सकती। एक सड़क मोकलसर से देवीदासपुरा बनी हुई है और इसमें यह पांच-सात गांव हैं,

( श्री अमर चन्द मिड्डा )

जहां तक सम्भव हो सके, यह बनाने की कृपा करें। एक हमारे पहले अनूपगढ़ में पी.डब्ल्यू.डी. का एक्स. ईएन. आफिस था, वहां से तोड़कर सूरतगढ़ बैठा दिया है। जो रावला और 365 हैड कहां पड़ता है और सूरतगढ़ एक साइड पड़ जाता है, अगर सम्भव हो सके तो हमारे अनूपगढ़ में एक्सईएन. का आफिस खोलने की कृपा करें। इसमें विभाग को भी फायदा होगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। एक मैंने पहले आपको लिखित में भेजा है और प्रार्थना की है कि जो गांव एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर से रहते हैं, 60 जी.बी. और 60 जी.बी.ए. जो एक किलोमीटर से सड़क से जुड़ने बाकी हैं, इनको कृपा करके जोड़ देवें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक रावलामंडी से 365 हैड मण्डी है, वह भी सब यार्ड है अगर वहां पर भी सड़क निकाल दी जाए तो आठ-नौ किलोमीटर पड़ेगी और इसमें 9, 10 चक या गांव आ जाएंगे तो कृपा करके इसको भी बनाने की कृपा करें। एक जो अनूपगढ़ से बीकानेर सड़क आती है, यह सतराना एक बस अड्डा है, वहां पर जो यह एम.डी. नहर निकलती है वहां पर जो पुल बना हुआ है, वह पुल बहुत नीचे बना हुआ है, इससे बरसात के दिनों में यह केली वगैरह आते हैं, उससे पानी रुक जाता है और बीस चक का कम से कम नुकसान होता है। इसमें ज्यादा कोई खर्चे वाली बात नहीं है। कृपा करके इस पुल को थोड़ा सा ऊंचा करवा दीजिए। हमारे कई गांव पाकिस्तान से बिलकुल चिपके हैं, जहां तक हो सके एक 12 के.एम.डी. से 23 के.बी. को सड़क से जोड़ने की कृपा करें।

मांग संख्या 33 के बारे में, दिलावर साहब का धन्यवाद करते हैं कि हमारे वहां पर रावला मंडी में लड़कों का छात्रावास खोला है और भी जो हो सके कुछ, हमारे हिस्से के भी पैसे हमारे जिले में लगाया करो। धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्रीमती उजला अरोड़ा।

**एक माननीय सदस्य :** जवाब आने दो न साहब गवर्नमेंट का।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी और आप सबको बधाई इस बात की कि जब से आप आए हैं, तब से सड़कों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और सड़कों की लम्बाई भी बढ़ी है। पिछले वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्थिति थी, वह नहीं रही और एक नीति बना करके और भी उस कार्य को अच्छा रूप दिया जा रहा है। मैं बधाई देती हूं। मैं इस बात की भी बधाई देती हूं कि आपने अपने भाषण में कहा था कि जो भी देवालय की सड़कें हैं, जो तीर्थों की सड़कें हैं या मन्दिरों की तरफ जाने वाली दो, ढाई, तीन किलोमीटर की सड़कें हैं, उनका भी आप

( श्रीमती उजला अरोड़ा )

अवश्य ही निर्माण करवाएंगे। मेरा निवेदन है कि इस ओर जरा देख लिया जाए कि कितना काम बाकी है, कितना काम इस वर्ष में आपको हाथ में लेना है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब सड़क बनायी जाती है तो मार्ग में कुछ रपट और पुलियाओं के स्थान आते हैं, इनको उसी कार्यक्रम में जोड़ लेना चाहिए वरना यह कार्यक्रम अधूरा रह जाता है और यह काम पूरे नहीं हो पाते हैं। सड़क पूरी हो गयी लेकिन बीच का कार्य रुक गया। एक योजना बना लें, चाहे समयबद्ध कार्यक्रम तय कर लें कि पहले सड़क बनायेंगे, फिर बीच में पड़ने वाले पुल बना दिये जाएंगे। इस बात को तय कर लेना चाहिए।

**(18.08)**

**(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)**

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जिन जगहों पर ज्यादातर पानी भरता है उन जगहों पर सीमेंट की सड़कें बनाएं तो बार बार सड़क टूटेगी नहीं या पुड्डियों की सड़क बनाएं तो सड़क टूटेगी नहीं, पैसा बरबाद नहीं होगा। ऐसी जगहों पर खास तौर से ध्यान रखें। मेरा यह भी निवेदन है कि मेंटीनेंस का पैसा और अधिक आप तय करें। सड़क बनने के बाद में कई बार बीच में सड़क काट दी जाती है, जयपुर में तो तमाशा ही हो रहा है, जो सड़कें बनीं वह टेलीफोन विभाग ने सारी की सारी खोद कर पटक दी। तो ऐसे ही कई मामलों में सड़क बीच में टूट जाती हैं या तोड़ दी जाती है उनकी तात्कालिक रूप से मरम्मत कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। यह भी तय कर लिया जाए कि चार महीने काम नहीं चलता, चार महीने के बाद आठ महीने पूरा काम चलेगा। यह समयबद्ध कार्यक्रम, मंत्री महोदय, आपको हाथ में लेकर करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि बरसात में टूटी सड़कों पर कई जगहों पर जैसे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जयसिंहपुरा खोर में अब तक काम नहीं हुआ लोगों को बहुत असुविधा है। आप जरा ध्यान रखें कि जैसे ही बरसात निपटे वह कार्य शीघ्र पूरा हो जाए। आप चाहते भी हैं, आपने घोषणा भी की है, आपने यह भी कहा है कि अगर सड़क में खड्डे होंगे तो मेरे दिल में दुःख होगा। लेकिन वह कार्य पूरा नहीं किया गया, आप जरा इस बात को देखें कि कार्य शीघ्र पूरा हो जाए। यह अपेक्षित था कि दिल्ली रोड से आगरा रोड को मिलाने के लिए एक सड़क का निर्माण किया जाए। यह काम हाथ में लिया गया है। इस कार्य को और गति देने की आवश्यकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी की जो भवन आपके विभाग के माध्यम से बनाये जाते हैं, मरम्मत की जाती है, चाहे वह स्कूल भवन हो, चाहे अन्य बिल्डिंगें हों, जयपुर के लिये मैं कहना चाहूंगी की स्कूल भवनों की हालत बहुत खराब है, आप देख लें कि कोई दुःखान्तिका घटित नहीं हो। आप सर्वे करा लें। इन सब

( श्रीमती उजला अरोड़ा)

चीजों को भी आप अपने हाथ में लें। आप कर सकते हैं इसीलिए मैं आपसे कहती हूं। मुझे गर्व है कि आपको इस विभाग का मंत्री बनाया गया। आप इन सब कामों में बहुत सुचारू रूप से सम्पन्न कर सकते हैं। आपके प्रयास यदि इस ओर होंगे तो निश्चित रूप से कार्य होगा।

अभी कल यह बात कही गयी थी, हमारे कृषि मंत्रीजी ने यह कहा था कि जितनी भी उस विभाग की सड़कें हैं वो आपके विभाग को दी जा रही हैं और वह काम होगा। यह कार्य पहले भी हो चुका है कि कृषि उपज मण्डी की सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाएगा लेकिन वह फिर वापस ले ली गयीं, फिर दे दी गयीं और फिर वापस ले ली गयीं। अब ऐसा नहीं हो, यह आप ध्यान रखें।

इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी कि खानों के पास पड़ने वाली सड़कों को भी उनसे जोड़ने की बात आप निश्चित रूप से करेंगे। मेरे इलाके में कुल चार पंचायत हैडक्वार्टर बचे थे, वे लगभग सम्पन्नता की ओर हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं, इन कामों को आप हाथ में लेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अभी बिलकुल विधान सभा के ठीक सामने सड़क बनायी गयी, मैं नहीं जानती किसने बनायी, एक साल के करीब हो चला है, सड़क बनायी गयी और आधी सड़क बनायी गयी, सड़क पर मैटीरियल खराब लगाया गया। अगर आधे बाल काट लिए जाएं तो कैसा बुरा लगेगा, आधे वस्त्र पहने जाएं तो कितना बुरा लगेगा, आधी मूंछ काट ली जाए और आधी बच जाए तो कितनी बुरी लगेगी? इतना भद्दा लगता है। कौन काम करता है, कैसे काम करते हैं, उन लोगों को आप खींचिये जिन लोगों ने ऐसे आधे-आधे काम जयपुर में तीन-चार जगह करके छोड़ दिये हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : जे.डी.ए. ने।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : नहीं, जे.डी.ए. के नहीं है। यह तो नेशनल हाई-वे के हिसाब से यह रोड आगे तक चलती है, पता नहीं किसने बनायी, क्या करा है। मैंने आपसे छोटी सी बात कही है, मजाक में नहीं लेंगे और इस काम को पूरा करेंगे।

अब मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी।

**एक माननीय सदस्य** : आशीर्वाद में।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आशीर्वाद तो दे ही रही हूं।

मंत्री महोदय, आपने अपने हाथ में बहुत अच्छे-अच्छे काम लिये हैं। महिलाओं के सम्बन्ध में, विकलांगों के सम्बन्ध में, पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में न्याय के सम्बन्ध में और शैक्षणिक स्तर के सुधार के सम्बन्ध में अपने हाथ में काम लिये हैं, आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इस सम्बन्ध में

( श्रीमती उजला अरोड़ा )

सरकार ने आपको पैसा भी दिया है बल्कि आपको ही यह बजट समर्पित किया है। निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे और प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। जितना पैसा आपको मिले उसको काम में लगाकर और पैसा मांगिये। पैसा बहुत कम है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ बातों में नयापन लाने की जरूरत है। यह जरूरी है। बहुत से बच्चे अनाथ छोड़ दिये जाते हैं, बहुत से अनाथालय में सीधे ही मां-बाप भर्ती करा देते हैं। अवैध बच्चा तो होता ही नहीं है, मैं नहीं कहती हूं लेकिन जो बच्चे छोड़ दिये जाते हैं, हर परिवार का कर्तव्य है कि वह उनको लेकर पाले। उनको मां भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा। जिनके बच्चे हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो एक बच्चा पालें और समाज का उत्तरदायित्व वहन करें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बात करके अगर कोई पुरस्कार की योजना भी आप संचालित करे तो बहुत अच्छा रहेगा, यह मेरा आपसे आग्रह है।

मेरा छात्राओं के सम्बन्ध में यह आग्रह है कि छात्रावास बहुत कम हैं, नगण्य हैं। लड़कियां भी बाहर पढ़ने जाती हैं। केवल लड़कों के छात्रावास हैं, लड़कियों के छात्रावास बहुत कम हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप पूरे जिले में छात्रावास बनवाएं ताकि वहां की लड़कियां पढ़ सकें। इसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। कामकाजी महिलाओं को अकेले रहने में बड़ी दिक्कत आती है, मेरा सुझाव है कि जयपुर में विधायक निवास एक संस्था है वह ताज होटल को देने की बात कभी चली होगी, वह नहीं देनी चाहिए बल्कि कामकाजी महिलाओं के लिए वहां जो 80 कमरें हैं उनको दे दिये जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा हित होगा। वहां पर इतनी बड़ी जगह खाली पड़ी हैं, इससे भी ज्यादा और कमरों का निर्माण करा कर आप कामकाजी महिलाओं को उपलब्ध कराइये। यह मेरे आपको कुछ सुझाव हैं।

सामूहिक विवाह करने के सम्बन्ध में, अन्तरजातीय विवाह करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने जनता से जुड़ कर जिस प्रकार की यहां घोषणा ही नहीं, की बल्कि राशि भी उपलब्ध करायी है उससे प्रोत्साहित होकर अनेकों समाज के लोगों ने इन कार्यों को किया है। यह राशि अब कम पड़ने लगी है, इसके लिए आप और प्रावधान कराइये। हम सब लोग मिलकर सामूहिक विवाह के रूप में विवाह के लिए लोगों को प्रेरित करें, जिससे यह दहेज सम्बन्धी जो दाग है एक तो वह हट जाए, दूसरा लड़कियां अपमानित होने से बच जाएं। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रकार से समाज के इस वर्ग का आप ध्यान रखते हुए उन्हें उत्पीड़न से बचाने के

( श्रीमती उजला अरोड़ा )

लिए, उनका समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए इस कार्य को निश्चित रूप से करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि विकलांग, बधिर और अस्थिबाधित जो बच्चे हैं उनके सम्बन्ध में यहां पर एक विद्यालय है, अन्य जगहों पर भी और विद्यालय खुलने चाहिए ताकि वह पढ़ सकें, उनको रोजगार प्राप्त हो सके। यदि यह वर्ग अपने पैरों पर खड़ा होगा तो कोई इनका अपमान नहीं कर पाएगा। रोजगार की स्थिति में आपको निश्चित रूप से कुछ व्यवस्थाएं और करनी पड़ेंगी। इन वर्गों को आप रोजगार देने के लिए अवश्य कार्य करेंगे।

मैंने तो यह थोड़े से कुछ सुझाव दिये हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उन्हें मैंने दोहराया नहीं है केवल उनमें मेरे कुछ सुझाव दिये हैं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरे इन सुझावों को मानते हुए आप कार्य करेंगे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय अमराराम जी चौधरी।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्षजी, मैं संक्षेप में ही मेरे क्षेत्र की बात कहूंगा क्योंकि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने कुछ दिनों पहले जोधपुर संभाग की मीटिंग बुलाकर सारी विस्तृत जानकारी ले ली थी। मैं तो खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लूणी नदी पर जो पुल है उसका शिलान्यास करीबन 12-13 साल पहले हुआ था और उस पुल के बाईपास का जो रास्ता था उस पर करीब 10 लाख रुपये लग चुके हैं, वहां पर कुछ लोगों ने एन्क्रोचमेंट कर लिये थे, उन एन्क्रोचमेंट के लिए लैंड एक्वीजिशन मजिस्ट्रेट ने मुआवजा तय करके लैंड अवाप्ति के नोटिस उनको दे दिये हैं लेकिन वे लोग हाई कोर्ट चले गये क्योंकि दो-दो, तीन-तीन मंजिल के मकान बना दिये हैं। पुल के निर्माण के बारे में याचिका के जरिये, ध्यान आकर्षण के जरिये, कई बार मैं इस हाउस में निवेदन कर चुका हूं और आप खुद ही इस बात को महसूस करते हैं कि यह पुल होना चाहिए। मेरा यह नम्र निवेदन है मंत्री महोदय से कि यह पुल बड़ा पुल नहीं बने तो 20 फीट की हाइट का तो कम से कम सब्मर्सिबल पुल को जरूर बनाएं। इसके अन्दर यदि धन के सम्बन्ध में बात है तो कुछ कांट्रिब्यूशन म्यूनिसिपैलिटी देगी, इण्डस्ट्रियल टाउन है तो कुछ रीको को करना चाहिए और कुछ नाकोड़ा का बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है वहां आप टोल टैक्स लगा दीजिए, उससे आप की वसूली हो जाएगी और सिवाना वाले, जालौर वाले अपना कांट्रिब्यूशन करके मदद करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके लिए भी यह लाभदायक है। यह पुल सामरिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से

(श्री अमराराम चौधरी)

वहुत ही महत्वपूर्ण है। लूणी नदी में पानी आता है, जव महीने-महीने, दो-दो महीने रास्ते वंद रहते हैं, उस तरफ जो वहुत वड़े-बड़े गांव हैं, उन लोगों को वालोतरा शहर में आना पड़ता है और अब बालोतरा भी दो भागों में वंट गया है। कालेज उस तरफ आ गयी है, हाउसिंग बोर्ड इस तरफ है और हमारी आई.टी.आई. कालेज वहां है, आदर्श स्कूल वहां है, गवर्नमेंट के काफी आफिसेज भी वहां हो जाएंगे, ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुल का निर्माण आपके समय में हो जाए। तो आपको बालोतरा की जनता हमेशा-हमेशा याद करेगी और सरकार का नाम इतिहास में अमर रहेगा।

माननीय मंत्रीजी, सड़कों के बारे में तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया। आपके पास सारी लिस्टें हैं। आपने इंजीनियर्स को कह दिया और उन्होंने लिस्टें तैयार कर दी हैं लेकिन एक-दो सड़क वाकी रह गयी थीं। एक पीपलिया महादेव है जहां दो-तीन किलोमीटर तो कृषि मंडी से रोड वन चुकी है और आगे पांच किलोमीटर मेरी सरहद में है और दो किलोमीटर हमारे यहां कान्त साहब वैठे हैं, उनकी सरहद में है। उस महादेव के मंदिर तक ग्रेवल रोड बनी हुई है, आप डामर रोड बना दें। यह आम जनता की मांग है। एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान सड़क से जुड़ जाएगा। लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी।

खेड़ रोड के बारे में मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने उसको पेवर रोड बना दिया, उससे चौड़ा करवा दिया। आठ किलोमीटर आपकी पेवर रोड बनी है और चौड़ाई बढ़ी है उसकी। यह हमारे बालोतरा और बाड़मेर के लिए वीस किलोमीटर की दूरी कम कर दी। हमें तो पचपदरा से घुमकर वांधुड़ी होकर जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट खेड़ और खेड़ से वाछुड़ी चले जाते हैं तो बीस किलोमीटर बालोतरा वालों के लिए वाड़मेर नजदीक हो गया और बाड़मेर वालों के लिए बालोतरा नजदीक हो गया। खेड़ के आगे जो आपकी रोड है वह थोड़ी टूटी-फूटी है उसको भी चौड़ी करने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। वहां से रोडवेज की बसें शुरू हो गयी हैं, शाम की बस बाड़मेर से रवाना होती है वह खेड़ होकर बालोतरा आती है और फिर जयपुर के लिए रवाना होती है। इस अधूरी पड़ी सड़क को पूरी बनावें एवं चौड़ी करवाएं।

इसके अलावा एक छोटी-सी रोड जो दो किलोमीटर की है, वह खेड बालोतरा बाछुड़ी सड़क से तिलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास अप्रोच सड़क है, थान मलिनाथजी की। थान मलिथानजी एक ऐतिहासिक पैलेस है जहां हर साल विश्व का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। सिर्फ दो किलोमीटर सड़क है, डामर रोड बनानी है अप्रोच सड़क के लिए, यह धार्मिक स्थान है और पूरे हिन्दुस्तान के लोग मवेशी बेचने-खरीदने के लिए आते हैं, उस मंदिर

( श्री अमराराम चौधरी )

में दर्शनों के लिए जाते हैं। यह मालानी मलिनाथ जी के नाम से कहलाती है। यह बालोतरा के पश्चिम साइड में है। वहां मलिनाथ जी मंदिर के लिए दो किलोमीटर की डामर रोड बन जाए तो यह धार्मिक स्थान जुड़ जाएगा।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत वर्षों से बालोतरा में आपका समाज कल्याण छात्रावास है, पाटौदी में समाज कल्याण छात्रावास का भवन करीब-करीब बनने पर है। उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन बालोतरा के अंदर कल्याण छात्रावास तीस साल पुराना होने के बावजूद अभी तक किराये के भवन में चल रहा है। मकान मालिक हमेशा छात्रों को तंग करते हैं, लड़ते हैं, अदालतों में जाते हैं। एक मकान छोड़ते हैं, दूसरा दिलाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस साल के अंदर इस बजट के अंदर समाज कल्याण छात्रावास, जो सबसे पुराना है, जहाँ करीब 50-60 छात्र हमेशा पढ़ते हैं, भवन निर्माण के लिए आप प्रावधान रख दें। मैं तो कल्याणपुरा हायर सैकण्डरी स्कूल के लिए समाज कल्याण छात्रावास की मांग कर रहा था लेकिन आपने मुझे यह करवाया था कि भवन के बारे में आप कह देना इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ।

सड़कों के बारे में निवेदन करूं पंचायत हैड क्वार्टर सड़कों से जुड़ रहे हैं, काफी काम हो रहा है उसके लिए मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

**श्री मदन दिलावर** ( राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय सदस्य, आप जमीन उपलब्ध करवा दें।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : जमीन उपलब्ध हो जाएगी। आप भवन के लिए पैसे की स्वीकृति आज दे दें। जमीन हम म्यूनिसिपैलिटी से किसी भी सूरत में दिलाने का प्रयास करेंगे।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : लड़कियों का छात्रावास सिवाना में बन रहा है।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : म्यूनिसिपैलिटी आपको जमीन दे देगी। आप तो हर सूरत में यहां घोषणा कर दें कि भवन बन जाएगा जमीन उपलब्ध हुई तो। यह आप कंडीशन लगवा दें।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : एस. सी. को एस. टी. में कन्वर्ट करो ।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री रामरिछपाल जी।

**श्री रामरिछपाल नुवाल** (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सार्वजिनक निर्माण मंत्रीजी को

( श्री रामरिछपाल नुवाल )

धन्यवाद दूंगा कि भीलवाड़ा जिले में ___ (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब आपको तो ज्यादा कहना ही नहीं है। शहरों में तो ज्यादा सड़कें चाहिए ही नहीं ।

**श्री रामरिछपाल नुवाल** : आपने वजट दिया है इसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं । परन्तु दो तीन विषयों पर मैं बार-बार उनसे मिलता रहता हूं, बार-बार निवेदन करता रहता हूं। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है। चारों तरफ काफी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं । वहां पर मजदूर लोग साइकिल और स्कूटरों से आते हैं। चारों साइड में नगर परिषद के चुंगी नाके हैं । मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि वहां पर डिवाइडर बनवा दीजिए। इससे जो फ्रन्ट के एक्सीडेन्ट होते हैं वह एक्सीडेन्ट नहीं होंगे और जान-माल की रक्षा हो पाएगी। अगर, मान लो, बजट में कमी है तो बजट जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट के अंदर जैसे इधर से हमीरगढ़ है, इधर से मांडल तक है, इधर से सिवाना है और इधर से पुर तक है, काफी जगह तो डिवाइडर वने हुए हैं, दोनों तरफ की पटरियों को डेढ़-डेढ़ या दो-दो मीटर चौड़ी कर देंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे जनता को काफी बड़ी राहत मिलेगी।

दूसर, मेरा निवेदन है बाई-पास की जो चर्चा चल रही थी, भीलवाड़ा 24 किलोमीटर के बाई-पास के लिए एक बार टेण्डर भी हो गये थे, बीच में काम रुक गया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह टेण्डर कब प्रारम्भ होंगे और बाई-पास का कार्य कब प्रारम्भ हो जएगा और कब समाप्त हो जाएगा ? कृपया यह वताने का कष्ट करें।

मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं कि अभी जैसे पूर्व सदस्यों ने वताया था कि डामर की वड़ी कमी है, गिट्टी रोड बन जाती है, डामर नहीं मिल पाता है इसके बिना सारे काम अधूरे रह जाते हैं । इसलिए जहां गिट्टी रोड के टेण्डर हो गये वहां डामर की व्यवस्था भी आप तुरन्त कराइये।

भीलवाड़ा के दोनों तरफ दो बड़ी नदियां हैं। एक तरफ बनास नदी है, दूसरी तरफ कोठारी नदी है। दोनों पहले की बनी हुई थी। वहां चौड़ाई बहुत कम है, नेशनल हाई-वे रूट हैं, आपसे निवेदन है कि इनकी चौडाई भी इतनी बढ़ायी जाये जिससे डिवाइडर का काम कर सकें। आए दिन वहां पर जबरदस्त एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए बीच में डिवाइडर बनाएं। दोनों नदियां भीलवाड़ा के नजदीक हैं और नेशनल हाई-वे रूट पर हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि नदी का पुल चौड़ा किया जाए इससे जनता को काफी राहत मिलेगी।

( श्री रामरिछपाल नुवाल )

ठेकेदारों के फाइनल बिलों के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था। सवा सौ के करीब ठेकेदारों के फाइनल बिलों का पेमेण्ट आज तक भी बाकी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप इतने सक्षन मंत्री है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर जितनी धाक आपकी है, उतनी किसी की नहीं है, इन ठेकेदारों की गलती कहां है ? तीन-तीन, चार-चार साल से इनके बिलों का पेमेण्ट बाकी है। इन बिलों का पेमेण्ट तुरन्त कराइये जिससे ठेकेदारों को राहत मिल सके।

मैंने यह भी देखा है कि टेण्डर रेट में बड़ा अन्तर होता है। सेम वर्क के टेण्डर रेट में एक टेण्डर 15 पर्सेण्ट बिलों और वही टेण्डर 6 पर्सेण्ट अबव (Above) या 10 पर्सेण्ट अबव हो जाता है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ बातें मैंने पत्र के द्वारा भी आपसे निवेदन की थी यहां एक ठेकेदार को टेण्डर दिया एक लाख रुपये का, एक लाख रुपये के टेण्डर के बाद में तीस हजार का माल उनसे सपलाई करवाया गया, बगैर आदेश उसको कैन्सिल कर दिया। उस ठेकेदार को कोई पत्र नहीं लिखा गया, उसके ऊपर कोई पैनेल्टी नहीं लगायी गयी और वही टेण्डर अबव रेट के अंदर, उसका टेण्डर 15 पर्सेण्ट बिलों या 16 पर्सेण्ट बिलो था वही कार्य दूसरे ठेकेदार को 6 पर्सेण्ट अबव में दिया है। मेरा निवेदन है, कृपया ऐसे अधिकारियों की जांच कराएं और उनको निलम्बित करने का काम करिये। उनको आदेश करें कि इस ढंग का काम नहीं करें।

मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री भंवरसिंह जी।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में मैं समाज कल्याण मंत्री व निदेशक महोदय, दोनों को धन्यवाद देता हूं कि गत वर्ष मेरे क्षेत्र में रियाबंडी में एक होस्टल की स्वीकृति दी। साथ ही प्रार्थना करता हूं और आश्वासन देता हुआ प्रार्थना करता हूं कि भूमि हम उपलब्ध करायेंगे दोनों के लिए, आप मेड़ता और रियाबंदी के होस्टलों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

मांग संख्या 21 के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मेरे निर्वाचित होते ही इन्होंने एक खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग का दिया और उससे सड़कों के निर्माण में गति आई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्य कार्यों में गति आई। प्रार्थना यह करता हूं कि अजमेर से बीकानेर जाने वाली सड़क यद्यपि धीरे-धीरे चौड़ी की जा रही है, कुछ हिस्से में पेवर का भी काम हुआ है, इसमें कुछ गति लायी जाए तो अच्छा रहेगा।

( श्री भंवरसिंह डांगावास )

दो बाईपास इस सड़क पर अति आवश्यक हैं जो पहले भी मैंने निवेदन किया था, पहला तो भण्डाना और दूसरा मूंडवा। ये दो बाईपास इस वर्ष स्वीकृत करने की कृपा करें। मंत्री महोदय, मैंने स्वयं एस्टीमेट के साथ आपने प्रार्थना की थी कि मेरे यहां पर तीन धार्मिक स्थान भंवालमाता, मेड़ता में बजरंगबली का मन्दिर और हिरणखुरी में हरिदासजी का स्थान है। ये छोटे-छोटे टुकड़े हैं इनको स्वीकृत करने की कृपा करें। एक स्थान डेगाना विधान सभा क्षेत्र में जन्मेजेय महाराज का है वह आचोछाई गांव के पास है। यहां पर दक्षिण भारत से भी यात्री आते हैं। कृपया ये चारों धार्मिक स्थान जुड़वाने की कृपा करें। धन्यवाद, आपने समय दिया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (राज्य मंत्री,चिकित्सा) : चूरू का ध्यान रखना।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को कि उन्होंने मेरी मांग के संदर्भ में बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं, अपनी आवश्यकताएं रखी हैं, अपनी मांगें रखी हैं। तेइस माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और तिरेसठ कट मोशंस इस मांग के विषय में मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने इतने अच्छे सुझाव रखें, को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो राजस्थान के प्रांगण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कदम बढ़े हैं, उसकी एक रीति-नीति बनी है और नीति के अनुसार प्रदेश में विकास के कार्य सम्पन्न हुए हैं इसके लिए उन्होंने राजस्थान सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को धन्यवाद दिया है। मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते उन माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, उनका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सच है कि काफी कुछ काम हुआ है किन्तु बहुत कुछ काम होना बाकी है। मैं अलवर जिले के थानागाजी से आने वाली माननीय सदस्य की इस बात से सहमति प्रकट करता हूं कि जो उन्होंने स्टेटिस्टिक्स देश के सन्दर्भ को लेकर राजस्थान प्रदेश की दृष्टि से यहां रखे। वह सब बातें कई दृष्टियों से बिलकुल ठीक हैं किन्तु यह बात भी सत्य है कि पांच साल पूर्व में जो सड़कों की स्थिति, जो सड़कों का विस्तार, राजस्थान के सारे गांवों में से सड़कों से जुड़ने वाले गांव जो हमको विरासत में मिले थे, आखिर हाथ पर तो राई उगाई नहीं जा सकती और इसलिए आज उस सन्दर्भ में हम शेष प्रगतिशील प्रदेशों का मुकाबला राजस्थान प्रदेश से करेंगे तो वर्तमान सरकार के साथ वह किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होगा, ऐसा मेरा निश्चित रूप से मानना है। वह अपनी बात को कहते

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हुए इस बात को बताते कि हम कहां से चले थे, हम कहां पहुंच गये इन पांच वर्षों में। वैसे तो छः वर्ष हैं किन्तु एक वर्ष पर अपना कब्जा नहीं था, कुछ करने की स्थिति में भी हम उस समय नहीं थे। किन्तु पांच वर्षों के कार्यकाल में राजस्थान की दृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विशेषकर सड़कों और पुलों के निर्माण में, जिसकी आज मांग की गयी है, की दृष्टि से एक बहुत अच्छी प्रगति की है और इस बात की चर्चा शायद थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य से लेकर सभी माननीय सदस्यों ने की है, पी.डब्ल्यू.डी. के काम की भूरि-भूरि प्रशंसा की है इसलिए फिर उनको अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तार से क्या विरासत में मिला था मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि समय बहुत हो जाएगा और पुराने समय में जब-जब मुझे इस बहस का उत्तर देने का मौका मिला, मैंने उन बातों को विस्तार से सदन के समक्ष रखा है। मैं तो आज यही कहना चाहता हूं कि एक हमारे मन की इच्छा है और वर्तमान सरकार ने सड़क और पुल के निर्माण की दृष्टि से उसी प्रकार की नीति बनायी, नीति केवल कागजों में नहीं बनायी, कागजों तक सीमित नहीं रखी। उस नीति को साकार करने के लिए जमीन पर, प्रबल राजनीतिक इच्छा को लेकर, पी.डब्ल्यू.डी. प्रबल प्रशासनिक क्षमता को लेकर उस काम को पूरा करेगा और उसी प्रकार का प्रदर्शन हमने पिछले पांच वर्षों में अपने कार्यकाल में किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि चार बातों का विचार हमने इसमें किया है। नम्बर- एक, सड़कों का विस्तार हो। नम्बर - दो, गुणवत्ता का निर्माण हो। समयबद्धता हो नम्बर तीन। मितव्ययता हो नम्बर - 4। इन चारों ध्येय वाक्यों को लेकर (व्यवधान) वह समयबद्धता में आ गया। पर मैं जानता हूं जो पुरानी आदत काम करने की ठेकेदारों की पड़ी हुई है और जिसकी कुछ चर्चा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी की थी, कुछ और माननीय सदस्यों ने भी की है, सारा काबू तो हमारा उन पर चलता नहीं है, किन्तु शनैः शनैः नियमों का निर्माण करके हम इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को भी सुन रहे हैं और उनका जो पुराना स्वभाव लगातार बना हुआ है, उस स्वभाव में परिवर्तन लाकर इन चारों ध्येय वाक्यों के अनुसार जो काम हमको करना है उस को करने के लिए इस नाते लगातार लगे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के विस्तार की चर्चा मैंने आपसे की, जिसकी आज डिमांड है, सड़क नीति बनायी उसको

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

ठीक रूप से परिभाषित करने के लिए एक दस सूत्री कार्यक्रम हमने अपने विभाग के सभी अधिकारियों के समक्ष रखा है। 1971 की एक हजार की आबादी के सारे गांव 31 मार्च, 1997 को जो वर्ष समाप्त होने वाला है, तब तक हम समाप्त कर देंगे। 1991 की एक हजार की आबादी के गांव नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, हमने सड़क नीति में कहा है कि उनको भी हम नवीं पंचवर्षीय योजना यानि 31 मार्च, 2002 तक जोड़ना चाहते हैं। किन्तु मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि थोड़ा सा इस समय को छोटा करें, 2000 तक ही रखें, 2002 तक मत जाइये। 31 मार्च, 2000 तक ही 1991 की एक हजार की आबादी के प्रत्येक गांव को डामर की सड़क से जोड़ने की योजना है उस नाते से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया है ताकि जब 2001 में हम प्रवेश करें, इक्कीसवीं सदी में हम प्रवेश करें उस समय 2001 होने के कारण जो नयी सेंसस 2001 की होगी नीति बनाते समय 2001 की एक हजार की आबादी की चर्चा करने का ठान, विचार हमारे मन में आ जाए। इसलिए मैं दो साल इसमें से शार्ट करना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि हमारे अधिकारी इस बात को निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

तीसरे सूत्र के नाते पंचायत मुख्यालय को आठवीं योजना के अन्त, यानि 31 मार्च, 1997 तक हम किसी न किसी प्रकार की सड़क से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। बी.टी. हो, मैटल हो, ग्रेवल हो पर मन की इच्छा यही है कि नवीं पंचवर्षीय योजना जिसका जिक्र हमने सड़क नीति में किया है यानि 31 मार्च, 2002 तक इन सारे पंचायत मुख्यालयों को भी हम डामर की सड़क से जोड़ देंगे।

चौथे सूत्र के रूप में यह एक हजार की आबादी का जो हमने तय किया है मरू क्षेत्र में और जनजाति क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में इस आबादी को घटाकर हम साढ़े सात सौ रखना चाहते हैं। यानि इन क्षेत्रों में, जनजाति के क्षेत्रों में और मरू क्षेत्रों में जो हम 1971 की एक हजार की, 1991 की एक हजार की बात कर रहे हैं उसको करने की दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे।

पांचवें सूत्र के रूप में जो अन्तरराज्यीय मार्ग हैं, हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इन सबसे मिलता है, आवागमन का सीधा-साधा साधन बाहर के प्रदेशों में हो जाए, हम प्रमुखता से इनको भी पूरा करना चाहते हैं।

छठे सूत्र के रूप में माननीय सदस्यों ने जिसकी बहुत अधिक चर्चा की है सड़क तो बन गयी है किन्तु सी.डी. वर्क्स नहीं है, यह बात सच है, प्रायोरिटी के नाते हमने इस बात को भी तय किया है कि जैसे-जैसे धन की उपलब्धि होती चली जाएगी उसमें सी.डी. वर्क्स को भी प्रमुखता हम देंगे।

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सातवें सूत्र में देवस्थान जो तीन किलोमीटर तक है, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, प्रसिद्ध मेले ठेले के स्थान, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, पिछले तीन वर्षों में हमने इस प्रकार के 70 स्थानों को जोड़ा है। किन्तु मांग इतनी बढ़ने लगी हैं, अब इतनी मांग आने लगी है, अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी अपनी -अपनी बातों को रखते हुए, इसलिए बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। मन की इच्छा थी कि इसको चार किलोमीटर कर दूं। किन्तु जितनी मांग अभी आई क्योंकि इस बार का वर्ष कन्सोलिडेशन का वर्ष है, नये कामों की सैंक्शन जरा कम निकलेगी, क्योंकि प्री प्लानिंग किया है, हमने पहले से प्लानिंग कर ली है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, इसी नाते से आठवें सूत्र में हमारी योजना में आने वाली जो-जो भी सड़कें ग्रेवल की या मैटल की हो गयी हैं उनका डामरीकरण और उसमें यह भी बात ध्यान में रखूंगा कि योजना नहीं होगी, योजना में नहीं आई होगी, रीति-नीति में नहीं आई होगी किन्तु जहां-जहां भी मैटल की सड़कें बन गयी हैं उनका निश्चित रूप से डामरीकरण कर देना है।

कई माननीय सदस्यों ने चर्चा करते समय यह बात भी कही थी कि आपकी सड़क तो बन गयी, टूट-फूट हो गयी, चार महीने से पड़ी है, एक साल से पड़ी है। पिछला एक वर्ष डामर की दृष्टि से हमारे लिए बहुत कठिनाई का वर्ष था। केवल राजस्थान के लिए ही नहीं था, सारे देश के लिए था। कितनी कठिनाई हुई है हमको। एक और वर्षा से उखड़ी हुई सड़कों की मरम्मत हम नहीं कर सके डामर के कारण पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष, किन्तु मुझे कहते हुए हर्ष है आज कि अब धीरे-धीरे नकद पैसा जो राजस्थान सरकार बड़ी मेहनत से हमको लगातार दे रही है, उसके आधार पर हम डामर ला रहे हैं और अब डामर की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही है।

नवें सूत्र के रूप में जो मिसिंग लिंक्स हैं, बहुत मिसिंग लिंक्स की चर्चा यहां की गयी है और जिसमें यह कहा गया है कि यह बनाने से कई किलोमीटर शार्ट हो जाएंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सच है किन्तु प्रायोरिटी के नाते जब मैं सोचने बैठता हूं कि चार किलोमीटर बनाकर रास्ता कम करने के बजाय अगर तीन पंचायत केन्द्र और तीन एक हजार की आबादी के गांव जोड़ने हों तो किसको प्रमुखता दूं, साधन तो सीमित हैं, इसलिए नवीं प्रायोरिटी के रूप में मिसिंग लिंक्स को रखने का हमने तय किया है।

दसवीं प्रायोरिटी के रूप में जो राजकीय उच्च मार्ग हैं एवं मुख्य जिले हैं, सड़कों को चौड़ा करने की प्रक्रिया है, इन सब कामों को विस्तार की दृष्टि से रखने का हमने तय किया है।

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा की थी विजयनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, उन्होंने कहा था कि हम यह सोचते थे कि इस बार का वर्ष सड़कों का वर्ष होगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया। एक वर्ष था चिकित्सा का वर्ष। चिकित्सा के प्रोत्साहन की दृष्टि से हमने कोशिश की थी। एक वर्ष था शिक्षा का वर्ष। शिक्षा को प्रगति देने के लिए हमने कोशिश की थी। तीसरा वर्ष था पीने के पानी का वर्ष। इस बार चौथे के रूप में मेरे भी मन की इच्छा थी किन्तु जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं मिलने के लिए गया और मैंने उनसे चर्चा की कि आज इस नाते से विचार करने के लिए चौथी प्रायोरिटी के रूप में आना चाहिए, उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है किन्तु मेरी एक बात का जवाब दो, एक ओर सड़क बनेगी यह तो निर्जीव है, इसको प्रायोरिटी दी जा सकती है किन्तु दूसरी ओर कमजोर तबके के लोगों को प्रोत्साहन देने की बात है, महिलाओं को देने की बात है, वह प्रमुख है या आपकी सड़क प्रमुख है? मैंने बात मान ली और आज यह वर्तमान बजट समर्पित किया गया है समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय को जिन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। किन्तु आज मैं कहना चाहता हूं बहुत अच्छा हुआ, अगला वर्ष चुनाव का वर्ष भी है और सारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सड़कें बहुत आवश्यक हैं, सब लोगों ने चर्चा की है इस बात की—

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** अगर आप नहीं मानते तो क्या होता ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** मनाता उनको भी, अब ऐसी गलत बात कैसे मान सकता हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** यह अगर नहीं मानते तो मैं मान लेता।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** सच बात है यह निश्चित रूप से, क्योंकि यह विषय उठाया था कोगटाजी ने इसलिए इस बात को कहने की मैंने भूमिका इसलिए रखी कि निश्चित रूप से आज महिलाओं की अवस्था, कमजोर तबके की अवस्था, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की अवस्था जो है, जिसके बारे में उत्तर देंगे वहां के माननीय मंत्री महोदय और सौभाग्य से एक ऐसा दिन आया है जब दोनों मांगों की चर्चा आज एक ही दिन हो रही है, इसलिए मैं कोगटाजी से निवेदन करना चाहता था, विजय नगर से आने वाले माननीय सदस्य से कि राजस्थान सरकार ने बड़ी दूर दृष्टि रखकर इस कमजोर तबके को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस वर्ष को रखा है और अब अगला वर्ष चुनाव का वर्ष है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में सड़कें भी आवश्यक हैं, मेरा विश्वास है सड़कों का वर्ष अगला वर्ष निश्चित रूप से होगा। ऐसा मेरा निवेदन है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : बिजली के लिए भी एक वर्ष देना पड़ेगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : बिजली और इन दोनों को देना पड़ेगा तो एक साल की अवधि विधान सभा की और बढ़ा देंगे।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, विस्तार की दृष्टि से कुछ चर्चा और माननीय सदस्यों के उठाये हुए कुछ सवालों का उत्तर देने की मैंने कोशिश की। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मांगे यहां रखी गयी हैं, कई सड़कों की चर्चा की गयी है, मेरा नम्र निवेदन है माननीय सदस्यों को कि इस सारी प्रोसीडिंग्स को मैं अपने विभाग के अधिकारियों के पास भेजूंगा और प्रत्येक एडिशनल चीफ इंजीनियर अपने-अपने क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा की गयी चर्चा को निश्चित रूप से नोट करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। जो काम करने वाले हैं, वह काम करेंगे (व्यवधान) उनके भी कागज आते जाते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है सारे काम एक साथ पूरे नहीं होते। अब कैसी भूमिका बन रही है ? अगर मैं राजस्थान प्रदेश की स्थिति को आज थोड़े शब्दों में बताऊं, मांग तो बहुत है, मांग वाजिब भी है, मेरी उनके साथ सहमति है किन्तु क्या करेंगे हम ? प्रारम्भ में जब हमारी सरकार आई थी राजस्थान में केवल 10 हजार 9 सौ गांव जुड़े हुए थे। उस समय राजस्थान के पूरे गांव 33 हजार के लगभग थे, पांच सालों में आज बढ़कर वह 37 हजार से ऊपर हो गये। केवल 10910 गांव सड़कों से जुड़े थे पिछले 100 वर्षों में जिसमें कांग्रेस का राज भी आ गया, जिसमें अंग्रेजों का राज भी आ गया उससे पहले और कोई राज होगा वह भी आ गया। मैं कहना चाहता हूं इन पांच सालों में मार्च, 97 में जब हम मिल रहे हैं, आज 19710 गांव सड़कों से जुड़ गये हैं। बढ़ोतरी हो गयी है 9 हजार गांवों की, एज कम्पेयर टू 11000 विलेजेज। यह कोशिश तो है किन्तु इस कोशिश में अगर कोई माननीय सदस्य चाहे कि मेरी प्रत्येक मांग स्वीकार करके सड़क जुड़ जाए, तो यह किसी दृष्टि से सम्भव नहीं है। हमको यह सोचना होगा कि हमारी नीयत तो ठीक है। नीति बना ली, नीयत साफ है। नीति को कार्यान्वित करने की मन में प्रबल इच्छा है। उसी नाते से लगातार प्रशासनिक दबाव बना कर करने की इच्छा भी है जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने यहां पर की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मांग उचित है, पूरी होगी, इस नाते से कदम बढ़ रहे हैं। अगर पांच साल की अवधि में 9 हजार गांवों को जोड़ सकते हैं तो यह जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी इस प्रकार की इच्छा देखते हुए निश्चित रूप से 37 हजार जो गांव हैं उनको जोड़ेंगे, वह इसी नीति में से प्रकट होता चला जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तार के साथ साथ दूसरी चर्चा मैंने, जैसे की गुणवत्ता की दृष्टि से, मैं जानता हूं बहुत कठिन काम है। सुधार हुआ है जिसकी चर्चा की गयी है। समयबद्धता की दृष्टि से चर्चा हुई। मैं कहना चाहता हूं अगर यह मैं आपके सामने सारी बातें रखने की कोशिश करूं, मैं पहली चर्चा करना चाहता हूं, जो बहुत कठिन बात है या बहुत आवश्यक बात है, बाईपासेज की। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है। केवल बाईपास बनाने का ही विचार हमने नहीं किया, समयबद्धता उसमें प्रकट की। मैं राजस्थान के जयपुर की चर्चा सबसे पहले करना चाहता हूं क्योंकि राजधानी है यह। चर्चा की थी आने वाली माननीय सदस्या ने इस नाते से, हरमाड़ा से चंदबाजी तक जो जोन 'डी' है, इस जोन 'डी' में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि काम इतनी तेजी से किया है कि यह 30 अप्रेल, 1997 का दिन होगा आज के एक महीने और कुछ दिन के बाद, जब जोन 'डी' की सारी की सारी सड़क, जिसको जोन 'डी' बाईपास कहते हैं, जयपुर की बाईपास के नाते से पूरी कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जोन "सी" और है, हरमाड़ा से लेकर हीरापुरा तक। दिल्ली से आने वाले सारे व्हीकल्स वहां तो पहुंच जाएंगे सीकर सड़क पर जोन 'डी' में। जोन 'डी' और जोन 'सी' की जो लागत है, 29 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से यह दोनों बाईपास बन रहे हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, बी.ओ.टी. में हम गये थे, कोई व्यक्ति आया नहीं, किन्तु संस्थागत वित्त के आधार पर सीड मनी अपनी तरफ से देकर और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेकर इसी वर्ष 1997-98 में ही इसका कार्य हम प्रारम्भ कर रहे हैं। मैं तारीख बता रहा हूं कि समयबद्धता की दृष्टि से कि दिसम्बर, 1998 तक जोन 'सी' भी हम पूरा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी नाते से चर्चा की थी, भीलवाड़ा के उप मार्ग की। मैं कहना चाहता हूं कि इसी दृष्टि से हमने बी.ओ.टी. की कोशिश की थी किन्तु वे फेल हो गयी, आये नहीं व्यक्ति। अभी तक दिल नहीं खुला है। कुछ उनकी कठिनाइयां हैं जिनका हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्ट, आपरेट एण्ड ट्रांसफर की दृष्टि से, वैसे तो सौभाग्यशाली है कि राजस्थान कि हिन्दुस्तान के प्रांगण में यह पहला प्रदेश है, चर्चा तो बहुत हो रही है, दिल्ली में सेमीनार तो बहुत हो रही है, बहुत गोष्ठियां हो रही हैं, कई भाषण हो रहे हैं, केन्द्रीय मिनिस्टर साहब चर्चा करते हैं, वह कहते हैं कि केवल राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में बिल्ट, आपरेट एण्ड ट्रांसफर के माध्यम से केरोटी ब्रिज, जो 18 महीने में पूरा होने वाला था, 10 महीने में पूरा होकर टोल

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

टैक्स और अंदर वसूलियों पर काम प्रारम्भ हो गया है। अकेला नहीं है, दो और हैं। उदयपुर वाईपास की चर्चा करूंगा अभी आपसे। तीसरा पाली बाईपास 36 करोड़ रुपये का बिल्ट, आपरेट एण्ड ट्रांसफर का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था। मैं जानता हूं इसमें कठिनाई उपस्थित हो रही है, जो अपनी गांठ से पैसा लगाकर खुद बनाता है, बनाने के बाद मेंटीनेंस भी खुद करता है, टोल टैक्स से पैसा वसूल करता है, जिसकी राशि हमने तय कर रखी है, और अपने नियत समय के बाद हमको लौटाएगा। किन्तु बड़े-बड़े लोगों के सामने धर्म संकट आ गया है, क्योंकि फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन उनको उधार नहीं दे रहे, बैंक उधार नहीं दे रहे। राजस्थान की सरकार, राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग इस पर लगातार विचार कर रहा है। हम हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों में आगे तो बढ़ गये हैं किन्तु अभी बोटलनेक बाकी है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ कर कि ऐसी कैसी सहूलियत उनको दें ताकि बनाने वाले को फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से पैसा उधार मिल जाए और वह उस काम को कर सके। मेरा विश्वास है कि इस बात को भी हम हल कर लेंगे। मैं निवेदन कर रहा था भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की दृष्टि से, जो उप मार्ग की चर्चा उन्होंने की है; राजस्थान पुल निर्माण निगम द्वारा संस्थागत वित्त के माध्यम से इसी वर्ष में उसका काम होने की आशा है और वह भी दिसम्बर, 1998 तक पूरा कर दिया जाएगा।

तीसरी बात की चर्चा करना चाहता हूं मैं। जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने चर्चा की थी, राजेन्द्र गहलोत तो यहां भाषण करके नाम लिखाकर चले गये, मुझसे कह गये कि इस बात की चर्चा अवश्य करना मुझे कुछ आवश्यक काम है, मैं जा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जोधपुर उप मार्ग के लिये गत तीन वर्षों से लगातार प्रयत्न कर रहे थे भारत सरकार से पैसा मिलने का किन्तु उन्होंने हाथ झटक दिये। हम नाबार्ड योजना में चले गये और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जोधपुर पाली सड़क, जोधपुर बिलाड़ा सड़क से जोड़ें इसके लिए 378 लाख और 71 हजार रुपये की स्वीकृति हमको प्राप्त हो गयी है और यह कार्य भी दिसम्बर, 1998 तक पूरा हो जाएगा। जो दूसरी राजधानी है, सैकण्ड प्लेस है एज कम्पेयर्ड टू जयपुर, जिसके बाईपास का भी समयबद्ध कार्यक्रम हमने निश्चित कर लिया है।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य यद्यपि यहां नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) बीकानेर बाईपास का कार्य भी निर्माणाधीन है, चल रहा है और इस वर्ष 1997-98 में ही बीकानेर बाईपास का कार्य भी पूर्ण कर दिया जाएगा। बजट का ऐसा

212



(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रावधान किया है आगामी दो वर्ष जो हमारे सामने है हमारी टर्म के, सारे कंसोलिडेशन करते हुए हम सब कार्यों को पूर्ण कर सकें इस प्रकार की इच्छा लेकर समयबद्ध तरीके से करने की कोशिश है।

पाली बाईपास की चर्चा मैं आपसे कर रहा था, बी.ओ.टी. के आधार पर, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने केरोटी बनाया, पाली बाईपास भी बना रहे हैं वह, 10 करोड़ रुपये की लागत का बन रहा है और इसका समय तो लम्बा है किन्तु जून, 1998 में ही पाली बाई-पास भी पूर्ण हो जाएगा।

उदयपुर बाई-पास के बारे में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी। मैसर्स अटलांटा भी बी.ओ.टी. के आधार पर कार्य कर रहा है, 24 करोड़ रुपये का कार्य है और समय तो उनको बहुत लम्बा है किन्तु उन्होंने सूचना दी है कि जून, 1998 में इस उदयपुर-बाईपास का भी काम वह पूरा कर देंगे...(व्यवधान) वह भी आ रहे हैं।

**(19.00)**

जल्दी-जल्दी क्यों करते हो, आखिर सीमा है तो पहले बड़ा ही शहर ही होगा उसके बाद छोटे की बाई-पास की चर्चा आएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी, क्योंकि आप भी पधारे हैं उधर से, गंगापुर सिटी होकर इतनी सड़क क्रास करनी पड़ती है, बहुत बड़ी कठिनाई है, उसकी मांग बहुत समय से थी उसका कार्य निर्माणाधीन है और यह भी जून, 1998 तक हम पूरा करने वाले हैं।

कांकरोली बाईपास की माननीय सदस्य ने चर्चा की थी। इसको भी मार्च, 1998 तक पूरा कर देंगे। यह 5 करोड़ 89 लाख रुपये की योजना है।

श्रीमाधोपुर बाई-पास का कार्य भी निर्माणाधीन है और यह भी दिसम्बर, 1997 तक पूर्ण होने की आशा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उन बाईपासेज की चर्चा आपको समयबद्ध तरीके से की है कि जिनकी आवश्यकता शहरों की आबादी के कारण, भीड़भाड़ के कारण बहुत बड़े परिमाण में है। मैं जानता हूं, मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य और कई माननीय सदस्यों ने कई और बाईपासेज की चर्चा की है, वे इतने छोटे हैं जिनकी चर्चा मैं अभी नहीं कर सकता, किंतु जैसा मैंने कहा, जो बातें मैंने आज सुनी हैं उनको विभाग के अधिकारी देखेंगे, उसके एस्टीमेट्स बनाएंगे, हमारी किस प्रकार की स्थिति है उसमें उस नाते से उनको समायोजित करने का विचार करेंगे, इस समय मैं यही कह सकता हूं। ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** : कांकरोली को-

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आधा तो बनने दो। आधा तो बाकी रह गया।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय दिल्ली, जयपुर, जोधपुर सारे में घूम लिये, हमारे सिरोही की भी चर्चा करें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अभी आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी नाते समयबद्ध कार्यक्रम की दृष्टि से पुलों के निर्माण की चर्चा आपके माध्यम से सदन में करना चाहूंगा। मुझे याद है, बारां जिला बन गया है। शायद देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि कोई जिला किसी नदी के कारण चार महीने तक सारे राजस्थान से कट जाए। आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा, 1989 में तत्कालीन सरकार ने शिलान्यास कर दिया, क्या हुआ शिलान्यास का ? केवल मात्र 9 करोड़ 40 लाख रुपये का एस्टीमेट भी बना लिया और उसके लिए आवश्यकता है 23 करोड़ रुपये की। 18.48 करोड़ तो पुल के लिए और 5 करोड़ 23 लाख उसकी एप्रोचेज के लिए चाहिए थे। 23 करोड़ 48 लाख रुपया चाहिए। योजना बना दी, एस्टीमेट बना दिया 9 करोड़ का, तत्कालीन मुख्य मंत्री शिलान्यास करने चले गये, दिल्ली से भी किसी बड़े मंत्री को बुला लिया, शिलान्यास हो गया। यह क्या शिलान्यास की परम्परा है ? वर्तमान सरकार आई, हमने देखा क्या होगा बड़ी कठिनाई है, आधा रुपया है, दुगुना रुपया चाहिए। शिलान्यास का पत्थर लटक रहा है, क्या स्थिति है ?

अभी बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की। मेरी सहमति है, सहमति सिद्धान्त में है। बालोतरा नदी पर जो पुल बनने वाला है लूणी नदी का, सहमति है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। किन्तु आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जैसे ही मंत्री बना, मैं दौरे पर गया, वहां मैंने क्या देखा ? वह तो चर्चा कर रहे थे, कमरे से आने के बाद मैंने देखा कि एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर पर लिखा हुआ है, "लूणी नदी के पुल का शिलान्यास राजस्थान के श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया।" 1997 में मैं देख रहा हूं, मोहनलाल सुखाड़िया ने शिलान्यास किया। ऐसा ही नहीं, वह तो संगमरमर का पत्थर था, काला ग्रेनाइट का पत्थर और रखा हुआ था और उस पर क्या लिखा था ? "लूणी नदी के पुल का शिलान्यास राजस्थान के मुख्य मंत्री श्रीमान् शिवचरण माथुर ने 18 मार्च, 1984 को किया।" दो पत्थर रखे हुए हैं वहां। बड़ा डर लगता है कि बिना योजना बनाए ही तीसरा पत्थर कैसे धर दिया किन्तु सरकार की परम्परा ही ऐसी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ऐसा शिलान्यास कर दिया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** अध्यक्ष महोदय, जितने पुल राजस्थान में हैं उन सबके पत्थर इकट्ठे करा लें, एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ ललित किशोर चतुर्वेदी, इतने पत्थर लगे हुए हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** वह तो बनने के बाद हैं यह तो नहीं...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** पर लगे बनने के बाद।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान सरकार ने कमर कस ली। 9 करोड़ 40 लाख रुपये को भुलाकर 18.48 करोड़ की व्यवस्था की है। प्लान में नहीं था तो सीड मनी के आधार पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसा लिया, 5 करोड़ रुपया हमारे पास से दिया और आज यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पुल का काम पूरा हो गया। मैं उस क्षेत्र के मंत्री महोदय और बारां से आने वाले सम्माननीय विधायक को कहना चाहता हूं जून, 1997 तक उसके पूर्ण होने की संभावना है। हम इसको जून, 1997 तक पूरा करके चालू कर देंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** पहले पत्थर का क्या हुआ ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** वह तो शिलान्यास का था इसीलिए वह दुबारा किया नहीं उसी से काम चलाया और क्या करते? उसी के पास कन्नू नदी है। उस कन्नू नदी पर डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण चल रहा है और अप्रेल, 1997 तक वह भी पूरा होकर कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केरोटी पुल की चर्चा करना चाहता हूं मैं। चर्चा की थी मैंने। बी.ओ.टी. में पहला प्रोजेक्ट था। कमाल कर दिया, 18 महीने के बजाय 10 महीने में बन गया और 25 फरवरी, 1997 को लोकार्पण कर कार्य समाप्त हो गया और हिन्दुस्तान के नक्शे पर एक मिसाल बन गयी है। अब लोग समझने लगे कि जिसने अपना पैसा लगाया है, मेहनत से काम किया, पुल भी बन गया और उसके कारण क्या हुआ कि जो उनकी समय सीमा है, जिसमें टोल टैक्स वसूल करना है, उनको भी फायदा होगा और बी.ओ.टी की दृष्टि से सबको प्रोत्साहन भी होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सिरोही में बेस बनास का पुल का कार्य निर्धारित समय में ही पूरा कर दिया गया। मोरेल नदी जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, दौसा-लालसोट-सवाईमाधोपुर सड़क पर मोरेल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य भी दिसम्बर, 1997 में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंडार से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

चाहता हूं कि खंडार करणपुर मार्ग पर बनास नदी पर पुल की अच्छी प्रगति है और जून, 1998 तक इसके भी पूर्ण होने की संभावना है।

इसी प्रकार सवाई-माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सवाईमाधोपुर कोटा को जोड़ती है, खरेर के बालाजी के पास चम्बल नदी पर एक करोड़ रुपये की लागत से रपट बनायी गयी है, जिससे कोटा-सवाईमाधोपुर का सीधा सम्पर्क हो जाएगा। वह रिकार्ड समय में पूरी होकर इसी 31 मार्च, 1997 को उसका लोकार्पण हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं चर्चा करना चाहूं आपसे-

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : आपकी तारीख तय हुई है क्या ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : और हो रहा है काम...

**श्री अध्यक्ष** : तो उद्घाटन का पहले से ही तय कर लिया।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ ऐसा स्थान है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर जहां पानी बहुत अधिक बरसता है, कठिनाई पैदा होती है। एक पुल वहां बना हुआ है, चित्तौड़ नगर में। बड़ी कठिनाई होती थी। एक बार तो इसमें पानी आ गया था। उसकी अवधि भी पूर्ण हो गयी है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक दूसरे पुल के निर्माण की सैंक्शन हमने इसी बजट में कर दी है और वह काम भी अभी प्रारम्भ होने वाला है।

इसी प्रकार सांगोद के पास कालीसिंध नदी पर ढाई करोड़ रुपये की लागत का पुल भी जून, 1997 में पूरा हो जाएगा।

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 12 पर झालावाड़ से मध्य प्रदेश सीमा के बीच...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : हाड़ौती से बाहर निकलो, साहब।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : सारा बाहर ही तो निकला हुआ है। बनास, चम्बल की चर्चा की हमने।

**श्री अध्यक्ष** : मतलब चौमूं तक जाइये आप।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : क्योंकि वह नेशनल हाईवे है। हम दिल्ली के पास गये, दिल्ली वालों से चर्चा की, 'मोस्क' से चर्चा की और उन्होंने बड़ी कृपा करके इस पुल की भी सैंक्शन दी है और कालीसिंध के बीच का पाल, जिसकी लागत 6 करोड़ रुपये है, वह भी इसी वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ हो जायगा।

जालौर जिले के रानीवाड़ा - मंडार सड़क पर जैतपुरा और बड़गांव पुलों पर 4 करोड़ रुपये की लागत का निर्माण कार्य अच्छी प्रगति पर है और अगस्त, 1997 तक यह कार्य पूर्ण होने की पूरी संभावना है।

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय मंत्री महोदय, आप जानते हैं, ऐसी सीरियल लगी है लगातार सिरोही और जालौर जिलों में। इतना ही नहीं, हमने राजस्थान में सुरंग बनाने की नई बात भी तय की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहरोड़- अलवर सड़क पर जिन्दौली घाटी है, उस जिन्दौली घाटी में सुरंग बनाने का कान निर्माणाधीन है। संस्थागत वित्त से चल रहा है। 6 करोड़ रुपये की लागत है। इस पहले एक्सपेरीमेंट को राजस्थान की धरती पर हम करके इसको भी जून, 1998 तक निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा हमने तय किया है।

पुष्कर घाटी में आप जानते हैं कितनी कठिनाई होती थी। नीचे जिस प्रकार की स्थिति हमारी थी, उससे अधिक कठिन स्थिति पुष्कर घाटी पर है। अजमेर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पुष्कर प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। पुष्कर घाटी की सुरंग का कार्य भी 1997-98 में प्रारम्भ होगा, हमने सैंक्शन कर दी है उसकी 7 करोड़ की लागत से संपन्न होने की संभावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रींगस का भी वही किस्सा है, जो कालीसिन्ध का किस्सा था। उसकी आर.ओ.बी. वहां रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 पर बहुत कठिनाइयों को झेलते-झेलते आगे बढ़ते रहे। पता नहीं इसकी भी कब वो हुई थी। हमने तो अपना काम पूरा कर दिया है, जितना काम एप्रोचेज का था वह कर दिया है, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो रेलवे वालों की वजह से हो रही है। हमने उनसे निवेदन किया है, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके कहा है कि दिसम्बर, 1997 तक वह भी काम पूरा कर देंगे। तो रींगस जाते समय जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, घंटे-घंटे की आपको और हम सबको, उसको भी पूरा कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या चर्चा कर रही थीं, वहां भी दौरे पर गया था, तब माननीय सदस्या भी मेरे साथ थीं, जोधपुर में राई का बाग स्टेशन के पास रेल लाइन के नीचे सड़क पुल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है और उसे भी जून, 1998 तक निश्चित रूप से हम पूरा कर देंगे।

अजमेर नगर में जो मार्टिनड ब्रिज है, आप जाते हैं तो देखते होंगे जो बड़ी लाइन बन रही है रेल की, उसके कारण उसको ऊंचा करने का काम है। उसकी सैंक्शन भी इस बजट में हो गयी है। इस काम को भी हमने इस वर्ष में प्रारम्भ कर दिया है और यह कार्य मार्च, 1998 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह चर्चा आपके सामने इसलिए की कि राजस्थान एक छवि बनाना चाहता है। केवल यह नहीं कि घोषणा कर दी और काम आधा हुआ तब तक वह

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तो पुराना तो गया और नये काम का पता ही नहीं चलता। इसलिए ठीक-ठीक रूप से, गुणवत्ता के साथ सड़कों के विस्तार के साथ, समयबद्धता भी चलती रहे इस प्रकार का पूरा प्रयास हमने किया है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला कदम होगा, जो राजस्थान की सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उठाया है, यह है, एडवांस प्लान का । माननीय सदस्य यहां पर चर्चा कर रहे थे कि आपने नाबार्ड में सडकें तो स्वीकृत कर दीं, टेंडर भी हो गये है, लेकिन शुरू नहीं हुई, और कई तो शंका प्रकट करते रहे कि ये टेंडर होकर ही वापस नहीं हो जाएं। बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य का मुझे ध्यान है, उन्होंने चर्चा की थी। फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की थी। उन्हें किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। यह तो एडवांस प्लान हुआ था। अगले आने वाले वर्ष का, जिसका बजट हम पास करने जा रहे हैं। उस बजट की एडवांस प्लानिंग करके हम नाबार्ड के पास गये, सीड मनी देने का भी हमने तय किया, हम उससे उधार लाए और हमने 216 सड़क कार्य और 9 पुलियाओं का कार्य 114 करोड़ की लागत का एडवांस प्लान में स्वीकृत कर दिया है, जो काम आगे प्रारम्भ होंगे। इसलिए आपको किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभिन्न कार्य दो वर्ष की अवधि में करने प्रस्तावित हैं। 1997-98 में प्रारम्भ हो जाएंगे। और हम यहीं नहीं रुकेंगे। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, पैसा तो हमारे बजट का है, बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो है, उसकी भी योजना बनी है, जिसके भी प्रावधान के अंतर्गत 57 करोड़ की लागत के 266 कार्य भी अभी स्वीकृत हो गये हैं। This is also advanced planning. इन्हें भी 1997-98 में हम प्रारम्भ कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हम पर राजस्थान की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास के आधार पर केवल समयबद्धता रखने का हमारा विचार तो है ही किन्तु साथ ही साथ एडवांस प्लानिंग करके, उसकी पूरी तैयारी पहले करके, जैसे ही बजट पास हो जाए वैसे के वैसे उन कामों को हम प्रारंभ कर सकें, क्योंकि पांचवें विषय के नाते से एक विषय और मैं अपने अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूं कि विस्तार के साथ-साथ, गुणवत्ता के साथ-साथ समय-बद्धता के साथ-साथ उसी प्रकार हम समय की बचत करें, इस बात की भी चिन्ता निश्चित रूप से की जाए। मितव्ययता और समय की बचत। पांचवा आब्जेक्ट भी वर्तमान सरकार का रहे, उसको करने की कोशिश की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दरगाह अजमेर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। भारतवर्ष के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। उसके विकास कार्यों की साढ़े सात करोड़ की योजना थी। हमने उसकी स्वीकृति कर दी थी। लगभग पूरी हो गयी है। मैं लगभग क्यों कह रहा हूं तीन मकान बीच में आ गये। वे मकान टूटते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं वहां से आने वाले माननीय मंत्री महोदय से कि वे हमारा सहयोग करें, इतनी सुन्दर सड़क बनी है, सारी घाटी को पार करके, सारे पहाड़ पर होकर ढाई दिन के झोंपड़े तक पहुंचने की व्यवस्था उसमें हो गयी है, ताकि इसका श्री काम निश्चित रूप से पूरा किया जाए। 16 महीने की अल्प अवधि में ही हमने इस काम को पूरा कर लिया है। ——

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि उसी अजमेर में नारेली का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, जैन समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, आपको तो सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी, इस नाते से माननीय मुख्य मंत्री महोदय गये थे उस कार्यक्रम में और मुझे भी जाने का मौका मिला था, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और 50 करोड़ की योजना बनाकर विभिन्न प्रकार के काम मंदिरों के साथ-साथ जैन समाज करने वाला है, राज्य सरकार ने 130 लाख रुपये की स्वीकृति का कार्य...

**श्रीमती तारा भण्डारी :** प्रसिद्ध नहीं है, नया बन रहा है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** 130 लाख का सड़क कार्य प्रारम्भ कर दिया है और 1997-98 में ही उसके पूर्ण हो जाने की पूरी संभावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान आता है, तत्कालीन सरकार के समय एक योजना बनी थी। अजमेर में तारागढ़ स्थान है, बहुत उंचाई पर है, तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, नाम आप जानते हैं, मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है, एक योजना उन्होंने बनाई थी तीन करोड़ रुपये की। जैसे ही तीन करोड़ सुने, छोड़ दिया उस योजना को। जैसे ही वर्तमान सरकार आई, हमने भी निश्चय कर लिया कि देखते हैं कि क्या होता है। तीन करोड़ की आवश्यकता नहीं हुई। आज हालत यह है कि हम उस सड़क को नीचे से लेकर तारागढ़ के ऊपर तक पहुंचा चुके हैं और बीच के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान का एक प्रसिद्ध स्मारक बनकर तैयार हो गया है। दस महीने की अल्पावधि में ही एक करोड़ रुपये का काम हमने कर लिया है, जिसकी नियत तिथि 18 महीने थी।

राष्ट्रीय मार्ग संख्या आठ की यहां पर बहुत चर्चा की गयी। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या होगा, हमारे यहां तो बड़ी कठिनाई है। उदयपुर से बाईपास तो बन रहा है, किन्तु उदयपुर से लेकर गुजरात की सीमा तक हालत ऐसी है इतना ट्रैफिक है। मैं जानता हूं दो ऐसे स्थान हैं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वोटलनेक्स, एक है जयपुर से किशनगढ़ और दूसरा है उदयपुर से लेकर रतनपुर तक। किंतु वह पहाड़ी क्षेत्र है, जहां नहीं वन सकती चार लेन। वहुत कठिन है, वहुत पैसा लगेगा। हमने केन्द्र सरकार से प्रार्थना की कि यह नेशनल हाईवे है, आप एक आल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं वना देते। अजमेर में ही वर्ल्ड वैंक की सहायता के आधार पर सड़क वन गयी, अजमेर से पहुंच गये चित्तौड़ भीलवाड़ा होते हुए। शायद नेशनल हाईवे से भी वहुत अच्छी है। चित्तौड़ से उदयपुर जाते हुए कीर की चौकी बीच में आती है। सलूम्वर से आने वाले माननीय सदस्य इस वात की चर्चा कर रहे थे कि अगर सलूम्बर से आगे ले जाकर सलूम्बर होते हुए, सागवाड़ा होते हुए हम इसको रतनपुर तक लें जाएं या इधर वड़ौदा ले जाएं तो एक आल्टरनेटिव रूट इस नेशनल हाईवे का बन सकता है। अभी वेंकटरमन साहब आए थे, उदयपुर के कार्यक्रम में, मैंने उनसे भी चर्चा की थी, उनसे भी निवेदन किया था और आज के अखवार में आपने पढ़ा होगा, दोनों वातों की चर्चा थी, उन्होंने कहा, जरा पैसे की कमी हमको है। हम भी दवाव वनाये रखेंगे, आज जिस प्रकार की बढ़ती हुई आबादी है और बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या है, आल्टरनेटिवरूट दिये विना काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार जयपुर से लेकर किशनगढ़ का जो मामला है, दो से चार लेन बनाने का, कितनी कठिनाई आई है हम को, जानते हैं। लगातार हमने दवाव वनाए रखा। इधर तो अचरोल तक पूरी हो गयी, कोटपूतली तक जून, 1997 तक पूरी होने की स्थिति में है और कोटपूतली से आगे का काम भी___

**श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वीकानेर, चूरू कौनी, गंगानगर कौनी के ?

**श्री अध्यक्ष** : आ रहे हैं।

**श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)** : दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, वात चल गयी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मुझे पूरी बात कहने दें।

**श्री अध्यक्ष** : बात कहने दें पूरी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के इस दवाव को केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्ततः मान लिया और अन्ततः भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस सड़क के चार लेन की संभावना का अध्ययन करने की स्वीकृति भी दे दी। भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण इस कार्य को निधि निवेशकों से बी.ओ.टी. के आधार पर करवाएगा, ऐसा उन्होंने निश्चय भी कर लिया। अभी क्योंकि उन्होंने टेण्डर फ्लोट नहीं किये हैं इसीलिए कल लोकसभा में उन्होंने उत्तर दिया कि इसको मैं सिद्धान्ततः मानता हूं,

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

बहुत आवश्यक है, यहां बहुत अधिक ट्रैफिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा कर रहा हूं। राजमार्ग संख्या 12, जो जयपुर से भोपाल जाता है, झालावाड़ के आगे एक लेन थी। कोई भी सुनेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेन राजस्थान के प्रयास से दो लेन करने का काम भी स्वीकृत हो गया है और 1997-98 में इसके प्रारम्भ होने की भी आशा है।

उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 14 जिलों में निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया है। 1671 किलोमीटर सड़कों का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा और 744 करोड़ का काम भी हाथ में ले लिया जाएगा। यह सम्पूर्ण काम लगभग 213 करोड़ का प्रस्तावित है जिसको पूरा हम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की इतनी साख हो गयी कि वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा कि नहीं, 298 करोड़ की योजना और लेओ। 700 किलोमीटर राजमार्गों के सुधार के लिए। उन्होंने कहा, हम तो 1200 से 1500 किलोमीटर तक बनाएंगे आपके यहां। ऐसा कहीं सुना होगा आपने। राजस्थान सरकार की तरफ से हम तो मांग रहे हैं कि 700 किलोमीटर और यहां के काम को देखकर वे कहते हैं कि 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर काम को हम करने की स्थिति में हैं। सर्वेक्षण काम प्रारम्भ हो गया है और नवीं पंचवर्षीय योजना तक इस काम को भी पूरा करवा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवेज की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे चर्चा कर रहे थे, कई माननीय सदस्य –

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** नेशनल हाइवे नम्बर-11 पर तो आओ, साहब।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** वह तो बहुत ही सुन्दर है, नम्बर- 11.

**श्री गोपीराम जाट :** जयपुर से आमेर टूटी हुई सड़क है वह भी बना दें। (व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सच है, राज्य सरकार के मन में दृढ़ संकल्प है, गांवों का विकास करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे, सत्ता में जनता की भागीदारी रखेंगे। सड़कें तो शेरशाह ने भी बनायी थीं, सड़कें तो अकबर ने भी बनायी थीं, किन्तु हमारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो मूल्य हैं उनकी स्थापना भी हम कर सकें, इसलिए पहले प्रयोग के नाते महाराणा प्रताप के स्मृति वर्ष में जब 400 वीं पुण्य तिथि अभी हाल ही में गयी है, हमने एक सुन्दर गेट का निर्माण किया रतनपुर क्षेत्र पर। कभी आपको गुजरात से वहां आने का मौका मिले, इतना सुन्दर गेट बना है जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा हुई है और घुसते ही लोगों को लगेगा कि

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

राजस्थान के इस शौर्य प्रदेश में हम प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सब नेशनल हाईवे पर हमने निश्चय किया है। यहां ही नहीं रुकेंगे हम। अहमदाबाद से आने वाले सिरोही में जहां आबू रोड पर एंटर हों वहां भी हमारी योजना गेट बनाने की है। दिल्ली से आने वाले मार्ग पर या दिल्ली से हरियाणा से प्रवेश करते हैं राजस्थान में, वहां भी इस प्रकार से बनाने की योजना है। इधर आगरा से आते हैं वहां भी हम निश्चित रूप से भरतपुर जिसने बनाया था, लोहागढ़ जिसने बसाया था, उनके चित्र को लेकर एक भव्य गेट बनाने वाले हैं। यह योजना हमारी है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : किसने बसाया था ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : महाराजा सूरजमल जी। हमने यह तय किया है कि कड़ी के दूसरे रूप में भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर आगरा-भरतपुर सड़क पर ऊंचा नंगला पर हम उस कार्य को अभी प्रारम्भ करके इसी वर्ष में पूरा करेंगे दूसरे गेट को। माननीय अध्यक्ष महोदय, समयबद्धता के साथ...

**श्री कालीचरण सराफ** : जयपुर में भी घोषणा की बात करो। (व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आधी तो बन रही है और आधी की घोषणा कर दी है।

**श्री कालीचरण सराफ** : कुछ बोलो तो सही, साहब।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आधी तो बोल दी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा करते करते, क्योंकि मांग पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री से सम्बन्धित है तो भवनों की चर्चा भी कर दी, भवनों के मरम्मत की भी चर्चा कर दी। वैसे यह आज की डिमाण्ड नहीं थी किन्तु उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आउट आफ वे जाकर, सीमा से बाहर निकल कर भी, क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री का यह काम भी है उनकी चर्चा भी की है इसलिए उस दृष्टि से भी कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूं। एक चर्चा आई थी, जालौर में डाक बंगला है और डाक बंगले में जो अस्पताल बना हुआ है, माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, आप भी कभी दौरे पर जाते हो, मैं भी दौरे पर जाता हूं, एक चर्चा करते हैं कि अस्पताल के विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं है। हो सकता है अगर वह डाक बंगला चिकित्सा विभाग को मिल जाए। एक योजना और बनी, एक दानदाता ले आए जोगेश्वरजी, उन्होंने कहा, यह दानदाता अलग डाक बंगला बना कर देगा। हमारे विभाग ने तय कर लिया है कि दानदाता के बनाए हुए डाक बंगले को जिस दिन हम ले लेंगे उस दिन हमारे डाक बंगले को हम चिकित्सा विभाग को समर्पित करके विस्तार के लिए दे देंगे।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, यातायात) : सब डिवीजनल हैडक्वार्टर है वहां कोई डाक बंगला नहीं है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

**श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा** : प्रश्न नहीं, सुझाव तो दे सकते हैं। प्रश्न नहीं पूछते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : नहीं कर सकते।

**श्री अध्यक्ष** : आप कह दो या आप कह दो इनकी तरफ से।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : वह तो स्वयं सरकार है।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : अध्यक्ष महोदय, स्टेट हाईवे नम्बर 34 एण्ड 39...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय चतुर्वेदीजी, खोईवाल साहब कह रहे थे कि रेलमगरा में ठहरने की कोई जगह नहीं है और तहसील हैडक्वार्टर है।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि स्टेट हाईवे नम्बर 34 एण्ड 39 के लिए कुछ बोलें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, उदयपुर जिले के सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने डाक बंगले की चर्चा की थी, वह एस.डी.एम. क्षेत्र है। बानसूर वालों ने अभी चर्चा की, यद्यपि मंत्री हैं, मेरे सहयोगी मंत्री हैं, उन्होंने भी चर्चा की। निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में, मैं तो मजदूर हूं, डाक बंगला बनाने का काम मेरा है, किन्तु पैसा जे.एडी. देता है, अच्छा होता माननीय मुख्य मंत्री महोदय बिराजते होते और सुन लेते कि सलूम्बर वाले सब चाहते हैं डाक बंगला। वह जिस दिन पैसा देंगे, आप उनसे पैसा दिला देंगे, ललित चतुर्वेदी मजदूर के नाते तुरन्त डाक बंगला बना देगा आपके यहां।

**एक माननीय सदस्य** : क्वालीफाइड लेबर हो आप।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह 'मजदूर' शब्द निकाल दिया जाए।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : सेवक ठीक रहेगा, श्रमिक कह सकते हो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मजदूर करा देगा, आप तो मंत्री हो।

**श्री कालीचरण सराफ** : हम आपको मंत्री देखना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यह सारी रीति-नीति तो राजस्थान के लिए है, जो सुरंग बनायी थी वह तो आपके यहां ही है।

**श्रीमती मीना अग्रवाल** : अलवर जिले के लिए भी कुछ कहो। अलवर जिला है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : चार जो वर्ल्ड बैंक की सड़कें बनी हैं उसमें प्रमुख सड़कें तो आपके यहां ही हैं। क्या-क्या बोलूं।

**श्री रमाकान्त शर्मा :** थानागाजी का पूरे भाषण में कहीं नाम ही नहीं आया।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** अब थानागाजी कहां पहुंच गये, फिर आप तो घर तक पहुंच जाएंगे।

**श्री रमाकान्त शर्मा :** मेरा एक प्रस्ताव थानागाजी का भी है। (व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा की गयी कृषि उपज मण्डी की सड़कों की मरम्मत की। यहां तो यह भी कह दिया कि उन्होंने सारी सौंप दी हैं। आपको ध्यान होगा, यह विषय राजस्थान विधान सभा में आया था और उन्होंने कहा था, हम थोड़ी थोड़ी सौंपते चले जाएंगे, उनकी मरम्मत करके या जो सौंपेंगे उनकी मरम्म्त का पैसा दे देंगे। जैसे-जैसे हमको सड़कें मिलती जाएंगी उनको हम ओन करेंगे और उन सारी सड़कों की मरम्मत और संधारण हम निश्चित रूप से करते चले जाएंगे।

यहां एक चर्चा आई थी, जिस प्रकार गूणी की घाटी है, सचमुच मेरी मान्यता है, सिरोही से आने वाली माननीय विधायिका ने बारी घाटी की चर्चा की, आप भी कभी गये हो, बारी घाटी बहुत स्टीप है, एक आल्टरनेटिव रूट हो। उसका सर्वेक्षण हम करवा रहे हैं। सर्वेक्षण के पश्चात् हमको यदि लगा कि अगले साल इस स्थिति में हम हैं, आगे तो वह होना ही है, क्योंकि यहां आकर राजस्थान की जनता को कष्ट नहीं देना चाहते हैं अगर एस्टीमेट से लगा कि हमारी इस 1997-98 की योजना में वह आ जाती है तो उसको हम प्रारम्भ करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि एक बार चर्चा की थी। चित्तौड़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने बेगूं के ब्राह्मण नदी पर बोराव पुल की। यह स्वयं मैंने मेरी आंखों से देखा है। उस समय उन्होंने उसकी चर्चा की। मैंने एस्टीमेट बना दिये, वह हमारे सारे क्राइटेरिया में आ रहा है, इसलिए इस वर्ष हमारे बजट में से हम ब्राह्मण नदी के बोराव के पुल को भी प्रारम्भ करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा की थी नागौर जिले से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने, मण्डावरी से काली खेड़ा के बीच की सड़क की। पांच किलोमीटर है। उन्होंने कुछ दिन पहले पत्र भी दिया है। उसका एस्टीमेट मैंने मंगाया है। एस्टीमेट आने के पश्चात् अभी पूरी बात तो नहीं कह सकता किन्तु मेरा विश्वास है कि अगले वर्ष की योजना में उसको भी सम्मिलित करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा की थी विजयनगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कि नेशनल हाई-वे पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं, उसको जोइंट

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

करने वाली जो छोटी-छोटी सड़कें हैं, आज के बाद हमने तय किया है कि उन जुड़ने वाली सड़कों पर हम स्पीड ब्रेकर निश्चित रूप से बना देंगे। नेशनल हाईवे पर तो नहीं बनाएंगे।

लूणी नदी के पुल की चर्चा मैं आपसे और करना चाहता हूं। मैंने प्रारम्भ में तो चर्चा कर दी। अमराराम जी सदा इसी बात को किया करते हैं। मेरी भी सिद्धान्ततः सहमति है किन्तु इतना बड़ा पुल है, इस अगले वर्ष में यानी इस वर्ष में तो हमारे पास प्रावधान नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं आऊंगा, नगरपालिका के लोगों को बिठाइये, अच्छे पैसे वाले हैं। वहां जो नाकोड़ा का मंदिर है वह भी कुछ देने की मनः स्थिति में है और हम सब मिलकर, बैठकर कोई न कोई सम्मिलित योजना बन जाए तो इस पुल को भी प्रारम्भ करने की सिद्धान्ततः सहमति के साथ पूरी इच्छा है। किन्तु वह बात बैठकर सारा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी चर्चा मैंने कर दी है, इतना बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कई बातें और रही है, मैंने आपसे निवेदन किया, जो-जो माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की है, उसको वरबेटम मंगाएंगे और प्रत्येक एडिशनल चीफ के पास जो बातें कही गयी हैं उनको भेजेंगे और उन पर उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया क्या है और अगले बजट में उन बातों को कैसे समाहित किया जा सकता है, इसका विचार मैं निश्चित रूप से करूंगा। अंत में फिर आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मदनजी दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर लगभग 23 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जो समाज कल्याण योजनाओं में सार्थक हो सकते हैं। इन बहुमूल्य सुझावों के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न गतिविधियां कमजोर वर्ग के लोगों के लिए चलती हैं। कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति योजना, महिलाओं के लिए महिला सदन, बालिका सदन, गाड़िया लुहारों के लिए गाड़िया लुहारों को बसाने की योजना, विकलांग कल्याण योजना, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण विभाग संचालित करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि अबकी बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कमजोर वर्गों के लिए इस बजट को समर्पित

( श्री मदन दिलावर )

किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के बारे में और समाज कल्याण के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा समाज में माननीय सदस्य करते रहते हैं। मैंने विचार किया कि इन छात्रावासों और समाज कल्याण के बारे में जो चर्चा होती है वह निर्मूल कैसे साबित हो, अच्छी चर्चा हो, अच्छी बात को माननीय सदस्य कहें, इसका मैंने भरसक प्रयत्न किया है और आते ही छात्रावासों में जो स्थिति थी उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया है।

छात्रावासों का कई बार अचानक निरीक्षण कर मैंने देखा तो कई बार मुझे वहां की स्थिति ठीक नहीं लगी। मैंने उसी दिन से निर्णय लिया कि इन छात्रावासों को संस्कार के केन्द्र के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक निश्चित दिनचर्या तय की और अधिकारियों को यह निर्देश दिये कि समाज कल्याण छात्रावासों को संस्कार केन्द्र के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। इसके लिए दिनचर्या पर हम सबने बैठकर तय किया कि इस दिनचर्या पर चलना चाहिए। सर्वप्रथम हमने छात्रावासों में बालकों की दिनचर्या वन्देमातरम् से प्रारम्भ करवाई और उसका समापन, यानी रात्रि विश्राम जन-गण-मन के साथ होगा, ऐसा हमने किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमने बालकों का मैस भत्ता 250 रुपऐ प्रति माह था, उसको बढ़ाकर 350 रुपये किया।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : सौ से साढ़े तीन सौ आए हो पूरे कार्यकाल में। पहले यह 100 रुपये ही था, उसको बढ़ाकर साढ़े तीन सौ किया है।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि पहले 110 था, दूसरी बार जब माननीय मुख्य मंत्रीजी आए तो उन्होंने बढ़ाकर 170 किया, फिर 250 रुपये किया और अबकी बार बढ़ाकर 350 रुपये किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि पहले समाज कल्याण योजनाओं को केवल नाममात्र के लिए चलाया जाता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं था। थोड़ा-सा बजट का प्रावधान करके बड़ी वाहवाही लूटने का प्रयास रहता था। परंतु जब से माननीय मुख्य मंत्रीजी आए हैं तब से इन्होंने कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया है और मैं कहना चाहता हूं कि जहां-जहां हमें गैस उपलब्ध हो सकती थी, वहां-वहां सभी छात्रावासों में हमने गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाएं हैं जिससे वहां का छात्रावास काला न हो, कोई जोखिम न हो और अच्छी और तुरंत भोजन व्यवस्था हो सके इसका भी हमने पूरा प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अनुशासन पर भी पूरा ध्यान दिया है। हमने

(श्री मदन दिलावर)

यह भी निर्देश दिये हैं कि जो बालक छात्रावासों में गुटका, जर्दा और अन्य इसी प्रकार नशीली सामग्री का सेवन करते हैं, उन पर पूर्ण पाबन्दी रहे। (व्यवधान) बालकों के लिए ठीक नहीं है और इसको ध्यान रखते हुए हमने सभी छात्रावास अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि इसकी कड़ाई से पालना हो। इस प्रकार के नशे का बालक यदि सेवन करेंगे तो उसका उत्तरदायित्व छात्रावास अधीक्षक का होगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में पढ़ने वाले बालकों के लिए कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले छात्रावासों में जो बालक पढ़ते थे उन पर केवल इतना सा ध्यान रहता था छात्रावास अधीक्षकों का कि उनके भोजन की व्यवस्था कर दी और फिर दिन भर फ्री। हमने इस पर पाबंदी लगाई है। छात्रावासों में पारिवारिक वातावरण का निर्माण होना चाहिए और वहां इस प्रकार के संस्कार का वातावरण निर्माण करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल देखते हैं कि बालक टी.वी. और अन्य माध्यमों को देखकर ऐसे गंदे-गंदे गीत गुनगुनाते रहते हैं जिससे उनकी गलत आदत पड़ती है, तो हमने 12 महीने के 12 गीत उनको दिये और कहा कि हर माह इस गीत का गायन होना चाहिए ताकि उससे अच्छे संस्कार पड़ें, यह भी हमने प्रारम्भ किया है और यह भी प्रारम्भ किया है कि हर तीन महीने में एक बार छात्रावास अधीक्षक, अभिभावक और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एक साथ बैठकर छात्रावास के बारे में चर्चा करें और क्या कमी है, उसके बारे में सुझाव दें और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है यह हमारा प्रयत्न है।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने छात्रावास अधीक्षकों को इसके लिए भी पाबन्द किया कि वे सप्ताह में एक बार विद्यालयों में जाएं, कक्षा अध्यापकों से छात्र की आदतों के बारे में, पढ़ाई के बारे में इन सबके बारे में लेखा-जोखा लें और उनसे जानकारी करें कि किस प्रकार की आदत बालक की है। यदि गंदी आदत है, पढ़ाई-लिखाई ठीक तरह से नहीं करता है तो उनके लिए वाच करे, बच्चे से बात करे कि इस प्रकार क्यों होता है। इस पर भी हमने ध्यान दिया है। यह सारा करने के बाद मैं कह सकता हूं कि छात्रावासों का जो रिजल्ट पहले कम रहता था उसको हम 65 प्रतिशत तक लाए हैं। टोटल रिजल्ट 65 प्रतिशत के लगभग है। साढ़े आठ सौ बालक सतरह हजार में से प्रथम स्थान पर आए हैं और यह कहते हुए मुझे गर्व है कि समाज कल्याण विभाग की योजना से जो बालक पढ़ते थे उनमें जितेन्द्र सोहिल नाम के छात्र ने बोर्ड की परीक्षा में आठवीं पोजिशन प्राप्त की। एक छात्र ऐसा है जिसने चार विषयों में डिस्टिंक्शन प्राप्त की और पांच छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 75

( श्री मदन दिलावर )

पर्सेण्ट से अधिक अंक प्राप्त किये हैं और 149 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, अर्थात् 60 पर्सेण्ट से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। यानी बोर्ड की परीक्षा में टोटल जितने छात्र बैठे उनमें से 149 छात्र अर्थात् पांच प्रतिशत छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। यह हमारे लिए गर्व की बात है और इससे हमें काफी संतुष्टि हुई है। अगर हम इस दिशा में चले तो जो रिजल्ट्स आए हैं उनको और बढ़ा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है कि छात्रों को नैतिक शिक्षा कैसे दे सकते हैं। जो बालक उपन्यास या इधर-उधर की किताबें पढ़ते थे उनको संस्कार देने वाली महापुरुषों की पुस्तकें, उनके जीवन पर आधारित पुस्तकें भी हमने प्रत्येक छात्रावास को उपलब्ध कराई हैं, ताकि बालक खाली समय में उनका अध्ययन कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावास कैसे चलाए जा सकते है, उनके छात्रावास अधीक्षकों का प्रशिक्षण हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पहली बार हमने छात्रावास अधीक्षकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया और राजस्थान के सभी भागों में लगभग प्रशिक्षण दे दिया गया है। बालकों की जो गर्मी की छुट्टियां आती हैं उसमें इस योजना के तहत सभी छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह हमने तय किया है। इसके माध्यम से हर वर्ष हम छात्रावास अधीक्षकों को नई ऊर्जा दे पाएंगे और वे उस ऊर्जा को ले जाकर बालकों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षण देंगे और अच्छा परिणाम दे पाएंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** ऊर्जा मंत्रीजी उस ऊर्जा का क्या लेंगे ?

**श्री मदन दिलावर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। छात्रवृत्ति के लिए बालक को हर बार एक आवेदन देना पड़ता था और उस आवेदन में पूछा जाता था कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहां के रहने वाले हो। हर वर्ष पिताजी नहीं बदलते, जाति नहीं बदलती। हमने कहा कि स्कूल शिक्षा में प्रथम बार जब यह छात्रवृत्ति की पात्रता रखता है उस क्लास में उसको आवेदन देना पड़ेगा। उसी आवेदन के आधार पर निरन्तर स्कूली शिक्षा तक उसको स्कॉलरशिप दी जाती रहेगी और बीच में उसको किसी प्रकार का आवेदन देने की जरूरत नहीं है। यदि वह बालक स्कूल छोड़ जाता है, फेल हो जाता है तो संस्था प्रधान की ड्यूटी है कि वह हमें सूचित करें और उस छात्रवृत्ति को लौटा दें। यह हमने राजस्थान से प्रारम्भ किया है और जब मैं दिल्ली में समाज कल्याण मंत्रियों की मीटिंग में गया तो मैंने वहां इस बात को रखा। उस समय के माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी

( श्री मदन दिलावर )

ने इस तरह की छात्रवृत्ति की योजना को पूरे देश में प्रारम्भ कर दिया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस वर्ष लगभग 28.5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति छात्रों में वितरित की है और लगभग 6 लाख 21 हजार छात्रों को हम छात्रवृत्ति दे पाए हैं। इससे कमजोर वर्गों को काफी फायदा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के निर्माण में भी हम कभी पीछे नहीं रहे। लगभग 158 छात्रावासों का हमने निर्माण किया और इसमें भी 20 छात्रावासों की जो अभी बजट में घोषणा की, उसे जोड़ दें तो लगभग 27.5 करोड़ रुपये हमने छात्रावासों के निर्माण पर खर्च किया है। यह पहली बार हुआ है। पहले छात्रावास खोलते गये, लेकिन छात्रावासों के निर्माण् की चिन्ता नहीं की गयी, उसके कारण आज कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की और नाराजगी जाहिर की। नाराजगी इस बात की जाहिर की गयी कि मकान मालिक खाली करने की बात करता है, कभी धमकी देता है और अनेक प्रकार से परेशान करता है। उससे बच्चे परेशान होते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि जो 158 छात्रावास हैं, वे लगभग आने वाले एक वर्ष में पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अगली बार बहुत कम छात्रावास ऐसे रह जाएंगे जो बिना भवन के होंगे, जो किराये के भवन में चल रहे होंगे।

**श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : मैं तीन बार आपके ध्यान में ला चुका हूं। दो साल से डूंगरगढ़ के छात्रावास में छात्र किराये पर रह रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

**श्री मदन दिलावर** : निश्चित रूप से यह मेरे ध्यान में है। मकान मालिक कभी भी बालकों को कह देता है कि खाली करो या किराया बढ़ाओ। अब बीच में हर छह महीने में किराया नहीं बढ़ाया जा सकता, हर छह महीने में खाली नहीं किया जा सकता। इनको जो परेशानी हुई है उसको देखते हुए माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि आप जमीन उपलब्ध करा देंगे तो छात्रावास का निर्माण करा दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने जमीन उपलब्ध करा दी है और अगले वित्तीय वर्ष में यहां छात्रावास का निर्माण करा दिया जाएगा। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, केवल छात्रावास अधीक्षकों को ही ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि मैंने विचार किया है कि छात्रावास में जो अधिकारीगण, कर्मचारीगण हैं उन सबको हर वक्त प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि यह कमजोर वर्ग से संबंधित मामला है। उनमें सेवा का भाव कैसे जागृत किया जा सकता है, यह सेवा का भाव जागृत करने के लिए हम हर वर्ष उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके कारण समाज कल्याण विभाग में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे।

( श्री मदन दिलावर )

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विकलांग कल्याण योजना है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि पिछले वर्ष पूरे देश में विकलांग कल्याण के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश प्रथम रहा है। हम प्रतिवर्ष 5-6 हजार विकलांगों को राहत देते थे लेकिन हमने पिछले वर्ष एक साथ 30 हजार विकलांगों को राहत दी। इसको माननीय राज्यपाल महोदय ने भी माना है और दिल्ली में उस समय के समाज कल्याण मंत्रीजी ने भी माना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो उपकरण सहायता देते थे उसमें यह था कि एक विकलांग को 1,500 रुपये तक की उपकरण सहायता दी जा सकती थी, हमने इसको बढ़ाकर 2,500 तक किया। अब 2,500 रुपये तक के उपकरण विकलांगों को उपलब्ध करा सकते हैं। इससे हम अच्छी क्वालिटी के उपकरण खरीद सकते हैं। इससे विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय, कोटा में विकलांगों का एक पुनर्वास केन्द्र चलता है जिसमें विकलांगों का पुनर्वास किया जाता है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि यह राजस्थान भर में एक ही पुनर्वास केन्द्र है और भारत में ऐसे 11 पुनर्वास केन्द्र हैं। राजस्थान में कोटा में स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र है उसने देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, शारीरिक, मानसिक विमंदित बालकों के हमारे यहां जो आश्रम चलते हैं, जो गृह चलते हैं उनका जो भोजन का खर्चा होता था वह 250 रुपये प्रतिमाह था, हमने उसको बढ़ाकर अबकी बार 350 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे उनको काफी लाभ मिलेगा।

विकलांगों को पाठ्य-पुस्तकों का बड़ा अभाव रहता है। पिछली बार भी हम केवल नेत्रहीनों को ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा पाए थे। अबकी बार जो मंद-बुद्धि के बालक हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, जो मूक-बधिर हैं ऐसे सब तरह के विकलांगों के लिए पाठ्य -पुस्तकें और पाठ्य सामग्री और जो सहायक उपकरण होते हैं, वे सब सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, ऐसा सरकार ने निश्चय किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले रोडवेज की बसों में मूक, बधिर या विकलांग छात्रों को किसी प्रकार की रियायत नहीं थी। लेकिन हमने इस बार रोडवेज की बसों में उनको 75 पर्सेण्ट रियायती दर पर यात्रा करने के लिए घोषणा की है और एक अप्रेल से यह लागू हो जाएगी।

माननीय अध्यक्षम महोदय, मैंने कोटा पुनर्वास केन्द्र की चर्चा की थी, यह बहुत सक्सेस रहा है। यहां विकलांगों की काफी बड़ी संख्या है। कोटा में तो सबसे ज्यादा थी, इसलिए पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हुई थी उसके अलावा भी राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 25 पुनर्वास केन्द्र खोलने का निश्चय

( श्री मदन दिलावर )

किया है और इस वित्तीय वर्ष में पांच पुनर्वास केन्द्र खोले जाने वाले हैं जिनकी लागत लगभग 20 लाख रुपये होगी। इससे विकलांगों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांग बंधु जब आई.टी.आई. में प्रवेश लेने जाते थे उनको कई दिक्कतें आती थीं। उनका तीन पर्सेण्ट आरक्षण होता था। उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने में कई बाधाएं होती थीं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि एक आई.टी.आई. राजस्थान में खोली जाए जो विभिन्न ट्रेड्स में उनको प्रशिक्षित करे। उसकी लागत एक करोड़ रुपया होगी, जिसका बजट में प्रावधान किया है। यह आई.टी.आई केवल विकलांगों के लिए होगी और केवल विकलांग बंधुओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सरकार करने जा रही है जो एक करोड़ रुपये से बनेगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सरकारी नौकरियों में विकलांगों का तीन प्रतिशत आरक्षण तय किया है लेकिन निजी क्षेत्रों में विकलांगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है इसलिए अबकी बार तय किया है कि निजी संस्थानों में भी विकलांगों को रोजगार मिले इसके लिए 500 लोगों को रोजगार दिलाने के लिए जो नौकरी देने वाले प्रतिष्ठान हैं उनको वहीं ट्रेनिंग कराएंगे, बालकों को स्टाइपेंड देंगे और वहां शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें वहीं संस्थान में एब्जार्व करने का प्रयास रहेगा। अब की बार हमने निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का तय किया है वह संख्या 500 है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य बन्धुओं के लिए तो खेलकूद प्रतियोगिताएं बहुत होती हैं और इनके लिए वे बहुत नाम भी कमाते रहते हैं, विकलांग होने के कारण ही प्रतिभा किसी की छिपती नहीं है, विकलांग भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकलांगों को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इनको घरों से कैसे निकाला जाए, क्योंकि विकलांगों की बहुत उपेक्षा होती है, समाज में ही नहीं, परिवार के लोग भी उनकी उपेक्षा करते हैं, इसलिए सरकार ने तय किया कि अबकी बार जिला लेवल पर और प्रदेश लेवल पर उनकी खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाएंगे।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि कोटा के एक विकलांग बन्धु, जो विमन्दित बन्धु था, ने पूरे देश भर में खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह एक संस्थान चलाता है।

खेलकूद प्रतियोगिता में मैं पीछे जाना चाह रहा हूं। शिशुपाल सहरिया नाम का एक बालक जो छात्रावास में अध्ययन करता है, यहां उदयपुर में जो आदिवासी ओलम्पिक हुए थे उसमें उस छात्र ने गोलाफेंक में पूरे राष्ट्र में अपना नाम रोशन किया है। ऐसे और भी बालक हैं जिनमें प्रतिभा है। वह

( श्री मदन दिलावर )

बारां जिले के केलवाड़ा गांव का है और केलवाड़ा के छात्रावास में अध्ययन कर रहा है। उसने पूरे देश में राजस्थान का नाम रोशन किया है। उसके लिए हमने तय किया है कि 10 हजार रुपये की सहायता उसकी खेलकूद में प्रतिभा और उजागर करने के लिए देंगे और उसको सम्मानित किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेत्रहीनों के लिए पुस्तकों के लिए हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आखिर हम इनकी पाठ्य पुस्तकें कहां से प्राप्त करें ? हमने 32 लाख रुपये गंगानगर की एक 'जगदम्बा' संस्था को देकर वहां ब्रेल प्रेस की स्थापना की और वहां से पूरे राजस्थान में ब्रेल प्रेस की पुस्तकें सब नेत्रहीनों को सप्लाई कर रहे हैं। इसके कारण से अब हमें दूसरी जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमें काफी लाभ मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे छात्र हैं, उनको कैसे प्रोत्साहन दें इसके लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राएं है और 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करती हैं उनको 500 रुपये से सम्मानित किया जाएगा और जो बोर्ड की परीक्षा में प्रथम 20 स्थान पर आएंगी उनको 5 हजार रुपये से पुरस्कृत करके सम्मानित करेंगे।

यही नहीं, हमने तय किया है कि जो सर्वश्रेष्ठ छात्रावास अधीक्षक हैं उनको 1100 रुपये से पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा जिससे उनमें अच्छे काम करने की आदत डवलप हो सके और वे प्रोत्साहित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जब वह अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट लेने जाता है तो कई बार तो उसको फार्म नहीं मिलता, कई बार डाक्टर नहीं मिलता, कई बार रोडवेज का अधिकारी दूसरी जगह बैठता है। जहां भी वह सेवा के लिए एप्लाई करेगा, हर बार उसको विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। उसके लिए हमने यह विचार किया है कि क्यों नहीं विकलांगों के लिए एक परिचय पत्र बना दिया जाए और सरकार के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो भी प्रदत्त सुविधाएं हैं वे सुविधाएं उस आइडेंटिटी कार्ड के दिखाने के बाद उसको मिल सकें। पहला विकलांग परिचय पत्र बनकर तैयार हो गया है और माननीय सदस्यों को कहूंगा कि यदि इनमें से कोई है तो मैं सबसे पहला पत्र माननीय सदस्य को देकर उसका उद्घाटन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले को ले रहे हैं और उसमें परिचय पत्र बनाएंगे। उस दिन हम देखेंगे और उसमें किसी प्रकार की खामी हमें लगी तो संशोधित करके पूरे राजस्थान में सभी विकलांगों को यह परिचय पत्र जारी

( श्री मदन दिलावर )

करेंगे ताकि परिचय पत्र दिखाने के बाद, उसकी फोटो स्टेट प्रति और साधारण दरख्वास्त देने के बाद सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। हर दरवाजे पर उसको घूमने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा निर्णय हमने ले लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शादियों की चर्चा यहां हो रही है और बड़े जोर-शोर से की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विकलांगों को शादी करने में बहुत दिक्कत होती है। जो विकलांग बालक का पिता होता है, मां होती है उनके मन में एक ऐसा भाव होता है कि मेरे बेटे की शादी कौन करेगा, मेरी बेटी की शादी कौन करेगा और वे अन्दर ही अन्दर दुःखी होते रहते हैं। बालक-बालिकाएं भी दुःखी होते रहते हैं। इसलिए अबकी बार हमने तय किया है कि विकलांगों का एक परिचय सम्मेलन हम प्रारम्भ करेंगे और हर विभाग के लेवल पर यह विकलांग परिचय सम्मेलन करके एक डायरेक्ट्री बना देंगे जिसमें बालक और बालिका, सबका चित्रण होगा। यदि वहां भी कोई जोड़े शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो महिला एंव बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा 25 जोड़ों का एक साथ सम्मेलन करने पर 25 हजार रुपयों की जो सहायता दी जाती है वह इन विकलांगों को भी दी जाएगी और उससे उनको काफी लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कोटा में अबकी बार यह किया है और तीन जोड़ों की शादी एक साथ वहां के खेल मैदान पर की है। स्वयंसेवी संस्थाएं इससे बहुत खुश हुई और बालक-बालिकाएं भी इतने खुश थे कि उससे प्रेरणा लेकर हमने यह तय किया कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो बालक-बालिकाओं के मां-बाप को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा ओर एक निश्चित स्थान पर लड़के और लड़कियों के पते उनको प्राप्त हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, महिला सदन में भी हमारी कई बालिकाएं और महिलाएं हैं। पिछली बार हमने 61 बालिकाओं की शादी करके उनको पुनर्वासित किया है और आज मैं कह सकता हूं कि वे बहुत अच्छी प्रकार से जीवन जी रही हैं, उनका दाम्पत्य जीवन ठीक प्रकार से चल रहा है। मेरे पास कई पत्र आते हैं जिनमें वे अपने घर का पूरा वर्णन करती हैं। (व्यवधान) मेरे पास कई माननीय सदस्य भी शादी करवाने के लिए आते हैं। माननीय सदस्य अपने कार्यकर्ताओं की, सहयोगितयों की, मित्रों की शादी कराने के लिए मेरे पास आते हैं। जगन्नाथ जी वर्मा, जो माननीय सदस्य हैं वे तो मेरे ब्याईजी बन गये हैं। वे एक पुत्री को वहां ले गये जिसकी हमने एक लड़के से शादी की जो बड़ी खुशी के साथ रह रही है। इस बार हमने तय किया है कि महिला सदन में जो शादी लायक बालिकाएं हो गयी हैं,

( श्री मदन दिलावर )

ऐसी शादी योग्य बालिकाओं के लिए योग्य वर ढूंढ करके उनकी भी शादी करेंगे ताकि वे पुनर्वासित हो जाएं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : कैलाश जी मेघवाल का नाम दें।

**श्री मदन दिलावर** : कैलाश जी मेघवाल ने मेरे से कहा था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : कैलाश जी कह रहे हैं कि इस दृष्टि से वे भी विकलांग है।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं वह अपना जीवनयापन कैसे करती हैं, उनका खर्चा कैसे चले और उसके पुत्र-पुत्रियां जो रह जाती हैं, पुत्रों की शादी तो आसानी से हो जाती है, आजकल के इस भौतिकवादी युग में पुत्रों की शादी में साधारणतया किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता है ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन पुत्रियों की शादी में बहुत सारा खर्चा होता है और वह विधवा महिला अपनी पुत्रियों की शादी सामान्य रूप से करने में असमर्थ रहती है। उसे कई लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, कर्ज से दब जाती है। इसलिए हमने तय किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी उदारता के साथ उनको पहले तो 3 हजार रुपये की घोषणा की थी पर बाद में तीन हजार रुपये को बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिये हैं। यह बड़ी खुशी की बात है, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए लगभग 51 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

**(20.00)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार मुझसे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि आप शादी तो कर देते हो परन्तु क्या आप इनके परिवारों की चिन्ता करते हो। आज जिस प्रकार रोज हम सुनते हैं कि किसी का अपहरण हो जाता है, किसी को उठाकर ले जाते हैं तो कहीं इन बालिकाओं का मिसयूज तो नहीं होता है। इसके लिए भी हमने तय किया है। पिछली बार भी समाज कल्याण विभाग ने जितनी अभी तक शादियां की, हमने उन सब बालिकाओं को परिवार सहित बुलाया और बुलाकर उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद हमें ऐसा लगा कि 98 प्रतिशत से अधिक शादियां सक्सेस हैं और बहुत अच्छे परिवारों के साथ वे रह रही हैं। अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ वे महिलाएं आई। इसलिए हमने यह तय किया कि जितनी शादियां करते हैं उन सबको हम हर वर्ष इसी प्रकार से महिला दिवस के दिन बुलाकर उनका दु:ख दर्द पूछेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी प्रकार से वे दु:खी तो नहीं है, ठीक प्रकार से वे रह रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्ध लोगों के लिए आजकल बहुत परेशानी है। इस भौतिकवादी युग में और कई बार हम सब

( श्री मदन दिलावर )

लोग यह कह देते हैं कि पत्नी भी नौकरी पर जाती है, पति भी नौकरी पर जाता है और वृद्ध आदमी घर में बैठा-बैठा खंखारता है, गंदगी करता है, ठीक बात नहीं करता और इससे बड़ा उपेक्षा का भाव रहता है। जिसने पूरे जीवन में त्याग और तपस्या की हो, कैसे बच्चों को पाला होगा, कैसे किया होगा मजदूरी करके, और जब उसकी उपेक्षा का भाव लोगों में आने लगता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। बच्चे उपेक्षा करते हैं मौहल्ले वाले भी उपेक्षा करते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है। फिर घुट-घुटकर ऐसा लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं। इसके लिए पहले से ही दो आश्रम हमारे चल रहे हैं, एक तो टौंक और दूसरा पुष्कर में और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और इस बार सरकार ने तय किया है कि 15 देखभाल केन्द्र हम राजस्थान में खोलेंगे ताकि उनको हम परिवारों से तो बिछोह नहीं करना चाहते, उनके परिवारों से तो...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अच्छी व्यवस्था है वहां। सुजानसिंह जी...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह जो वृद्ध पीड़ित हैं उनके लिए हैं और जो वृद्धों से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या होगा ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ये किससे पीड़ित है यह तो पता नहीं लेकिन एक सिफारिश मेरी भी है कि किशनाराम जी को भी उसमें जरूर भेजना।

**श्री मदन दिलावर** : उनका आवेदन आएगा तो जरूर स्वीकार करेंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए वृद्धों के लिए हम यह चाहते हैं कि वे परिवार के साथ रहें, उनके पोते-दोहिते-नाती को खिलाएं, परन्तु दिन में किसी को अगर पुस्तक पढ़नी हो, मनोरंजन करना हो, पढ़ना हो, बैठना हो, आराम से कई वृद्ध लोगों को बैठकर बातचीत करनी हो तो इस प्रकार के हमने 15 देखभाल केन्द्र खोलने का निश्चय किया है और हम इसको जल्दी ही कार्यान्वित करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं में हर जगह लिखा रहता है कि 'सरपंच ही प्रमाणित करें।' सरपंच, प्रधान, एम.एल.ए. ऐसा ऐसा। अब चुनकर नये लोग भी आ गये हैं, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य। तो अब हमने यह भी तय किया है कि सरपंच के स्थान पर पंचायत समिति सदस्य भी प्रमाणित कर सके, सत्यापित कर सके, जिला परिषद सदस्य भी सत्यापित कर सके, प्रमाणित कर सके इसलिए उनको भी हमने शामिल कर लिया है। सरपंच/ पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य/ प्रधान/ एम.एल.ए./ नगर पालिका वार्ड मैम्बर, इस प्रकार से हमने इनको भी यह अधिकार दिया है ताकि इनको और काम मिल सके।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : पहली बार इतना बढ़िया सोच आया है वृद्धों और विकलांगों के लिए, मैं तारीफ करता हूं।

( श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सही कहता हूं पहली बार है।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्य तिथि इस वर्ष मना रहे हैं और महाराणा प्रताप का साथ देने वाले लोग, उनके वंशज जिनको कहते हैं, आज राजस्थान भर में गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। उनको कोई सिर छिपाने की जगह नहीं है और इस स्वतंत्र भारत में उनका दुर्भाग्य देखिये, आज वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में उनका नाम इसलिए नहीं है कि कहीं उनका स्थायी निवास नहीं है। इसके कारण से हमने विचार किया और मैं तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब इनके पास गया और मैंने इनसे निवेदन किया कि गाड़ियां लुहार भी हमारे नागरिक हैं और इन नागरिकों की सुविधा के लिए हमें कुछ न कुछ विचार करना चाहिए, तो बोले कि 50 वर्ग मीटर जमीन देने का सरकार में प्रावधान था उसको बढ़ाकर 100 वर्गमीटर देने का, नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्र सबमें हमने तय कर दिया है। 150 वर्गमीटर ग्रामीण क्षेत्र में गाड़िया लुहारों को निःशुल्क भूखण्ड और 100 वर्गमीटर नगरपालिका, नगर परिषद क्षेत्र में निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह हमने प्रारम्भ कर दिया है। कई जिलों से मैं प्रगति रिपोर्ट ले रहा हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उनकी ईमानदारी के बारे में और चरित्र के बारे में मैं यह कह सकता हूं, मैं चरित्रहीन हो सकता हूं, बेईमान हो सकता हूं लेकिन गाड़िया लुहार कभी बेइमान नहीं हो सकता, कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। हमने पूरी तहकीकात की है। जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ संग्राम में साथ दिया, उनकी आज हम इतनी भी सेवा नहीं कर सकते। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिशा निर्देशन में इस वर्ष बसाने का हमने संकल्प लिया है और सभी गाड़िया लुहारों को बसाएंगे, यह हमने तय किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री नन्दलाल मीणा** (राज्य मंत्री, श्रम) : ये पट्टे ग्राम पंचायतों में मिले हैं या नगरपालिका में मिले हैं ?

**श्री मदन दिलावर** : ग्राम पंचायतों में 150 वर्ग मीटर, नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर। यही नहीं, भूखण्ड के साथ-साथ हमने यह भी तय किया है कि जो भूखण्ड का पट्टा उपलब्ध कराएगा और एक निश्चित हमारा फार्म है, आवेदन है, जो उसकी पात्रता पूरी करता है, उसको सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए पांच हजार रुपये की सहायता भी दी जाएगी।

समाज कल्याण विभाग जैसा मैंने कहा था कि यह तो कमजोर वर्गों के लिए विभाग है, इसमें सामान्यतया बड़े-बड़े लोगों का ध्यान नहीं होता है लेकिन हमने अपील की, जो समाज के सामर्थ्यवान लोग हैं, समृद्धशाली लोग हैं, जो दानवीर लोग हैं उनसे निवेदन किया कि जो 25,000 रुपये से ज्यादा,

( श्री मदन दिलावर )

हमने बहुत बड़ी राशि नहीं रखी जो 25,000 रुपये से ज्यादा का समाज कल्याण योजनाओं में सहयोग करेगा, ऐसे लोगों को हम सार्वजनिक रूप से सम्मान समारोह करके सम्मानित करेंगे। हमने इसको 'दानवीर प्रोत्साहन योजना' कहा है क्योंकि भामाशाह योजना शिक्षा विभाग में चल रही है इसलिए इसी के पैटर्न पर हमने यह कोशिश की है और मैं यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली साल भी हमने चर्चा में कुछ कहा था कि बहुत सारे ऐसे दानवीर हैं जिन्होंने हमें इस प्रकार से सहयोग दिया है। इसलिए मैं उन सबका बहुत-बहुत आभारी हूं।

पिछड़ा वर्ग आयोग का सरकार ने गठन किया और दो रिपोर्ट जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने दी उनकी सिफारिशों को सरकार ने मानकर गजट में नोटिफिकेशन कर दिया है और तीसरी रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

अभी एन.एस.एफ. डी.सी. के बारे में यहां पर एक चर्चा आई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास निगम के बारे में राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। उनकी बात से मैं सहमत हूं। हमें अभी तक इसके रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हुए और हम चाहते हैं कि इसका पुनर्गठन करने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें माननीय सदस्यों को भी रखेंगे और कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, उनके सुझावों के आधार पर इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।

बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने विमंदित लोगों के बारे में बात की जिनको उन्होंने अपनी भाषा में पागल कहा है कि वे ओपन घूमते रहते हैं और उनके पालन-पोषण का या उन्हें संरक्षण देने का कोई साधन नहीं है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि यहां सरकार की तरफ से विमंदित गृह चल रहा है। ऐसे जिन लोगों को जनता के लोग लाकर हमें सुपुर्द कर देते हैं, हम उनको वहीं उस आश्रम में रखते हैं और उनका पूरा पालन-पोषण करते हैं और जिन लोगों का इलाज संभव हो सकता है, उन सब लोगों का इलाज भी हम कराते हैं।

इसी प्रकार बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य, झर छात्रावास के बारे में कहा कि इसमें बहुत अनियमितताएं हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह छात्रावास समाज कल्याण विभाग का नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक चर्चा की गयी कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुसूचित जाति विकास निगम में दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया है। कुछ परेशानियां हमारे सामने आई थीं परन्तु उन परेशानियों के कारण हम घबराएंगे नहीं। पुनः कम्प्यूटर प्रशिक्षण इस वर्ष में चालू कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को जितना

( श्री मदन दिलावर )

कर सकेंगे, हम कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लगभग एक हजार लोगों को बी.एड. और एस.टी.सी. अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से करवा रहे हैं। यदि पिछले वर्ष का रिकार्ड उठाकर हम देखें तो अनुसूचित जाति विकास निगम में 37.5 करोड़ रुपये कमजोर वर्गों के विकास के लिए खर्च किया है जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा था। केन्द्रीय सरकार कुछ बाधाएं डाल रही है अनुसूचित जाति के लोगों के विकास करने में और हमारे ऊपर कई पाबंदियां लगा रही है। दो करोड़ रुपये की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को लोन देने के लिए गांरटी दी है और उसके माध्यम से हमने कई लोगों को ऋण उपलब्ध कराया है। फिर भी और मांग है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर विचार करके अपना निर्णय देने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस मांग में भाग लिया है और अच्छे सुझाव दिये हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

## मांग संख्या 21 एवं 33 का पारण

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,58,51,53,000/- (तीन अरब अठावन करोड़ इक्यावन लाख तिरेपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,98,14,12,000/- (एक अरब अठानवें करोड़ चौदह लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.13 बजे बुधवार, 19 मार्च, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(238)



## परिशिष्ट - 1

**(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)**

### सतर्कता एवं जन अभियोग निराकरण समिति, नवलगढ़

261. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या मुख्य (जल अभियोग निराकरण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1996 में नवलगढ़ उप खण्ड स्तर पर गठित सतर्कता एवं जन अभियोग निराकरण हेतु गठित समिति की कितनी बैठकें कब की गयीं ?

(2) क्या यह सही है कि निर्देशों के अनुसार इस समिति की बैठक प्रतिमाह होना जरूरी है ?

(3) यदि हां, तो इन निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया तथा इसमें कौन अधिकारी दोषी हैं ?

(4) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

#### उत्तर

(1) वर्ष 1996 में दिनांक 28.12.96 को समिति की बैठक आयोजित की गयी।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1996 में ऐसा कोई गम्भीर प्रकरण उपखण्डीय सतर्कता समिति के समक्ष नहीं आया जिसका समिति में निर्धारित मासिक बैठक में चर्चा हेतु लिया जाना आवश्यक हो। इस दौरान प्राप्त शिकायती पत्र नियमित मोनीटरिंग व्यवस्था के तहत निस्तारित किये गये। कतिपय ग्राम प्रकरणों के निस्तारण हेतु 28 दिसम्बर, 96 में बैठक का आयोजन किया गया।

(4) प्रश्न हीं नहीं उठता।

### इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं पर प्रस्तावित विद्युत संयंत्र

262. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि योजना अनुसार इंदिरा गांधी नहर की विभिन्न शाखाओं पर जल विद्युत संयंत्र लगने थे ? यदि हां, तो इस बाबत योजना क्या थी तथा किस-किस शाखा पर कब-कब कितने-कितने मेगावाट के संयंत्र कब-कब स्थापित किये गये ?

(2) इन विद्युत संयंत्रों से प्रतिवर्ष कितने यूनिट बिजली उत्पादित होनी थी तथा कितनी उत्पादित हुई ? पिछले 10 वर्षों में उत्पादित विद्युत का विवरण सदन की मेज पर रखें। विद्युत कम उत्पादित होने के क्या कारण रहे? इसे सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

#### उत्तर

(1) जी हां। योजना का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

239

( ऊर्जा मंत्री )

(2) इन विद्युत संयंत्रों से प्रतिवर्ष बिजली उत्पादन नहर में पानी उपलब्धता पर निर्भर करता है। नहर में पानी छोड़ना प्राथमिक तौर पर सिंचाई की जरूरत को ध्यान में रख कर एवं उपलब्धि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब कि विद्युत उत्पादन एक अतिरिक्त लाभ की तरह है। विगत कुछ वर्षों से इन संयंत्रों के लिये विद्युत उत्पादन निर्धारित लक्ष्य एवं उत्पादित ऊर्जा को संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है।

विद्युत कम उत्पादित होने के निम्न मुख्य कारण रहे : -

1. यथेष्ठ मात्रा में जल का उपलब्ध न हो पाना।

2. नहर के पानी में अत्यधिक सिल्ट एवं जलकुम्भी आने के कारण।

3. पानी में अधिक सिल्ट के कारण मशीनों के पुर्जों का शीघ्र घिसना।

4. इनटेक व ड्राफ्ट ट्यूब गेटों का नहीं होना।

5. बाईपास व्यवस्था न होने से पावर स्टेशन में पानी भरना।

इनसे निपटने के लिये उचित फिल्टर्स, इनटेक ड्राफ्ट ट्यूब गेट व बाईपास व्यवस्था उपलब्ध कराई गई/की जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

| क्र.स. | परियोजना का नाम | इन्दिरा गांधी नहर की शाखा | स्थापित क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1. | अनूपगढ़ लघु पानी विद्युत परियोजना | अनूपगढ़ शाखा | |
| | I- अनूपगढ़ प्रथम | अनूपगढ़ शाखा आर. डी. (-) 15 | 3 X 1.5 = 4.5 मे.वा. 1987-88 |
| | II- अनूपगड़ द्वितीय | अनूपगढ़ शाखा आर.डी. 59 | 3 X 1.5 = 4.5 मे.वा. |
| 2. | सूरतगढ़ लघु पन विद्युत परियोजना | सूरतगढ़ शाखा लक्खूवाली हैड | 2 X 2.0 = 4 मे.वा. फरवरी, 92 |

| क्र.स. | परियोजना का नाम | इन्दिरा गांधी नहर की शाखा | स्थापित क्षमता | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | पूगल लघु पन विद्युत परियोजना | | | |
| | I - पूगल प्रथम | मुख्य नहर के सत्तासर हैड पर | 1 X 1.5 = 1.5 मे.वा. | मार्च, 95 |
| | II - पूगल द्वितीय | पूगल शाखा आर. डी. -49-242 | 1 X 0.65 = 0.65 मे.वा. | जुलाई, 1992 |
| 4. | चारणवाला लघु पन विद्युत परियोजना | चारणवाला शाखा आर.डी. 24.35 | 1 X 1.2 = 1.2 मे.वा. | दिसम्बर, 1993 |
| 5. | बिरसलपुर लघु पन विद्युत परियोजना | बिरसलपुर शाखा आर.डी. 860 ई.गा.न.प. पर | 1 X 0.535 =0.535 मे.वा. है। | कार्य प्रगति पर |

## परिशिष्ट "ब"

| क्र.सं. | अनूपगढ़ प्रथम | अनूपगढ़ द्वितीय | सूरतगढ़ | पूगल प्रथम | पूगल द्वितीय | चारणवाला | विद्युत उत्पादन (लाख यूनिट में) | वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.988 | 8.917 | - | - | - | - | लक्षित | 1988-89 | |
| | | | | | | | वास्तविक | | सिंचाई विभाग द्वारा पानी कम छोड़े जाने के कारण विद्युत उत्पादन संभव नहीं हो पाया |
| 2. | - | - | - | - | - | - | लक्षित | 1989-90 | |
| | 41.122 | - | - | - | - | - | वास्तविक | | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | लक्षित | 1990-91 | |
| | 37.202 | 13.951 | - | - | - | - | वास्तविक | | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | लक्षित | 1991-92 | |
| | 123.817 | 25.761 | 4.063 | - | - | - | वास्तविक | | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | लक्षित | 1992-93 | |
| | 33.836 | 41.491 | 63.558 | - | - | 5.090 | वास्तविक | | |

| क्र.सं. | अनूपगढ़ प्रथम | अनूपगढ़ द्वितीय | सूरतगढ़ | पूगल प्रथम | पूगल द्वितीय | चारणवाला | विद्युत उत्पादन (लाख यूनिट में) | वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 98.50 | 74.00 | 116.00 | - | 19.00 | - | लक्षित | | यद्यपि |
| | 40.20 | 12.98 | 35.05 | - | 6.90 | - | वास्तविक | 1993-94 | संयंत्र की |
| 7. | 64.00 | 27.50 | 50.00 | - | 10.50 | - | लक्षित | | कमीश-निंग |
| | 77.328 | 98.092 | 35.897 | - | 11.537 | | वास्तविक | 1994-95 | दिसम्बर |
| 8. | 66.00 | 63.00 | 50.00 | - | - | - | लक्षित | | 93 में ही हो गई |
| | 25.003 | 59.374 | 8.545 | 0.2576 | 12.952 | | वास्तविक | 1995-96 | थी। |

## सिंचित क्षेत्र/इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण

263. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में सिंचित क्षेत्र विकास/इंदिरा गांधी नहर परियोजना के स्टेज प्रथम तथा द्वितीय हेतु वर्ष 1996-97 में डिग्गी निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों हेतु ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डिग्गी निर्माण कार्य के लिए क्या समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो समिति में कौन से सदस्य शामिल किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

### उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1996-97 में पेयजल डिग्गीयों के निर्माण हेतु स्टेज - I फैज -II में 15 एवं स्टेज-II में 26 कुल 41 डिग्गीयों की स्वीकृति जारी की गई है। सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) स्वीकृत डिग्गीयों का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में अधिकांशत पूर्ण कर लिया जायेगा, जो डिग्गीयां चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 की समाप्ति तक पूर्ण नहीं होगी, उनके निर्माण कार्य को भी निरन्तरता रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जायेगा।

(242)



परिशिष्ट - 1

## वर्ष 1996-97 में नई डिग्गीयों के निर्माण के स्थलों की सूची

(क) स्टेज - I फैज -II क्षेत्र

| क्र.सं. | स्थल चक | जिला | उपनिवेशन तहसील |
|---|---|---|---|
| 1. | 264 आर. डी. (कॅंवरसैन लिफ्ट) | बीकानेर | लूणकरणसर |
| 2. | 12 पी.बी. (पूगल ब्रांच) | -"- | पूगल |
| 3. | 38 डी.ओ.डी.डी. (डायरेक्ट आउटलेट दातोर वितरिका) | | -"--"- |
| 4. | 2 एस.एस.एम. (सियासर माइनर) | -"- | पूगल |
| 5. | 5 एम.के.एम. (मलकीसर माइनर) | -"- | लूणकरणसर |
| 6. | 11 एम.के.डी. (मलकीसर डिस्ट्रीब्यूटरी) | -"- | लूणकरणसर |
| 7. | 18 एम.के.डी. (मलकीसर डिस्ट्रीब्यूटरी) | -"- | लूणकरणसर |
| 8. | 1 जी.एस.एम. (घेवरासर माइनर) | -"- | लूणकरणसर |
| 9. | 4 डी.एल.एम. (दामेलाई माइनर) | -"- | लूणकरणसर |
| 10. | 10 ए.आर.एम. (आरियावाली माइनर) | -"- | छत्तरगढ़ |
| 11. | 11 ए.आर. एम. (आरियावाली माइनर) | -"- | छत्तरगढ़ |
| 12. | 2 एस.एस.एम. (शेरपुरा सब माइनर) | -"- | छत्तरगढ़ |
| 13. | ढाणी बांडका (सम्मेवाली वितरिका) | -"- | पूगल |
| 14. | 28 बी.डी. (बन्धेला वितरिका) | -"- | पूगल |
| 15. | 6 पी.एच.एम.ए. एण्ड बी. (परिहार माइनर) | -"- | पूगल |
| (ख) | स्टेज - II | | |
| 16. | 2 पी.एस.डी. (फूलासर डिस्ट्रीब्यूटरी) | बीकानेर | कोलायत नं. 2 |
| 17. | 5 आर.डी.वाई. (रणजीतपुरा डिंस्ट्रीब्यूटरी) | -"- | कोलायत नं. 2 |
| 18. | 2 जी. डब्ल्यू.एम/2 के.डब्ल्यू.डी. (गज्जेवाला माइनर/ खेरवाला डिस्ट्रीब्यूटर) | -"- | कोलायत नं. 3 |

| क्र.सं. | स्थल चक | जिला | उपनिवेशन तहसील |
|---|---|---|---|
| 19. | 3/5 जी.डब्ल्यू.एस.एम. (गज्जेवाला माइनर) | -"- | कोलायत नं. 3 |
| 20. | 2 जी.डब्ल्यू.एस.एम. (गज्जेवाला माइनर) | -"- | कोलायत नं. 3 |
| 21. | 17 के.डब्ल्यू.डी. (खेरवाला डिस्ट्रीब्यूटर) | -"- | कोलायत नं. 3 |
| 22. | 26 डी.ओ.बी.बी. (डायरेक्ट आउटलेट बीसलपुर बॉच) | -"- | कोलायत नं. 3 |
| 23. | 7 ए.डी.वाई "ए" (अखूसर डिस्ट्रीब्यूटर) | -"- | कोलायत नं. 3 |
| 24. | 7 ए.डी.वाई. "बी" (आखूसर डिस्ट्रीब्यूटरी) | -"- | कोलायत नं. 3 |
| 25. | 2 जी.डब्ल्यू.एम. "ए" (गोगरियावाला माइनर) | -"- | कोलायत नं. 4 |
| 26. | 2 आर.एम. 11 (रामड़ा राइट माइनर) | -"- | पूगल |
| 27. | 1 एल.एम. (लेफ्ट माइनर) | बीकानेर | पूगल |
| 28. | 662 आर. डी. (मैन केनाल) | -"- | पूगल |
| 29. | 3/4 जे.डब्ल्यू.एम. (जैमलवाला माइनर) | -"- | पूगल |
| 30. | 6 के.एच.एम. (कुशानवाला माइनर) | -"- | पूगल |
| 31. | 20 के.एच.एम. "ए" (कुशानवाला माइनर) | -"- | पूगल |
| 32. | 2 के.डब्ल्यू. एम. (कुम्भारवाला माइनर) | -"- | पूगल |
| 33. | 2 बी.आर.एम.(बोरिला माइनर) | जैसलमेर | नाचना नं. 2 |
| 34. | 13 एम.टी.डी. (मिठडिया वितरिका) | -"- | नाचना नं. 2 |
| 35. | 24 जे.डब्ल्यू.डी. (जालूवाला वितरिका) | -"- | नाचना नं. 1 |
| 36. | 1 डी.डब्ल्यू.एम. (देवा माइनर) | -"- | नाचना नं. 1 |
| 37. | 3 एन.एस.एम. (नाचना माइनर) | -"- | नाचना नं. 2 |
| 38. | 1 आर.एम. (राइट माइनर) | -"- | नाचना नं. 2 |
| 39. | 11 एस.के.डी. (साकड़िया वितरिका) | -"- | नाचना नं. 2 |
| 40. | 9 पी.डी. (पाली वितरिका) | -"- | मोहनगढ़ नं. 2 |
| 41. | 75 एस.एल.डी. (सुल्ताना वितरिका) | -"- | मोहनगढ़ नं. 3 |

## पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ (बेगूं) में पेटा काश्त भूमि पर शास्ति वसूली

264. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं के भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में राणा प्रताप सागर में डूबे गांवों की भूमि पेटा काश्त हेतु आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो वर्ष 1982 एवं 1983 में ग्राम गोपालपुरा, कंवरपुरा व वावड़ी खेड़ा के किस-किस किसान को कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसी पेटा काश्त भूमि के एक बार आवंटित हो जाने के बाद यदि किसी कारणवश बाद में उक्त भूमि आबंटित नहीं की जाती तो क्या उस जमीन का सरकार द्वारा लगान ही वसूल किया जाता है एवं धारा 91 के केस बनाकर उनसे शास्ति वसूल नहीं की जा सकती ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में ऐसी ही पेटा काश्त भूमि के एकबार आबंटन के बाद दुवारा आबंटन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया और धारा 91 के केस बनाकर उनसे शास्ति व फसल कुंता वसूल की गई ? कई किसानों के बहुत अधिक शास्ति हो जाने के कारण शास्ति की राशि नहीं चुका पाने पर उन्हें धमकियां और सजाएं दी गई और आज भी उन्हें तंग किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी शास्ति व फसल कुंता किन-किन किसानों से किस-किस सन (-) में वसूल की गई है ? नाम-पितावार, गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस प्रकार दवाव और धमकियों से की गई गैर कानूनी वसूली व शास्ति किसानों को वापस लौटाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और क्या भविष्य में मात्र लगान ही वसूल किया जायेगा शास्ति नहीं की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) ऐसी सुविधा राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 22.1.87 के अन्तर्गत ही दी गयी है जो पूर्व गामी प्रभावी नहीं है।

(3) संलग्न परिशिष्ट में सूचना के अनुसार किये गये आबंटन के पश्चात किसी भी व्यक्ति को नियमानुसार कोई आबंटन नहीं किया गया है। अतः कथित तालाब को भूमि पर काश्त करने वाले व्यक्ति नियमानुसार अतिक्रमी ही माने गये हैं व उनके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपित शास्ति का वसूली दबाव व धमकियों द्वारा नहीं की गई।

( राजस्व मंत्री )

(4) जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## स्नातक शिक्षकों को स्वीकृत वेतन वृद्धि प्रकरण

265. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1966 में एक आदेश जारी कर स्नातक शिक्षकों को 'शिक्षक प्रशिक्षण' (एस.टी.सी.) की अनिवार्यता से मुक्त किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश की अनुपालना में प्रशिक्षण रहित स्नातक शिक्षकों को दक्षता अवरोध पार दबाते हुए वेतन वृद्धि प्रदान कर दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने उपरोक्त आदेश में कोई संशोधन किया था अथवा उक्त आदेश को वापस ले लिया था? यदि हां, तो कब और क्यों ? यदि नहीं, तो उपरोक्त दक्षतावरोध पार करने के वाद प्रदत्त वेतन वृद्धि की राशि वसूले जाने के वर्ष 1978 में आदेश क्यों जारी किए गए?

(4) क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करते हुए वेतन वृद्धि का भुगतान एवं तदनुरूप स्थिरीकरण कर जालौर जिले के पीड़ित शिक्षकों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न के भाग-1 के अन्तर्गत कोई आदेश जारी नहीं हुये। अतः उसकी अनुपालना का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 1 व 2 के अनुसार।

(4) प्रश्न के भाग संख्या-3 के अनुसार।

## ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति चाकसू में व्यय की गई राशि

266. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

पंचायत समिति चाकसू की विभिन्न पंचायतों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

पंचायत समिति चाकसू की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1995-96 एवं 96-97 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण निम्न है : -

(लाखों में)

| योजना का नाम | वर्ष 95-96 | वर्ष 96-97 (फरवरी 97 तक) |
|---|---|---|
| ई.ए.एस. | 33.50 | 45.50 |
| तीस जिला तीस काम | 14.52 | 35.33 |
| निर्बन्ध राशि | 2.94 | 4.56 |
| एम.पी.योजना | 6.90 | 3.10 |
| जे.आर.वाई. | 32.03 | 20.86 |
| ए.जी.ए.के. | 12.91 | 6.77 |
| जे.डी.ए. | - | 1.79 |
| अकाल राहत | 3.41 | - |
| सी.एस.एस. | 2.10 | - |
| कुल योग | 108.21 | 117.01 |

वर्ष 1995-96 एवं 96-97 के अन्तर्गत सम्पादित कार्यवार, ग्राम पंचायतवार, योजनावार स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में अंकित है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## दूरभाष एवं यात्रा भत्तों पर मंत्रियों द्वारा व्यय

267. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) 1 अप्रेल, 1996 से 28 फरवरी, 1997 तक राज्य मंत्री मण्डल के सदस्यों के कितनी राशि के टेलीफोन बिल आवासों एवं कार्यालयों के प्राप्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालूलाल गुजर )

(2) उक्त अवधि में मंत्रीगणों द्वारा कितने दौरे किये गये और कितनी-कितनी राशि यात्रा भत्तों की उठाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सूचना परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" एवं "ख" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

परिशिष्ट "क"

## मंत्री परिषद के सदस्यों का दि. 1-4-96 से 28-2-97 तक का यात्रा व्यय एवं टेलीफोन व्यय का विवरण

| क्र.सं. | नाम मंत्रीगण | यात्रा व्यय | टेलीफोन व्यय | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय | निवास |
| 1. | श्री भैरोंसिंह शेखावत | 611617 | 186483 | 481601 |
| 2. | श्री हरिशंकर भाभड़ा | 97960 | 193968 | 68316 |
| 3. | श्री भंवरलाल शर्मा | 15830 | 160760 | 144135 |
| 4. | श्री ललित किशोर चतुर्वेदी | 83019 | 70804 | 313058 |
| 5. | श्री गंगाराम चौधरी | 56520 | 155568 | 393326 |
| 6. | श्री देवीसिंह भाटी | 45534 | 163834 | 355296 |
| 7. | श्री गुलाबचन्द कटारिया | 74065 | 91660 | 103544 |
| 8. | श्री सुजानसिंह यादव | 137000 | 113837 | 238393 |
| 9. | श्री कैलाश मेघवाल | 9448 | 75333 | 87759 |
| 10. | श्री रघुवीर सिंह कौशल | 17041 | 234738 | 141298 |
| 11. | श्री नाथूसिंह गुर्जर | 33856 | 65557 | 108653 |
| 12. | श्री राजेन्द्र राठौड़ | 46083 | 163503 | 306848 |
| 13. | श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा | 35323 | 31023 | 181322 |
| 14. | श्री जसवंत सिंह विश्नोई | 64753 | 189755 | 244238 |
| 15. | श्री श्रीकिशन सोनगरा | 4375 | 53523 | 70917 |

| क्र.सं. नाम मंत्रीगण | यात्रा व्यय | टेलीफोन व्यय | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यालय | निवास |
| 16. श्री ज्ञानसिंह चौधरी | 111458 | 68110 | 201430 |
| 17. श्रीमती शशीदत्ता | 8735 | 138398 | 321026 |
| 18. श्री नन्दलाल मीणा | 211033 | 130105 | 200654 |
| 19. श्रीमती नरेन्द्र कंवर | 15715 | 92724 | 183745 |
| 20. डा. रामप्रताप | 3376 | 89221 | 243161 |
| 21. श्री अनंग कुमार जैन | - | 735056 | 194255 |
| 22. श्री मदन दिलावर | 13755 | 146382 | 98503 |
| 23. श्री अचलाराम मेघवाल | 8063 | 102914 | 204866 |
| 24. श्री सांवरलाल जाट | 12250 | 90465 | 212091 |
| 25. श्री अर्जुनसिंह देवड़ा | 25643 | 28636 | 80259 |
| 26. श्री पुंजालाल गरासिया | 15942 | 107003 | 66369 |
| 27. श्री नसरू खां | 9375 | 48769 | 241059 |
| 28. श्री गुरजंट सिंह | 18000 | 14055 | 225609 |
| 29. श्री मंगलाराम कोली | 9438 | 23162 | 273209 |

ह.

वरिष्ठ लेखाधिकारी

शासन सचिवालय, जयपुर

(कोड नं. जी - 2)

## उदयपुर संभाग में वन भूमि पर अतिक्रमण

268. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि उदयपुर संभाग में वर्ष 1980 से पूर्व वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का विस्तृत सर्वे कराने हेतु कोई आन्दोलन चल रहा है ? यदि हां, तो कब से एवं किसके द्वारा ? उक्त आन्दोलन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(वन मंत्री)

### उत्तर

1.7.80 से पूर्व वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के नियमन किये जाने के सम्बन्ध में पिछले कुछ समय से उदयपुर संभाग में कुछ संगठनों/ संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा वनभूमि पर अतिक्रमणों के नियमन के सम्बन्ध में शासन से अनुरोध किया जाता रहा है। इनमें जंगल, जमीन जन आन्दोलन, आदिवासी विकास मंच, जिला पर्यावरण वाहिनी तथा उदयपुर बांसवाड़ा के कतिपय ग्रामवासी मुख्य हैं। राज्य सरकार द्वारा 1.7.80 से पूर्व वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों में से नियमन योग्य पाये गये उदयपुर संभाग के 3003 प्रकरण केन्द्र सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नियमन हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं। अवशेष प्रकरणों को तैयार कर भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

## जिला जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में स्वीकृत सड़कें

269. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि उपज मण्डी व राज्य सरकार द्वारा किन मानदण्डों के आधार पर सड़कें स्वीकृत की जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जोधपुर व श्रीगंगानगर में किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कितनी-कितनी सड़कें वित्तीय वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कहां-कहां स्वीकृत की गई ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत कराया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश परिशिष्ट - "1" पर संलग्न है।

(2) जिला जोधपुर व श्रीगंगानगर में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में पंचायत समितिवार स्वीकृत की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

**(आदेश की प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## परिशिष्ट–2

### (तारांकित प्रश्न संख्या 243 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धरा 29 (अवाइस) के तहत पेंडिंग केसेज का वर्षवार विवरण**

| | |
|---|---|
| 1993 | 22 |
| 1994 | 46 |
| 1995 | 310 |
| 1996 | 389 |
| योग | 767 |

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी- (वसूली) के तहत पेंडिंग केसेज का वर्षवार विवरण**

| | |
|---|---|
| 1993 | 16 |
| 1994 | 27 |
| 1995 | 53 |
| 1996 | 68 |
| योग | 164 |

## परिशिष्ट–3

### (तारांकित प्रश्न संख्या 244 की सूची एवं विवरण)

परिशिष्ट-"क"

**केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सूची**

| क्र.सं. | नाम | केन्द्रीय सहकारी बैंक |
|---|---|---|
| 1 | जयपुर | केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. |
| 2. | सीकर | -"- |
| 3. | झुंझुनूं | -"- |

251

| क्र.सं. नाम | केन्द्रीय सहकारी बैंक |
|---|---|
| 4. अजमेर | केन्द्रीय सहकारी बैंक |
| 5. टोंक | -"- |
| 6. भीलवाड़ा | -"- |
| 7. नागौर | -"- |
| 8. बीकानेर | -"- |
| 9. श्रीगंगानगर | -"- |
| 10. चूरू | -"- |
| 11. उदयपुर | -"- |
| 12. बांसवाड़ा | -"- |
| 13. डूंगरपुर | -"- |
| 14. चित्तौड़गढ़ | -"- |
| 15. अलवर | -"- |
| 16. सवाईमाधोपुर | -"- |
| 17. जोधपुर | -"- |
| 18. जैसलमेर | -"- |
| 19. सिरोही | -"- |
| 20. बाड़मेर | -"- |
| 21. बूंदी | -"- |
| 22. जालौर | -"- |
| 23. झालावाड़ | -"- |
| 24. भरतपुर | -"- |
| 25. कोटा | -"- |
| 26. पाली | -"- |

परिशिष्ट 1 "ब"

## राजस्थान में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. |
| 2. | भीलवाड़ा | -"- |
| 3. | केकड़ी | -"- |
| 4. | नागौर | -"- |
| 5. | टोंक | -"- |
| 6. | अलवर | -"- |
| 7. | भरतपुर | -"- |
| 8. | धौलपुर | -"- |
| 9. | हिण्डौन | -"- |
| 10. | सवाईमाधोपुर | -"- |
| 11. | बीकानेर | -"- |
| 12. | चूरू | -"- |
| 13. | हनुमानगढ़ | -"- |
| 14. | रायसिंहनगर | -"- |
| 15. | श्रीगंगानगर | -"- |
| 16. | जयपुर | -"- |
| 17. | झुंझुनूं | -"- |
| 18. | सीकर | -"- |
| 19. | वालोतरा | -"- |
| 20. | बिलाड़ा | -"- |
| 21. | जोधपुर | -"- |
| 22. | जालौर | -"- |
| 23. | पाली | -"- |
| 24. | सिरोही | -"- |

(253)

25. बारां — प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
26. बूंदी — -"-
27. झालावाड़ — -"-
28. कोटा — -"-
29. बांसवाड़ा — -"-
30. चित्तौड़गढ़ — -"-
31. डूंगरपुर — -"-
32. प्रतापगढ़ — -"-
33. उदयपुर — -"-
34. ब्यावर — -"- अवसायनाधीन (28-5-84 से)

परिशिष्ट 2 "अ"

## केन्द्रीय सहकारी बैंकों में गत तीन वर्षों में रही लाभ/हानि संबंधित सूचना
## (वर्ष 1993-94, 94-95 एवं 1995-96)

| क्र.सं. | नाम बैंक | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 (राशि लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अजमेर | - 127.55 | - 94.88 | - 40.25 |
| 2. | अलवर | - 18.28 | - 31.07 | + 9.98 |
| 3. | बांसवाड़ा | - 7.48 | - 67.61 | + 1.62 |
| 4. | बाड़मेर | - 4.17 | + 7.93 | + 98.90 |
| 5. | भरतपुर | - 83.37 | - 71.92 | + 4.14 |
| 6. | भीलवाड़ा | - 12.27 | - 22.40 | + 31.99 |
| 7. | बीकानेर | - 3.82 | + 1.76 | + 35.24 |
| 8. | बून्दी | - 32.14 | - 10.57 | -29.05 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | - 24.22 | - 20.65 | + 18.67 |
| 10. | चूरू | - 29.62 | - 37.65 | - 29.82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | डूंगरपुर | + 1.35 | +2.11 | +3.39 |
| 12. | जयपुर | -109.70 | - 110.63 | - 41.08 |
| 13. | जैसलमेर | + 2.59 | + 4.66 | + 6.98 |
| 14. | जालौर | - 9.73 | + 0.37 | + 9.56 |
| 15. | झालावाड़ | -12.02 | +0.63 | +9.27 |
| 16. | झुंझुनूं | - 35.62 | - 29.37 | + 9.28 |
| 17. | जोधपुर | + 5.76 | - 66.08 | + 42.34 |
| 18. | कोटा | - 15.81 | -215.21 | - 95.98 |
| 19. | नागौर | -35.20 | - 56.30 | + 11.40 |
| 20. | पाली | - 35.61 | + 1.28 | + 40.00 |
| 21. | सवाईमाधोपुर | - 3.32 | -26.44 | + 1.49 |
| 22. | सीकर | - 63.01 | - 1.11 | + 16.78 |
| 23. | सिरोही | + 0.13 | + 2.79 | + 4.28 |
| 24. | श्री गंगानगर | + 77.84 | + 92.11 | + 152.75 |
| 25. | टोंक | - 19.78 | - 18.86 | - 4.75 |
| 26. | उदयपुर | -87.44 | - 53.33 | - 32.26 |
| | योग | - 732.99 | -823.52 | +234.87 |

परिशिष्ट 2 (ब)

**राजस्थान में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की विगत 3 वर्षों की लाभ-हानि की स्थिति**

| क्र.सं | नाम बैंक | वर्ष 93-94 | वर्ष 94-95 | वर्ष 95-96 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | -7.69 | - 12.33 | + 6.25 |
| 2. | भीलवाड़ा | - 5.17 | + 2.19 | + 20.29 |
| 3. | केकड़ी | + 0.28 | + 1.89 | + 7.82 |
| 4. | नागौर | + 19.60 | + 6.57 | + 13.39 |
| 5. | टोंक | + 5.81 | + 8.69 | + 28.21 |

| क्र.सं नाम बैंक | वर्ष 93-94 | वर्ष 94-95 | वर्ष 95-96 |
|---|---|---|---|
| 6. अलवर | - 11.17 | - 31.49 | + 1.24 |
| 7. भरतपुर | - 38.30 | - 33.31 | + 1.08 |
| 8. धौलपुर | + 8.00 | + 6.27 | + 1.38 |
| 9. हिण्डौन | + 1.79 | + 1.46 | + 1.50 |
| 10. सवाईमाधोपुर | + 0.62 | + 4.45 | + 8.16 |
| 11. बीकानेर | + 0.07 | + 13.19 | + 11.02 |
| 12. चूरू | + 0.66 | + 3.33 | + 4.61 |
| 13. हनुमानगढ़ | + 3.73 | - 7.73 | +2.07 |
| 14. रायसिंहनगर | + 18.76 | + 14.86 | + 22.86 |
| 15. श्रीगंगानगर | + 17.63 | + 14.45 | + 13.51 |
| 16. जयपुर | - 7.73 | - 32.35 | + 1.51 |
| 17. झुन्झुनूं | + 29.50 | - 60.85 | + 14.65 |
| 18. सीकर | + 16.95 | + 23.86 | + 38.43 |
| 19. बालोतरा | + 4.83 | + 1.28 | + 38.39 |
| 20. बिलाड़ा | + 0.51 | + 2.52 | + 3.86 |
| 21. जोधपुर | - 1.15 | + 0.23 | + 1.24 |
| 22. जालौर | + 5.03 | + 4.70 | + 28.68 |
| 23. पाली | - 4.10 | + 20.79 | + 5.12 |
| 24. सिरोही | + 4.69 | - 127.00 | + 15.42 |
| 25. बारां | + 3.72 | +2.24 | -15.03 |
| 26. बून्दी | - 33.17 | - 18.99 | + 10.70 |
| 27. झालावाड़ | + 0.56 | + 0.61 | + 20.06 |
| 28. कोटा | - 7.71 | - 4.25 | + 10.52 |
| 29. बांसवाड़ा | - 6.91 | - 1.57 | +0.56 |
| 30. चित्तौड़गढ़ | + 1.33 | + 33.75 | + 30.62 |
| 31. डूंगरपुर | - 7.03 | + 0.19 | + 6.00 |
| 32. प्रतापगढ़ | - 0.29 | - 35.72 | + 0.86 |
| 33. उदयपुर | - 16.65 | + 10.34 | + 43.72 |

| क्र.सं नाम बैंक | वर्ष 93-94 | वर्ष 94-95 | वर्ष 95-96 |
|---|---|---|---|
| 34. व्यावर (अवसायन में है) | | | |
| योग : | + 144.07 | + 177.86 | +413.75 |
| | - 147.12 | - 365.79 | - 15.03 |

## परिशिष्ट–4

### (तारांकित प्रश्न संख्या 247 का विवरण एवं सूचना)

परिशिष्ट (क)

### सवाईमाधोपुर जिले से संकलित दूध की मात्रा

| क्र.सं. | वर्ष | औसतन प्रतिदिन मात्रा (किलोग्राम में) |
|---|---|---|
| 1. | 1991-92 | 1270 |
| 2. | 1992-93 | 1916 |
| 3. | 1993-94 | 1798 |
| 4. | 1994-95 | 1574 |
| 5. | 1995-96 | 2317 |
| 6. | 1996-97 (15 मार्च तक) | 2000 |

परिशिष्ट (ख)

### सवाईमाधोपुर एवं टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., सवाईमाधोपुर

### सवाईमाधोपुर एवं गंगापुर दुग्ध क्षेत्र की समितियों की सूची ।

| गंगापुर सिटी दुग्ध क्षेत्र की समितियां/ संकलन केन्द्र | | कार्यशील |
|---|---|---|
| 1. भैसा | दुग्ध उत्पादक सह. समिति लि. | कार्यशील |
| 2. डोरावली | "" | |
| 3. खिरखड़ी | "" | कार्यशील |
| 4. मंडेरू | "" | कार्यशील |
| 5. नांगललाढ़ | "" | |

| गंगापुर सिटी दुग्ध क्षेत्र की समितियां/ संकलन केन्द्र | | कार्यशील |
|---|---|---|
| 6. करोरी | दुग्ध उत्पादक सह: समिति लि. | |
| 7. अजीजपुर | " | कार्यशील |
| 8. जिन्तीकापुरा | " | कार्यशील |
| 9. खेड़ी | " | कार्यशील |
| 10. माचड़ी | " | कार्यशील |
| 11. मान्नोज | " | कार्यशील |
| 12. द्वादनपुर | " | कार्यशील |
| 13. राजोर | " | कार्यशील |
| 14. सादपुरा | " | कार्यशील |
| 15. पदमपुरा | " | कार्यशील |
| 16. गोरड़ा | " | |
| 17. तिमावा | " | |
| 18. धवान | " | कार्यशील |
| 19. राजोली | " | कार्यशील |
| 20. मोरड़ा | " | कार्यशील |
| 21. नागलेश्वर | " | कार्यशील |
| 22. वालघाट | " | |
| 23. राजपुर | " | |
| 24. बालाखेड़ा | " | |
| 25. गोपालपुरा (महिला) | " | कार्यशील |
| 26. कोयला | " | |
| 27. डावर | " | |
| 28. बिचपुरी | " | |
| 29. रिवाली | " | |

| गंगापुर सिटी दुग्ध क्षेत्र की समितियां/संकलन केन्द्र | | कार्यशील |
|---|---|---|
| 30. सुकार | दुग्ध उत्पादक सह. समिति लि. | |
| 31. श्री महावीरजी | " " | कार्यशील |
| 32. दानालपुरा | " " | |
| 33. पटोन्दा | " " | कार्यशील |
| 34. खेड़ा | " " | |
| 35. कायरोली | " " | |
| 36. मंडावरा | " " | |
| 37. ढहरा | " " | |
| 38. लपावली | " " | |
| 39. झारेडा | " " | कार्यशील |
| 40. बनकी | " " | |
| 41. महू | " " | |
| 42. केमला | " " | कार्यशील |
| 43. नहस्वा | " " | कार्यशील |
| 44. रोसी | " " | |
| 45. केमरी | " " | |
| 46. मीना बड़ोदा | " " | कार्यशील |
| 47. बरोली | " " | कार्यशील |
| 48. पावटा गद्दी | " " | कार्यशील |
| 49. मोहनपुर | " " | कार्यशील |
| 50. भोजपुर | " " | कार्यशील |
| 51. मासलपुर | " " | |
| 52. छेनकापुर | " " | |
| 53. चेनपुरा | " " | |
| 54. लेदोर | " " | |

| गंगापुर सिटी दुग्ध क्षेत्र की समितियां/संकलन केन्द्र | | कार्यशील |
|---|---|---|
| 55. गेहनोली | दुग्ध उत्पादक सह. समिति लि. | |
| 56. गुडला | "" | |
| 57. बाचपा | "" | |
| 58. लहरूका | "" | कार्यशील |
| 59. बडापुरा | "" | |
| 60. उतेवा | "" | |
| 61. करसाई | "" | |
| 62. नकनपुर | "" | |
| 63. पलपापुरा | "" | |
| 64. बालोती | "" | |
| 65. परोत्ता संकलन केन्द्र | "" | कार्यशील |
| 66. सेंगरपुर | "" | कार्यशील |
| 67. अखवाड़ा | "" | कार्यशील |
| 68. गाजीपुरा | "" | कार्यशील |
| 69. साफरवाडा | "" | कार्यशील |
| 70. पाखला | "" | कार्यशील |
| 71. पाटोली | "" | कार्यशील |

<u>सवाईमाधोपुरदुग्ध क्षेत्र की समितियां</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1. दौलतपुरा | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. | कार्यशील |
| 2. वहरावंडा खुर्द | "" | |
| 3. गौठडा | "" | कार्यशील |
| 4. तलावडा | "" | कार्यशील |
| 5. सावटा | "" | कार्यशील |
| 6. जयलालपुरा | "" | |
| 7. दुमेदा महिला | "" | |
| 8. छान | "" | |
| 9. श्यामपुरा | "" | |

260



| गंगापुर सिटी दुग्ध क्षेत्र की समितियां/संकलन केन्द्र | | कार्यशील |
|---|---|---|
| 10. कैलाशपुरा | दुग्ध उत्पादक सह. समिति लि. | |
| 11. मोरडूंगरी महिला | " | |
| 12. खवा महिला | " | कार्यशील |
| 13. बाजोली | " | कार्यशील |
| 14. सिंगोरकला | " | |
| 15. पीलेन्डी | " | कार्यशील |
| 16. पादडा | " | |
| 17. गोपालपुरा | " | |
| 18. भिड | " | |
| 19. टोडरा | " | |
| 20. पाडली | " | |
| 21. कुन्डेरा | " | कार्यशील |
| 22. करोली घाटा | " | कार्यशील |
| 23. लहसोडा | " | कार्यशील |
| 24. कोथाली | " | |
| 25. मकसूदनपुरा | " | |
| 26. मईकला | " | |
| 27. नायपुर | " | |
| 28. फरिया | " | |
| 29. वोदल | " | |
| 30. एण्डा | " | |
| 31. कारोली (ताराचंद) | " | कार्यशील |
| 32. बहरावडाकला | " | |
| 33. बाढपुर | " | |
| 34. उलियाना | " | |
| 35. मुकदपुरा | " | |

261

## परिशिष्ट–5

### (तारांकित प्रश्न संख्या 248 का विवरण)

### कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण

| क्र.सं. | विद्यालय का नाम | रिक्त पद | | |
|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III |
| 1. | राज.सी.मा.वि. कोटपूतली | 05 | 03 | - |
| 2. | -यथा-, बनेठी | 01 | 01 | - |
| 3. | राज.बालिका सी.मा.वि., कोटपूतली | - | 04 | 02 |
| 4. | राज.माध्यमिक विद्यालय, शकुलावास | - | 01 | - |
| 5. | रामावि, देवला | - | 02 | 01 |
| 6. | रामावि, कंवरपुरा | - | 01 | - |
| 7. | रामावि, भांकरी | - | 01 | - |
| 8. | रामावि, पुरषोत्तमपुरा | - | 01 | - |
| 9. | राउप्रावि, गोनेड़ा (बालिका) | - | - | 03 |
| 10. | राउप्रावि, बनेठी | - | - | 04 |
| 11. | राउप्रावि, सुदनपुरा ढाढा | - | 01 | 02 |
| 12. | राउप्रावि, नारहेड़ा | - | 01 | 01 |
| 13. | राउप्रावि, दांतिल | - | - | 03 |
| 14. | राउप्रावि, भांकरी | - | 01 | - |
| 15. | राउप्रावि, (छात्र) बड़ावास | - | 01 | - |
| 16. | राउप्रावि, बूचाहेड़ा | - | - | 01 |
| 17. | राउप्रावि, फतेहपुरा खुर्द | - | - | 02 |
| 18. | राउप्रावि, रघुनाथपुरा | - | - | 02 |
| 19. | राउप्रावि, पलियाला | - | - | 01 |

| क्र.सं. विद्यालय का नाम | रिक्त पद | | |
|---|---|---|---|
| | I | II | III |
| 20. राउप्रावि, सुदरपुरा | - | - | 01 |
| 21. राउप्रावि, बसई | - | - | 01 |
| 22. राउप्रावि, कुजाता | - | - | 01 |
| 23. राउप्रावि, वड़ावास | - | - | 01 |
| 24. राउप्रावि, बुचारा | - | - | 01 |
| 25. राउप्रावि, मोहनपुरा | - | - | 01 |
| 26. राउप्रावि, देहली बस स्टेण्ड, कोटपूतली | - | - | 01 |
| योग | 06 | 18 | 29 |

# परिशिष्ट–6

## (तारांकित प्रश्न संख्या 256 का विवरण)

परिशिष्ट (अ)

### Details of PPA executed for Private Power Project (Liqiud fuel based)

| S.No. | Name of the Generating Company | Location | Capacity in MW | Fuel allocation MW | Date of Signing of the PPA | Commissioning Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indo Cal Power Venture | vill. Kankani Distt. Jodhpur | 100 | 100 | 1/6/96 | 30/9/97 31/3/98 |
| 2. | RPG- Dholpur Power Comapany Ltd. | Dholpur | 2 X 394 25 | 635 | 29/8/96 | 28-32 months after effective date |
| 3. | Jodhpur Electric Power Company Ltd. | Jodhpur | 2 X75 | 50 | 16/9/96 | 30/9/98 31/3/99 |
| 4. | Varddhan Infrastructure Ltd. | Abu Road (Sirohi) | 100 | 50 | 3/10/96 | 30/9/98 |
| 5. | Bhiwadi Power Company Ltd. | Vill. Sarekhurd (Alwar) | 50 | 50 | 25/10/96 | 31/10/98 |
| 6. | Bhiwadi Generation Ltd. | Vill. Sarekhurd (Alwar) | 100 | - | 25/10/96 | 31/10/98 |
| 7. | Poysha Power Projects Ltd. | Baran | 140 | 50 | 26/10/96 | 30/11/98 |
| 8. | Global Boards Ltd. | Keshoraipatan (Bundi) | 168 | 130 | 30/10/96 | 31/10/98 |
| 9. | Jodhpur Electric Power Company Ltd. | Bharatpur or Banswara | 2 X 75 | 50 | 31/10/96 | 31/12/98 30/6/99 |
| 10. | DLF Power Ltd | Sawaimadhpur Udaipur, Jhalawar | 3X100 3locations | 50 | 31/10/96 | 30/12/98 31/3/99 30/6/99 |

264

| S.No. Name of the Generating Company | Location | Capacity in MW | Fuel allocation MW | Date of Signing of the PPA | Commissioning Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Poysha Power Generation Ltd. | Alwar | 140 | - | 31/10/96 | 16/2/99 |
| 12. Euro Power consortium India Ltd. | Chittorgarh/ Hanumangarh/ Bhilwara | 5 of (2X50) 5 locations | 100 | 31/10/96 | 30/11/98 30/8/99 30/4/99 30/12/99 30/11/2000 |
| 13. Bhagat Power Ltd | Keshoraipatan (Bundi) | 100 | 50 | 1/11/96 | 31/12/98 |
| 14. Peeraj Power Generation Pvt Ltd. | Bharatpur | 150 | 100 | 23/11/96 | 31/12/98 |
| 15. Chittorgarh Power Pvt. Ltd. | Chittorgarh | 100 | - | 4/12/96 | 12/98 |
| 16. Bhilwara Power Pvt. Ltd. | Bhilwara | 100 | - | 4/12/96 | 3/99 |
| 17. Udaipur Power Pvt. Ltd. | Udaipur | 100 | - | 4/12/96 | 6/99 |
| 18. Rajsamand Power Pvt. Ltd. | Rajsamand | 100 | - | 4/12/96 | 9/99 |
| 19. Banswara Power Pvt. Ltd. | Banswara | 100 | - | 4/12/96 | 12/99 |

265

## परिशिष्ट -7

## (तारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूचना)

### कृषि विभाग परिशिष्ट - 1

यह सही है कि सरकार की तरफ से काश्तकारों को अनुदान दिया जा रहा है। काश्तकारों को यह अनुदान कृषि भूमित यंत्रों, पौध संरक्षण यंत्रों व रसायनों, बीज, जीवाणु खाद तथा सिंचाई जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने वाले यंत्र जैसे फव्वारा, सिंचाई की पाइप लाइन तथा कुआं सुधार व कुट्टी मशीन के लिए दिया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है : -

**1. कृषि यंत्र** : - राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वैल चलित, कृषि यंत्रों पर यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम रुपये 1500/- शक्ति चालित पावर थ्रेसर एवं मेजशेलर पर कीमत का 25 प्रतिशत एवं अधिकतम रुपये 10,000/- जो भी कम हो अनुदान देय है। गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रैक्टर चालित यंत्रों पर अनुदान केवल बून्दी, गंगानगर, वांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में ही देय है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टोरेज जिन्स पर कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 350/- 3 क्वि. एवं रुपये 432/- 5 क्वि. हेतु देय है तथा दाल प्रोसेसर पर कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 4000/- अनुदान देय है।

30 पी.टी. ओ. हार्सपावर तक के ट्रैक्टरों पर कीमत का 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 30,000/- का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी श्रेणी के कृषक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यथा सम्भव योजना का अधिकतम लाभ सीमान्त लघु एवं अर्द्धमध्यम श्रेणी के कृषकों को क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अनुदान उपलब्ध करवाया जावेगा।

**प्रक्रिया** : कृषि उपकरणों पर अनुदान देय हेतु उप जिला स्तर पर कार्यरत सहायक निदेशक, कृषि वि. कार्यालय में काश्तकारों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

**2. पौध संरक्षण यंत्र** : कातरा, व्हाइट बैक्ड प्लांट होलर एवं सफेद लट भृंग कीट नियंत्रण हेतु एण्डेमिक क्षेत्र योजना राजकीय तथा बीजोपचार द्वारा मूंगफली फसल में सफेद लट नियंत्रण हेतु तिलहन विकास कार्यक्रम के.प्र.यो. और पौ.सं. यंत्रों हेतु सघन विकास कार्यक्रम के.प्र.यो. अन्तर्गत कृषकों को क्रय विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी

समितियों/ राजसंघ द्वारा संचालित लैम्प्स/राजफैड के माध्यम से अनुदान निम्न प्रकार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

| योजना का नाम | अनुदान पद्धति रु. प्रति हैक्टेयर |
|---|---|
| 1. एकेडेमिक क्षेत्र | 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 150/- |
| क- कातरा/व्हाइट प्लांट हावर ग्रास पर | |
| ख- भृंग नियंत्रण | |
| 2. सफेद लट नियंत्रण | 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 200/- |
| 3. पौध संरक्षण उपकरण | 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 600/- प्रति उपकरण |

**3. बीज :** खाद्यान्न, दलहन तिलहन और कपास के प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि बाजरे को संकुलन किस्मों पर रुपये 400/- प्रति क्विंटल, धान व गेहूं की किस्मों पर रुपये 200/- प्रति क्विंटल, दलहन एवं तिलहन की किस्मों पर रुपये 300/- प्रति क्विंटल तथा कपास पर प्रति क्विंटल 10 वर्ष तक की अवधि की सूचित किस्मों पर रुपये 300/- प्रति क्विंटल एवं 15 वर्ष की अधिसूचित किस्मों पर रुपये 250/- प्रति क्विंटल देय है। यह अनुदान राशि, राजस्थान राज्य बीज निगम लि., राष्ट्रीय बीज निगम लि., तिलम संघ, कृषक भारती को-आपरेटिव लि. जयपुर तथा केन्द्रीय राज्य फार्म एस.एफ.सी. जैतसर, सरदारगढ़ तथा सूरतगढ़ संस्थाओं द्वारा अनुदानित दरों पर कृषकों को वितरण किये गये पर ही दिया जाता है।

**4. उर्वरक/खाद :-** भारत सरकार द्वारा कृपक उर्वरक रियायत योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनियंत्रित फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरक रियायत दर पर उपलब्ध कराती है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा राज्य में विक्रय किये गये फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर भारत सरकार निर्माताओं को निम्न दर से पुनर्भरण करती है :

| क्र.सं | नाम उर्वरक | रियायत दर दिनांक | रियायत दर दिनांक |
|---|---|---|---|
| | | (6.7.96 से पूर्व) | (6.7.96 से प्रभावी) |
| 1. | डीएपी स्वदेशी | रु. 1000 प्रति टन | रु. 3000 प्रति टन |
| 2. | डीएपी आयातित | निल | रु. 1500 प्रति टन |
| 3. | एमओपी आयातित | रु. 1000 प्रति टन | रु. 1500 प्रति टन |
| 4. | सुपर फास्फेट | रु. 340 प्रति टन | रु. 500 प्रति टन |

| क्र.सं | नाम उर्वरक | रियायत दर दिनांक | रियायत दर दिनांक |
|---|---|---|---|
| 5. | काम्पलेक्स उर्वरक | | |
| | अ- 12:32:16 | रु. 962 प्रति टन | रु. 2487 प्रति टन |
| | ब- 15:15:15 | रु. 576 प्रति टन | रु. 1353 प्रति टन |
| | स- 20:20:20 | रु. 435 प्रति टन | रु. 1304 प्रति टन |

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, राष्ट्रीय दलहन विकास योजना एवं तिलहन विकास कार्यक्रम तथा राज्य योजना पोपुलराइजेशन आफ एजेक्टोबेक्टर के अन्तर्गत जैविक खादों पर मूल्य का पचास प्रतिशत या अधिकतम रुपये 25 प्रति हैक्टेयर देय है। राज्य नें जैविक उर्वरकों के पैकेट पर निम्न प्रकार अनुदान दिया जा रहा है :-

1. राइजोवियम कल्चर एवं एजेक्टोवेक्टर रुपये 3.25 प्रति पैकेट
2. पी.एस.बी. पैकेट रुपये 4.00 प्रति पैकेट

5. सिंचाई जल के कुशल उपयोग को वढ़ावा

देने के लिये काश्तकारों को देय अनुदान एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है : -

**1. फव्वारा सिंचाई योजना** : फव्वारा सैट पर सामान्य श्रेणी के काश्तकारों को नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 7000/- प्रति हैक्टेयर तथा लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 10,000/- प्रति हैक्टेयर दिया जा रहा है। अनुदान की अधिकतम सीमा 3.0 हैक्टेयर हे। कृषकों द्वारा फव्वारा संयंत्र नकद या ऋण से क्रय करने पर दोनों ही स्थितियों में अनुदान देय है। कृषकों को अनुदान प्राप्त करने के लिये पहले प्रार्थना पत्र उप जिलों के सहायक निदेशक, कृषि विस्तार के कार्यालय में पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक है उसके उपरांत ही अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

**2. सिंचाई पाइप लाइन** : राज्य योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों को 100 मीटर तक पाइप लाइन पर फ्लेट रेट पर रुपये 1200/- एवं लघु/ सीमान्त/ अजा/अजजा/कृषकों को फ्लेट रेट पर रुपये 1800/- का अनुदान दिया जाता है। मैसिव योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त कृषकों को माह दिसम्बर, 1996 तक 100 मीटर पाइप लाइन के लिये रुपये 1800/- दिया गया है परन्तु दिनांक 21.12.1996 से मैसिव कार्यक्रम के अन्तर्गत निहित प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये लघु/कृषकों को नावार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों को 33.3 प्रतिशत एवं अजा/अजजा/के

लघु/सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। कृषकों को अनुदान सीमेन्ट/एचडीपीई/पीवीसी: साइज पर नगद या ऋण से क्रय कर लगाने पर देय है। अनुदान के लिये कृषकों को आवेदन पत्र उप जिले के सहायक निदेशक, कृषि विस्तार कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है तथा सहायक निदेशक, कृषि विस्तार भौतिक सत्यापन कर अनुदान स्वीकृत सम्बन्धित कृषकों को भुगतान करता है।

**3. कुआं सुधार योजना** : –इस योजनान्तर्गत फ्लेट रेट पर सामान्य कृषकों को रुपये 1200/- तथा लघु/सीमान्त/अजा/अजजा के कृषकों को रुपये 1800/- का अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिये काश्तकारों को उप जिले के सहायक निदेशक, कृषि विस्तार कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। सहायक निदेशक, कृषि विस्तार भौतिक सत्यापन उपरान्त कृषकों के पक्ष में अनुदान स्वीकृति जारी कर अनुदान का भुगतान करते हैं।

**4. डिग्गी, पम्पसैट एवं फव्वारा सैट योजना** : –यह योजना प्रदेश के गंग, भाखड़ा, सिद्धमुख नोहर एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के लिये ही है। योजनान्तर्गत कृषकों को डिग्गी, पम्पसैट एवं फव्वारा संयंत्र पर रुपये 50,000/- का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें से 6 से 8 लाख लीटर पानी की क्षमता की डिग्गी बनाने पर रुपये 40,000/- तथा रुपये 3000/- पम्पसैट एवं रुपये 7000/- फव्वारा संयंत्र के लिये निर्धारित है। अनुदान के लिये पात्र कृषिक उप जिले के सहायक निदेशक, कृषि विस्तार के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। सहायक निदेशक, कृषि विस्तार मौके पर भौतिक सत्यापन कृषक के पक्ष में अनुदान स्वीकृत कर सम्बन्धित कृषक को अनुदान का भुगतान किया जाता है। कृषकों को अनुदान डिग्गी, पम्पसेट तथा फव्वारा सैट बैंक ऋण तथा नकद से लगाने पर दोनों ही स्थितियों नें देय है।

अनुदान हेतु कृषि यंत्रों, पौध संरक्षण रसायनों, बीज उर्वरकों व सिंचाई साधनों के दिशा निर्देश परिशिष्ट- "क" पर संलग्न है।

**(दिशा निर्देश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जलग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग परिशिष्ट -2

वर्तमान में इस शाखा द्वारा फसल प्रदर्शन, चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचित प्रदर्शन असिंचित प्रदर्शन, मिनिकिट, चारा कुट्टी मशीन वितरण, मेन्जर निर्माण कार्यक्रम, यूरिया मोलेसिस प्रदर्शन एवं उद्यानिकी पौधों पर अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान की राशि एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

269

**1. फसल प्रदर्शन**

(अ) एक फसलीय - रु. 650/- प्रति प्रदर्शन (0.5 है. पर) आदान हेतु।

(ब) दो फसलीय - रु. 1100/- प्रति प्रदर्शन (0.5 है. पर) आदान हेतु।

(स) मिलवां - रु. 800/- प्रति प्रदर्शन (0.5 है. पर) आदान हेतु।

**2. चारा विकास कार्यक्रम**

(अ) सिंचित प्रदर्शन- रु. 750/- प्रति प्रदर्शन (0.25 हैक्टर) आदान हेतु।

(ब) असिंचित प्रदर्शन- रु. 375/- प्रति प्रदर्शन (0.25 हैक्टर) आदान हेतु।

(स) मिनिकिट - रु. 150/- प्रति प्रदर्शन (0.10 हैक्टर) उन्नत बीज हेतु।

(द) चारा कुट्टी मशीन- रु. 500/- प्रति धारा कुट्टी मशीन पर वितरण।

(य) नांद/मेन्जर निर्माण - रु. 200/- प्रति मेन्जर।

(र) सूखा चारा गुणवत्ता/ रु. 250/- प्रति प्रदर्शन
यूरिया मोलेसिस।

**3. उद्यानकीय**

पौधों की वास्तविक कीमत एवं 15/- रु. का अनुदान 3 वर्ष तक सार सम्भाल हेतु। दिशा निर्देश परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है।

**(दिशा निर्देश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## उद्यान विभाग

परिशिष्ट–3

उद्यान विभाग द्वारा काश्तकारों को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना द्वारा कृषि में प्लास्टिक का उपयोग व मसाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिया जा रहा है। कृषि में प्लास्टिक का उपयोग अन्तर्गत बूंद-बूंद सिंचाई, मल्चिंग, ग्रीन हाउस कार्य के लिये एवं मसाला विकास योजनान्तर्गत पौध संरक्षण उपकरण, पौध संरक्षण रसायनों के लिये अनुदान दिया जा रहा है। योजनाओं में दिये जा रहे अनुदान प्रक्रिया व जारी दिशा-निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**कृषि निदेशालय**

परिशिष्ट-4

**गत वर्ष एवं चालू वर्ष में योजनवार की गई अनुदान राशि में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का निम्नानुसार हिस्सा रहा है :-**

| योजना का नाम | वर्ष 1995-96 | | वर्ष 1996-97 (राशि लाखों में) (दिसम्बर, 96 तक) | |
|---|---|---|---|---|
| | हिस्सा भारत सरकार | हिस्सा राज्य सरकार | हिस्सा भारत सरकार | हिस्सा राज्य सरकार |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) कृषि यन्त्र | 64.24 | 4.56 | 14.77 | 3.54 |
| जिलेवार तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट घ पर संलग्न है। | | | | |
| (2) पौध संरक्षण यंत्र | | | | |
| 1. एण्डेमिक क्षेत्र में कीट नियं. | 100 प्र. | 18.81 | 100 प्र. | 29.29 |
| 2. बीजोपचार द्वारा सफेद लट नियंत्रण तिलहन विकास | 20.62 75 प्र. | 6.87 25 प्र. | 21.33 75 प्र. | 7.11 25 प्र. |
| 3. पोध संरक्षण उपकरण | 2.59 75 प्र. | 0.86 25 प्र. | 2.73 75 प्र. | 0.91 25 प्र. |

**जिलेवार तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (3) बीज | | | | |
| खाद्यान्न, दलहन, तिलहन तथा कपास के प्रमाणित बीज | 269.65 75 प्र. | 89.88 25 प्र. | 200.12 75 प्र. | 36.70 25 प्र. |
| 4. उर्वरक/खाद | | | | |
| 1. | 2383.14 100 प्र. | | 3140 21.100 प्र. | |
| 2. जैविक खाद राष्ट्रीय दलहन | 5.06 75 प्र. | 25 प्र. | 75 प्र. | 8.00 25 प्र. |
| 3. तिलहन उत्पादन | 5.79 75 प्र. | 25 प्र. | 75 प्र. | 8.00 25 प्र. |
| 4. पोपुलराइजेशन आफ एजेक्टोहेक्टयर | 4.67 100 प्र. | 8.00 100 प्र. | | |

(271)

**जिलेवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| (5) सिंचाई जल के कुशल उपयोग | | | | |
| फव्वारा सिंचाई | 1279-53 | 611.62 | 1815 | 338.54 |
| सिंचाई पाइप लाइन | 95.53 | 138.74 | 14.91 | 46.68 |
| कुआं सुधार | - | 254.21 | - | 14.38 |
| डिग्गी पम्पसैट, फव्वारा सैट | 69.17 | 18.80 | 30.50 | - |
| एडीपी फव्वारा प्रदर्शन एडीपी | 12.11 | - | 8.42 | - |

**जिलेवार विवरण परिशिष्ट- "घ" पर संलग्न है।**

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**जलग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग** परिशिष्ट - 5

इस पर भारत सरकार परियोजना पर पूर्ण व्यय कर रही है। लेकिन इसमें 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जा रहा है। चारा विकास कार्यक्रम में दिये गये अनुदान की जिलेवार सूची तथा फसल प्रदर्शन हेतु दी गई अनुदान की राशि का विवरण परिशिष्ट- "च" दो वर्षवार अंकित है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**उद्यान विभाग** परिशिष्ट-6

गत वर्ष 66.399 लाख रुपये व चालू वर्ष में जनवरी, 97 तक 20.164 लाख रुपये एवं दोनों वर्षो में कुल 86.563 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। जिसमें 70.146 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्सा व 16.40 लाख रुपये राज्य हिस्सा है। जिलेवर तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट - "छ" पर संलग्न है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**कृषि निदेशालय** परिशिष्ट - 7

किसानों की तरफ से अनुदान के लिए कृषि यंत्र, पौध संरक्षण, बीज, खाद की राशि के दावे कोई विचाराधीन 31 मार्च, 96 तक विभिन्न जिलों में फव्वारा संयंत्रों पर अनुदान के 13337 दावे लम्बित थे जिन पर अनुदान स्वीकृत करने के लिये 1740.83 लाख

रुपये का बजट आबंटन किया जा चुका है तथा 11327 कृषकों को 1354.75 लाख रुपये के अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में 2010 कृषकों के 262.08 लाख रुपये के अनुदान के दावे अप्रेल, 1996 से लम्बित हैं जिन पर अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु ट्रेजरी द्वारा बिल पारित नहीं किये गये वं फरवरी माह के अन्त तक सभी कृषकों को अनुदान का भुगतान कर दिया जायेगा। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है : –

| नाम जिला | अनुदान के लम्बित दावे | अनुदान की राशि (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| जयपुर | 690 | 81.89 |
| सीकर | 624 | 82.01 |
| अलवर | 47 | 5.16 |
| जालौर | 175 | 25.00 |
| नागौर | 234 | 32.46 |
| भरतपुर | 76 | 10.39 |
| बाड़मेर | 140 | 20.00 |
| हनुमानगढ़ | 24 | 4.17 |
| | **2010** | **262.08** |

**जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग : –**

कृषि अनुदान के कोई भी दावे बकाया नहीं है।

**उद्यान विभाग : –**

उद्यान विभाग में अनुदान सम्बन्धित गत वर्ष का कोई दावा विचाराधीन नहीं है।

## परिशिष्ट-8

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 390 की प्रति)

## राजस्थान सरकार

### सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

**क्रमांक : प. 23 (85) सा.प्र./1/90** **जयपुर, दिनांक 31.3.90**

### आदेश

देश में पैट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के संकट को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन पदार्थों की खपत में कमी लाई जावे एवं सारे प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के वचत सम्बन्धी एवं वातावरण तैयार किया जावे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार राजकीय वाहनों के प्रयोग हेतु निम्न आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी करती है : -

1. राजस्थान मंत्री (यात्रा भत्ता, वाहन का उपयोग एवं रख-रखाव) नियम, 1974 के नियम 5 (3) के तहत मंत्री प्रत्येक वर्ष में 3650 लीटर पेट्रोल निःशुल्क उपयोग करते हेतु अधिकृत है। इस सीमा को कम किया जाकर 2480 लीटर किया जाता है।
2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक पं. 4 (1) एफ.डी./ग्रुप-2/86 दिनांक 27.5.36 एवं 8.11.88 जिसके द्वारा सरकार के सचिवगण, विशिष्ट सचिवगण एवं विभागाध्यक्षों (श्रेणी-प्रथम) को रु. 225/- प्रतिमाह भुगतान पर 500 कि.मी. तक राजकीय वाहन निजी उपयोग में लिए जाने की सुविधा दी गई थी, को तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाता है। अब यह सुविधा तुरन्त प्रभाव से समाप्त समझी जायेगी।
3. निम्नलिखित अधिकारीगण रु. 100/- प्रतिमाह के भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन को निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक ले जाने हेतु अधिकृत होंगे : -

   1. मुख्य सचिव
   2. समस्त पुलिस महानिदेशक
   3. समस्त शासन सचिवगण
   4. समस्त सम्भागीय आयुक्त
   5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक

274



6. समस्त शासन विशिष्ट सचिवगण
7. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक
8. समस्त विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी
9. समस्त जिला कलक्टर
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक

रु. 100/- प्रतिमाह का भुगतान इस अधिकारीगण के लिए अनिवार्य होगा। इनका वसूली सम्बन्धी आदेश वित्त विभाग अलग से जारी करेगा।

4. पैरा 3 में उल्लेखित अधिकारी एवं क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारीगण को छोड़कर कोई अधिकारी राजकीय वाहन को अपने आवास पर पार्क नहीं करेंगे।

5. कोई भी अधिकारी साधारणतया उन स्थानों का दौरा राजकीय वाहन से नहीं करेगा जो रेलगाड़ी से जुड़े होंगे, लेकिन कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक सेवाओं, राजस्व आय से जुड़े हुए विभागों हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष परिस्थितियों को देखते हुए इस शर्त में छूट प्रदान कर सकेंगे। शेष समस्त विभागों हेतु मुख्य सचिव ये सामान्य छूट या विशेष यात्रा के लिए छूट की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. क्षेत्राधिकार के बाहर राजकीय वाहन के उपयोग हेतु पूर्व में ही प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

7. सभी विभाग अपनी गाड़ियों का प्रयोग इस तरीके से आयोजित करेंगे कि उनकी पैट्रोल व डीजल की आवश्यकता की पूर्ति इस वर्ष में आबंटित बजट की सीमा तक ही हो जाए। किसी भी अवस्था में इस मद हेतु अतिरिक्त धनराशि आबंटित नहीं की जावेगी। सम्बन्धित विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष के दौरान उधार के बिल अगले वित्तीय वर्ष के लिए लम्बित नहीं रहे।

8. कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक पदों का पदभार है (भले ही वह राजकीय पदभार हो या राजकीय निगम/मण्डल अथवा स्वायत्तशाषी संस्था को हो), एक से अधिक वाहन अपने राजकीय उपयोग हेतु नहीं रखेगा।

9. राज्यादेशों के अनुसार सरकार के शासन सचिवगण को प्रतिमाह कम से कम 5 दिन का दौरा एवं 3 रात्रि विश्राम अनिवार्य है। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

10. क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति एवं

ऊर्जा को छोड़कर एवं राजकीय कार्य से जुड़े हुए अपरिहार्य उत्तरदायित्वों के निर्वाह के बिना कोई भी राजकीय वाहन रविवार के दिन उपयोग में नहीं लाया जायेगा। साधारणतया मंत्रिगण भी रविवार को राजकीय यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन अपरिहार्य कारणों से उन्हें रविवार को यात्रा करने की छूट होगी।

उपरोक्त समस्त निर्देश राजकीय निगमों/मण्डलों एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी पूर्णतया लागू होगी। राजकीय उपक्रम विभाग इस संबंध में उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करेगा।

समस्त विभागों के शासन सचिवगण एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। इन आदेशों की अवहेलना को राज्य सरकार गंभीरता से लेगी।

कृपया इस आदेश की पावती भिजवाने का कष्ट करें।

ह/-

(बी.बी.एल.माथुर)

मुख्य सचिव

## परिशिष्ट–9

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 395 का विवरण)

(रकबा एकड़ में)

(स्थिति 31.12.1996 को)

| क्र.सं नाम जिला | स्थगन के कारण अधिग्रहण नहीं किया क्षेत्र | अन्य कारणों से अधिग्रहण नहीं किया गया क्षेत्र | कुल अधिग्रहण से शेष भूमि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. अजमेर | 1418.78 | - | 1418.78 |
| 2. अलवर | 785.00 | - | 785.00 |
| 3. बारां | 2406.18 | 192.00 | 2598.18 |
| 4. बाड़मेर | 1364.75 | - | 1364.75 |
| 5. भरतपुर | 147.22 | - | 147.22 |

276



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. भीलवाड़ा | 2921.00 | 288.00 | 3209.00, |
| 7. बून्दी | 436.00 | 577.00 | 1013.00 |
| 8. दौसा | 108.00 | 118.75 | 226.75 |
| 9. हनुमानगढ़ | 5513.00 | - | 5513.00 |
| 10. श्रीगंगानगर | 5693.00 | - | 5693.00 |
| 11. जयपुर | 557.50 | - | 557.00 |
| 12. जैसलमेर | 1120.64 | - | 1120.64 |
| 13. जालौर | 151.00 | - | 151.00 |
| 14. झालावाड़ | 272.47 | 11.78 | 184.25 |
| 15. जोधपुर | 3010.00 | 1697.00 | 4707.00 |
| 16. कोटा | 6255.00 | 20.00 | 6275.00 |
| 17. पाली | 4005.60 | 148.00 | 4153.60 |
| 18. राजसमन्द | 934.66 | - | 934.66 |
| 19. सवाईमाधोपुर | 192.00 | 100.00 | 292.00 |
| 20. सिरोही | 68.00 | - | 68.00 |
| 21. टोंक | 709.00 | - | 709.00 |
| 22. उदयपुर | 3048.00 | - | 3048.00 |
| 23. नागौर | 1544.00 | - | 1544.00 |
| **योग** | **42660.30** | **3152.53** | **45813.33 एकड़** |

## परिशिष्ट 10

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 408 की प्रति)

राज. गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान, और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के

नियम - 10 :- सहायता अनुदान को विनियमित करने वाली सामान्य शर्तें

"प्रत्येक संस्था, जो सहायता अनुदान के लिए आवेदन करती है के लिए यह समझा

जायेगा कि उसने निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की आनी बाध्यताओं को स्वीकार कर लिया है : –"

1. संस्था जब तक कि शिक्षा निदेशक द्वारा अनुज्ञा नहीं दे दी जाये तब तक, अभ्यार्थियों को अन्य राज्य में आयोजित किसी परीक्षा के लिए न तो तैयार करेगी न ही भेजेगी जब कि उसी स्वरूप और स्तर की कोई परीक्षा शिक्षा विभाग, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान में आयोजित की जाती हो।

2. प्रवेश और संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सुविधाएं, जिनमें निःशुल्क अध्ययन, अर्द्धशुल्क अध्ययन सम्मिलित है, जाति, रंग, पथ, धर्म और भाषा का कोई भेद किया बिना जनता के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध होगी।

3. संस्था किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं चलाई जायेगी। उसकी प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए जिस पर यह भरोसा किया जा सके कि वह अपनी आस्तियों का उपयोग संस्था के उद्देश्यों करने के लिए करेगा।

4. संस्था आनी ऐसे सभी आस्तियों की सूची शिक्षा विभाग को देगी जिनकी आय का उपयोग संस्था के व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जाता है।

5. शैक्षिक संस्था या उसका कोई भी संकाय, विषय, पाठ्यक्रम कक्षा या अनुभाग विभाग को अधिनियम की धारा 14 के अधीन यथा-परिकल्पित कम से कम पूर्ण शिक्षा वर्ष का लिखित नोटिस दिये बिना बन्द या अवश्रेणीकृत नहीं किया जायेगा।

6. जब कभी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध को अंतरित किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति जिसको प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित हे, ऐसे अन्तरण से पूर्व, अन्तरण के पूर्व अनुमोदन के लिए परिशिष्ट-6 में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।

7. प्रबन्ध परिशिष्ट-2 में विहित राशि विन्यास आरक्ति निधि में निक्षिप्तता करायेगा।

8. प्रबन्ध द्वारा अनुदानों, दान, विन्यासों पर के ब्याज, विद्यार्थियों से फीसों के रूप में संगृहित रकम संस्था के लेखे में जमा की जायेगी और संस्था के वार्षिक आय और व्यय विवरण में दिखायी जायेगी। तुरन्त संवितरण या संदाय के लिए अपेक्षित धन को छोड़कर सारा धन जिला/उप-खजाना में इस प्रयोजन के लिए खोले गये पी डी लेखे में जमा किया जायेगा। संस्था आय के अनुसार एक रजिस्टर में विस्तृत लेखें रखेगी।

9. (क) प्रबन्ध यह देखेगा कि रोल पर के विद्यार्थियों की कुल संख्या और बाल संख्या में उनकी औसत उपस्थिति इसमें नीचे उल्लिखित मानक से कम नहीं पड़ती है :-

| क्र.सं. | संस्था का उत्तर | कक्षा | किसी सत्र में रोल पर के विद्यार्थियों की कुल संख्या | औसत उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा | | | |
| | 1. निम्न प्राथमिकी | 1 से 3 | 45 | 75% |
| | 2. प्राथमिक | 1 से 5 | 75 | 75% |
| | 3. उच्च प्राथमिक | 6 से 8 | 45 | 75% |
| | 4. माध्यमिक | 9 से 10 | 40 | 75% |
| | 5. सीनियर माध्यमिक | 11 से 12 | 60 | 75% |
| | 6. छात्रावास | | 25 | 75% |
| 2. | संस्कृत शिक्षा | | | |
| | 1. प्राथमिक | 1 से 5 | 75 | 75% |
| | 2. पूर्व प्रवेशिका | 5 से 8 | 45 | 75% |
| | 3. प्रवेशिका | 9 से 10 | 30 | 75% |
| | 4. उपाध्याय | 11 से 12 | 20 | 75% |
| | 5. शास्त्री | प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष | 20 | 75% |
| | 6. आचार्य | पूर्वार्द्ध से उतरार्द्ध | 10 | 75% |
| 3. | महाविद्यालय शिक्षा | | | |
| | 1. स्नातक | प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष | 30 | 75% |
| | 2. स्नातकोत्तर | पूर्वार्द्ध से उतरार्द्ध | 20 | 75% |

(ख) बालिका संस्थाओं के मामले में किसी सत्र में रोल पर के विद्यार्थियों को कुल संख्या बाल संस्था के लिए विहित संख्या की 75% हो सकेगी और औसत उपस्थिति 60% हो सकेगी।

10. संस्था की निधि में से रकम केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा जो निधि को चलाने के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा सम्यक् रूप से प्रधिकृत हो और केवल संस्था के अनुरक्षण या सुधार के लिए व्यय उपगत करने के प्रयोजन के लिए निकाली जावेगी।

11. संस्था विभाग द्वारा संस्था के उचित संचालन के लिए समय-समय पर दिये गये सभी अनुदेशों/आदेशों/विनिश्चयों का तत्परता से पालन करेगी।

12. कोई नया पाठ्यक्रम कक्षा अनुभाग विषय, संकाय या कोई परियोजना प्रारम्भ करने के लिए कोई भी अनुदान तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा तजब तक कि सक्षम प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो।

13. प्रबन्ध अध्यापक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करेगा और इस नियमों में अधिकथित सेवा की शर्तों का अनुसरण करेगा। संस्था द्वारा केवल प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जावेंगे।

14. प्रबन्ध संचित बचतों को सम्मिलित करते हुए अपनी आय का कोई भी भा ऐसी मदों पर खर्च नहीं करेगा जो संस्था के हित के विरुद्ध हो।

15. सहायता अनुदान निधि की उपलब्धतता के अध्यधीन रहते हुए संस्था के प्रबन्ध को संदेय होगा और उसके लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जायेगा।

16. सहायता की रकम सामान्यतः संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव को संदत की जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम, शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संदत्त की जा सकेगी।

17. वित्तीय संकट के मामले में राज्य सरकार, किसी भी प्रकार के कोई कारण समनुदेशित किये बिना अनुदान को बन्द, कम या उपान्तरित कर सकेगी।

18. किसी वर्ष में कुल आवर्ती सहायता अनुदान, कुल अनुमोदित व्यय और समस्त स्रोतों से आवर्ती आय के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा।

19. सहायता अनुदान का उससे सृजित कोई भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का उपयोग ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए वह मंजूर की गयी थी, से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

20. वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुपयोजित अतिशेष प्रतिवर्ष 31 मार्च को या उसके पहले

विभाग/सरकार को अभ्यर्थित किया जायेगा, जिसमें विफल रहने पर वह देय सहायता को अगली किस्त के मुद्दे समायोजित किया जायेगा।

21. संस्था वसूल की गयी विभिन्न प्रकार की फीसों के लिए विद्यार्थीवार मांग और संग्रहरण रजिस्टर रखेगी।

22. केवल मान्यता प्राप्त संस्थाएं सहायता अनुदान की पात्र होंगी।

23. कोई भी सहायता अनुदान ऐसी संस्था को अनुज्ञेय नहीं होगा जो लेखा/परीक्षा निरीक्षण से बचती है या लेखा परीक्षा/निरीक्षण प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहती है।

24. संस्था का सचिव या सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति सहायता अनुदान प्राप्त करते समय परिशिष्ट-12 में विहित प्रारूप में एक वचन वंध तीन प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

## परिशिष्ट - 11

## अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची व विवरण

### शिक्षा विभाग में संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं एवं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं

**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**

1. विकलांग एकीकृत शिक्षा
2. विकलांग एकीकृत शिक्षा (छबड़ा) (परियोजना)।
3. आपरेशन ब्लेड बोर्ड योजना
4. सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम
5. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
6. शैक्षिक प्रोद्योगिकी
7. पर्यावरण अनुस्थापन शिक्षा योजना।
8. अल्प संख्यक एवं पिछड़े वर्ग शिक्षा हेतु संघन क्षेत्र का कार्यक्रम
9. एस. आई. ई. आर. डी. का सुदृढ़ीकरण
10. ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बालकों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(281)

11. अला/अजजा के बालकों के प्रतिभा विकास हेतु छात्रवृत्ति
12. माध्यमिक/उमावि स्तर पर संस्कृत पढ़ने वाले बालकों को देय छात्रवृत्ति
13. 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा योजना
14. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा
15. आई.ए.एस.ई. सी.टी.ई. की स्थापना
16. विज्ञान शिक्षा सुधार योजना
17. जन संख्या शिक्षा
18. अंग्रेजी उन्नयन
19. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
20. संपूर्ण साक्षरता अभियान
21. उत्तर साक्षरता अभियान
22. सतत शिक्षा
23. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
24. ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम
25. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

**विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं : -**

1. शिक्षा कर्मा परियोजना।
2. लोक जुम्बिश परियोजना।

**केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं एवं विदेशी सहायता प्राप्त योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण ।**

(राशि लाखों में)

(अ) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

| वर्ष | प्राप्त राशि |
|---|---|
| 1992-93 | 4886.70 |
| 1993-94 | 4640.39 |
| 1994-95 | 6299.84 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1995-96 | 4578.92 |
| 1996-97 | 8111.50 |

(ब) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं

(1) लोक जुम्बिश

| अवधि/वर्ष | प्राप्त राशि |
|---|---|
| जून, 92 से मार्च, 93 | 400.00 |
| अप्रेल, 93 से मार्च, 94 | 626.00 |
| अप्रेल, 94 से मार्च, 95 | 933.00 |
| अप्रेल, 95 से मार्च, 96 | 1500.00 |
| अप्रेल, 96 से दिसम्बर, 96 | 400.00 |
| | 400.00 |

(2) शिक्षा कर्मी

| वर्ष | प्राप्त राशि |
|---|---|
| 1992-93 | 196.18 |
| 1993-94 | 545.27 |
| 1994-95 | 490.00 |
| प्रथम चरण का प्रारम्भिक कोष | 309.22 |
| 1995-96 | 810.00 |
| 1996-97 (जनवरी तक) | 575.00 |

नोट :- सम्पूर्ण साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत होने वाली राशि सीधे ही सम्बन्धित जिलों को प्राप्त होती है।

## परिशिष्ट–12

### (अतारांकित प्रश्न संया 410 का विवरण)

वि. स. क्षेत्र डेगाना के उच्च प्राथमिक वि. की सूची (प्रश्न के बिन्दु - 1 की सूची)

| क्र.सं. | नाम उ.प्रा.वि. | क्र.सं. | नाम उ.प्रा.वि. |
|---|---|---|---|
| 1. | ढाणीपुरा | 2. | लाडपुरा |
| 3. | सनेडिया | 4. | थावला |
| 5. | निम्बोला-बिस्वा | 6. | कोड |
| 7. | टेहला | 8. | बाडीघाटी |
| 9. | नथावड़ा | 10. | मेडवा |
| 11. | चूवा | 12. | पालड़ी कलां |
| 13. | पुन्दलोता | 14. | माण्डलजोधा |
| 15. | किरोदा | 16. | चुई |
| 17. | निम्बडी चान्दावतां | 18. | हिरणीढाणी |
| 19. | हरसौर | 20. | खेरला |
| 21. | इग्यासनी | 22. | चान्दारण |
| 23. | राजलोता | 24. | निम्बडीकलां |
| 25. | पालीयास | 26. | चांदनी |
| 27. | बुटाटी | 28. | डेगाना गांव |
| 29. | डेगाना जक्शन | 30. | रामसरी |
| 31. | राजोद | 32. | चम्पाखेडी |
| 33. | सारसण्डा | 34. | लंगोड |
| 35. | झगडवास | 36. | गोरडीकरण |
| 37. | तिलोनस | 38. | आन्तरोलीकलां |
| 39. | बच्दावरी | 40. | थाटा |
| 41. | चोसली | 42. | पुनास |
| 43. | जालसुकला | 44. | चान्दारूण |

2-84



| क्र.सं. नाम उ.प्रा.वि. | क्र.सं. नाम उ.प्रा.वि. |
|---|---|
| 45. निम्बोलाकलां | 46. जालसुखुर्द |
| 47. मोगास | 48. बोलियास |
| 49. गच्दीपुरा (बालिका) | 50. माझी (बालिका) |
| 51. जाखेडा (बालिका) | 52. डेगाना गांव (बालिका) |
| 53. चान्दारण (बालिका) | 54. सॉजू (बालिका) |
| 55. हरसौर (बालिका) | |

## परिशिष्ट - 13

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 411 की प्रति)

### RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

**NO. RSEB/RES/SCC.II/F. 35(1) 87/D 935 Jaipur, dt. 21.9.87**

### CIRCULAR

A number of references have been received seeking instructions about the policy to be adopted in release of electric connections in these newly created separate revenue villages which came into existance after 1981 Census and which were earlier forming part of a "electrified revenue village". The matter has been considered and it is decided that if any electrified village as per 1981 Census was/in further partioioned into two or more revenue villages after 1981 (March), all the new revenue villages, which were earlier Dhanis/Majras of the original electrified village, may be continued to be treated as part of the original electrified village for the purpose of acceptance of applications for and release of electric connections.

It will be however necessary for the field officers to send intimations of such newly created areas by way of partitioning of the electrified revenue village to the Chief Engineer (RE) and Dy.

(285)

Director (St.) so that such areas may be included in the list of electrified villages at the time of 1991-Census.

Sd/-

(Dilip Chand Jain)

Secretary

कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देश (द्वितीय संस्करण) के पत्र क्रमांक राराविमं/मुअग्रावि अनु-9/प्रे. 198 दिनांक 2 अगस्त, 1996 के बिन्दु संख्या 15 का विवरण।

15/ विद्युतीकृत गांव जिसमें विद्युत सत्र पूरा नहीं है

पिछले वर्षों में कई गांव विद्युतीकृत किये गये हैं परन्तु कई कारणों से उनका विद्युतीकरण पूरा नहीं किया जा सका है, अथवा ट्रान्सफार्मर/पोल पर्याप्त संख्या में नहीं लगाये गये हैं। अगर ऐसे गांवों में नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन लेने के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं तो ऐसे मामलों में ट्रान्सफार्मर की कीमत (विशेष प्राथमिकता के लिये रुपये 1250/- प्रति हार्स पावर) उपभोक्ताओं से नहीं ली जाकर विद्युत मण्डल की ओर से व्यवस्था की जायेगी।

परिशिष्ट - "ख"

**माननीय मंत्रीगणों द्वारा की गई यात्राओं के दिनों का विवरण (दिनांक 1.4.96 से 28.2.97 की अवधि में भुगतान किए विश्राम भत्ते के अनुसार)**

| क्र.सं | नाम मा.मंत्रीगण | यात्रा की अवधि (दि. 1.4.96 से 28.2.97) | दिनों की संख्या भुगतान किए गए विश्राम भत्ते के अनुसार (दि. 1.4.96 से 28.2.97) | ऐसे बिलों की अवधि जिनमें यात्रा दि. 1.4.96 से पूर्व की है किन्तु भुगतान 1.4.96 के पश्चात हुआ है | दिनों की संख्या भुगतान किए गए विश्राम भत्ते के अनुसार (दि. 1.4.96 से पूर्व की अवधि के लिए जिनका भुगतान 1.4.96 के पश्चात हुआ है) | कुल यात्रा व्यय की राशि जिसका भुगतान 1.4.96 से 28.2.96 की अवधि में किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मा. श्री भैरोंसिंह शेखावत | 11.12.96 से 31.12.96 | - | - | - | 6,11,617 |
| 2. | श्री हरिशंकर भाभड़ा | 9.5.96 से 8.12.96 | 76.25 | 15.12.95 से 26.3.96 | 46.5 | 97,960 |
| 3. | श्री भवंरलाल शर्मा | 12.5.96 से 30.6.96 | 10 | 7.1.95 से 15.10.95 | 43 | 15,830 |
| 4. | श्री ललित किशोर चतुर्वेदी | - | - | 3.7.95 से 21.1.96 | 77 | 83,019 |
| 5. | श्री गंगाराम चौधरी | 17.5.96 से 28.11.96 | 69.5 | 5.6.95 से 11.3.96 | 102.5 | 56,520 |
| 6. | श्री देवीसिंह भाटी | 11.5.96 से 30.8.96 | 49 | 15.2.96 स 22.3.96 | 16 | 45,554 |
| 7. | श्री गुलाबचन्द कटारिया | 1.4.96 से 27.10.96 | 86 | 29.1.96 से 30.3.96 | 28 | 74,065 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | श्री सुजानसिंह यादव | 11.5.96 से 28.11.96 | 98 | 29.12.95 से 11.3.96 | 37 | 1,37,000 |
| 9. | श्री कैलाश मेघवाल | 18.5.96 से 22.5.96 | 3 | 4.11.95 से 10.3.96 | 25.5 | |
| 10. | श्री रघुवीरसिंह कौशल | 23.5.96 से 27.7.96 | 27 | 1.11.95 से 22.3.96 | 68.5 | 17,041 |
| 11. | श्री नाथूसिंह गुर्जर | 15.5.96 से 31.12.96 | 23 | 9.5.95 से 22.3.96 | 43 | 33,856 |
| 12. | श्री राजेन्द्र राठौड़ | 11.5.96 से 26.11.96 | 45.5 | 4.10.95 से 23.3.96 | 37 | 46,083 |
| 13. | श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा | 17.5.96 से 15.9.96 | 39.5 | 15.11.95 से 23.3.96 | 53.5 | 35,323 |
| 14. | श्री जसवन्तसिंह विश्नोई | 10.5.96 से 31.8.96 | 37 | 5.1.96 से 23.3.96 | 54 | 64,753 |
| 15. | श्री श्रीकिशन सोनगरा | 13.5.96 से 30.7.96 | 13 | 3.1.96 से 20.3.96 | 22 | 4,375 |
| 16. | श्री ज्ञानसिंह चौधरी | 9.6.96 से 9.12.96 | 53 | 3.1.96 से 18.3.96 | 32 | 1,11,458 |
| 17. | श्रीमती शशीदत्ता | 10.5.96 से 15.9.96 | 39.5 | 5.12.95 से 9.3.96 | 36 | 8,735 |
| 18. | श्री नन्दलाल मीणा | 11.5.96 से 20.9.96 | 47 | 14.1.96 से 25.3.96 | 43.5 | 2,11,033 |
| 19. | श्रीमती नरेन्द्र कंवर | 14.5.96 से 10.9.96 | 13 | 10.1.96 से 27.3.96 | 40 | 15,715 |

(288)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | डा. रामप्रताप | - | - | 3.10.95 से 24.2.96 | 67 | 8,376 |
| 21. | श्री अनंग कुमार जैन | - | - | - | - | - |
| 22. | श्री मदन दिलावर | 18.5.96 से 17.12.96 | 54 | 18.1.96 से 25.3.96 | 29 | 13,755 |
| 23. | श्री अचलाराम मेघवाल | 11.5.96 से 27.11.96 | 64.5 | 1.3.96 से 22.3.96 | 11 | 8,063 |
| 24. | श्री सांवरलाल जाट | 13.5.96 से 29.9.96 | 69 | 2.1.96 से 10.3.96 | 37 | 12,250 |
| 25. | श्री अर्जुन सिंह देवड़ा | 18.5.96 से 27.11.96 | 67 | 22.2.96 से 6.3.96 | 8 | 25,643 |
| 26. | श्री पूंजालाल गरासिया | 10.5.96 से 26.6.96 | 30 | 5.12.95 से 16.3.96 | 60 | 15,942 |
| 27. | श्री नसरू खां | 9.5.96 से 26.6.96 | 30 | 1.1.96 से 23.3.96 | 45 | 9,375 |
| 28. | श्री गुरजंट सिंह | 18.5.96 से 12.12.96 | 101.5 | 2.1.96 से 26.3.96 | 43 | 18,000 |
| 29. | श्री मंगलाराम कोली | 9.5.96 से 27.7.96 | 20.5 | 25.11.95 से 25.3.96 | 55 | 9,438 |

**नोट :-** (1) मा. श्री भैरोंसिंह शेखावत को 6,11,617/- क्लीवलैण्ड में उपचार कराये जाने हेतु अग्रिम भुगतान है।

(2) (-) का अभिप्राय अभी तक इस विभाग में यात्रा बिल प्राप्त नहीं होना है।

## परिशिष्ट-14

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 414 का विवरण)

वर्ष 1989-90 से अब तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक श्रेणियों को दी जाने वाली विद्युत दरों को तालिका (ईंधन अधिभार एवं विद्युत कर सम्मिलित नहीं )

1. विद्युत दर पैसे प्रति यूनिट में

2. कृषि फलेट दर रु. प्रतिहा.पा. प्रतिवर्ष में।

| क्र.सं. | श्रेणी | बिलिंग माह | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जनवरी, 89 से जून, 89 | जुलाई, 89 से जुलाई, 90 | अगस्त,90 से दिसम्बर, 91 | जनवरी, 92 से अगस्त, 92 | सितम्बर, 92 से मई, 94 | जून, 94 से सितम्बर, 95 | अक्टूबर, 95 से सितम्बर, 96 | अक्टूबर, 96 से एवं आगे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. घरेलू सेवा | | | | | | | | | |
| (I) | प्रथम 50 यूनिट/माह तक | 52 | 52 | 55 | 65 | 75 | 90 | 90 | 112 |
| (II) | 50 यूनिट/माह से अधिक एवं 100 यूनिट/माह तक | 52 | 52 | 55 | 65 | 75 | 100 | 100 | 133 |
| (III) | 100 यूनिट/माह से अधिक एवं 200 यूनिट/माह तक | 52 | 52 | 55 | 65 | 75 | 100 | 100 | 154 |

289

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (IV) | 200 यूनिट/माह से अधिक एवं | | | | | | | | |
| | 300 यूनिट/माह तक | 52 | 52 | 55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 154 |
| (V) | 300 यूनिट/माह से अधिक | 52 | 52 | 55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 165 |
| 2. | कृषि श्रेणी | | | | | | | | |
| | (अ) मीटर सप्लाई | 32 | 32 | 32 | 37 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| | (ब) फ्लेट दर सप्लाई | | | | | | | | |
| (I) | 2 हा.पा. स्वीकृत संबंद्ध भार तक रुपये 384/-................................ कोई वृद्धि नहीं.................................384/- | | | | | | | | |
| (II) | 3 हा.पा. से अधिक एवं 5 हा. पा. स्वीकृत सम्बद्ध भार तक रुपये- 444.............,,......... रु. 444/- | | | | | | | | |
| (III) | 5 हा.पा. से अधिक एवं 7.5 हा.पा. स्वीकृत संबद्ध भार तक रुपये 492/-....कोई वृद्धि नहीं...रु. 492/- | | | | | | | | |
| (IV) | 7.5 हा.पा. से अधिक एवं 10 हा.पा. रुपये स्वीकृत संबंद्ध भार तक रुपये 516/-...,,....रु. 516/- | | | | | | | | |
| (V) | 10 हा.पा. से अधिक स्वीकृत संबंद्ध भारत लागू नहीं लागू नहीं रु. 516/——कोई वृद्धि नहीं रु. 516/- | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | लघु औद्योगिक सेवा | | | | | | | | |
| | (I) 15 हा.पा. स्वीकृत संबंद्ध भार तक | 75 | 75 | 60 | 70 | 80 | 112 | 130 | 144 |
| | (II) 15 हा.पा. स्वीकृत से अधिक एवं 25 हा.पा. सम्बद्ध भार तक | 75 | 75 | 60 | 80 | 90 | 122 | 140 | 154 |
| 4. | मध्यम औद्योगिक सेवा | | | | | | | | |
| | (I) 25 हा.पा. से अधिक एवं 60 हा.पा. स्वीकृत सम्बद्ध भार तक | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 144 | 160 | 184 |
| | (II) 60 हा.पा. से अधिक एवं 100 हा.पा. स्वीकृत सम्बद्ध भार तक | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 144 | 160 | 184 |
| | (III) 60 हा.पा. से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार एवं अधिक भार 125 केवीए तक अथवा 150 हा.पा. तक स्वीकृत सम्बद्ध भार | 90 | 90 | 103 | 115 | 125 | 150 | 165 | 184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | वृहद औद्योगिक सेवा | | | | | | | | |
| | 125 के.वी.ए. से अधिक | | | | | | | | |
| | अनुबंधित मांग | 100 | 104 | 113 | 125 | 135 | 162 | 185 | 205 |

## परिशिष्ट-15

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 418 का विवरण)

**जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जोधपुर की विभिन्न योजनाओं में माह फरवरी, 97 तक आवंटित राशि का विवरण**

| क्र.सं. | योजना का नाम | आवंटन |
|---|---|---|
| 1. | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 540.00 |
| 2. | मरू विकास कार्यक्रम | 696.85 |
| 3. | सुनिश्चित रोजगार योजना | 900.00 |
| 4. | जवाहर रोजगार योजना | 358.16 |
| 5. | इन्दिरा आवास योजना | 140.41 |
| 6. | अपना गांव अपना काम योजना | 15.00 |
| 7. | निर्बन्ध राशि योजना | 77.90 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | तीस जिला तीस काम योजना | 112.00 |
| 9. | वेस्ट लेण्ड योजना ( कायग्लाना) | 25.53 |
| 10. | वैस्ट लेण्ड योजना (जेलवा जेतीवास) | 54.76 |
| 11. | आई.पी.पी.नवम् योजना | 229.25 |
| 12. | माडा | 4.53 |
| 13. | हाथकर्घा योजना (ओसिया प्रोजेक्ट) | 12.50 |
| 14. | सांसद क्षेत्रीय विकास योजना | 110.00 |
| 15. | ट्राइसम योजना | 3.42 |
| | **योग** | 3280.31 |

ह.

अतिरिक्तक कलेक्टर (विकास)

जोधपुर

293

294

## विभिन्न पंचायत समितियों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि का विवरण

### वर्ष 96-97 (राशि लाखों में)

### पंचायत समिति

| क्र.सं. | योजना का नाम | मण्डौर | लूनी | बिलाडा | भोपालगढ़ | फलौदी | ओसिया | बालेसर | शेरगढ़ | बाप | योग | राशि आबंटन का आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | आई. आर. डी. पी. | 64.50 | 78.00 | 86.25 | 61.50 | 75.00 | 108.00 | 48.00 | 41.25 | 52.50 | 615.00 | गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले चयनित व्यक्ति की उपलब्धता एवं क्षेत्र में कार्यरत बैंक शाखाओं की संख्या के आधार पर। |
| 2. | डी. डी. पी. | 3.98 | 0.42 | 19.37 | 8.57 | 16.97 | 4.58 | 6.64 | 23.60 | 5.72 | 89.55 | केन्द्र सरकार की नवीन गाइड लाइन के आधार पर |
| 3. | ई.ए.एस. | 120.97 | 124.06 | 102.36 | 140.57 | 94.26 | 79.62 | 129.67 | 53.32 | 196.55 | 1041.38 | भारत सरकार द्वारा प्रति ब्लोक एक करोड़ रु. अधिक आबंटित किये जाते हैं। |
| 4. | जे.आर.वाई. | 24.01 | 37.57 | 32.46 | 20.55 | 49.50 | 36.87 | 23.89 | 15.29 | 12.60 | 252.74 | प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार |
| 5. | ए.जी.ए.के | 2.54 | 7.21 | 4.04 | 0.80 | - | 0.80 | - | 0.21 | 0.20 | 15.80 | प्राप्त जनसहयोग एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर |
| 6. | आई.ए.वाई. | 18.30 | 27.47 | 12.60 | 22.22 | 19.25 | 25.65 | 16.63 | 19.88 | 26.60 | 187.70 | पंचायत में उपलब्ध पात्र परिवारों की संख्या एवं जिले के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | टी.जे.टी.के. | 1.50 | 8.00 | 8.50 | 3.00 | 6.39 | 4.40 | 2.78 | 2.83 | 3.25 | 40.65 | प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5.5 लाख के कार्य सम्बन्धित विधायक महोदय की अनुशंसा पर एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर। |
| 8. | यू.टी.एफ. | 2.28 | 4.25 | 6.70 | - | 8.75 | 3.34 | - | 6.12 | 1.25 | 32.69 | प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5.5 लाख के कार्य सम्बन्धित विधायक महोदय की अनुशंसा पर एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर |
| 9. | एम.पी.एल.एडी. | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 5.00 | - | 5.75 | क्षेत्रीय सांसद की अभिशंसा के आधार पर |
| 10. | आई.पी.पी. नवम | - | - | - | - | - | - | 7.50 | - | - | 7.50 | चिकित्सा विभाग के द्वारा तय किये स्थानों पर |
| 11. | ट्राईसम | 0.05 | 0.32 | 0.21 | 2.76 | 0.42 | 1.28 | 0.37 | 0.21 | - | 5.72 | उपलब्ध इच्छुक प्रशिक्षार्थियों के आधार पर |
| 12. | वैसटलेण्ड | 25.53 | - | 54.76 | - | - | - | - | - | - | 80.29 | स्वीकृत योजना के आधार पर |
| 13. | मैसिव | 0.18 | - | 0.26 | - | - | - | 0.09 | - | - | 0.53 | क्षेत्र की आवश्यकता पात्र किसानों, एवं भूजल की उपलब्धता के आधार पर |
| 14. | माडा | 0.69 | 0.04 | - | 0.06 | - | - | - | 1.73 | - | 2.52 | उपलब्ध पात्र व्यक्तियों के आधार पर |
| 15. | हाथकर्घा | - | - | - | - | - | 12.50 | - | - | - | 12.50 | स्वीकृत परियोजना के आधार पर |
| 16. | आर.जे.सी. | - | - | - | - | 13.17 | - | 5.00 | - | - | 18.17 | राज्य सरकार द्वारा तय किये गये केन्द्रों के आधार पर |

## परिशिष्ट-16

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 420 का विवरण)

### अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ निर्धारित लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण

| क्र.सं. | योजना का नाम | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति | लक्ष्य | प्राप्ति |
| 1. | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाभान्वित परिवारों की संख्या | 58,283 | 63,836 | 53,908 | 59,175 | 46,409 | 49,074 |
| 2. | ट्राईसम (लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या) | 5,406 | 5,694 | 5,095 | 5,731 | 4,635 | 4,908 |
| 3. | जवाहर रोजगार योजना मानव दिवस सृजन लाखों में | 91.13 | 90.70 | 86.67 | 86.94 | 69.77 | 74.02 |
| 4. | इन्दिरा आवास (आवास संख्या में) | 13,912 | 11,975 | 12,910 | 17,360 | 24,924 | 25,053 |
| 5. | जीवनधारा योजना (कृषकों की संख्या) 2,559 | 3,245 | 1,355 | 2,058 | 4,620 | 1,646 | |
| 6. | बायोगैस (संयंत्रों की संख्या) | - | 409 | - | 509 | - | 462 |
| 7. | मैसिव लाभान्वितों की संख्या | - | 8,181 | - | 5,228 | - | 3,937 |